सप्तदश माला, खंड 1, अंक 6

सोमवार, 24 जून 2019
3 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में अंक 1 से10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 6, सोमवार, 24 जून 2019 / आषाढ़ 3, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*]तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 29	13-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 30 से 40	42
अतारांकित प्रश्न संख्या 192 से 212[2**] 214 से 281**, 283 से 355** और 357 से 421	

[1*] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

[2**] श्री ओम बिरला को माननीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 213, 282 और 356 का लोप किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 43-68

वित्त संबंधी स्थायी समिति
73[वां] प्रतिवेदन 69

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति
21[वां] प्रतिवेदन 70

समितियों के लिए निर्वाचन
(एक) प्राक्कलन समिति 71
(दो) लोक लेखा समिति 72-73
(तीन) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति 74-75
(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति 76-77

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन बारे में प्रस्ताव 78-81

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित
(एक) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 82
(दो) आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक , 2019 84-88
(तीन) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 90

जम्मू और कश्मीर (आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के बारे में विवरण 83

आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के बारे में विवरण 89

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के बारे में विवरण 90

नियम 377 के अधीन मामले 91-118

(एक) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी और नदियों को आपस में जोड़े जाने के बारे में

श्री रामदास तडस 92

(दो) राजस्थान के मेड़ता और पुष्कर के बीच रेल संपर्क सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भागीरथ चौधरी 93

(तीन) झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार सिंह 94-95

(चार) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदित्यपुर में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री बिद्युत बरन महतो 96

(पाँच) जम्मू-कश्मीर के बाल्मीकि समुदाय के लोगों को विधिमान्य नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 97

(छह)	खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में	
	डॉ. निशिकांत दुबे	98
(सात)	बंगलूरु में अन्तर्नगरीय आवागमन के लिए अवसरंचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री तेजस्वी सूर्या	99
(आठ)	उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 86 पर स्थित समपारों पर रेल उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता	
	कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल	100
(नौ)	राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल स्तर और हरित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।	
	श्री राहुल कस्वां	101
(दस)	रेलवे में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के बारे में	
	डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी	102
(ग्यारह)	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. वीरेंद्र कुमार	103

(बारह) मध्य प्रदेश के सतना में रामायण टूरिस्ट सर्किट बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 104

(तेरह) देश में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी पटेल 105

(चौदह) बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 106

(पंद्रह) बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी 107

(सोलह) केरल में कजाकुट्टम-कादम्बकुट्टुकोनम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का चौड़ीकरण एवं अट्टिंगल बाईपास के निर्माण के बारे में

एडवोकेट अदूर प्रकाश 108

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर रंजन चौधरी 109

(अट्ठारह) सबरीमाला मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के बारे में

श्री एंटो एन्टोनी 110

(उन्निस) पश्चिम बंगाल में हिंसा के बारे में

प्रो. सौगत राय 111

(बीस) विद्युत पारेषण परियोजनाओं के सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में

श्री ए. गणेशमूर्ति 112-113

(इक्कीस) बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर रेल खंड पर पुराने रेल पुलों के नवीकरण की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 114

(बाईस) महाराष्ट्र में पानी की कमी से निपटने की आवश्यकता।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 115

(तेईस) देश में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के उन्मूलन के बारे में

श्री मोहम्मद आजम खां 116

(चौबीस) तमिलनाडु के नागपट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रेलवे के विभिन्न मुद्दों के बारे में

श्री एम. सेल्वराज 117

(पच्चीस) कोल्लम-पुनालुर-सेनकोट्टा रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे में

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 118

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी	119-151
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	152-162
श्री अधीर रंजन चौधरी	163-181
संशोधन का पाठ	
श्री टी.आर. बालू	182-186
प्रो. सौगत राय	187-197
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी	198-202
श्री विनायक भाऊराव राऊत	203-208
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	209-215
श्री पिनाकी मिश्रा	216-222
कुंवर दानिश अली	223-231
डॉ. नामा नागेश्वर राव	232
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे	233-239
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी	240-247
श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी	248-250
श्री गणेश सिंह	251-257
एडवोकेट ए.एम. आरिफ़	258-260
श्री राम कृपाल यादव	261-269
श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार	270-274
श्री धर्मवीर सिंह	275-278
श्री मोहम्मद आजम खां	279-284

श्री एम. सेल्वराज	285-287
श्री असादुद्दीन ओवैसी	288-292
श्री तोखेहो येपथोमी	299-300
प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी	301-309
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर	310-311

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

<u>सोमवार, 24 जून, 2019/ आषाढ़ 3, 1941 (शक)</u>

लोक सभा की बैठक पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल, प्रश्न सं. 21,

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी

(प्रश्न संख्या 21)

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अलग और कम जी.एस.टी. दर का प्रावधान करने पर विचार कर रही है जो बदले में बिजली की गतिशीलता में मदद करेगी और टिकाऊ तकनीकी पर्यावरणीय प्रथाओं को भी बढ़ावा देगी।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि आखिरकार भविष्य में इलैक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर देश को जाना है तो क्या उसके लिए टैक्स रेट जीएसटी का कम होगा? इसके लिए जीएसटी काउंसिल पीछे हुई, इसमें यह बात रखी गई है। जीएसटी काउंसिल आने वाले समय में इस पर विचार करेगी। जब इसका निर्णय आएगा तो आपके संबंधित प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, लेकिन आज के समय जीएसटी काउंसिल में इश्यू पेंडिंग है।

[अनुवाद]

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि पूंजी की गतिशीलता, पहुंच और नियामक बोझ को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष रूप से क्या किया जा रहा है। इसलिए, मैं जी.एस.टी.आर.-9 जैसे रिटर्न की जटिलता और जी.एस.टी. रिफंड संसाधित करने के लिए आवश्यक समय के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा सबको विदित है कि वर्ष 2017 में जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया। टैक्स कलैक्शन में भी जिस तरह से वृद्धि हुई है, इसके चलते और साथ में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो समय-समय पर जीएसटी काउंसिल ने इतने सारे निर्णय लिए, विशेष तौर पर एमएसएमई सैक्टर और कुल मिलाकर इस देश में काम करने वाले उद्योगपति, ट्रेडर्स और सबके लिए इतने निर्णय लिए गए कि 92,000 करोड़ का अब तक का लाभ इनको पहुंचा है।

[हिन्दी]

इसके अलावा समय-समय पर निर्णय लिए गए ताकि ट्रेड में कोई बाधा न आए, राहत मिले और जीएसीटी में रिटर्न फाइल में दिक्कतें आती थीं, उसे भी दूर किया गया। अभी दो-तीन दिन पहले मीटिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जनवरी महीने से रिटर्न फाइल करने में और आसानी हो। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो मन्थली रिटर्न में पिछले महीने की 20 तारीख तक 21 लाख लोगों ने एक दिन में रिटर्न फाइल की। यह अपने आप में दिखाता है कि यह सिस्टम अब स्टीब्लाइज हुआ है। इसके साथ लोगों को जो राहत समय-समय पर चाहिए थी, उसके लिए सरकार ने सब निर्णय लिए और अब आहिस्ता-आहिस्ता इस सिस्टम में बहुत सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, अपना प्रश्न पूछने से पहले, मुझे एक सुझाव देना है। इसी विषय पर एक और समान प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, महोदय।

मुझे इसे और अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी जी.एस.टी.एन. में आ रही दिक्कतों से भली-भांति परिचित हैं। पिछले वर्ष एक समिति का गठन किया गया था और इस तरह की पच्चीस गड़बड़ियों की पहचान की गई थी। चूंकि जी.एस.टी. व्यवस्था एक और सप्ताह में दो वर्ष पूरे करने जा रही है, विशेष रूप से इस महीने की 30 तारीख तक, मैं यह समझना चाहूंगा कि क्या जी.एस.टी.एन. के साथ सभी समस्याएं दूर हो गई हैं और या यह अभी भी प्रगति पर है जैसा कि हम पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं।

जी.एस.टी. कानून संशोधनों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जी.एस.टी. पोर्टल को मजबूत करने हेतु क्या उचित उपाय किए गए हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी.एस.टी. परिषद के सुझावों के आधार पर कई संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जी.एस.टी. पोर्टल द्वारा तत्काल लागू नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जी.एस.टी. पोर्टल ने करदाताओं के भार को संभालने में असमर्थता दिखाई है, जिससे यह महत्वपूर्ण तिथियों और समय-सीमाओं पर पहुंच योग्य नहीं है?

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य भी है और बहुत गंभीर प्रश्न भी उठाया है। निश्चित तौर पर सिस्टम में शुरुआत में दिक्कतें आईं ,जिसके चलते समय-समय पर जी.एस.टी. काउंसिल में विचार भी किया गया। उस दिशा में कदम भी उठाए गए। आप जैसे अनुभवी सांसदों ने जब-जब ऐसे विषयों को उठाया और जी.एस.टी. काउंसिल में ऐसे विषय आए तो उसके बाद इस दिशा में काम किया गया है। उसमें बहुत सुधार हुआ है। किसी भी नए सिस्टम को स्टेबिलाइज़ होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछले महीने में जिस तरह एक ही दिन में 21 लाख रिटर्न्स फाइल की गईं और सिस्टम ने उस लोड को लिया और बहुत ठीक ढंग से चला है, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर छोटी-मोटी त्रुटियां होंगी भी तो उसको दूर किया जाएगा। इसको और आसान करने के लिए जो कदम उठाए गए, अगले साल जनवरी से उसको पूरी तरह से लागू कर दिया

जाएगा उसके पायलट प्रोजेक्ट्स भी आजकल चल रहे हैं, ताकि बार-बार रिटर्न फाइल न करनी पड़े और एक ही रिटर्न में आपका ई-वे बिल भी हो और आपकी कम्पोजिशन भी हो जाए। इस दिशा में काम चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदय, जी.एस.टी. की अवधारणा माननीय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में 'एक देश, एक कर, एक बाजार' के रूप में पढ़ा है। लेकिन जब वास्तव में जी.एस.टी. की घोषणा की गई, और इतनी जल्दबाजी में, तो छोटे व्यापारियों को वास्तव में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माननीय मंत्री से मेरा यह प्रश्न है। क्या सरकार अब देश के छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए जी.एस.टी. को और सरल बनाने जा रही है? यदि हाँ, तो वे और क्या कदम उठाने जा रहे हैं और उसकी समय सीमा क्या होगी?

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, सुदीप दा बहुत वरिष्ठ सांसद भी हैं और ट्रेडर्स की समस्या को लेकर गंभीर प्रश्न भी उठाया है, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जी.एस.टी. आने से पहले जितने लोग (टैक्स) जी.एस.टी. से पहले की व्यवस्था में थे, उससे दुगने अब हुए हैं। इससे पता चलता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह से विश्वास इसमें बढ़ा है, इसमें जी.एस.टी. काउंसिल ने जो काम किया है, मैं उन सब सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कहीं न कहीं पूर्व मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री, सारे सदन की और पूरे देश की जो सोच थी, सभी सरकारों के वरिष्ठ मंत्री, वहां के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया तब जाकर व्यवस्था ठीक चल पाई है। कहीं न कहीं टैक्स कलेक्शन का बढ़ना, अगर आप इस साल पहले के दो महीनों का भी टैक्स कलेक्शन देखें तो पिछले साल के अप्रैल-मई के मुकाबले वह साढ़े आठ फीसदी ज्यादा है। यह अपने आप में दिखाता है कि ज्यादा लोग इस सिस्टम पर आ रहे हैं और जो सरकार ने भी निर्णय इतने समय तक जी.एस.टी. काउंसिल ने लिए, 92 हजार करोड़ रुपये के लाभ

जी.एस.टी. के शुरू होने से अब तक ट्रेडर्स को अलग-अलग सेगमैंट्स में मिले। चाहे वे गुड्स के थे, सर्विसेज के थे तो हमने लगातार ट्रेडर को राहत दी है कि वो ईमानदारी से काम कर सके और इस देश में ईमानदारी के साथ व्यापारी आगे आए। ये हमने देखा है चाहे वह डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों में ही बहुत बड़ा सुधार उसमें हुया है, जिसके लिए व्यापारी भी बहुत तारीफ के अधिकारी हैं और जी.एस.टी. काउंसिल भी तारीफ की अधिकारी है।

(प्रश्न संख्या 22)

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां : अध्यक्ष महोदय, देश में 15 विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जहां पर संस्कृत या तो भाषा के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। उसमें से तीन ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज के रूप में हैं। काफी समय से देश के अन्दर ही इंडियन यूनिवर्सिटीज में पद की जो पोजिशन है, उसमें 50 परसेंट से ऊपर पद खाली पड़े हुए हैं, जो आज प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है।

मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न है कि जिन तीन डीम्ड यूनिवर्सिटीज का विषय पेंडिंग पड़ा है, इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बदलने का प्रावधान रखा गया है और जो पद इतने सालों से खाली पड़े हैं, उनको कब तक भरने की प्रक्रिया होगी?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, वह चूंकि संस्कृत की है और स्वाभाविक है कि संस्कृत देववाणी है और ऐसी साइंटिफिक भाषा है, जिसकी जरूरत पूरे विश्व को है। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं के साथ संस्कृत को और सुदृढ़ करने की सरकार की स्पष्ट मंशा है।

जो केन्द्रीय पोषित संस्कृत विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, पूरे देश में इसके 12 परिसर हैं। इसमें कुल सृजित पद 288 हैं, अभी केवल 199 पदासीन हैं और 89 पद रिक्त हैं। दूसरा, लाल बहादुर संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसमें कुल पद 139 हैं, अभी पदासीन 89 हैं और 50 पद रिक्त है। तीसरा संस्थान राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति है। यह हमारा बहुत अच्छा संस्थान है। वहां 109 पद सृजित हैं, अभी केवल 71 पदासीन हैं और 38 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए युद्धस्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा। इसकी कार्रवाई चल रही है।

श्री राहुल कस्वां : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 2015 के अंदर भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसको एन. गोपालस्वामी, चांसलर, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति ने हेड किया था। इस कमेटी की काफी रिकमेंडेशन्स आईं, जो फरवरी, 2016 को सरकार में मिनिस्ट्री को सब्मिट की गई। उसमें स्कूल

शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा के अंदर वेद विद्या को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में कई प्रावधान दिए गए। इसे मिनिस्ट्री द्वारा आगे अलग-अलग कन्सर्न्ड यूनिवर्सिटीज को फारवर्ड कर दिया, लेकिन आज तक इस कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एन. गोपालस्वामी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन्स कब तक यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में लागू होंगी?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, उस कमेटी की बहुत सारी अनुशंसाएं उस रिपोर्ट में आई थीं, उन पर काफी कुछ अध्ययन करने के बाद, हम संस्थानों में धीरे-धीरे करके उसे शुरू कर रहे हैं। अब कुछ विषयों पर काम शुरू हो गया है और जो शुरू किए जा सकते हैं, उनको हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे।

(प्रश्न संख्या 23)

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, 16वीं लोक सभा में, मैंने एक निजी सदस्य का संकल्प पेश किया है। प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई और अंततः सरकार को ई.पी.एफ. अधिनियम के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना में सुधार के लिए एक समिति गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा कर्मचारी पेंशन योजना में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर में सही कहा है, एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

मेरा कहना यह है कि पूरे सदन, 16वीं लोक सभा ने, पार्टी और राजनीतिक बाधाओं को पार करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अंततः एक समिति का गठन किया गया। यह सिफारिश दिसंबर 2018 में आई है। वहां के माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर ध्यान देना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है – "खंड (ड़) के संबंध में, पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।"

महोदय, यदि एक काजू श्रमिक अपनी पेंशन से 50,000 रुपये की राशि का भुगतान कर रहा है, तो 15 वर्षों के बाद पूरी राशि पेंशन से प्राप्त की जाएगी। उनकी पेंशन से 1,78,000 रुपये की प्रतिपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने जो अग्रिम राशि दी है वह केवल 50,000 रुपये है।

महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। 16वीं लोक सभा में तत्कालीन मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसकी समीक्षा की जायेगी। भाग (ड़) में, मैंने पूछा कि "क्या सरकार परिवर्तित राशि का एहसास होने के बाद पेंशन का संराशीकरण के कारण पेंशन से राशि की वसूली को रोकने का भी प्रस्ताव रखती है, इसकी समीक्षा की जाएगी।" यहाँ उत्तर यह है कि निधि के अभाव के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आप एक गरीब पेंशनभोगी के पैसे वसूली कैसे कर सकते हैं जबकि पूरी राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी द्वारा कोई विशेष आश्वासन दिया जाएगा जिससे देश के 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि वह इन मजदूरों की चिंता लंबे समय से कर रहे हैं और अच्छे जानकार हैं। यह भी सत्य है कि विगत लोक सभा में आपने जो प्राइवेट मैम्बर बिल रखा, उसी के आधार पर हाई पॉवर्ड कमेटी का गठन हुआ था। आप यह जानते हैं कि हम जो भी निर्णय लेंगे, वह सीबीटी के फैसले के बाद लेंगे। आपने जो बातें बताई है, वे सारी बातें हमारे संज्ञान में है। आपने कैश्यू वर्कर्स के बारे में जो बातें बताई है, उसमें एक एनॉमली बताई थी, हम उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अगले महीने हम सीबीटी की बैठक कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, सीबीटी की बैठक में सारे मजदूर संगठन, सारे इम्प्लॉयर्स और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आते हैं। उसमें मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोग आपकी भावनाओं और मजदूरों की भावनाओं को ध्यान में रख कर फैसला लेंगे कि कैसे उनका हित किया जाए। हम सीबीटी की बैठक में आपको भी संज्ञान में लेंगे। आप जो बात कह रहे हैं, उसको निश्चित रूप से हम चिंता के साथ मजदूरों के संबंध में पॉजिटिव निर्णय लेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन: 2014 से पहले, पेंशन की न्यूनतम पात्रता 10 वर्ष की निरंतर सेवा थी। दस वर्ष का अर्थ है 10 x 365 दिन। इसका मतलब है कि 2014 में योजना में संशोधन के बाद, न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के लिए 3650 दिनों की न्यूनतम उपस्थिति आवश्यक है। एक श्रमिक को वर्ष में 365 दिन काम करना पड़ता है। ऐसा कहीं सुनने को भी नहीं मिलता। जहां तक देश के गरीब श्रमिकों की बात है, उन्हें एक वर्ष में 365 दिन काम करना पड़ता है। कानून कहां है? मेरे दूसरे अनुपूरक के भाग क में माननीय मंत्री से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या पेंशन के लिए 3650 दिनों की न्यूनतम पात्रता की समीक्षा की जाएगी। मेरे दूसरे अनुपूरक का भाग ख यह है कि क्या वित्त मंत्रालय से कोई सिफारिश आई है कि पी.एफ. राशि पर ब्याज कम करना होगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, जैसा माननीय सदस्य जी कह रहे हैं कि सीजनल इंडस्ट्री के अंदर एक वर्ष का मतलब यह होता है कि वह कितने समय काम किया, एक वर्ष का मतलब 365 डेज नहीं होता है। अगर कैश्यू वर्कर ने तीन-चार महीने काम किया है तो उसके साथ जोड़ा जाएगा और इसमें कोई एनॉमली है तो हम उसको बैठ कर दूर करने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि सीबीटी की पिछली बैठक, वर्ष 2018-19 में 8.65 ब्याज दर की संस्तुति वित्त मंत्रालय को की गई है और वित्त मंत्रालय ने इसको समझने के लिए हम लोगों से कुछ जानकारी मांगी है, कोई मना नहीं किया है। मेरा मानना है कि हमारी बात से वित्त मंत्रालय सहमत होगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपको वह बाद में अवगत करा दिया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि वर्ष 1995 का हमारा ऐक्ट लाखों श्रमिकों की पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद भी दूंगा कि हमारी सरकार ने 21 दिसम्बर, 2018 को जो समिति एडिशनल सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसकी रिपोर्ट सात बिन्दुओं पर दी गई है, जो निश्चित रूप से लाखों इम्प्लॉइज के भविष्य के लिए, उनके हितों की पोषक होगी। मासिक पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक के साथ जोड़ते हुए, मैं उस रिपोर्ट पर नहीं कह रहा हूं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि इसका फैसला सीबीटी करेगी। सीबीटी में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और लेबर इम्प्लॉइज के प्रतिनिधि होंगे तो जो ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी है तो क्या इसकी रिपोर्ट आने के बाद कोई बैठक हुई है, अगर बैठक हुई है तो उसकी क्या प्रगति है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा की सीबीटी की बैठक एक रेगुलर इंटरवल में होती है और यह भी उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में करीब

39 मामले और विभिन्न राज्य सरकारों में 733 मामले लंबित हैं। ईपीएफओ ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पेटिशन लगा रखी है और यह मामला अभी सबज्यूडिस है। अगले महीने हम सीबीटी की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें फैसला लेंगे। यह एक लंबा प्रॉसेस है। मजदूर संगठन, इम्प्लॉयर और राज्य सरकारों के परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लेने के बाद ही फैसला होता है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो भी पैसा है, वह मजदूर का है। इसमें सरकार का योगदान केवल 1.16 परसेंट होता है, हमने जो 15 हजार रुपये की बात की थी, उसके संदर्भ में, उसकी फिगर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि पिछले 10 वर्षों में जो फिगर पौने दो हजार रुपये थी, वह अब पांच हजार रुपये हो गई है और यह सारा पैसा मजदूर का है। मैं समझता हूं कि हम जो भी फैसला लेंगे, मजदूर के हित को ध्यान में रखकर लेंगे ताकि सेवानिवृत्ति के बाद मजदूर को लम्बे समय तक उसकी राशि मिले और यह पैसा खत्म न हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि 10 साल के बाद यह योजना हमें खत्म करनी पड़े। मैं आपकी भावना से अवगत हूं और निश्चित रूप से सीबीटी की अगली बैठक में हम फैसला लेंगे और वह फैसला मजदूर के हित का होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी। आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछिएगा।

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मैं ई.पी.एफ. आधारित पेंशन के संबंध में बार-बार प्रश्न उठाने के लिए श्री एन. के. प्रेमचंद्रन को भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने ई.पी.एफ. पेंशन के मामले में फैसले लेने का बेहद जटिल तरीका सुझाया है। [हिन्दी] सीबीटी की मीटिंग होगी, फिर कंसल्टेशन होगा, फिर बजटरी हैल्प आएगी, उसके बाद कुछ होगा। अभी वर्कर को केवल एक हजार रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। यह राशि पहले तीन सौ रुपये थी। सरकार ने इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये किया, लेकिन यह राशि भी बहुत कम है और मंत्री जी भी अवगत होंगे कि यह राशि बहुत कम है। मैं मंत्री जी से सीधे

डिक्लेयरेशन चाहता हूं कि पेंशन राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर कितनी करेंगे और कब तक करेंगे? इस बारे में माननीय मंत्री जी कृपया हाउस को अवगत कराएं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं। माननीय सदस्य वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन मैं एक बात उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मिनिमम पेंशन के लिए वर्ष 2014 में हमारी तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था और एक हजार रुपये देने के ऊपर सरकार पर उस समय जिम्मेदारी 813 करोड़ रुपये की आ रही थी। अब यदि यह राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये करते हैं, तो यह जिम्मेदारी 4671 करोड़ रुपये की आएगी और यदि तीन हजार रुपये करते हैं तो 11696 करोड़ रुपये की जिम्मेदारी सरकार पर आएगी। यह फैसला सरकार करेगी और सदन में बैठे सभी लोग मिलकर जो फैसला करेंगे, वह हमें मान्य होगा। मैं आपकी भावनाओं से सरकार को और माननीय प्रधान मंत्री जी को अवगत कराने का काम करूंगा।

(प्रश्न संख्या 24)

[हिन्दी]

श्री चुन्नी लाल साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश व राज्य में राज्यवार जनजातियों के प्रकार, उनकी कुल जनसंख्या तथा उनका प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ के महसामुन्द जिले में शासन द्वारा आदिम जाति समुदाय के विकास के लिए कौन-सी योजना चलाई जा रही है और उनकी शिक्षा के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है?

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका पूरा उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। इसके बावदूज जो सूचना मांगी गई है, उसके लिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान एकलव्य विद्यालय के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है जिसमें महासमुन्द इलाके के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 के लिए 14 एकलव्य विद्यालय और आगामी वर्ष 2020-21 के लिए 22 एकलव्य विद्यालय प्रस्तावित हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस बार हम सभी ने यह निर्णय लिया है और प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में विशेष तौर पर रुचि ली है कि इन विद्यालयों के लिए पहले राज्य सरकार को राशि आबंटित की जाती थी और उसके माध्यम से काम किया जाता था, लेकिन अब नवोदय के पैटर्न पर ये सारे विद्यालय खोले जा रहे हैं।

श्री चुन्नी लाल साहू : अध्यक्ष महोदय, जो सूचनाएं दी गई हैं, उनमें 42 जनजातीय समुदाय के बारे में उल्लेखित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जाति, जनजाति के आदेश संशोधन अधिनियम 1976 और 2000 के अधिनियम संख्या 28 द्वारा जनजातियां घोषित की गई हैं, उन्हें संवैधानिक लाभ प्राप्त करने के लिए शासन से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। छत्तीसगढ़ में इन 42 अनुसूचित जनजातियों में राजस्व अभिलेख में सिनोनिम फोनेटिक में मात्रात्मक त्रुटियां हैं। इस वजह से ये जो पांच जातियां भुइयां,, धनवार, किसान, सबर, सवरा, धनगर हैं।

इन जातियों को 'पर्याय' शब्द में शामिल किया गया है, लेकिन अभी इनको जाति प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है जिनके पास जमीन है, राजस्व है, जिनके पास मिसल में अभिलेख है, उनको दिये जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अभी तक जाति प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कब तक संशोधन करेंगे, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आर्टिकल 342 के आधार पर और संवैधानिक प्रावधान,1950 के आलोक में जो अधिसूचित है, वैसे देश में कुल सात सौ से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 जनजातियाँ ऐसी हैं, जिनको आदिम जनजाति के रूप में कहा गया है, जिनकी आबादी कम है। मूल प्रश्न यह है। अभी जो प्रश्न पूछा गया है, जिसमें बताया गया है कि संवैधानिक संशोधन होने के बाद कुछ जातियों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में, राज्य सरकार को मार्गदर्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि समीक्षोपरांत या जाँच करने के बाद उन्हें जाति प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे। इसके लिए समिति बनाई गई है और उन समितियों के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाते हैं। माननीय सदस्य ने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराया है, तो इस मामले को भी हम निश्चित रूप से देखेंगे।

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे जनजातीय समूह से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषय पर पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में कुल 284 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनमें से 219 फंक्शनल हैं और 65 नॉन-फंक्शनल हैं। 65 नॉन-फंक्शनल विद्यालयों में से अकेले झारखण्ड में 16 विद्यालय हैं। झारखण्ड में कुल 23 ईएमआरएस में से सात विद्यालय ही संचालित हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के चतरा, पलामू और लातेहार में ईएमआरएस के तहत वर्ष 2014-15 में विद्यालयों की मंज़ूरी दी गई, लेकिन अभी तक एक विद्यालय भी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चतरा, पलामू और लातेहार जिले में स्वीकृत एकलव्य विद्यालय कब तक चालू होंगे? इनको शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है या नहीं?

यह एक महत्त्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहते हुए एक बात और जानना चाहूँगा कि 1950 के पूर्व घटवार, खतौरी, गंजू, भोक्ता आदि जातियाँ जनजाति समूह में आती थीं। लेकिन आज वे पीटीजी से बाहर हैं। क्या उनको इसमें शामिल करने की मंत्रालय की कोई योजना है?

झारखण्ड में नाम लिखने में थोड़ी-बहुत अक्षर में हेर-फेर होने के कारण जाति प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का समाधान क्या होगा, यह भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र- लातेहार में जो एकलव्य विद्यालय बन रहा है, वह अभी प्रगति पर है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसके लिए राशि राज्य सरकार को आवंटित कर दी जाती है। इसके बाद जो एकलव्य विद्यालय प्रस्तावित हैं, वे महुआटांड, गारू और बरवाडिह में हैं, जो इसी लातेहार जिला के तीन प्रखण्डों में हैं।

इसके अलावा, कुछ विसंगतियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जिनको जाति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है।

इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है। जो सिनॉनेमस वर्ड है, वैसी चीज़ों के बारे में राज्य सरकार से प्रतिवेदन आने के बाद वह प्रक्रिया के आधार पर आर.जी.आई. के पास जाता है। आर.जी.आई. के पास जाने के बाद मंत्रालय उसे कमीशन को भेजता है। कमीशन के उपरांत मंत्रिपरिषद से होकर के उसमें संशोधन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको करना ज़रूरी है।

श्री अर्जुन मुंडा : जी महोदय।

इस समय जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, वह संकट इस बात का है कि पहले ऐसे बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते थे, जिनकी जानकारी सतही तौर पर स्थानीय पदाधिकारियों को रहती थी कि यह फलाना जाति से है, उन्हें कठिनाई नहीं होती थी। अभी यह कठिनाई है, चूंकि लैण्ड रिकॉर्ड्स डेटा बैंक बन रहे हैं, उनमें एक भी शब्द का यदि अंतर होता है, तो स्थानीय पदाधिकारी इस बात के लिए

कि यह संविधान के अनुसार नहीं है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। ऐसे सभी राज्यों से सूचना लेकर इसमें संशोधन करने का कार्य चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर **- 25,** मनोज कोटक जी।

(प्रश्न संख्या 25)

[हिन्दी]

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो उत्तर सभा पटल पर रखा है, मैं उसके लिए सरकार का अभिनंदन करूंगा। 8181 नये सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशंस बनाने की योजना है। मेरा मूल प्रश्न था कि मुंबई में कितने नये फिलिंग स्टेशंस बनाने की योजना है। माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से यह उत्तर दें।

महोदय, मुंबई के अंदर ज़मीन अधिग्रहण की समस्या के चलते सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशंस पर लंबी कतारें लगती हैं। वहां न केवल कतारें लगती हैं, पर जो गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उनके दिन का कम से कम तीन से चार घंटे इन कतारों में व्यस्त होने के कारण उनके रोज़गार का नुकसान भी होता है। ट्रैफिक जाम लगने की भी मुंबई शहर में समस्या रहती है। नोएडा के अंदर इसके मोबाइल डिस्पेन्सर लगे थे, ऐसी मेरे पास सूचना है। माननीय मंत्री महोदय क्या मुंबई में भी ऐसी कोई योजना है, जिसके कारण मोबाइल डिस्पेन्सर से आप सी.एन.जी. फिलिंग का प्रावधान करेंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सरकार की इस पहल पर अध्ययन कर के इसकी प्रशंसा की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

सी.एन.जी./पी.एन.जी. हमारी सरकार का एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटेव है। मुंबई शहर में आज के दिन में 135 सी.एन.जी. स्टेशंस हैं। उन्होंने सही कहा कि बड़े-बड़े शहरों में लैण्ड उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है और जो एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट्स हैं, वे भी बड़े कनजेस्टिड और छोटे इलाके में हैं। उनके अंदर और सी.एन.जी. स्टेशंस बनाना एक चैलेंज रहता है। इसके बावजूद भी महानगर गैस लिमिटेड ने उसको ऐक्सपैंड करने के लिए योजना बनाई है। मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक सी.एन.जी. में मोबाइल डिस्पेन्सर नहीं आया है, लेकिन इस दिशा में जो संबंधित व्यवस्था है, जैसे पी.एन.जी.आर.बी. और पेसो, हम इन लोगों के साथ बातचीत कर के इस सुझाव को भी तलाश रहे हैं कि

क्या दुनिया में कहीं सी.एन.जी. में मोबाइल डिस्पेन्सर है। पेट्रोल, डीज़ल के लिए वह आ चुका है। भारत में हमने उसको लागू भी किया है। सी.एन.जी. के बारे में भी हम ध्यान देंगे।

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि हाल ही में सरकार ने कहा था कि सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन को 300 डिस्ट्रिक्ट्स तक ले जाने की सरकार की योजना है। इससे सी.एन.जी. की प्रतिवर्ष कितनी खपत बढ़ेगी? सरकार ने सी.एन.जी. की बढ़ती खपत की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये हैं, यह सरकार बताये।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन जानकारियां सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। जब वर्ष **2014** में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली थी, तब देश में **66** जिलों में सी.एन.जी./पी.एन.जी. का नेटवर्क था। उसमें से भी कई जिलों में सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन के कारण उसको करना पड़ा था। पिछले पांच सालों में उसको एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम किया गया है।

मैं आज देश के सामने इस सदन के माध्यम से सूचना देना चाहूंगा कि आज देश के **406** जिलों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना हम लोगों ने बनाई है। टेंथ-राउंड के बाद देश की **70** प्रतिशत आबादी को पाइप्ड नैचुरल गैस का स्वच्छ ईंधन मिले, लगभग **53** प्रतिशत ज्योग्राफिकल इलाके में यह पहुंचे, इसकी योजना बनाई जा चुकी है। सी.एन.जी. की उपलब्धता के बारे में चर्चा की गई।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एनर्जी रिक्वायरमेंट में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस की हम लगभग 35-36 परसेंट की खपत करते हैं। उसमें से गैस 6 परसेंट है। दुनिया की गैस खपत 24 परसेंट है, लेकिन हमारे सामने एक आइडियल मॉडल भारत में भी है। गुजरात में इसकी खपत 26 परसेंट हो चुकी है। हम देश में गुजरात के एक्सपीरियंस को लागू करने की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण हम आज 400 से ज्यादा जिलों में पहुंच चुके हैं। लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आने वाले 8 सालों में होगी, ताकि देश का नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़े, देश में विदेश से एल.एन.जी. इम्पोर्ट करके लेकर आएं, सरकार का एक और बड़ा इनीशिएटिव है। देश के अंदर जो स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है,

बहुत सारे खेतों का, जंगलों का, शहरों का कचरा है, बायोमास है, 600 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास देश में उपलब्ध है। उसे नया बिज़नेस मॉडल बनाकर कम्प्रेस्ड बायोगैस का एक बहुब बड़ा इनीशिएटिव हम ले रहे हैं। देश में कोई कमी नहीं रहेगी नेचुरल गैस, क्लीन फ्यूल उपलब्ध कराने में। पिछले पांच साल में उसके कई काम किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सारे मान्यवर एम.पीज. को सूचित करुंगा कि हम सब को अपनी-अपनी कॉन्स्टीट्यूंसी में कहां-कहां ये उपक्रम कौन कर रहा है, हम वह सभी को उपलब्ध करवाएंगे। यदि आप कृपापूर्वक रुचि लेंगे तो आपके शहरों में आपके नेतृत्व में देश में स्वच्छ ईंधन का एक जन आन्दोलन खड़ा कर पाएंगे।

(प्रश्न संख्या 26)

[अनुवाद]

श्री एम. के. राघवन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ा है। दुर्भाग्यवश, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे उत्तर तो मिल गया लेकिन वह उचित नहीं है।

महोदय, हम जानते हैं कि भारत एक जीवंत संग्रहालय है! भारत में सदियों पुरानी पत्थर और धातु की कई मूर्तियाँ हैं। उनमें से अधिकांश का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है, और ये अमूल्य मूर्तियां विदेशों में संग्रहालयों और व्यक्तिगत संग्रहों में पहुंच गई हैं। ऐसी कई प्राचीन वस्तुएँ और पेंटिंग हैं जो चोरी हो गई और विदेशी खरीदारों को बेच दी गई। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये खजाने हमेशा के लिए खो न जाएं, हालांकि भारतीय वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इन वस्तुओं का पंजीकरण और लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से कारण जानना चाहूंगा कि हमारे पास विदेशी देशों द्वारा रखी गई कलाकृतियों पर कोई डाटा क्यों नहीं है। उनकी पहचान कैसे की जाएगी, और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो पंजीकृत पुरावशेष हैं, उनकी संख्या नहीं है। जो संख्या है, वह 349870 अभी भी पंजीकृत पुरावशेष भारत के पास हैं। लेकिन जहां तक सवाल हमारे माननीय सदस्य जी ने किया है, मैं उनको दूसरी जानकारी यह भी देना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में जो काम हुआ, उन पांच वर्षों में हम 33 पुरावशेष वापस लेकर आए हैं। उसके पहले यदि वे जानना चाहें तो 2014 के पहले कुल 13 ही आए थे। जो पिछले पांच वर्षों में काम हुआ है, वह बड़ा काम है, वह संख्या 31 है।

दूसरा, जो वापसी की प्रक्रिया है, उसके लिए वह संख्या भी 40 है, जिस पर वापस लाने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि यह जानकारी का अभाव हो सकता है। यह सच है कि भारत बड़ा देश है, भारत के पास में सम्पत्ति बहुत है। वर्ष 1947 के पहले इस देश में लगभग लूट हुई, हमने इतना पुरावशेष खोया है। उसको वापस लाने के लिए वास्तव में जिन देशों के साथ हमारी संधि है, उनसे हम को जानकारियां मिलती भी हैं। यदि कोई भारत की कलाकृति कहीं पर बिकती है या जब्त होती है और उसकी जानकारी जब वे हमें देते हैं तो सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उस काम को करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. के. राघवन : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है। माननीय प्रधान मंत्री को उद्धृत करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि "विरासत दो देशों के संबंध में महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा हैं।"

तो, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इन अमूल्य सांस्कृतिक और विरासत उत्पादों की पहचान, पंजीकरण और ऑडिट के लिए विस्तार से क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि हम इन कलाकृतियों पर उचित दावा कर सकें?

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि पंजीयन की प्रक्रिया बड़ी सतत प्रक्रिया है, जो लगातार जारी है। एक समस्या तब आती है, जब कभी हम, जनता जिसके पास में भी ऐसी चीज़ें हैं, उन तक सूचना पहुँचाना यह शायद हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है, उसमें मीडिया की भी उतनी ही जवाबदेही है, हम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी उतनी ही जवाबदेही है। क्योंकि पंजीयन, जिनके पास में ऐसे प्रॉसेस हैं, हो सकता है कि वह उतने जागरूक या पढ़े-लिखे लोग न हों, लेकिन उसके पश्चात् भी हमारा विभाग उस बात के लिए हर एक-दो वर्ष में एक अधिसूचना जारी करता है, जो नियमित तरीके से होती है, लेकिन यह सच है कि तकनीक का युग आ गया है। हम उस तकनीक का भी उसमें उपयोग करने

वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से यह प्रार्थना भी करूँगा कि ऐसे प्रॉसेस जिनके भी पास होते हैं, आपकी जानकारी में आते हैं, तो पंजीयन कराने के लिए उनसे जरूर जागरूकता अभियान चलवाएँ या उनसे आग्रह करें। लोगों के पास वस्तुएँ होती हैं, लेकिन वे पंजीयन नहीं कराते और वही संकट का कारण बनता है।

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कलाकृतियां वापस मिली हैं, उनकी सूची में मुझे लगता है कि तमिलनाडु को सबसे अधिक संख्या मिली है। तमिलनाडु में हमने बहुत सारी मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और प्राचीन वस्तुएँ खो दी हैं क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई मूर्तियाँ मंदिरों में बंद हैं और हम नहीं जानते हैं कि वहाँ कितनी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ हैं। कई वर्षों बाद जब इन्हें खोला जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कितने नष्ट हो गए हैं। हमारे पास क्या है और हमने क्या खोया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर मंदिर में प्रत्येक मूर्ति का रिकॉर्ड किया जाए। कुछ मंदिरों में, कुछ ग्रेनाइट की मूर्तियों को भी हटा दिया गया है और उन्हें बदल दिया गया है। जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं, तो बहुत हैरानी होती है। इसलिए, मैं जानना चाहूँगी कि सरकार इसकी रिकॉर्डिंग कराने के लिए क्या कर रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जो सूची है, उनमें से 40 प्रस्तावित हैं, जिनको हमें विदेश से लेकर आना है। उन 40 सूचियों में से लगभग 32 सूचियाँ तमिलनाडु की ही हैं। मुझे लगता है कि जो बात वह कह रही हैं कि मन्दिरों में जो मूर्तियाँ हैं, जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, तो वहाँ का ट्रस्ट होगा, राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार के पास उन ट्रस्टों के अधिकार होते हैं। मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि यदि राज्य के भीतर कोई भी पदावशेष हैं, चाहे वह मन्दिर में हों या किसी और के पास हों, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इनीशिएट करना

चाहिए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूँगा। सूचियों की जो संख्या अभी मैंने बताई है, अगर कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है कि उसमें 30 या 32... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : क्या भारत सरकार मौजूदा मूर्ति और कलाकृतियों की रक्षा करने जा रही है? …(*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 27)

[अनुवाद]

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या श्री बसवेश्वर का उल्लेख दुनिया के पहले उपदेशक के रूप में किया गया है जिन्होंने लोकतंत्र, संसद और जातिविहीन समाज के बारे में सोचा था और क्या सरकार बसवेश्वर से जुड़े स्थानों यानी कर्नाटक में बसवकल्याण कुदाल संगम और बसवना बग्गेवाड़ी को विरासत केंद्र घोषित करने पर विचार कर रही है या प्रस्ताव रखती है और यदि हाँ, तो उसका विवरण बताएं। मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, जो उत्तर है, उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ। यह सच है कि जो हमारे महापुरुष हैं, उनका बड़ा नाम है। उन्होंने जिस ढंग से **12**वीं सदी में जो काम किया है और हमारे सुरेश जी ने हमको बताया है कि जिसको हम अभी संसद कहते हैं, वह मण्डपम् उनकी ही कल्पना थी। यह **12**वीं सदी की बात है। वह निश्चित रूप से महान विचारक, दूरदृष्टा थे।

लेकिन हमारे सामने समस्या यह है कि राज्य सरकार ने बासवकल्याण कुडाल संगम हो या बसवना बागेवाड़ी दोनों का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास से अभी तक नहीं आया है। जहां तक कर्नाटक सरकार का सवाल है, मंत्रालय ने जितनी भी स्कीम कर्नाटक सरकार को आबंटित की थी, उसमें से कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी कारण से किसी नई परियोजना को लेने की समस्या पैदा हुई है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार उसके बारे में कोई प्रस्ताव भेजेगी, तो मंत्रालय उस पर सकारात्मक तरीके के विचार करेगा। वह वास्तव में महान हस्ती हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और उस पर काम होना चाहिए। इस बात से मंत्रालय सहमत है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले : यदि इन कस्बों को विरासत शहरों की सूची में जोड़ना संभव नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या संस्कृति मंत्री इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर वही रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार का जो अनुभव है, उसके आधार पर ही हमने यह जवाब माननीय सदस्य को दिया है। मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि अगर वह इस बारे में राज्य सरकार से यहां पर प्रस्ताव पहुंचाएंगे, तो मंत्रालय उस पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगा।

(प्रश्न संख्या 28)

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी: अध्यक्ष महोदय, अरणमुला दर्पण मेरे निर्वाचन क्षेत्र पथनमथीट्टा के अरणमुला विरासत गाँव में बनाया गया है। सैकड़ों वर्षों से, इसे हमारी संस्कृति और परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। मैंने पहले ही माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री को अरणमुला दर्पण के उपयोग के लिए सामग्री, टिन और तांबा को जी.एस.टी. से छूट देने का प्रतिनिधित्व दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अरणमुला दर्पण के उपयोग में आने वाले तांबे और टिन को जी.एस.टी. से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया जाता है, वह जीएसटी काउंसिल के माध्यम से किया जाता है। जहां स्टेट और सेन्ट्रल दोनों के प्रतिनिधि वहां पर रहते हैं। अगर हम पूर्व में भी देखें, तो बहुत सारी वस्तुओं और सर्विसेज पर समय-समय पर टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया गया है, जब-जब जीएसटी काउंसिल में आम सहमति बन पाई है। अगर यह विषय निश्चित तौर पर केन्द्र या राज्य के माध्यम से वहां पर आएगा, तो उसमें चर्चा करने के बाद जो निर्णय होगा, उससे माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी : हमारे राज्य जी.एस.टी. परिषद की ओर से केंद्रीय जी.एस.टी. परिषद को पहले ही एक प्रस्ताव दिया जा चुका है। यह प्रस्ताव केंद्रीय जी.एस.टी. परिषद में लंबित है। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी विरासत और रीति-रिवाजों का हिस्सा है। सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों से, "अरणमुला हेरिटेज विलेज" अस्तित्व में है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार और मेरे प्रस्ताव पर विचार करे।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, यह सुझाव है।... (व्यवधान)

श्री गजानन कीर्तिकर : अध्यक्ष महोदय, तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार ग्राहकों में सस्ते घर खरीदने का विश्ववास नहीं जगा पाई है। देश में सस्ते घरों को खरीदने के लिए कोई भी ग्राहक बाजार में उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण है? क्या आपका मंत्रालय लोगों को सस्ते घर दिलाने के लिए बिल्डरों द्वारा कुछ नई रियायतें ग्राहकों को दिए जाने पर विचार करेगा? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बड़े शहर से आते हैं, मैट्रो सिटी से आते हैं, मुंबई से आते हैं। इनकी चिंता सही भी है कि बड़े शहरों में सस्ते घर कैसे मिल पाएं? अगर आप देखें, तो कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल और सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। पहले जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर 8 प्रतिशत टैक्स लगता था और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के बाहर थे, जिनके ऊपर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, जीएसटी काउंसिल ने स्टेट मिनिस्टर्स और उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई।

गुजरात के उप मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बनाई। बड़े विस्तार से इस पर चर्चा करने के बाद यह तय किया गया कि अगर सीमेंट पर 28 परसेंट टैक्स है, स्टील पर 18 परसेंट है, बाकी वस्तुओं पर 12 परसेंट है तो आईटीसी के बाद उसको 12 परसेंट पास-ऑन करना चाहिए। अगर बिल्डर नहीं करता है, इन सब विषयों के बारे में सोचने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक प्रतिशत टैक्स होगा और अफोर्डेबल हाउसिंग के बाहर जितने घर होंगे, उसके ऊपर 5 प्रतिशत टैक्स होगा। इस दिशा में पहले निर्णय किया गया है।

(प्रश्न संख्या 29)

[हिन्दी]

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे : धन्यवाद स्पीकर महोदय। बड़े विस्तृत में मंत्रालय से मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट की जा रही है और उसमें सजेशन्स और कमेंट्स को इनवाइट करके उसके हिसाब से उसमें बदलाव किए जाएँगे, यह निहायत ही अच्छी बात है। जहाँ तक थ्री लैंग्वेज फॉर्मुले का सवाल है, जितना मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि थ्री लैंग्वेजेज में स्कूल में एक तो इंग्लिश रहेगी, दूसरी हिन्दी रहेगी और तीसरी शायद राज्य की कोई स्थानीय भाषा होगी। भारत की संस्कृति का जो एक अविभाज्य अंग है उर्दू भाषा, क्या इसको समाविष्ट करने का कोई प्रावधान यह पॉलिसी रखती है? यह मैं पूछना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, यह जो नई शिक्षा नीति, 1986 है, उसके बाद 1986 में कोठारी कमीशन बना था और उसके बाद शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श हुआ और 1992 में उसमें थोड़ा सा आंशिक संशोधन हुआ। बत्तीस वर्षों के बाद यह पहला अवसर है जब हमारे प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए विश्व के फलक पर जाने की इच्छा से यह काम शुरू हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है, यह अजीब-सा संयोग है कि आज से ठीक दो साल पहले 24 जून, 2017 को डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस नीति के लिए कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने 31.05.2019 को अपना मसौदा मंत्रालय को सौंपा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर हित धारकों की टिप्पणियाँ और उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए पब्लिक डोमेन में डाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विभिन्न हित धारकों से प्राप्त सुझाव/टिप्पणियों के बाद इसमें व्यापक परामर्श हुआ भी है, किया भी जाएगा। मैं देखता हूँ कि डॉ. के. कस्तूरीरंगन जी ने... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं उस पर भी आ रहा हूँ। श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और देश की नई शिक्षा नीति आई है। के. कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में कमेटी थी, इसने 70 संस्थाओं से भी अधिक से अलग-अलग स्थानों पर मीटिंगें कीं, अनुशंसाएँ कीं। 216 ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ विषय जिनके साथ इस कमेटी ने निरंतर विचार-विमर्श और परामर्श किया, इस शिक्षा नीति की दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : स्पीच नहीं हो रही, मैं नई शिक्षा नीति के बारे में कह रहा हूँ। एक-एक बिन्दु करके बता रहा हूँ। मैं उस पर भी आता हूँ, जो आप पूछना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि जितनी व्यापक इस शिक्षा नीति पर चर्चा हुई है, शायद आज तक कभी इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई होगी। जब हमारी सरकार आई तो जनवरी, 2015 से जो काम नई शिक्षा नीति पर शुरू हुआ, शायद इस देश के इतिहास में पहली बार इस तरीके से 2015, 2016, 2017, 2018 और अब 2019 में यह मसौदा तैयार हुआ है। वह पब्लिक डोमेन में चला गया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहिए।

... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, माननीय सदस्या ने जो विचार व्यक्त किया है, हमारी गवर्नमेंट सभी भारतीय भाषाओं की सशक्तता के लिए काम कर रही है। हर भारतीय भाषा को सुदृढ़ किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब भारतीय भाषाएं सशक्त होंगी, सबल होंगी तो इस देश की शिक्षा और उसका उत्थान हो सकेगा। मैं माननीय सदस्या का आभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि क्या उर्दू के बारे भी चर्चा की है?

श्रीमन्, चाहे तमिल हो, चाहे उर्दू हो, चाहे सिंधी हो, सभी भाषाओं की उन्नति की दिशा में यह गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ काम कर रही है और सभी भारतीय भाषाओं का हर हाल में सम्मान किया जाएगा।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे : मंत्री महोदय, आपका धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि हम एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों की क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हैं ताकि हमारे छात्र रोज नई चुनौतियों का सामना करके दुनिया में आगे बढ़ सकें। इसके लिए उन्हें अच्छे शिक्षक मिलना भी जरूरी है। क्या शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रावधान आप इस पॉलिसी में रख रहे हैं? यह मैं स्पीकर महोदय के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, वैसे तो यह ऑनलाइन है और जो प्रावधान हमने किए हैं, मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी अपना सुझाव हमें जरूर भेजें। जहाँ तक उन्होंने यह कहा है, यह बात सच है कि जिन छात्रों को शिक्षकों के द्वारा शीर्ष शिक्षा दी जानी है, वे कितने सक्षम हैं। मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर ताकि शिक्षकों की उत्कृष्टता रहे, उनके प्रशिक्षण में कोई कमी न आए, विभिन्न चरणों में, विभिन्न समय में सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आज भी व्यवस्था है और जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो मसौदा है, उसमें भी इसकी व्यवस्था है।

[अनुवाद] **श्री असादुद्दीन ओवैसी**: महोदय, मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। मंत्री जी जानबूझकर अपने उत्तर से सभा को गुमराह कर रहे हैं। महोदय, कृपया बिंदु 'घ' में पूछे गए प्रश्न को देखें।

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछिएगा।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : प्रश्न के भाग 'घ' का उत्तर देखें तो वह सत्य से भाग रहा है। …(*व्यवधान*) महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। …(*व्यवधान*) तो, माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहने वाले हैं अथवा नहीं? कृपया, यह न कहें, "यह एक नीति है"। जो सीधा प्रश्न पूछा गया वह था: "क्या आप हिन्दी को अनिवार्य बनाने जा रहे हैं?" क्या माननीय मंत्री जी अपनी ही शिक्षा नीति से दूर जा रहे हैं? अनुच्छेद 6.5 स्पष्ट रूप से कहता है कि धार्मिक समुदायों में से, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा

में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। क्या वह विशेष शिक्षा क्षेत्रों के लिए सहमत होंगे? यह उनकी नीति का एक हिस्सा है। क्या आप इन प्रस्तावों से सहमत होंगे या नहीं? क्या आप मुस्लिम क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यालय खोलने से संबंधित अनुच्छेद 6.5 (1) से सहमत होंगे?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं यह सोचता हूँ कि आप नई शिक्षा नीति को पढ़िए और सुझाव दीजिए। अभी तो यह मसौदा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। यह सरकार की अभी नीति नहीं है, यह मसौदा है। आप सुझाव दें, मैं ऐसा सारे सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूँ। यह लगातार कहा जा रहा है कि वे जो भी सुझाव देना चाहें, वे अपने सुझाव जरूर दें ताकि हम देश के लिए सशक्त तरीके से नीति बना सकें।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को इस सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा या नहीं।…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 30.

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, वह प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। इसे अलग से डिस्कस कर लेंगे। यह लंबा विषय है। आप कभी आधे घंटे की चर्चा माँग लीजिएगा।

श्री टी.आर. बालू : यह सही नहीं है।…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री टी.आर. बालू: माननीय अध्यक्ष, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आधे घंटे की चर्चा के लिए लिख कर दे दें।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए लिख कर दे दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़, प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। आप आधे घंटे की चर्चा के लिए लिख कर दे दें।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़, प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। यद्यपि, ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इसके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इस मामले को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकेगा। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, अमेरिकन लोगों ने बहुत सीरियस बातें कही हैं। इस पर मंत्री को जवाब देना चाहिए।... (व्यवधान)

[3*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 30 से 40 अतारांकित प्रश्न संख्या 192 से 212[4**] 214 से 281**, 283 से 355** और 357 से 421)

[3*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

4

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार।

... (व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) (एक) दत्तोपंत थेंगड़ी नेशनल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती - सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन), नागपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत थेंगड़ी नेशनल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती - सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन), नागपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.14/17/19]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए की उपधारा (1) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि..124(अ) जो 16 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है, ताकि उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 98 में एक नए टैरिफ मद 9806 00 00 का सृजन करके पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य से उद्भूत अथवा भारत को निर्यातित अथवा वहां से आयातित समस्त वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जा सके और पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य से आयातित समस्त वस्तुओं को इस टैरिफ मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि..424(अ) जो 15 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्र सरकार की आपात कालीन शक्तियों के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके मसूर की दाल, बोरिक एसिड और लेवोरेटरी रीजेन्ट्स पर टैरिफ दर में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि..97(अ) जो 7 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्दिष्ट प्राधिकरण की छानबीन के अंतिम परिणाम के अनुसरण में ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड से उद्भूत अथवा निर्यातित "नॉन प्लास्टीसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेल्यूलोज", जो कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल में भिगोया गया हो और जिसका नाइट्रोजन कंटेट 10.7% से 12.2% की रेंज मे हो के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि..103(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 61/2015-सी.शु. (एडीडी) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि..104(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 52/2017-सी.शु. (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि..105(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन जनतांत्रिक गणराज्य से उद्भूत "हाई टेनेसिटी पॉलीस्टर यार्न (एचपीटीवाई)" के आयात पर एक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है। संशोधन का आशय ड्यूटी टेबल के मद सं. 1-2 में संशोधन करना है, ताकि निर्यातक "हायोसुंग कॉर्पोरेशन" का नाम बदलकर "हायसोसुंग एडवांस मैटिरियल्स कार्पोरेशन (एचएएमसी)" तथा निर्यातक "झेझियांग इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड" का नाम बदलकर "झेझियांग गुजियांगदाओं पॉलिस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड "किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि..106(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 11/2013-सी.शु. (एडीडी) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि..156(अ) जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए मलेशिया से उद्भूत अथवा निर्यातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड कांच, जिसमें न्यूनतम 90.5 प्रतिशत ट्रांसमिशन हो और जिसकी मोटाई 4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहनशीलता शामिल करते हुए) से अनधिक हो और जहां कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से

अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो" के आयात पर प्रतिपादन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि..219(अ) जो 14 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सूत्रपात न्यू शिपर रिव्यू के सहयोग से मैसर्स सिंगापुर सेस्पा पीटीई लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) सिंगापुर के माध्यम से मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाहेत्रा मास (प्रोड्यूसर) इंडोनेशिया द्वारा निर्यातित तथा भारत में आयातित 'सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल' हेतु प्रायोगिक मूल्यांकन का निर्धारण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि..237(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई सनसैट रिव्यू फाइनल फांइडिंग्स इंवेस्टिगेशन के अनुसरण में यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत अथवा निर्यातित "एसीटोन" पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि..272(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई अंतिम निष्कर्ष जांच के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड से आयतित 'एथीलिन विनायल ऐसीटेट (ईवीए) शीट फॉर सोलर माड्यूल' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि..295(अ) जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य तथा थाईलैंड से उद्भूत अथवा निर्यातित "कास्ट एलुमिनियम एलोय व्हील्स अथवा एलोय रोड़ व्हील्स (एआरडब्ल्यू) जो कि मोटर 3 वाहनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वे अपनी एक्सेसरीज से संबंधित हो या नहीं और जिनका

आकार डायामीटर में, 12 इंच से 24 इंच तक हो" के आयात संबंधी सनसैट रिव्यू (एसएसआर) जांच से संबंधित थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि..296(अ) जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीन जनवादी गणराज्य कोरिया जनवादी गणराज्य तथा थाईलैंड से उद्भूत अथवा निर्यातित "कास्ट एलुमिनियम एलोय व्हील्स अथवा एलोय रोड़ व्हील्स (एआरडब्यू) जो कि मोटर वाहनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वे अपनी एक्सेसरीज से संबंधित हो या नहीं और जिनका आकार डायामीटर्स में, 12 इंच से 24 इंच तक हो" के आयात संबंधी सनसैट रिव्यू (एसएसआर) अनवेषण से संबंधित थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि..299(अ) जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित 'डकटाईल आयरन पाईप्स' के आयात पर 9 मई, 2019 तक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पद्रंह) सा.का.नि..309(अ) जो 16 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 39/2018-सी.शु. (एडीडी) का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि..346(अ) जो 3 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई अंतिम जांच अन्वेषण के अनुसरण में इंडोनेशिया से उद्भूत अथवा निर्यातित 'सैकरिन' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि..352(अ) जो 9 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित 'डकटाईल आयरन

पाइप्स' के आयात पर 23 जून, 2019 तक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि..415(अ) जो 10 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्पेशल सिविल एप्लीकेशन सं. 5278/2019 के मामले में 09.05.2019 को माननीय गुजराज उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयात पर 28 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 26/2013-सी.शु. (एडीडी) तथा 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 39/2018-सी.शु. (एडीडी) द्वारा विस्तारित प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को 24.06.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि..416(अ) जो 11 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत अथवा निर्यातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड (रेसिन) ससपेंशन ग्रेड' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को विनिर्दिष्ट दरों पर 12 अगस्त, 2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.15/17/19]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि..425(अ) जो 15 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि..155[अ] जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयत यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है, पर

बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 2 मार्च, 2019 से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि..220(अ) जो 15 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि..245(अ) जो 28 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29.07.2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी.शु. में आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि..247(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है, पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 2 मई, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि..302(अ) जो 11 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23.07.1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि..334(अ) जो 26 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि..344[अ] जो 1 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 2 मई, 2019 से बढ़ाकर 16 मई, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि..361(अ) जो 14 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है, पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 16 मई, 2019 से बढ़ाकर 16 जून, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.16/17/19]

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि.62[अ] जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 को क्रियान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..63(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि..64(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 जून 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि..65(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जून 2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-केंद्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि..66(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 65/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि..70(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी अधिनियमों में संशोधनों (अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति पर आरसीएम संबंधी) को लागू करने के उद्देश्य से दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 08/2017-केंद्रीय कर (दर) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.79[अ] जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2018 के माह हेतु नियत जीएसटीआर-7 प्रारूप को जमा करने की देय तिथि को 28.02.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि..101(अ) जो 8 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवरी, 2019 के माह हेतु नियत जीएसटीआर-7 प्रारूप को जमा करने की देय तिथि को 28.02.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि..136(अ) जो 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर राज्य में मुख्य व्यवसाय स्थल वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु जनवरी, 2019 के माह हेतु नियत जीएसटीआर-3बी प्रारूप को जमा करने की देय तिथि को 28.02.2019 तक बढ़ाना है तथा अन्य राज्यों हेतु 22.02.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि..193[अ] जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, मई और जून, 2019 के महीनों के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल व्यवसाय वाले आयकर दाताओं हेतु नियत जीएसटीआर-1 प्रारूप को जमा करने की देय तिथियों का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि..194(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, मई और जून, 2019 के महीनों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक

के कुल व्यवसाय वाले आयकर दाताओं हेतु नियत जीएसटीआर-1 प्रारूप को जमा करने की देय तिथियों का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि..195(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, मई और जून, 2019 के महीनों के लिए नियत जीएसटीआर-3बी प्रारूप को जमा करने की देय तिथियों का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि..196(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अंतर्गत कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने हेतु कुल कारोबार की उच्च सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि..242(अ) जो 28 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2019 की समयावधि हेतु नियत प्रारूप जीएसटी आईटीसी-04 को जमा करने की देय तिथि को 30 जून, 2019 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..249(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि..300(अ) जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2019 के माह हेतु 1.5 करोड़ रूपए से अधिक के कुल व्यावसाय वाले आयकर दाताओं हेतु नियत प्ररूप जीएसटीआर-1 को जमा करने की देय तिथि को 11.04.2019 से बढ़ाकर 13.04.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि..301(अ) जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2019 के माह हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-7 को जमा करने की देय तिथि को 10.04.2019 से 12.04.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि..320(अ) जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2019 के माह हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-3बी में विवरण जमा करने की देय तिथि में तीन दिन (यथा 20.04.2019 से 23.04.2019) की वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..321(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि..322(अ) जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 02/2019- केंद्रीय कर (दर) का लाभ उठाने वाले आयकर दाताओं हेतु तिमाही कर भुगतान और वार्षिक विवरणियों के भरे जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि..323(अ) जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 21 जून, 2019 से प्रभावी सीजीएसटी नियम के नियाम 138(अ) के प्रावधानों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि..358(अ) जो 11 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ओडिशा राज्य के कतिपय जिलों के पंजीकृत व्यक्तियों, के करदाताओं जिनका कुल कारोबार अप्रैल, 2019 के माह हेतु 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-1 को जमा करने की देय तिथि को 10.06.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि..359(अ) जो 11 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ओडिशा राज्य के कतिपय जिलों के पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में अप्रैल, 2019 के माह हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-3बी को जमा करने की देय तिथि को 20.06.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 जो 1 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.635(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2019 जो 1 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का पांचवां निवारण) आदेश, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1626(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) सा.का.नि..1897(अ) जो मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बीते वर्ष में 50 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए 6 प्रतिशत कर की दर युक्त कंपोजीशन स्कीम प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि..190(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस व्यक्ति, जो वस्तुओं की एकाधिकार आपूर्ति में सलंग्न हो और जिसका वित्त वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक न हो, को पंजीकरण से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि..1218(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019 केंद्रीय कर (दर) के अंतर्गत

कर भुगतान कर रहे किसी पंजीकृत व्यक्ति को कर पावती के स्थान पर आपूर्ति का बिल जारी करने के लिए समर्थ बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि..250(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017 केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि सस्ते फ्लैटों और महंगे फ्लैटों के संबंध में भवन निर्माण सेवाओं की आपूर्ति, जिस पर माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी, पर लागू सीजीएसटी दरों में बदलाव किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि..251(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017 केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि विकास अधिकार, एफएसआई, (जिसमें अतिरिक्त एफएसआई शामिल है), भूमि के दीर्घावधि पट्टे (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क इत्यादि के रूप में अग्रिम भुगतान के विरूद्ध) के अंतरण द्वारा सेवा आपूर्ति को छूट प्रदान की जा सके, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि..252(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017 केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि विकास अधिकार, एफएसआई भूमि के दीर्घावधि पट्टे (प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क अथवा अन्य किसी नाम से जाने जाने वाले अग्रिम भुगतान के रूप में विचार किए जाने विरूद्ध) के रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के अंतर्गत अंतरण के द्वारा सेवाएं विनिर्दिष्ट की जा सके, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34 वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि..253(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकार, एफएसआई तथा दीर्घावधि पट्टे के अंतरण की आपूर्ति पर कर भुगतान की देनदारी की नियत तिथि को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत रियल स्टेट परियोजना हेतु कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जारी किए जाने की तिथि तक आगे बढ़ाना है जैसा कि केंद्रीय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि..254(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत करारोपण योग्य माल और सेवाओं की आपूर्ति, जब आपूर्ति रियल स्टेट परियोजना के प्रमोटर द्वारा किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई हो, को अधिसूचित करना है, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि..255(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है, ताकि कतिपय माल (सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूजीगत वस्तुएं और सीमेंट को छोड़कर कोई भी अन्य माल) की आपूर्ति पर 18 प्रतिशत की दर से सीजीएसटी लगाया जा सके, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि..1492(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठिनाइयाँ दूर करना है, ताकि परिसर, भवन, सिविल स्ट्रक्चर अथवा तत्संबंधी किसी हिस्से के निर्माण क्षेत्र के आधार पर, सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में सेवाओं को छूट प्रदान की जा सके और करारोपण योग्य सेवाओं हेतु एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट तय किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि..268(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 02/2019-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है, ताकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कंपोजीशन लेवी पर लागू होने योग्य नियमों को उन व्यक्तियों पर लागू किया जा सके जो कि अधिसूचना सं. 2/2019-केंद्रीय कर (दर) के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प चुनते हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा.का.नि..354(अ) जो 10 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है, ताकि प्रमोटर्स/बिल्डर्स द्वारा 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) की पुरानी प्रभावी जीटीएसटी दरों पर फ्लैट्स के निर्माण पर कर भुगतान के विकल्प के प्रयोग की अंतिम तिथि को 10 मई, 2019 से 20 मई, 2019 तक 10 दिनों के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.17/17/19]

(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि..67(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 को क्रियान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि..68(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14.09.2017 की अधिसूचना सं. 7/2017-एकीकृत कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि..69(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13.10.2017 की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि..86(अ) जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल अथवा भूटान में स्थित आपूर्ति स्थल वाली सेवाओं की आपूर्ति, भारतीय रूपए के भुगतान के विरूद्ध आईजीएसटी से छूट प्रदान करने संबंधी 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) के क्रम सं. 10घ को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि..256(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि..257(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि..258(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि..259अ) जो 29 मार्च, 2019के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तिथि को, जिस तिथि पर विकास अधिकारों, एफएसआई और दीर्घकालिक पट्टे के हस्तांतरण की आपूर्ति पर देयकर की देनदारी हो, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत रियल स्टेट परियोजना के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जारी किए जाने की तिथि तक आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि..260(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत करारोपण योग्य वस्तुओं और सेवाओं, जो एक रियल स्टेट परियोजना के प्रमोटर द्वारा एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई हो, को अधिसूचित करना है, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि..261(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि..355(अ) जो 10 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 मई, 2019 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.18/17/19]

(5) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि..71(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 जो 1 फरवरी 2019 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या का.आ.636 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा.का.नि..191(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर रखने वाले सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए कर की 6 प्रतिशत दर के साथ कम्पोजीशन स्कीम उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि..192(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल की विनिर्दिष्ट आपूर्ति में लगे किसी ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण छूट प्रदान करना है जिसका वित्तीय वर्ष में संचयी टर्नओवर 40 लाख रुपये से अनधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि..1219 (अ) जो 8 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 2/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 07.03.2019 के अंर्तगत कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर बीजक के स्थान पर आपूर्ति का बिल जारी करने के लिए समर्थ बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि..262(अ) जो 29 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि..263 (अ) जो 29 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि..264(अ) जो 29 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि..265(अ) जो 29 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख, जिस दिन विकास अधिकारों, एफएसआई और दीर्घकालिक पट्टे के अंतरण की आपूर्ति पर कर संदाय करने की देयता उत्पन्न होगी, को संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (सत्ताइस) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत परिषद की 19 मार्च 2019 को हुई 34वीं बैठक के अनुसार भू-संपदा परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक अंतरित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि..266(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिवर्स प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अधीन कर लगाए जाने वाले ऐसे माल और सेवाओं की आपूर्ति को अधिसूचित करना है, जब उन्हें माल और सेवा कर परिषद की 19 मार्च 2019 को हुई 34वीं बैठक में 11 के रूप में यथानुशंसित किसी गैर रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता से भू-सम्पदा परियोजना के प्रवर्तक द्वारा प्राप्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि..267(अ) जो 29 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि..1493(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 26 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठिनाइयों का निराकरण करना है, ताकि परिसर, भवन, सिविल संरचना अथवा उसके भाग के निर्माण के क्षेत्र के आधार पर सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची-दो के पैरा 5 के खंड (ख) द्वारा शामिल की गई सेवाओं की आपूर्ति के मामले में करयोग्य और छूट प्राप्त आपूर्तीयों के लिए देय क्रेडिट का निर्धारण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि..269(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

7 मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या 02/2019 – संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।(चौदह) सा.का.नि..356(अ) जो 10 मई 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून 2019 की अधिसूचना संख्या 11/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.19/17/19]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रतिः -

(क) (एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकाता के 31.12.2018 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकता की 31.12.2018 को समाप्त हुई तिमाही का परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.20/17/19]

(ख) (एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकता के 31.03.2019 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकता की 31.03.2019 को समाप्त हुई तिमाही का परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.21/17/19]

(7) वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 जो 31 मई 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.22/17/19]

(9) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) "बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि का विस्तार" (25.05.2019 से प्रभावी, कार्यकाल की अवधि को 24.07.2019 तक बढ़ाना) के बारे में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआरडीएआई/आईएसी/4/155/2019 जो 20 मई 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकिक) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 20 मई 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआरडीएआई/रेग/5/156/2019 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.23/17/19]

(10) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2019 जो 01 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/122 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.24/17/19]

(11) सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन स्कीम, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1627(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.25/17/19]

(12) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (शिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 02 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एस-11011/17/2017-इन्स.I में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-एक अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..402(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..403(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..324(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.26/17/19]

(13) अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरआई/3/154/2019 जो 08 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमित प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के अनिवार्य अध्यर्पण पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना तथा उसके दिनांक 4 अप्रैल 2019 के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया गया है तथा जो 8.4.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.27/17/19]

(14) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 की उपधारा (2) के अंतर्गत मसौदा अधिसूचना संख्या एफ. सं. 17/61/2016-सीएल-5 जिसमें निदेश दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 460 के उपबंध राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.28/17/19]

(15) भारत में आवासन की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी राष्ट्रीय आवासन बैंक, 2018 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.29/17/19]

[अनुवाद] **मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) वर्ष 2017-2018 के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी की वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वार्षिक खातों के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1)उपरोक्त उल्लिखित प्रपत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले 2) दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.30/17/19]

(3) (एक) केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.31/17/19]

(5) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.32/17/19]

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

<u>वित्त संबंधी स्थायी समिति</u>

73वां प्रतिवेदन

(16वीं लोक सभा)

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त संबधी स्थायी समिति के 'देश में और देश के बाहर[5*] बेहिसाब आय/धन की स्थिति – एक आलोचनात्मक विश्लेषण (एक प्राथमिक प्रतिवेदन)' विषय संबंधी 73वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[5*] प्रतिवेदन को 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 71क के अंतर्गत 28 मार्च 2019 को माननीय अध्यक्ष (16वीं लोक सभा) को तब प्रस्तुत किया गया जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

अपराह्न 12.04 बजे

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

21वां प्रतिवेदन

(16वीं लोक सभा)

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 'संघ राज्यक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियोजन में क्रीमी लेयर का सुव्यस्थीकरण' संबंधी 21वां प्रतिवेदन[6*] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[6*] प्रतिवेदन को 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 71क के अंतर्गत 9 मार्च 2019 को माननीय अध्यक्ष (16वीं लोक सभा) को तब प्रस्तुत किया गया जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों का निर्वाचन

(i)प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्यों को निर्वाचित करें।" ”

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं: -

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम(1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी] **प्रो. सौगत राय (दमदम):** अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट अफेयर्स मिनिस्टर कहां है?... (व्यवधान) वह यहां क्यों नहीं है?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। पार्लियामेन्ट अफेयर्स राज्य मंत्री बोल रहे हैं। प्लीज, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य, आप खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में मंत्री जी का क्वेश्चन है और आपने मुझे अलाउ किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री अर्जुन राम मेघवाल**श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं: -

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं: -

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद] **श्री अर्जुन राम मेघवाल**श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं: -

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति और

Scheduled Tribes

[अनुवाद] **संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं: -

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्यों को निर्वाचित करें"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

[अनुवाद] **श्री अर्जुन राम मेघवाल**श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं: -

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से दस सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से दस सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए प्रस्ताव

निर्वाचन हेतु प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):श्री प्रल्हाद जोशी के स्थान पर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं:

(1) (क) कि दोनों सभाओं को एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति कहा जाएगा, गठित कि जाए, जिसमें तीस सदस्य, लोक सभा से बीस और राज्य सभा से दस सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित होंगे;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह नहीं होगा और कि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) कि समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:-

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पेश किये गए प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा की-गई-कार्यवाही को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये संविधान के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्र में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(पांच) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों, जो संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, पर सामान्य रुप से विचार करना और दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना; और

(छह) ऐसे मामलों की जांच करना जो समिति उचित समझे या जो सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाएं।

(3) कि समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंगे, जिसे तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा (1) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष के लिए पुनर्गठित किया जाएगा।;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया के नियम ऐसी भिन्नताओं और आशोधनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा को यह सिफारिश करे कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और इस सभा को यथा उपरोक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से चुने गए सदस्यों के नाम सूचित करे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण

संबंधी समिति कहा जाएगा, गठित की जाए, जिसमें तीस सदस्य, लोक सभा से बीस और राज्य सभा से दस सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित होंगे;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह नहीं होगा और कि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) कि समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे :-

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्यवाही को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(पांच) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों, जो संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, पर सामान्य रूप से विचार करना और दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना; और

(छह) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) कि समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंगे जिसे तत्पश्चात् उपर्युक्त पैरा (1) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष के लिए पुनगर्ठित किया जाएगा;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया के

नियम ऐसी भिन्नताओं और आशोधनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा को यह सिफारिश करे कि राज्य सभा समिति में शामिल

हो और इस सभा को यथा उपरोक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से चुने गए सदस्यों के नाम सूचित करे।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

अपराह्न 12.12 बजे

सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(i) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन)

Bill, 2019[7*]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. किशन रेड्डी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[7*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, दिनांक 24.6.2019 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 12.13 बजे</u>

जम्मू और कश्मीर (आरक्षण)

(संशोधन) अध्यादेश, 2019[8*]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय रवि शंकर प्रसाद जी।

... <u>(व्यवधान)</u>

8* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 33/17/19।

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

सरकारी विधेयक –पुरःस्थापित – जारी।

(ii) आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2019[9*]

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध प्रस्ताव करता हूं। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 72 (2) के अंतर्गत कतिपय आधारों पर आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पहला आधार यह है कि यह विधेयक 26 अप्रैल, 2018 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करता है।

[9*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, दिनांक 24.6.2019 में प्रकाशित।

दूसरा आधार यह है कि इस विधेयक में आधार संबंधी आंकड़े रखने की निजी कंपनियों को अनुमति दी गई है जबकि उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से सभी आधार एजेंसियों को आधार पहचान संबंधी आंकड़ों को मिटा देने का निदेश दिया है।

तीसरी आपत्ति यह है कि इसमें जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

महोदय, इन तीन आधारों पर मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। मैं इन तीन आधारों की पुष्टि करना चाहूँगा। पहली आपत्ति पर न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ का फैसला है। 26.9.2018 को, इस निर्णय ने केवल ऐसी योजनाओं के लिए आधार के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया जो राजसहायता से संबंधित हो और जिनका भुगतान भारत के समेकित खाते से किया जाता है।

यहां, सरकार तीन कानूनों में संशोधन करने का इरादा रखती है – आधार अधिनियम, 2016; भारतीय तार अधिनियम, 1885; और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002। संशोधन विधेयक के खंड 5 में आधार अधिनियम, 2016 के खंड 4 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है कि किसी प्रकार की सेवा प्रदान के लिए आधार नंबर धारक का अनिवार्य अभिप्रमाणीकरण किया जाएगा यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा ऐसे अभिप्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की भावना के विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया है और कहा है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत आता है। यह उच्चतम न्यायालय की पूर्ण संविधानिक पीठ द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। उस ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया है कि आधार का कार्यान्वयन केवल उन्हीं मामलों में किया जाएगा जहां भारत के लोगों को सहायिकियां एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं, लेकिन यहां, यदि आप कोई सेवा प्राप्त करना चाहते हैं जो धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत आती है और यदि आप कोई सेवा प्राप्त करना चाहते हैं जो भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत आती है, उसके लिए आपके

पास आधार डेटा का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि यह 26.09.2018 के निर्णय की मूल भावना और उद्देश्य के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त, संशोधन विधेयक के खंड 24, जिसका आशय भारतीय तार अधिनियम की खंड 4 का संशोधन करना है, के अंतर्गत लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाता को आधार-आधारित अभिप्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति दी गई है और यह बहुत विशिष्ट है। जैसा कि भाग II में उचित रूप से उल्लेख किया गया है, विधेयक निजी संस्थाओं को आधार डेटा रखने की अनुमति देता है, जिसका उच्चतम न्यायालय ने विरोध किया है। निजी कंपनियों को आधार संबंधी आंकड़ो को अपने उपयोग हेतु रखने का कोई प्राधिकार नहीं है। यह एक स्पष्ट निदेश है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस प्रकार विधेयक का खंड 24 भी संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है।

इस विधेयक के खंड 25 का आशय धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में एक नया खंड, खंड 11क अंतस्थापित करना है जिसके अंतर्गत बैंककारी कंपनियों को आधार-आधारित अभिप्रमाणीकरण या ऑफलाइन अभिप्रमाणीकरण कराने की अनुमति प्रदान की गई है।

महोदय, ये सभी प्रावधान इस देश के लोगों, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अतः, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने पर औपचारिक आपत्ति जता रहा हूं।

अंत में, चूंकि माननीय प्रधान मंत्री भी यहां हैं, मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि लंबे समय से प्रतिबद्धता है, लेकिन अभी तक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद में नहीं लाया गया है। यह भी

उच्चतम न्यायालय की संविधानिक पीठ के निर्णय का एक हिस्सा है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लाने के बजाय, सरकार आधार-आधारित अभिप्रमाणीकरण के लिए दिन-प्रतिदिन कई कानून ला रही है। इसलिए, एक कानून - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक - लाकर लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यह एक सुझाव है जो मैं इस सभा के समक्ष रखना चाहता हूं।

इस सुझाव के साथ, मैं विधेयक के पुरःस्थापन किए जाने का विरोध करता हूं। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिए नोटिस देना पड़ता है। माननीय सदस्य प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पहले नोटिस देना पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मैं श्री प्रेमचंद्रन द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का जवाब दूंगा।

सर्वप्रथम, उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। आधार एक वैध कानून है तथा यह राष्ट्रहित में है एवं इससे किसी निजता का उल्लंघन नहीं होता है। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कही है।

अब, मैं दूसरे बिंदु धन शोधन निवारण अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम के बारे में बताना चाहूँगा। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है? इसमें कहा गया, 'आप किसी नियम या किसी परिपत्र के आधार पर आ रहे हैं। किसी नियम या परिपत्र के आधार पर नहीं बल्कि विधि के आधार पर आइए।' इसलिए, इन दोनों संशोधनों को लाया गया है।

महोदय, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इनका अनुपालन अनिवार्य नहीं है। सिम कार्ड आधार के माध्यम से या किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भी लिया जा सकता है। कुछ इसी तरह का मामला धन शोधन निवारण के साथ भी है। मैं इस सभा को बहुत ही सम्मान के साथ आज बताना चाहता कि 68 करोड़ लोगों ने आधार के माध्यम से सिम कार्ड लिया है और 65 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। भारत के लोग आधार को स्वीकार कर रहे हैं। मैं उस संबंध में श्री प्रेमचंद्रन को संतुष्ट नहीं कर सकता।

इसके तीसरे भाग पर आते हुए, मैं आपको बताता हूं कि हमने इस कानून में क्या प्रस्ताव दिया है। …(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष :माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: इस कानून में हमने प्रस्ताव किया है कि बच्चे के वयस्क बन जाने के बाद उनसे अनुमति ली जाएगी। दूसरा, ऑफलाइन सत्यापन का भी प्रावधान किया गया है। तीसरा, श्री प्रेमचन्द्रन की चिंताओं को दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई निकाय अभिप्रमाणीकरण कराना चाहता है तो इसकी अनुमति उन्हें तभी दी जाएगी जब वह किसि विधि के तहत अनुमेय होगा या यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा सुरक्षा, निजता या किसी राज्यहित पर समुचित विचार करते हुए इस बात की अनुमति दी जाती है। इसप्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन किया गया है।

मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि कृपया मुझे विधेयक पुर:स्थापीट करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं विधेयक पुरःस्थापित[10*] करता हूं।

अपराह्न 12.20 बजे

आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन)

अध्यादेश, 2019[11*] (2019 का संख्यांक 9)

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मैं आधार और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 9) की घोषणा द्वारा तत्काल कानून बनाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

10* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

11* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 34/17/19।

<u>अपराह्न 12.21 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित- जारी।</u>

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019[12*]

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन)

अध्यादेश, 2019[13**] (2019 का संख्यांक 12)

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 12) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, दिनांक 24.6.2019 में प्रकाशित।

13** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया । देखिए संख्या एल.टी. 35/17/19।

<u>अपराह्न 12.23 बजे</u>

नियम 377[14*] के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है शेष को व्यपगत माना जाएगा।

14* सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी और नदियों को आपस में जोड़े जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत वर्धा एवं अमरावती जिले आते हैं। विगत वर्ष में वर्षा कम होने के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है जिसके कारण पेयजल का संकट दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। संसदीय क्षेत्र के बहुत से गाँवों में पेयजल नाममात्र भी नहीं है जिसके कारण टैंकर से जल आपूर्ति की जा रही है।

अतः आग्रह है कि विदर्भ के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए त्वरित सर्वेक्षण कराकर नदियों को जोड़ने का कार्य शीघ्र गति से प्रारंभ करने हेतु जलशक्ति मंत्री से आग्रह करता हूँ जिससे कि समस्या का समाधान हो सके।

(दो) राजस्थान के मेड़ता और पुष्कर के बीच रेल संपर्क सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भागीरथ चौधरी (अज़मेर): मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के अधीन पुष्कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मस्थल नगरी है जहां पर देश-विदेश से लोगों का आना जाना बना रहता है। मेड़ता से पुष्कर रेल लाइन द्वारा जोड़ने के लिए रेल परियोजना में सम्मलित किया हुआ है, लेकिन इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण रेल लाइन को जोड़ने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। मेड़ता से पुष्कर रेल लाइन द्वारा जोड़ने पर सम्पूर्ण उत्तरी भारत का अजमेर व गुजरात से रेल यातायात का सीधा सम्पर्क हो जाएगा।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मेड़ता से पुष्कर रेल लाइन के लिए धनराशि स्वीकृत कर इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करवाने का श्रम करावें।

(तीन) झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): नियम 377 के अधीन सूचना झारखंड में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष दिनांक 25 जून 2015 को भारत सरकार और नेशनल मिनरल डेवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसीएल) के मध्य नए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। एनएमडीसीएल द्वारा 24 सितम्बर 2015 को झारखण्ड कोल्हान स्टील लिमिटेड (जेके स्टील लिमिटेड) नाम से सब्सिडरी कंपनी बनाई गई। एनएमडीसीएल, हैदराबाद की एक टीम चतरा में 02 दिसम्बर 2015 को सर्वे किया गया। राज्य सरकार द्वारा 06 मई 2016 को चतरा जिले में प्लांट लगाने के प्रस्ताव को एनएमडीसी के बोर्ड को भेजा गया। एनएमडीसी बोर्ड ने 25 जुलाई 2016 को एनएमडीसी एवं मेकॉन की उच्च स्तरीय टीम को चतरा जिलें स्थल निरीक्षण के लिए भेजा। उच्च स्तरीय टीम द्वारा चतरा के ऊँटा (लक्षणपुर गांव) में स्थल निरीक्षण के दौरान माना कि स्टील प्लांट के लिए यह स्थान बेहतर और उपयुक्त हैं। प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए आवश्यक 31 सौ एकड़ भूमि में से चतरा के लक्षणपुर गांव में 28 सौ एकड़ भू-खंड उपलब्ध हैं। जिसमें वृहत भेड़ बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र का 1665 एकड़ और करीब 13 सौ एकड गैर मजरूआ एवं वन भूमि हैं। शेष भूमि रैयती हैं। भूमि अधिग्रहण के तहत मात्र चार गांव प्रभावित होगें। इन गांवों के रैयत भी प्लांट के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। यहां पर परियोजना के लिए प्रारंभिक संसाधन उपलब्ध है। बुनियादी चीजों में जमीन, पानी, कोयला, यातायात और बिजली उक्त सभी संसाधन उपलब्ध हैं।

चतरा जिला प्रशासन द्वारा 11 नवम्बर 2016 को चतरा सदर प्रखण्ड के ऊँटा (लक्षणपुर गांव) स्थित वृहद भेड़-बकरा प्रजनन क्षेत्र की 1523.38 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तानांतरित करने की अनुशंसा भेजी जा चुकी हैं। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी हैं। झारखण्ड के माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा 05 दिसम्बर 2016 को चतरा में शीघ्र

स्टील प्लांट लगाने के लिए कहा गया। दिनांक 27 दिसम्बर 2016 को रांची में एनएमडीसी के एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।

विगत दो साल से कई बैठकें हो चुकी हैं। प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण, वस्तुस्थिति रिपोर्ट, भूमि स्थानान्तरण की प्रक्रिया, राज्य सरकार से प्रस्ताव आदि हो चुका है, परन्तु परियोजना केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं। चतरा जिला को एक औद्योगिक शहर के रूप विकसित करने की बहुत संभावनाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का भण्डार है तथा उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। अतः मैं भारत सरकार के खान एवं इस्पात मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मंत्रालय एनएमडीसीएल को चतरा में स्टील प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जायें और अधिसूचना जारी की जायें। और शीघ्र तिथि निर्धारित करके प्लांट का शीलान्यास और निर्माण कार्य शुरू करवाया जायें।

(चार) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदित्यपुर में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बिद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): प्राचीन काल से ही हमारा देश व्यापार एवं व्यवसाय को प्राथमिक स्तर की वरीयता देने वाला रहा है। मध्ययुगीन काल से ही, यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो वहां से भारत की स्थिति व्यापार एवं व्यवसाय में अव्वल रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार व्यापार सुगमता सूचकांक पर एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग-व्यवसाय की दृष्टि से झारखण्ड पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। हमारे राज्य झारखण्ड में उद्योग व्यवसाय लगाना और चलाना एवं दूसरे राज्यों की अपेक्षा औद्योगिक पॉलिसी को सरल एवं बहुत ही आसान बनाया गया है। झारखंड राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु फरवरी माह में हमारी सरकार द्वारा झारखण्ड मेमोंटम प्रोग्राम आर्गेनाईज किया गया, जिसमें भारी संख्या में देश-विदेश के निवेशकों ने भाग लिया। आज झारखण्ड में बहुत से उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे झारखण्ड में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और झारखण्ड इस तरह से तेजी से बदल रहा है। हमारे राज्य में टाटा जैसे ऑटोमोबाईल उद्योग 109 वर्ष पहले मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखण्ड) में स्थापित हुआ है और आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस तरह उद्योग के कारण हमारे संसदीय क्षेत्र में हजारों एन्सलरीज ऑटोमोबाईल उद्योग खुल चुके हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखण्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जमशेदपुर ऑटोमोबाईल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद आज पूरे भारतवर्ष में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) जैसे संस्थान केवल एक ही जगह मात्र पुणे (महाराष्ट्र) में है। पूरे देश में एक ही संस्थान होने के कारण कहीं न कहीं ऑटोमोबाईल्स उद्योग को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः मैं माननीय मंत्री भारी उद्योग और लोक उद्यम से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र, जो टाटा जैसे उद्योग बसने के कारण जमशेदपुर को टाटानगर से जाना जाता है, इसी के अंतर्गत आदित्यपुर

में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) का संस्थान खोलने की कृपा की जाये, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का तेज गति से विकास हो सके।

(पांच) जम्मू-कश्मीर के बाल्मिकि समुदाय के लोगों को विधिमान्य नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। 1947 के पश्चात् जम्मू और कश्मीर राज्य में वाल्मीकि समुदाय के कई परिवार सफाई कर्मचारियों के रूप में जम्मू लाये गये थे। लेकिन 60 से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात् ये हिन्दू समुदाय के लोग जम्मू और कश्मीर में अपनी नागरिकता और अधिकारों से वंचित हैं।

इस वर्ग को कश्मीर में न तो नागरिकता दी जा रही है और न ही वोटिंग, न ही पदोन्नति में आरक्षण जैसे देश और राज्य के अन्य कानूनों का फायदा उन्हें मिला है। इसके अलावा उन्हें नौकरी भी केवल सफाई कर्मचारी की दी जा सकती है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस वर्ग के वंचित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य की नागरिकता एवं अन्य अधिकार दिलवाने का कष्ट करें।

(छह) खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं संसद में खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के संबंध में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले का उल्लेख करता हूं और माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री से उत्तर मिला है। लेकिन, अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

मैं महान ऐतिहासिक रिकॉर्ड का एक अंश रखना चाहता हूं - एक पुस्तक जिसका शीर्षक है: "द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर", जिसे आर. कार्स्टेयर द्वारा लिखित और मैकमिलन एंड कंपनी, लंदन द्वारा 1912 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में इस तथ्य का एक विस्तृत, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि संथाल परगना का निर्माण और नामकरण 1855 में किया गया था, और इस प्रकार यह बंगाल का सबसे छोटा जिला था। लेखक घाटवाल (दर्रों के के संरक्षक) और खेतौरी (खेतौरी) के बारे में एक घायल करने वाला वृत्तांत और विवरण प्रदान करता है और बताता है कि कैसे 1790 में स्थायी निपटान के समय क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से पर कब्जा किया गया था। इसमें उल्लेख है कि स्थायी बंदोबस्त के समय इस पूरे क्षेत्र में एक भी सोंथाल नहीं था। "भुंया, खेतोवरी, हिंदू, मुसलमान, पर्वतारोही - हाँ, लेकिन सोंथाल, नहीं"।

यह एक तथ्य है कि जब इन निष्कर्षों को दर्ज किया गया था और जब विचाराधीन पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तब अनुसूचित जातियों और जनजातियों का नामकरण इस संदर्भ में मौजूद नहीं था कि आज प्रशासनिक रूप से इसका क्या अर्थ है।

इस प्रकार क्षेत्र के आदिवासी वे हैं जो अपनी उचित स्थिति से वंचित हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त होने का दावा करते हैं।

(सात) बंगलूरु में अन्तर्नगरीय आवागमन के लिए अवसरंचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : मैं शहरी भारत में सार्वजनिक आवागमन के अवसरंचना को कमजोर करने के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लंबे समय से हमने लोगों के आवागमन पर काम करने के बजाय वाहनों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया है। सड़कों और फ्लाईओवरों को चौड़ा करने से यातायात की भीड़ कम होती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सड़क पर अधिक निजी वाहनों को बढ़ावा मिलता है। इसका समाधान सार्वजनिक परिवहन के वैकल्पिक साधन उत्पन्न करना होगा, लेकिन 1.3 करोड़ लोगों के शहर बंगलूरु में पिछले 33 वर्षों से ऐसा एक सुविधाकर्ता - उपनगरीय रेल नेटवर्क - को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने फरवरी 2019 में परियोजना को मंजूरी दे दी, लेकिन एस.पी.वी. लंबित है।

जब तक केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी रखती है, 180 कि.मी. रेल लाइन और 50 से अधिक परिचालन स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग अन्तर्नगरीय आवागमन के लिए किया जा सकता है, जिससे लाखों दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, छात्रों, आई.टी. कर्मचारियों आदि को लाभ होगा। मैं सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 86 पर स्थित समपारों पर रेल ऊपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): वर्तमान सरकार के प्रयासों से एन.एच. निर्माण का कार्य पूरे देश में तेज गति से चल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) से दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच.-76 एवं एन.एच.-86 गुजरते हैं और इन राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रमुख नगर स्थित हैं। रेलमार्ग भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगरों यथा-महोबा, सूपा, किराड़ी और हरपालपुर इत्यादि से होकर गुजरते हैं। ये सड़क मार्ग और रेलमार्ग ही आवागमन हेतु मुख्य संपर्क मार्ग हैं। आवागमन हेतु संपर्क मार्गों की कमी के कारण इस राजमार्गों पर स्थानीय ट्रैफिक का दबाव भी काफी अधिक है और यह समस्या रेलवे लाइन क्रासिंग के कारण और भी गंभीर हो जाती है। कई घंटों का लंबा जम लग जाता है और सबसे अधिक समस्या इस जाम में फंस जाने वाले एम्बुलेंस को होती है। जाम में फंस जाने के कारण मरीजों की मौत रास्ते में ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों को यात्रा में असुविधा होती है तथा बहुमूल्य समय, ईंधन एवं धन हानि भी होती है। यदि प्रमुख रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी बन जाये तो जाम की समस्या में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

पूर्व में पत्राचार और व्यक्तिगत भेंट के माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अनुरोध किया है। आज पुनः सरकार से निवेदन है। कि मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) के अंतर्गत एन.एच.-76 स्थित सूपा, किराड़ी, हरपालपुर एवं एनएच-86 पर स्थित महोबा रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाये जिससे इस क्षेत्र में गंभीर ट्रैफिक जाम में कमी की जा सके।

(नौ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल स्तर और हरित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू व शेखावाटी क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण वातावरण की विकट स्थिति बनी है, जिस वजह से चुरू लोक सभा क्षेत्र के मैदानी इलाकों में गर्मी एवं सर्दी सर्वाधिक पड़ती है, साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही गर्मी की वजह से यहां के लोगों का जीवनयापन बहुत ही कठिन है। इस वर्ष तापमान 51 डिग्री से पार जा चुका है। इस क्षेत्र के वातावरण के अनुसार यहां के लोगों का जीवनयापन बहुत ही कठिन है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार यहां जलस्तर बहुत गहरा चला गया है। जिस कारण पेड़-पौधों का अभाव है। तेज धूलभरी आंधियां चलती हैं, वर्षा का अभाव रहता है, जिस वजह से यहां का वातावरण बहुत ही प्रतिकूल है।

[अनुवाद] मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि भूमिगत जलस्तर में सुधार करने, पेड़-पौधे लगाने एवं वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए विशेष बजट आवंटित करने का श्रम करावें।

(दस) रेलवे में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. (प्रोफ़ेसर) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं भारतीय रेलवे में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणियों में रिक्तियों का मुद्दा उठाना चाहूंगा। भारतीय रेलवे में कुल 2,22,159 पद रिक्त हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तरी क्षेत्र में हैं जहां 1 अप्रैल, 2017 तक 27,537 पद रिक्त थे। रेलवे में रिक्त पड़े दो लाख से अधिक पदों में से 41,128 पद अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी में हैं। जोन-वार रिक्तियों में, दूसरे सबसे अधिक रिक्त पद पूर्वी क्षेत्र (19,942) में हैं, इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र 19,651, पश्चिमी क्षेत्र 16,520 और पूर्व मध्य में 17,065 हैं। मैं केंद्र सरकार से इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का अनुरोध करना चाहता हूँ।

(ग्यारह) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हमारे देश में लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इन 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में 66 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक गरीब हैं और 90 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक सामाजिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। 35 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों पर घरों में अत्याचार किया जाता है। 17 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक अकेले रहने को मजबूर हैं। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है वरिष्ठ नागरिकों को जीवन संबंधी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि विशेष रूप से दवाइयों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और वरिष्ठ नागरिक मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं और इनके इलाज हेतु वरिष्ठ नागरिकों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों के अत्यधिक बीमार होने से वे जीवन से हाथ धो बैठते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं अनेक महत्वपूर्ण विषयों को देखते हुए केन्द्र एवं राज्यों में अलग से वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय का गठन किया जाये।

(बारह) मध्य प्रदेश के सतना में रामायण टूरिस्ट सर्किट बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): रामायण टूरिस्ट सर्किट 2014-15 में घोषित हुआ था। तत्कालीन मंत्री जी ने रामायण टूरिस्ट सर्किट की घोषणा करके मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट को शामिल किया था। इसी तरह स्वदेश दर्शन में सतना जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, उसे शामिल किया गया था। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 11 साल वनवास का बिताया था, उस समय की 84 कोशी परिक्रमा का आज भी धार्मिक महत्व है। उन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं, परंतु सुविधाओं का अत्यधिक अभाव है। प्रदेश सरकार ने रामपथ गमन एक योजना शुरू की थी जिसमें कुछ क्षेत्रों में विकास के कार्य किए गए हैं, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में चित्रकूट सहित सभी स्थानों में विकास के कार्यो की अत्यंत जरूरत है। विभाग द्वारा रामायणा टूरिस्ट सर्किट के लिए कुछ राशि की स्वीकृति दी गयी थी किन्तु जो राशि जारी की गयी थी उस राशि को जहां खर्च किया गया है वह हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि चित्रकूट का दो तिहाई हिस्सा मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है। कृपया उस चित्रकूट का विकास किया जाये जो जिला सतना मध्य प्रदेश में है तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत स्वीकृत रामायण सर्किट चित्रकूट मध्य प्रदेश में रामायण सर्किट से संबंधित विभिन्न स्थलों के विकास हेतु प्रस्ताव (कन्सेप्ट प्रेजेन्टेशन), भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली को माह फरवरी, 2017 में प्रेषित किया जा चुका है, जोकि विचाराधीन है। कृपया विकास के सर्वे हेतु एक दल गठित कराया जाए।

(तेरह) देश में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी पटेल (जालौर): भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। देश में 176.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20 फीसदी है। लेकिन इसके व्यापार से जुड़े किसान सही कीमत के लिए तरस रहे हैं। भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय उनके जीवनयापन का एक बड़ा जरिया है। करीब 7 करोड़ ग्रामीण परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गाय-भैंस को रोजाना खिलाने की लागत ज्यादा होने और दूध के दाम न मिलने से डेयरी किसान अब इस व्यवसाय से धीरे-धीरे मुंह मोड़ रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं कि देश में दूध की किल्लत हो जायेगी। फसलों की तरह तय हो दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है। अगर दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है तो किसानों को इससे फायदा मिलेगा।

(चौदह) बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी] **श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल (महाराजगंज):** मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोक सभा, बिहार अंतर्गत वर्ष 2012 में केन्द्रीय विद्यालय महाराजगंज, जिला सिवान की स्थापना हुई थी। यह केन्द्रीय विद्यालय स्थापना काल के बाद से ही आज तक श्री गौरीशंकर हाईस्कूल, उजॉय, पो0 दुरौंदा, जिला सिवान के परिसर में संचालित है जो इसका अपना भवन नहीं है। वर्तमान में यह केन्द्रीय विद्यालय जिस स्थान पर संचालित है वह स्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है। यह स्थान सिवान लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत है।

उक्त केन्द्रीय विद्यालय जो मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के नाम से है इसलिए स्थापित किया गया था कि मूलरूप से महाराजगंज लोक सभा संसदीय क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। पूरे महाराजगंज संसदीय लोक सभा क्षेत्र की जनता की प्रबल आकांक्षा है कि केन्द्रीय विद्यालय महाराजगंज के लिए महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के महाराजगंज, जिला सिवान, बिहार में ही जमीन की व्यवस्था कराते हुए भवन का निर्माण किया जाये ताकि उक्त विद्यालय का सही और सुचारू रूप से संचालन हो सके और इसका पूरा का पूरा लाभ महराजगंज संसदीय क्षेत्र की जनता को मिले।

अतः भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय विद्यालय महाराजगंज, बिहार के लिए महाराजगंज में ही जमीन/भूमि की व्यवस्था कराते हुए उसके भवन निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किया जाये।

(पंद्रह) बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): हाजीपुर — सोनेपुर - छपरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के 66.73 कि.मी. के विस्तार की योजना 575 करोड़ रुपये की प्रारंभिक लागत पर बनाई गई थी। कार्य जुलाई 2010 में शुरू हुआ और जुलाई 2013 तक समापन की तिथि निर्धारित की गई थी। हालांकि, विभिन्न मुद्दों के कारण काम आज तक पूरा नहीं हो सका है, जो निर्धारित समय से लगभग 6 वर्ष पीछे है।

2016 में, ओ.टी.आई.पी.एस. को मंजूरी दे दी गई और बैंकों, एन.एच.ए.आई. और रियायतकर्ताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एन.एच.ए.आई. को अतिरिक्त 175 करोड़ रुपये और बैंकों के संघ को 172 करोड़ रुपये का निवेश करना था। शेष राशि रियायतकर्ताओं द्वारा लगाई जानी थी। इसके बाद, कार्य का स्वतंत्र अभियंता द्वारा लेखापरीक्षण किया जाना था और उसका भुगतान किया जाना था। एन.एच.ए.आई. ने अब तक लगभग 120 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हालांकि, बैंकों ने अपनी किस्त जारी नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप और देरी हुई है और लागत बढ़ गई है।

निर्माण में अत्यधिक देरी से उत्पन्न इस व्यवधान के कारण सारण जिले के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। अभी तक एक भी बड़ा पैच पूरा नहीं हुआ है या इसे मोटर योग्य नहीं बनाया गया है। यह मामला मिरे द्वारा संसद के सदस्य के रूप में पिछले 5 वर्षों में कई बार उठाया गया है। हालाँकि, मुझे मुख्य रूप से धन न मिलने के कारण कार्य प्रगति के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

मैं सरकार और संबंधित मंत्रालय से सभी आवश्यक कदम उठाने और शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(सौलह) केरल में कजाकुट्टम-कादम्बकुट्टुकोनम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का चौड़ीकरण एवं अट्टिंगल बाईपास के निर्माण के बारे में

[अनुवाद]

एडवोकेट अदूर प्रकाश (अट्टिंगल): मैं इस सरकार का तत्काल ध्यान केरल के अट्टिंगल जंक्शन पर एन.एच.-66 पर हजारों यात्रियों को होने वाली गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अट्टिंगल से होकर गुजरने वाला मार्ग प्रमुख बाधा है और बाईपास की मांग तीन दशक पुरानी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कजाकुट्टम-कादम्बकुट्टुकोनम खंड को चौड़ा करने की योजना बना रहा है और अट्टिंगल बाईपास इस परियोजना का हिस्सा है। 3-क अधिसूचना जून, 2018 में ही जारी की जा चुकी है और इसकी वैधता इस माह समाप्त हो रही है। इस माह 3-घ अधिसूचना जारी करना आवश्यक है अन्यथा 3-क अधिसूचना समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना की प्राथमिकता बदल जाने के बाद से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3-घ अधिसूचना जारी नहीं की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि काम पूरा करने के लिए पहली प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना पर विचार करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा माना जाता है। यह उत्तर-पूर्व भारत को कोलकाता पत्तन से भी जोड़ता है। एन. एच. 34 का विस्तार लंबे समय से शुरू किया गया है लेकिन एक दशक बाद भी यह पूरा नहीं हो सका है। राजमार्ग मेरे जिले मुर्शिदाबाद से होकर गुजर रहा है, जहां भागीरथी नदी पर पुल के निर्माण में देरी के कारण वाहनों और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

राजमार्ग निर्माण की सुस्ती का यथाशीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जिले के आम लोग इसे पूरा होते देखने के लिए उत्सुक हैं और राजमार्ग प्राधिकरण को सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

क्या मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से लंबे समय से लंबित राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध कर सकता हूं।

(अठारह) सबरीमाला मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मैं एक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को खारिज कर देता है, जो सबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देता है। यह निर्णय उन रीति-रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध है जो सदियों से भक्तों द्वारा देखी और निभाई जाती रही हैं। हालांकि माननीय न्यायालय का निर्णय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए था, निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों में भारी बहुमत महिलाएं हैं। सबरीमाला के रीति-रिवाज लैंगिक मुद्दे के बजाय आस्था का विषय हैं। रीति रिवाजों को तोड़ने का कदम तीर्थयात्रा की पवित्रता और प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ भक्तों द्वारा की जाने वाली इसकी प्रथाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के अधिकार का समर्थन करता है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने पिछले सत्र के दौरान हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पर ध्यान दिया है और इसलिए मैं तुरंत प्रभावी हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल में हिंसा के बारे में

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय (दम दम): केंद्र सरकार कथित तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। जब से श्री अमित शाह के देश के गृह मंत्री का पद सम्भाला है, केंद्र ने पश्चिम बंगाल को दो परामर्श भेजे हैं। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जारी किए गए ये परामर्श एक निर्वाचित राज्य सरकार के मामलों में कथित हस्तक्षेप हैं। इसने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के उल्लंघन और बढ़ती हिंसा के साथ-साथ राज्य में हाल ही समाप्त हुई डॉक्टरों की हड़ताल का भी उल्लेख किया गया है। पश्चिम बंगाल में स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण में है, हालांकि हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। यह हिंसा मुख्य रूप से एक राजनीतिक दल द्वारा फैलाई गई है जिसने कथित रूप से टी.एम.सी. कार्यालयों पर हमला किया है, टी.एम.सी. कार्यकर्ताओं को उनके घरों से बाहर निकाल दिया है और कई मामलों में टी.एम.सी. कार्यकर्ताओं को हत्या की है। गृह मंत्री के लिए यह उचित होगा कि वे राज्य सरकार को परामर्श देने की बजाय राजनीतिक ताकतों पर नियंत्रण लगाएं। इससे राज्य में स्थिति को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

(बीस) विद्युत पारेषण परियोजनाओं के सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) पर्यावरण पर तेजी से औद्योगिकीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना 2006 को एक प्रमुख उपकरण के रूप में उपयोग करता है। वर्तमान में हमारे देश में विद्युत पारेषण परियोजनाएं हाई-टेंशन टावर का उपयोग करती हैं। मार्ग के दाहिने गलियारे और पारेषण लाइनों के नीचे की भूमि पर उन उच्च-तनाव पारेषण लाइनों के कारण होने वाले विद्युत-चुंबकीय प्रभाव, मनुष्यों और पौधों और जानवरों के बीच विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्वास्थ्य खतरों का कारण बनते हैं। इन प्रभावों की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और विभिन्न अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों से की गई थी। पारेषण लाइनों के नीचे, नंगे हाथों में पकड़ी गई एक ट्यूबलाइट, बिना किसी भौतिक विद्युत संयोजन के भी जलती और चमकती रहती है। यह पारेषण लाइनों के [ई.एम.एफ.] प्रभाव को आसानी से प्रदर्शित करता है।

कृषि श्रमिकों को पारेषण लाइनों के ई.एम.एफ. के संपर्क बारे में कभी भी अवगत नहीं कराया गया। भारत में किसी भी पारेषण कंपनी द्वारा पारेषण लाइनों के पर्यावरणीय सामाजिक प्रभावों का आकलन करते हुए कोई अध्ययन नहीं किया गया। इस बात पर सहमति है कि विद्युत का पारेषण हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही नागरिकों और किसानों के कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों/किसानों के बीच ई.एम.एफ., परियोजनाओं के अन्य प्रभावों और प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है और ऐसी पारेषण परियोजनाओं के शुरू होने से पहले ही उन प्रभावित भूमि मालिकों/किसानों से परामर्श किया जाना चाहिए।

ई.आई.ए. अधिसूचना "सार्वजनिक परामर्श" प्रदान करती है, जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों में संभावित हिस्सेदारी रखने वाले अन्य लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि कई परियोजनाओं को उपरोक्त

ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा बाद की अधिसूचनाओं में शामिल किया गया। ये समावेशन परियोजनाओं के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किए गए थे।

इसी तरह, विद्युत पारेषण परियोजनाओं के कारण मनुष्यों, वनस्पतियों और जीवों पर पड़ने वाले सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विद्युत पारेषण परियोजनाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) की श्रेणी "क" के तहत ई.आई.ए. अधिसूचना के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि हाई पावर टेंशन टॉवर लाइन के स्थान पर भूमिगत केबल लाइन बिछाकर इस समस्या का समाधान किया जाए।

(इक्कीस) बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर रेल खंड पर पुराने रेल पुलों के नवीकरण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में बख्तियारपुर-राजगीर रेल खण्ड के बीच कुल 87 पुल हैं। ये सभी पुल काफी पुराने एवं जर्जर हो चुके हैं। इनकी मियाद कब की पूरी हो चुकी है। इनकी हालत काफी खराब है और ये जर्जर अवस्था में आ चुके हैं। हरनौत के आस-पास के पुलों में तो दरारें भी आ चुकी हैं। जिससे कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार ग्रामीणों द्वारा और मैं भी इन सभी बातों को लिखित रूप से अवगत करवा चुका हूँ। किंतु अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पुलों की मरम्मत और रख-रखाव पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। यहाँ हमेशा देश-विदेश से पर्यटक आते हैं और ज्यादातर रेल से सफर करते हैं। रेलवे की कई महत्वपूर्ण गाड़ियाँ इन रेल खण्ड पर संचालित हो रही हैं। इसी क्रम में बिहार शरीफ-दनियावां-नेउरा रेल लाईन को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। यह मुख्य रेल लाईन है और जब शेखपुरा तब बन जाएगी, तो दानापुर से किऊल तक तीसरी लाईन . हो जाएगी, जिससे रेल ट्रैफिक पर काफी दबाव घटेगा और आम जनता को रेलवे की अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। पर्यटकों को नालंदा आने में आसानी होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। सदन के माध्यम से इस मामले को मैंने कई बार उठाया है, परंतु अभी तक इस कार्य में काई प्रगति नहीं आयी है।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि बख्तियारपुर-राजगीर रेलखण्ड के सभी पुलों का जीर्णोद्धार करवायें और बिहार शरीफ-दनियावां-नेउरा रेल खण्ड का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करवायें।

(बाईस) महाराष्ट्र में पानी की कमी से निपटने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सदनंद सूले (बारामती): 2018 के मानसून सत्र में औसत से कम वर्षा और 2019 के मानसून में देरी के कारण महाराष्ट्र में बांधों और जलाशयों में पानी की कमी गंभीर स्तर तक गिर गई है। पानी की इस कमी के कारण 2019/20 में कृषि उत्पादन में 40% की गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप राज्य में चारे की कमी हो गई। प्रत्येक नागरिक के किफायती पानी के अधिकार को स्वीकार करते हुए, सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी के टैंकर भेजने और 2019 में शुरुआती मानसून की सुविधा के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकों पर विचार करना चाहिए। मैं सरकार से भविष्य में सूखे से बचने के लिए तालाबों और अन्य जल भंडारण सरंचनाओं के निर्माण जैसे दीर्घकालिक जल संरक्षण उपाय करने का भी आग्रह करती हूं। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी मनरेगा के तहत पर्याप्त काम का अभाव है। मैं केंद्र से सूखा प्रभावित राज्यों को पर्याप्त धनराशि जारी करने का आग्रह करती हूं, ताकि राज्य यहां अधिक कार्य कर सके और इस गंभीर सूखे की स्थिति को दूर कर सके।

(तेईस) एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के उन्मूलन के बारे में

country

[हिन्दी]

श्री मोहमद आजम खां, (रामपुर): बिहार में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिन्ड्रोम (ए.ई.एस.) की बीमारी से अपनी जान गंवाने वाले मासूम बच्चों की तादाद 100 पार कर चुकी है, न जाने कितनी मांओं ने अपने हाथों से अपने इन नौनिहालों और कलेजे के टुकड़ों को सुपुर्द ए खाक कर दिया होगा। इसी प्रकार गतवर्ष गोरखपुर में भी मौत का यह भयानक दौर उ.प्र. ने देखा था। परन्तु अभी तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

बिहार में भी बहुत देर बाद राज्य और केन्द्र सरकार हरकत में आई हैं। सरकारों के देर से जागने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई कि एक बीमारी ने महामारी का भयावह रूप धारण कर लिया।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस जानलेवा बीमारी की स्थायी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(चौबीस) तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रेलवे के विभिन्न मुद्दों के बारे में

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वराज (नागापट्टिनम): मेरा नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पिछड़ा और अविकसित क्षेत्र है। लोगों की आय और आजीविका का मुख्य स्रोत मछली पकड़ना है। तिरुतुरैपुंडी से अगस्तियंपल्लि के बीच मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने का कार्य पिछले 10 वर्षों से धीमी गति से चल रहा है, फिर भी यह अधूरा है। इस तरह की धीमी प्रगति का कारण अज्ञात है। इसके अलावा, तिरुतुरैपुंडी से अगस्तियंपल्लि के बीच बहुत रेलवे स्टेशन हैं विशेष रूप से करियापत्तिनम, कुरावाप्पुलम तोपुतुराई, नेयविलक्कु आदि हैं। एक बार, रूपांतरण कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग पर ट्रेन सेवा शुरू हो जाती है, इस मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को उपर्युक्त सभी रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा।

इसके अलावा, एक नई बिछाई गई ब्रॉड-गेज लाइन खोली गई है और कारैक्कुडी से तिरुवारूर के बीच ट्रेन सेवा शुरू हुई है और लगभग 72 क्रॉसिंग ऐसे हैं जिनमें अब तक कोई गेटकीपर नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण ट्रेन को 146 किलोमीटर गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 06 घंटे लग गए। गेटकीपरों की अनुपस्थिति में, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ट्रेनें बहुत धीरे-धीरे चलती हैं।

इसलिए, मैं इस प्रतिष्ठित सभा के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तिरुतुरैपुंडी - अगस्तियंपल्लि के बीच रूपांतरण कार्य को शीघ्रता से किया जाए और इस मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों के लाभ और सुविधा के लिए सभी स्टेशनों पर इस मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को ठहराव देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और कारैक्कुडी और तिरुवारूर रेलवे लाइन के बीच सभी 76 क्रॉसिंग पर गेट आरक्षक नियुक्त करें।

(पच्चीस) कोल्लम-पुनालुर-सेनकोट्टा रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे में

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): कोल्लम-पुनालुर-सेनकोट्टा रेल लाइन केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल लाइन है। महत्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आमान परिवर्तन कार्य पूरा कर उसे चालू कर दिया। यह लाइन विद्युतीकृत नहीं है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विद्युतीकरण अत्यधिक आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्रों होने के कारण ट्रेनों की सेवा के लिए दो डीज़ल इंजन की आवश्यकता होती है। अधिक ट्रेनें चलाने और इस तरह लाइन का उपयोग करने के लिए लाइन का विद्युतीकरण आवश्यक है। पुनालुर-सेनकोट्टा रेल लाइन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि कोल्लम-पुनालुर-सेनकोट्टा रेल लेन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाए।

<u>अपराह्न 12.24 बजे</u>

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र सारंगी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करने के लिए खड़ा हुआ हूं:-

"कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया गया अभिभाषण - 'कि इस सत्र में एकत्रित लोक सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति के प्रति बहुत आभारी हैं, जिसे उन्होंने 20 जून, 2019 को संसद के दोनों सदनों में एक साथ देने की कृपा की है'।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, 17वीं लोक सभा के 1 सत्र की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करने के लिए यहां आना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का अत्यंत आभारी हूं की उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

मैं इस अवसर पर हमारे प्रिय और परम श्रद्धेय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का यह दुर्लभ अवसर प्रदान किया।

मैं उन लोगों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस महती सभा में प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। हम यहां 17वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में एकत्र हुए हैं। यह 17वीं लोक सभा कई मायनों में अद्वितीय है।

महोदय, वर्ष 2022 में हम नवीन भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं, एक ऐसा भारत जो स्वच्छ और हरा-भरा, स्वस्थ और समृद्ध होगा, जहां हर किसी के पास घर और शौचालय होगा, जहां किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जहां भारत के युवाओं को अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने और अपने सपनों

को पूरा करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, जहां महिलाओं को अपने करियर और हितों को आगे बढ़ाने और गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र पहुंच और सुरक्षित महसूस होगा। उस समय का भारत, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, भुखमरी, एवं उत्पीड़न से मुक्त भारत होगा।

महोदय, मैं सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, यह हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण है जिसके आधार पर यह चुनाव लड़ा और जीता गया।

अध्यक्ष महोदय, यह सम्मानीय सभा हमारे राष्ट्र की नियति को साकार रूप देने एवं राष्ट्र के र्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रयासरत रही है।

मैं इस तथ्य अवगत हूं कि मैं इस सदन का हिस्सा हूं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जिसे पंडित नेहरू, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, के. एम. मुंशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई अन्य महान विभूतियों ने सुशोभित किया है।

मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल करके माननीय प्रधान मंत्री जी ने न केवल मुझे विनम्र किया है, बल्कि वास्तव में दुनिया को दिखाया है कि यह सरकार वास्तव में गरीबों वंचितों और समाज के सीमांत वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।

स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि: "जब तक भारत में जनता फिर से अच्छी तरह से शिक्षित, अच्छी तरह से पोषित और अच्छी देखभाल नहीं कर लेती, तब तक किसी भी राजनीति का कोई फायदा नहीं होगा।" मैं इस महती सदन के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका से अवगत हूं। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि इस सभा का विशाल गुंबद हमारे लोकतंत्र की शक्ति, ताकत, महिमा और शक्ति को दर्शाता है। यह ऊंचा उठने की हमारी महत्वाकांक्षा, तथा हमारे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हम सभी अपने देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस गुंबद के नीचे हैं, और हम सामूहिक रूप से *जन संवाद* -- लोगों की आवाज़ का अनुवाद करने का प्रयास करेंगे।

मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 35 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। मेरे लिए राजनीति कभी भी आनंद का साधन नहीं रही। यह लोगों -- गरीबों, पीड़ितों, उत्पीड़ित, और दलितों की सेवा करने का एक महान साधन था। जैसा कि स्वामी विवेकानन्द और श्री रामकृष्ण ने कहा था : "*शिव में सर्वजीवा*"। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं: "प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। इसका उद्देश्य बाहरी और आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना है। इसे या तो काम से करो, या पूजा से, या मानसिक नियंत्रण से, या दर्शन से और मुक्त हो जाओ। यही संपूर्ण धर्म है। सिद्धांत अथवा हठधर्मिता, अथवा अनुष्ठान, अथवा किताबें, या मंदिर, अथवा रूप, केवल गौण विवरण हैं।

महोदय, मैंने उत्तरी ओडिशा के अत्यधिक अविकसित क्षेत्र नीलगिरि में काम किया है, जहां मैं बचपन से ही सरदार पटेल जी के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ हूं, जिनके प्रयास और आह्वान से नीलगिरि भारत में विलय होने वाला पहला राज्य बन गया भारत संघ और पहले युद्ध पोत का नाम आई.एन.एस. नीलगिरि रखा गया।

महोदय, सरदार जी ने हमारे देश को एकजुट किया और मुझे विश्वास है कि मेरे सरदार जी, हमारे प्रधान मंत्री जी, जिन्होंने पिरामिड के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए हमारी 130 करोड़ बहनों और भाइयों की सेवा के लिए दिन-रात लगातार काम किया है, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे।

महोदय, मैं साधारण साधनों वाले एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। मुझे ओडिशा विधानसभा में दो बार विधायक बनने का अवसर मिला। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान मैं भाग्य बना सकता था। तथापि, मैंने अपनी जड़ो और अपने उन लोगों के साथ रहने का निर्णय लिया जो गरीब और वंचित हैं। मैंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ उनकी सेवा करना चुना क्योंकि मेरे सामने महान स्वामी विवेकानन्द के आदर्श थे, जिन्हें बचपन में नरेन्द्र के नाम से जाना जाता था और दूसरे नरेंद्र, मेरे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, जो स्वयं एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं, और जिन्होंने गरीबी देखी और अनुभव की है। ... (*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, यहां क्या हो रहा है? …(*व्यवधान*) क्या यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण है? …(*व्यवधान*)

श्री प्रताप चंद्र सारंगी : मुझे गर्व है कि एक साधारण *चायवाला* ... (*व्यवधान*) महोदय, इतनी असहिष्णुता क्यों? …(*व्यवधान*) एक साधारण *चायवाला* प्रधानमंत्री बन गया। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष:** प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए, आपको भी मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात नहीं कर रहे हैं। …(*व्यवधान*) वे क्या बोल रहे हैं? …(*व्यवधान*)

श्री प्रताप चंद्र सारंगी : महोदय, इतनी असहिष्णुता क्यों? …(*व्यवधान*) यह उनकी असहिष्णुता को दर्शाता है। …(*व्यवधान*) उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक सामान्य आदमी प्रधानमंत्री बना। …(*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है। …(*व्यवधान*)

श्री प्रताप चंद्र सारंगी: महोदय, मुझे गर्व है कि एक साधारण *चाय वाला* प्रधानमंत्री बना और उन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इस प्रतिष्ठित सभा के सदस्य और मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर दिया। …(*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: वह यहां अपने व्यक्तिगत मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। …(*व्यवधान*)

श्री प्रताप चंद्र सारंगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर ओडिशा के लोगों और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शानदार चुनावी प्रदर्शन में योगदान दिया है।

मेरा राज्य खनिज संसाधनों में समृद्ध है। मेरे राज्य के लोग शांतिप्रिय और मेहनती हैं। …(*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : यह ओडिशा विधानसभा नहीं है। …(*व्यवधान*) यह संसद है। …(*व्यवधान*) उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है। …(*व्यवधान*)

श्री प्रताप चंद्र सारंगी: महोदय, ओडिशा में हमारे महान विद्वानों में से एक ने कहा था कि: "सुसंस्कृत हाथ ही उद्योग है"। …(*व्यवधान*) अब इसे हमारी नरेन्द्र मोदी सरकार ने अमल में लाया है। …(*व्यवधान*)

हमने यू.पी.ए. शासन के 10 वर्षों में या कांग्रेस शासन के 55 वर्षों में कौशल विकास के बारे में कभी नहीं सुना। हमने कभी भी कौशल विकास का सपना नहीं देखा और इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। अब, श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास पुरःस्थापित किया, और हमारे मानव संसाधन विकसित हुए हैं। ..(*व्यवधान*) यदि आप पत्थर के टुकड़े को कुचलते हैं, तो इसकी कीमत 300 रुपये होगी, लेकिन यदि आप इसकी एक छवि बनाते हैं, तो इसकी कीमत 55,000 रुपये होगी। यह मूल्यवर्धन है, और यह उद्योग है। …(*व्यवधान*)

ओडिशा कई महान साहित्यकारों, मूर्तिकारों, खिलाड़ियों आदि का घर है। यह ओडिशा में था जहां गांधीजी के पैदल सैनिकों ने मौत को मात देने वाली अहिंसक वीरता के साथ अंग्रेजों की शाही ताकत से लड़ाई लड़ी थी। यही वह भूमि है जिसने नेताजी सुभाष, सुरेन्द्र साई, तु बक्शी जगबंधु को जन्म दिया और उड़ीसा एक उपमहाद्वीपीय सामाजिक-धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा है।

बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म आदि आस्थाओं के माध्यम से ओडिशा सदी दर सदी एक उपमहाद्वीपीय सामाजिक-धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह आदि शंकराचार्य ही थे जिन्होंने ब्रह्मांड के भगवान, श्री जगन्नाथ की कृपा से पुरी को चार धामों में से एक के रूप में चुना था। ओडिशा चैतन्य श्रीक्षेत्र भी थे। कई धार्मिक समूहों की उपस्थिति के साथ, ओडिशा का अपना उदार, बहुलवादी चरित्र है। ओडियाओं के उदार विश्व दृष्टिकोण को पंडित गोपबंधु दास ने बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है।

मेरे अंदर के प्रेम को दुनिया भर में गूंजने दो और प्रेम को सर्वोच्च होने दें।[15]*....* वे आगे कहते हैं, मेरे शरीर को इस देश की मिट्टी में मिल जाने दो, मेरे देशवासियों को मेरे ऊपर चलने दो। स्वराज्य के रास्ते के सभी छिद्र मेरे मांस और हड्डी से भरे होने चाहिए।*

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, विश्वास एवं सहयोग से परिपूर्ण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है; यह विश्वास और सहयोग से भरा है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमारी उपलब्धियों और हमारे भविष्य की रूपरेखा एवं दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है।

जैसे ही मैं यहां खड़ा हूं, मेरा दिमाग यू.पी.ए. के कुशासन के उन दिनों की याद दिलाता है, जो सरकार की विफलता का पर्याय था। नीतिगत पंगुता उस समय का नया आदर्श था। हमने एक के बाद एक घोटाले देखे हैं - 2जी, 3जी, आदर्श हाउसिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स - इनमें से कुछ ही नाम हैं। …(*व्यवधान*) धैर्य रखें, मेरे भाइयों! ...(*व्यवधान*) इन घोटालों ने राष्ट्र की मूल भावना को नष्ट कर दिया, जिससे शासन प्रणाली खोखली और निष्क्रिय हो गई। …(*व्यवधान*) तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, जिसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, अपने बॉस के फैसले को देखते हुए मूकदर्शक बना रहा।

महोदय, एक निराशाजनक प्रयास में, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भयावहता को कम करने के लिए उस समय के एक विद्वान मंत्री द्वारा अनुमानित नुकसान की एक नई अवधारणा का समर्थन किया गया था कांग्रेस के प्रथम परिवार ने भी तत्कालीन सरकार के मंत्रियों के अप्रिय रवैये के प्रति अपनी आंखें बंद कर लीं। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

15* *....* मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के इस भाग का अंग्रेज़ी अनुवाद।

श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी: सर, मैं निवेदन करता हूं कि विज्ञान के द्वारा अथवा सत्ता के द्वारा हम बेईमान को ईमानदार नहीं बना सकते हैं, देशद्रोही को देशभक्त नहीं बना सकते, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते। ... (व्यवधान) इसके लिए चरित्र होना चाहिए। ... (व्यवधान) इसके लिए कैरेक्टर होना चाहिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बैठ जाइए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी: सर, हमारे देश की क्या अवस्था थी, महिला को शौचालय के लिए सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करनी होती थी। पढ़ाई करने के लिए बच्चों को सूर्योदय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी।... (व्यवधान) भोजन नहीं मिलता था, इसलिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको अपनी बात कहने का जब मौका मिलेगा, उस समय आप अपनी बात कहें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री प्रताप चंद्र सारंगी:** यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्षों के भीतर....... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री प्रताप चंद्र सारंगी:** 2014 में भा.ज.पा. सरकार सत्ता में आई और कई उपलब्धियां हासिल कीं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप उनको बोलने दीजिए। आपके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के सवाल पर बाद में जवाब देंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री प्रताप चंद्र सारंगी:** श्रीमान अध्यक्ष महोदय, हम कांग्रेस पार्टी के आभारी हैं।... ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी बोलना।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री प्रताप चंद्र सारंगी:** हम कांग्रेस के आभारी हैं कि उन्होंने हमें यह अवगत कराया कि विघटनकारी और तुष्टिकरण की राजनीति अब समाप्त हो रही है।..*(व्यवधान)* केवल विकासात्मक कार्यसूची ही वास्तविक कार्यसूची है।..*(व्यवधान)* महोदय, सभी लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दिया जा सकता है, कुछ लोगों को हमेशा के लिए धोखा दिया जा सकता है, सभी लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता।..*(व्यवधान)* इस पृष्ठभूमि के तहत, चुनावों से पहले, देश को विपक्ष के एक

दुर्भावनापूर्ण अभियान का सामना करना पड़ा, जिसमें एन.डी.ए. को दलित विरोधी, गरीब विरोधी, अ.ज.जा. विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी बताया गया।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष :** आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य जो भी बोलेंगे, उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री प्रताप चंद्र सारंगी:** महोदय, क्रोनी पूंजीवाद का समर्थन करते हुए और भारत को आर्थिक संकट में धकेलते हुए, सरकार को खराब छवि दिखाने के लिए बेरोजगारी, कृषि संबंधी संकट, आतंकवाद और महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को द्वेषपूर्वक उठाया गया। नोटबंदी, जी.एस.टी. लागू करने, बोलने की आजादी का गला घोंटने या समाज में घृणा और असहिष्णुता को बढ़ावा देने तथा विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करने और राफेल मुद्दे के जरिए लोगों को परेशान करने के बेबुनियाद आरोपों के साथ सरकार पर उंगलियां उठाई गईं यह सब कुछ व्यर्थ हो गया था यदि इसका उद्देश्य जनता की नजरों में एक लोकप्रिय सरकार की नकारात्मक छवि दर्शाना था ताकि एक लोकप्रिय सरकार को कुछ निहित स्वार्थों वाले राजनीतिज्ञों के कुटिल अभियान से बदनाम हो जाए। किन्तु श्री नरेन्द्र मोदी जी अडिग और शांत खड़े रहे और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के अपने महान मिशन के साथ आगे बढ़े।

हमारे शास्त्र में कहा गया है:

[हिन्दी]

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्।

अद्यैव मरणमस्तु , युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।।

[अनुवाद]

महोदय, सत्य की जीत होती है। *सत्यमेव जयते* नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः। सत्य सर्वोपरि है और सत्य के पुत्र को कभी भी असत्य के काले बादल से ढका नहीं जा सकता। महोदय, झूठे प्रचार के माध्यम से लोगों को धोखा देने के विपक्ष के सभी प्रयास तब विफल हो गए जब भारत के लोगों ने एक बार फिर श्री नरेन्द्र मोदी और उनके शानदार नेतृत्व के पक्ष में अपनी लोकतांत्रिक पसंद का प्रयोग किया।

महोदय, उनके चुनावी पंडित गलत साबित हुए, उनका चुनावी गणित ध्वस्त हो गया और चुनावी राजनीति को जाति और समुदाय के चश्मे से देखने के पारंपरिक तरीकों में अपरिवर्तनीय परिवर्तन हुए। उन्होंने जानबूझकर भा.ज.पा. के पक्ष में मतदान किया है जो विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों ने ऐसी पार्टी को वोट दिया है जो वही करती है जो कहती है और जो कहती है कि वह क्या कर सकती है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वर्ष 2014 से 2019 तक की हमारी यात्रा ने हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने शुरुआत में कहा था, [हिन्दी] मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं प्रधान मंत्री नहीं हूं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं। उन्होंने इसको पालन करके दिखाया। ... (व्यवधान)

रघुकुल रीत सदा चली आई,

प्राण जाई पर वचन न जाई।

भारत की जनता ने वर्ष 2014 में एक मैनडेट दिया था, जिसको प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार देश के गरीब, महिला, युवा, पिछड़े, दलित और आदिवासियों के लिए समर्पित रहेगी। हम ने उसको एक लाइन की फिलॉस्फी बनाई – 'सबका साथ, सबका विकास'।

बहुतों ने गरीबों के बारे में बहुत भाषण दिया। बहुतों ने बहुत योजना बनाई। सबने अच्छी भावना से योजना बनाई होगी, यह मैं डिसप्यूट नहीं करता हूं, परन्तु नरेन्द्र मोदी जी ने इसको क्रियान्वित किया और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जनता के विश्वास को जिन्होंने तोड़ा था, वे आज नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पाते हैं।

सर, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। एक प्रधान मंत्री कभी इतिहास में देखा है, जो बच्चों की परीक्षा के संबंध में चर्चा करता है कि कैसे परीक्षा दी जाए? आज लाखों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वे उनको समझाते हैं। एक प्रधान मंत्री महिलाओं के साथ वार्ता करते हैं – 'मन की बात में'। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। ... (व्यवधान)

सर, यह उसी नीति पर आधारित है। वेदांत का यह सामान्य प्रिंसिपल जिसको आधार बना कर, एक शाश्वत मृत्युंजयी जीवन धारा, पं. दीनदयाल उपाध्याय ने दी है। यह उसी शाश्वत जीवन धारा के ऊपर नरेन्द्र मोदी जी का विचार आ रहा है।

सर, ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः", इसका प्रतिफलन 'सबका साथ, सबका विकास' में हुआ है। 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति', भगवत गीता की यह वाणी राजनीति में रूपांतरित होती है। नरेन्द्र मोदी जी को इसका क्रेडिट देना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि वर्ष 1971 की वार में श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ शब्द बाकी नहीं रखे थे। अपोजिशन का यह रोल होता है कि उन्हें अच्छी चीजों की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने उनको देवी-दुर्गा बताया। सर, नरेन्द्र मोदी जी के कृत्यों की प्रशंसा करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है?

'ईशावास्यं इदं सर्वं यत्किन्च जगत्यां जगत्' उपनिषदों ने बताया है। हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए। जगन्नाथ दास भागवत उड़िया में कहते हैं कि नारायण सबके शरीर में रहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में भी कहा था कि मैं पांच साल में हिसाब देने आऊंगा। पांच साल नहीं, भारत की राजनीति की पहली घटना है, इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है, प्रधान मंत्री जी ने हर साल देश के भिन्न-भिन्न भागों में जा कर उनकी एकाउंटेबिलटी को प्रमाणित किया है। क्या ऐसा कभी कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधान मंत्री ने

किया था या किसी अन्य पार्टी के प्रधान मंत्री ने? मोदी जी ने प्रधान मंत्री को जनता का सेवक बताया और सेवक मालिक को हिसाब देगा। इसका पूर्णतया अक्षरश: प्रधान मंत्री जी ने पालन किया। यह पहली सरकार है, स्वाधीनता की लहर के समय की अलग बात है, लेकिन यह पहली सरकार है जो प्रो-इनकम्ब सरकार है। पांच साल के काम का हिसाब दिया और परफोर्मेंस के आधार पर एब्सोल्यूट मैजोरिटी लेकर निर्वाचित हुई। हम पर भरोसा जताने के लिए हम लोगों के आभारी हैं। पिछले पांच सालों में देश की जनता ने, देश के गरीबों ने नरेन्द्र मोदी एक्सपेरीमेंट किया था। आज हमें जिम्मेदारी के साथ यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह एक्सपेरीमेंट सफल हुआ है। हमने बीजेपी, एनडीए की ओर से कभी नारा नहीं लगाया था, लेकिन देश की जनता ने नारा लगाया 'अबकी बार 300 पार'। यह नारा सफल भी हुआ और एक बार फिर मोदी सरकार। इस एक्सपेरीमेंट का परिणाम हुआ कि देश की जनता ने मिलावट को स्वीकार नहीं किया। देश असल माल चाहता है। देश की जनता ने इसे करके दिखाया। इतनी धूप में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने दिनभर लाइन में खड़े रहकर वोट दिया और सारे दुष्प्रचार को खत्म कर दिया, इसलिए मैं भारत के जागरुक मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। महोदय, यह एक अद्भुत चुनाव था, एक बहुत ही अनोखा चुनाव जहां लोगों को परिणाम आने से पहले परिणाम पता था। यह इस चुनाव की विशिष्टता है। आप जानते हैं कि क्या रिजल्ट रहा। बीजेपी अकेले 303 और एनडीए को 353 सीटें मिलीं। इन दिनों में इतना बड़ा मैनडेट किसी सरकार को मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोक सभा चुनाव में हमारी अप्रत्याशित जीत, विशेषकर उत्तर-पूर्व बंगाल और ओडिसा की जीत से नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता का विश्वास, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की कुशल रणनीति और अथक प्रयासों से संभव हुई। मैं नज़र डालता हूं कश्मीर से विंध्य तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक और कर्नाटक से कटक तक और स्वराष्ट्र से ब्रह्मपुत्र तक, मैं देखता हूं सर्वत्र ही नरेन्द्र मोदी की लहर चलती है और जनता ने उन पर विश्वास किया है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक और पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम नरेन्द्र मोदी का प्रवाह देखते हैं। मैं स्वयं पूर्व से आता हूं। नार्थ-ईस्ट में ओडिसा, बंगाल सर्वत्र जो गैर परम्परागत इलाका था, जहां से मैं आता हूं, इस इलाके में देश के गरीब लोग रहते हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, इन इलाकों ने भी नरेन्द्र मोदी का साथ क्यों दिया, इसका

नाम है – विकास की आकांक्षा, राष्ट्रीय गौरव के लिए। जिसके लिए युवाओं ने वोट दिया। जनता अब इस मूड में है कि भारत को आगे बढ़ना है। भारत को आगे ले जाने के लिए अपनी पार्टी लाइन क्रॉस करके भी वोट देने को लोग आए। भारत दुनिया को स्थान की ताकत से नहीं बल्कि आत्मा की ताकत से जीतेगा, स्वामी जी ने बताया। इसे नरेन्द्र मोदी जी ने साकार किया। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि सवा सौ करोड़ देशवासी यदि एक-एक कदम आगे चलेंगे, तो देश सवा सौ करोड़ कदम आगे चलेगा।

मुझे याद है, मैंने एक स्कूल में परीक्षा के बारे में चर्चा की व्यवस्था की थी। एक बालिका ने नरेन्द्र मोदी जी से प्रश्न पूछा कि आप इतना परिश्रम करते हैं, क्या आप थकते नहीं हैं। मोदी जी ने तत्काल बताया कि सवा सौ करोड़ देशवासियों को मैं अपना परिवार मानता हूं। इतने बड़े दिल के व्यक्ति की क्या आप प्रशंसा नहीं करेंगे, हृदय से आदर नहीं करेंगे? मैं समझता हूं कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रशंसा कर रहे होंगे। सरकार चलाने के यूनीक तरीके को प्रधान मंत्री जी ने विकसित किया। यह तरीका जनभागीदारी का है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि इस देश में करोड़ों लोगों को कैसे सुखी बनाना चाहिए। बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं बल्कि जनसमूह द्वारा उत्पादन। करोड़ों आदमियों को सुखी बनाने के लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। नरेन्द्र मोदी ने जनभागीदारी का, भगवद गीता में जनभागीदारी, को-ओपरेशन का गणतंत्र का एक सूत्र बताया - परस्पं भव्यन्थ श्रेय परम अवश्यकथ। परस्पर श्रेय भावना, यही प्रधान मंत्री जी का विशेष उद्देश्य है। उन्होंने जनता को विश्वास में लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया। आप देखेंगे प्रधान मंत्री जी ने जितनी योजनाएं बनाई, उनका मूल उद्देश्य जनता की भागीदारी है। हम जनता के भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं हैं, हमें उन्हें शामिल करना होगा।

[हिन्दी] सर, पहले यह कांग्रेसी शासन में या अन्य शासन में नहीं हुआ था। उन्होंने जनता का विश्वास लिया और उनको हर योजना का हिस्सा बनाया। जनता को यह एहसास दिलाया कि सरकार उन पर विश्वास करती है। पूर्व में सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने के लिए बच्चों को बहुत परेशानियाँ होती थीं, कष्ट उठाकर गज़टेड अफसर के पास जाकर लाइन लगाकर बहुत परिश्रम करना पड़ता था, अपमानित

होना पड़ता था। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मेरे देश के सामान्य लोगों पर भी विश्वास करो। अब प्रमाणपत्र सेल्फ-सर्टिफिकेशन से प्रमाणित किये जाएंगे।

ऋगवेद में बताया गया है कि मानव समाज की उन्नति का क्या मंत्र है। देवताओं ने कैसे उन्नति की, उसके सूत्र बताए गये:

संगच्छध्वं संवदध्वं

सं वो मनांसि जानताम्

देवा भागं यथा पूर्वे

संजानाना उपासते॥

समानो मन्त्र: समिति समानी

समानं मन: सहचित्तमेषाम

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व:

समानेन वो हविषा जुहोमि॥

समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:

समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति॥

[अनुवाद] चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, जनता हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, हमको एक मन होकर चलना चाहिए। [हिन्दी] हमारा आचार-विचार-उच्चार समान होना चाहिए। यही प्रोग्रेस का मूल मंत्र है और इसको हमारे प्रधान मंत्री जी ने कार्यान्वित किया है।

सर, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे गांव की जमुना मणिसिंह, आशाकर्मी, जिन्होंने मलेरिया को इरैडिकेट करने के लिए काम किया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनको ढूंढ निकाला। भारत के कई गांवों में

छिपे हुए लुप्त प्रतिभाओं को सामने लाकर प्रधान मंत्री जी ने जैसा समादर किया है, यह अनप्रिसिडेंटेड है। इसके लिए क्या उनकी वंदना नहीं करेंगे? आपके इलाके में भी तो ऐसे लोग होंगे। प्रकाश राव को कौन जानता था, जो चाय बेचकर बच्चों को पढ़ाता था। उनको नरेन्द्र मोदी जी ने ढूंढ निकाला। हमें तो कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ राष्ट्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमने जो कहा वह किया। लोगों ने बहुत कहा, यह एंटी-मुस्लिम है, लोगों ने बहुत दोहराया कि फलां यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, लेकिन मैनडेट जिस ढंग से आया, उससे पता चलता है कि समाज ने समरसता के लिए वोट दिया, एकात्मता के लिए वोट दिया, पार्टिज़न पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए वोट नहीं दिया। समाज के हर वर्ग ने प्रधान मंत्री जी को वोट दिया और आशीर्वाद भी दिया। तो, इस बार हमारा नारा बन गया 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'। प्रधान मंत्री जी ने सबका विश्वास जीत लिया। इसलिए हमें गर्व है।

समाज के हर वर्ग ने प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद दिया। आँकड़े बताते हैं कि यह क्या है। [अनुवाद] महोदय, आरक्षित सीटों के विश्लेषण से पता चलता है कि पार्टी ने वर्ष 2019 में 131 सीटों में से 77 सीटें जीती हैं जबकि वर्ष 2014 में 67 सीटें जीती थीं। कुल 84 अ.जा. सीटों में से, भा.ज.पा. ने वर्ष 2019 में 46 जबकि वर्ष 2014 में 40 सीटें जीतीं। कुल 47 अ.ज.जा. सीटों में से, बीजेपी ने वर्ष 2019 में 31 जबकि वर्ष 2014 में 27 सीटें जीतीं। वर्ष 2019 में, 78 महिला सदस्यों ने वर्ष 2014 में 68 महिलाओं की तुलना में जीत हासिल की। इसलिए, *दलित* विरोधी, अ.ज.जा. विरोधी, मानव विरोधी नारा कहीं नहीं गया।

[हिन्दी] आज चुनाव का परिणाम आश्चर्यजनक है। एक पूर्व प्रधान मंत्री हार गये। मैं नाम नहीं लेता हूँ। 12 मुख्यमंत्री हार गये। यह किसका परिणाम है। कह रहे थे कि नरेन्द्र मोदी का क्रेज़ नहीं है, कुछ नहीं है। नरेन्द्र मोदी का क्रेज है क्योंकि वह भारत माता के साक्षात् महान सेवक के रूप में प्रतिनिधि हुए, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। इतना विरोध क्यों करते हैं? लोगों ने सामंतों को हराया। चाय बेचने वाले का बेटा दोबारा प्रधान मंत्री हो गया, बर्तन माँजने वाले का बेटा दोबारा प्रधान मंत्री हो गया। इसलिए इतना इंटोलरेंस है, इसलिए इतनी असहिष्णुता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का प्रतिनिधि भी प्रधान

मंत्री बने? सिर्फ जमींदारों, राजाओं, साहेबजादों के ही प्रतिनिधि बनेंगे? आज लोग डायनेस्टिक एंटाइटलमेंट को पसंद नहीं करते हैं। वे अब भी नहीं समझ पाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो समझो।

इंटोलरेंस पर भाषण देने वालों को तो भारत की जनता ने कड़ा उत्तर दे दिया। यह लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी। प्रजातंत्र के द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से, शांतिपूर्वक सच्चाई की विजय हुई। इसको तो मान लेना चाहिए। आप क्यों नहीं मानते हो?

मैं भारत की जनता का अभिनन्दन करता हूँ और कांग्रेस समेत सारे विरोधियों का भी मैं अभिनन्दन करता हूँ, विशेषकर कांग्रेस के सभी मुख्य लोगों का मैं अभिनन्दन करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किये हैं।

सर, भगवान श्री राम जब जंगल में गये और वनवास के उपरांत वापस आए, तो मां कैकई के पास गये और प्रणाम किया। मां कैकई ने पश्चातापपूर्वक कहा - अरे! राम तू मुझे मां कहकर पुकारता है? भगवान श्री राम बोले क्यों मां, मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपके पास आया हूं। कैकई माता कहने लगीं कि मैंने मां शब्द 14 सालों तक सुना नहीं। इस पर राम जी ने कहा कि क्यों भरत आपको मां नहीं कहता? कैकई माता ने कहा नहीं भरत मुझको मां नहीं पुकारता। भगवान श्री राम ने पूछा क्यों भरत, इसका क्या कारण है? कैकई माता ने बताया कि अरे! भरत तो मुझे राक्षसी, वागुनी, नागुनी बोलता है। भगवान श्री राम भरत से बोले ये क्या, माताजी का अपमान? भरत ने कहा देखो भाई राक्षसी, वागुनी, नागुनी बाकी लोगों को खा जाती है, लेकिन अपने बेटे को नहीं खाती है। यह तो पति को भी खा गई और बेटे को भी खा गई। यह सुनने के बाद भगवान श्री राम बोले ऐसी बकवास मत करो, मां से माफी मांगो। भरत ने मां के चरण पकड़ लिये, तो कैकई माता ने आलिंगन कर लिया। यह देखकर भगवान श्री राम बोले देखो भरत, 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया, लेकिन मातृत्व का कैसा वात्सल्य है, देखो उन्होंने तुमको गदगद होकर आलिंगन कर लिया, मां से तुम माफी मांगो। फिर भगवान श्री राम ने कैकई माता से पूछा क्या मुझको माता बोलने का अधिकार नहीं है? कैकई माता बोली नहीं, तुम्हारा अधिकार है राम, किंतु मुझे हक नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री राम बोले क्यों माता? कैकई माता कहने लगीं मैंने तुमको

कितना कष्ट दिया। उन्होंने बोला नहीं माता, तुम तो ईश्वर प्रेरित हो। तुम अगर मुझे प्रताड़ित नहीं करती, वन में नहीं भेजती, तो राम को कौन जान सकता था? राम तो अयोध्या के छोटे से राज्य में राजा होकर मर जाता, लेकिन आज दिगतविस्तारी हिमालय से कुमारिका तक अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से गंगासागर तक और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक राम की जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में फैली है, वह मां तुम्हारी कृपा से हुई है। ... (व्यवधान) आप का हम पर बहुत उपकार है। ... (व्यवधान) इसलिए गोस्वामी तुलसीदास पहले संत और असंत, दुष्ट और साधु को वंदना करते हैं :

बंदउँ संत असज्जन चरना।

दुखप्रद उभय बीच कछु बरना।।

बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं।

मिलत एक दुख दारुन देहीं॥

वे कहते हैं मैं संत और असंत, साधु और शैतान, दोनों की वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों में एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है। ... (व्यवधान) दोनों ही समान हैं। ... (व्यवधान)

सर, अब मैं निवेदन करता हूं कि जनादेश को विनम्रतापूर्वक मानने का सभ्य आचरण सीखना चाहिये। मैं संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं। चाहे डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर हो, राजेन्द्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभभाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आपने नेहरू का नाम नहीं लिया। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी: मैं नेहरू का नाम भी लेता हूं, नो प्रॉब्लम। ... (व्यवधान) वे तो थे, हम भी हैं। आज कई लोग उनकी अवहेलना कर के इंस्टिट्यूशंस को तोड़ने का काम करते हैं। मुझे नेहरू से कोई अनटचेबिलेटी नहीं है। ... (व्यवधान) भारत की आज़ादी के सात दशकों से भी अधिक समय में, 55 वर्षों

तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। फिर भी आरोप हम पर है? पांच वर्षों में वे अस्थिर हो गये, उन्हें यह अपेक्षा करनी चाहिये? इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?

[हिन्दी] सर, इमरजेन्सी में क्या-क्या किया था, इसको तो याद करना चाहिये। ... (व्यवधान) किन-किन को जेल भिजवाया था, किन-किन पर अत्याचार किया था, कैसे भारत के गणतंत्र के साथ तोड़-मरोड़ किया था, संविधान का अपमान किया था, डैमोक्रेसी की हत्या की थी, सत्य का वध किया था, ये भूल गये हैं आप लोग? …([अनुवाद] व्यवधान) आपातकाल में इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? किसने सिख दंगा करवाया था? …(व्यवधान) सिखों की हत्या किसने करवाई थी? …(व्यवधान) रिज़र्व बैंक के गवर्नर को किसने हटाया था? …(व्यवधान) इलैक्शन कमीशन पर किसने सवाल उठाये थे? …(व्यवधान) ईवीएम मशीन को किसने दोषी ठहराया था? …([हिन्दी] व्यवधान) तीन-तीन प्रदेशों में ईवीएम मशीन द्वारा कुर्सी पर आने के बाद जब हारने का मौका आ जाता है, तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। ... (व्यवधान) यह कैसा न्याय है? …(व्यवधान) इस ईवीएम के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करो, इसी ने तुमको तीन प्रदेशों में कुर्सी पर बैठाया। ... (व्यवधान)

सर, इस मैनडेट को छीनने, हड़पने का किसी को अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान) जनता ने मैनडेट दिया और डिबेट्स एंड डिस्कशन करने का अधिकार दिया, लेकिन तोड़-मरोड़ करने का अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान) सर, क्या जनता का इतना अपमान करने का अधिकार किसी को है? इस देश में संतों का, बाबा रामदेव, भारतीय परंपरा, कृष्टि का अपमान करने का फल तो मिलता है। ... (व्यवधान) आप अपोज़ीशन लीडर भी नहीं बन पाये? …(व्यवधान)15-20 दल मिलकर अपोज़ीशन भी नहीं बन पाये? …(व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं, आप थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पैक्ट करो। ... (व्यवधान) सर, हमारी स्मृति दीदी ने क्या किया? …(व्यवधान) केरल में राहत मिली, भागते-भागते केरल में राहत मिली। ... (व्यवधान) अब तो आप सोचो, नम्रता दिखाओ। ... (व्यवधान) आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेनी चाहिये। ... (व्यवधान) जनता के रोष ने आपको इतनी दूर भेज दिया। ... (व्यवधान) हो सकता है, जनता अगली बार आपको शांत होकर विरोधी दल की मान्यता दे सकती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, बैठ जाइए। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : हो सकता है कि जनता के रोष ने आपको इतनी दूर तक भेज दिया। ...(व्यवधान) हो सकता है कि जनता अगली बार आपको शांत होकर विरोधी दल की मान्यता दे सकती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल माननीय सदस्य की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान) [16*]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। सदन में आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद] ... (व्यवधान)

श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी : सर, हमारी सरकार की कार्यशैली देखिए, यह गरीबों के लिए समर्पित है। यू.पी.ए. रूल में सपना था, गरीबों के लिए। आज देश में 98 परसेंट टॉयलेट बने हैं। इलैक्ट्रिक्सिटी 100 परसेंट विलेजेज को गयी है। पांच करोड़ घरों में मुफ्त बिजली का कनेक्शन हो गया है। जन-धन योजना में एक-डेढ़ साल में 34 करोड़ के अकाउण्ट्स ओपन हो गए हैं। प्रधान मंत्री राजीव गांधी थे। वह बोलते थे कि 15 परसेंट पैसा ही जनता के पास पहुंचता है, बाकी 85 परसेंट बिचौलिए के पास चला जाता है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम नरेन्द्र मोदी जी ने चालू की। इसको बंद करने का श्रेय नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। आज लोगों को पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना इत्यादि सैकड़ों योजनाओं के द्वारा आज गरीब

[16*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोग डायरेक्ट बेनिफिट पाते हैं। इनके लिए क्सर आपको आनंद नहीं आता है? बिचौलियों की छुट्टी करो। मुद्रा योजना में पचास करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है। पचास करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत द्वारा मुफ्त इलाज किया जाता है।

सर, मुझे दुख है कि इन पचास करोड़ गरीब लोगों को क्यों पैसा मिलेगा, यह ओड़िसा को नहीं मिलेगा, बंगाल को नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों उनको नहीं मिलता है?

[अनुवाद]

[17]*....*लेकिन स्वर्णिम बंगाल के हमारे भाई-बहन केंद्रीय योजनाओं से वंचित हैं। नरेन्द्र मोदी जी पैसा देते हैं। सर, इस विषय में विचार करना चाहिए। *बंगाल स्वामी विवेकानन्द की भूमि है, खुदीराम बोस की भूमि है, श्री अरबिंदो की भूमि है, रवीन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है। वहां आम लोगों को उनके लिए बनाए गए कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल रहा है। पोषण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। क्या आपको दुःख नहीं हुआ?* ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] सर, 1.5 करोड़ घरों का निर्माण हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। वर्ष 2022 तक सब लोगों को घर, सब लोगों को बिजली, सब लोगों को जमीन, इतने बड़े सपने को साकार करने के लिए क्या हम हाथ नहीं मिलाएंगे? किसानों को सालाना 6 हजार रुपए का मानदण्ड तय किया गया। क्या 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण उनकी उत्पादन लागत के 1.5 गुना करने का ऐतिहासिक निर्णय एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? चार दशक से लम्बी डिमाण्ड को पूर्ण किया। ईमानदारी से गरीब लोगों को, जो रिज़र्व कैटेगरी के न हों, उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता था, इसकी बहुत डिमाण्ड थी। नरेन्द्र मोदी ने हिम्मत दिखाई। आरक्षण संबंधी विद्यमान प्रावधानों में बिना कोई फेरबदल किए, उन्होंने दस प्रतिशत की वृद्धि की। उन्होंने एनाउंस किया। इसके लिए उनको अभिनन्दन नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह वीकर सैक्शन के लिए किया। वर्ष 2014 में, केवल 59 ग्राम पंचायतों में डिजिटल कनेक्टिविटी थी। आज, 1,16,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है और लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई

---

[17]*....* मूलत: बंग्ला में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद

हॉटस्पॉट उपलब्ध कराए गए हैं। सर, रेल का ट्रैक नवीनीकरण 1.5 गुना बढ़ा है। सौर ऊर्जा 2.6 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। विमानपत्तन की संख्या 65 से बढ़कर 101 हो गई है। इसके लिए तो नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहिए।

[हिन्दी] सर, यहां तक कि मां गंगा की स्वच्छता, सालों-साल, सैकड़ों साल तक गंगा के प्रति अवहेलना हुई। गंगा माता भारत की जीवन रेखा है, उनको अपमानित किया जाता है। यह नष्ट हो जाती, लेकिन इसको बचाया किसने? भागीरथ की तपस्या की धारा से स्वर्ग से निकली गंगा हिमाद्री होकर आज भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करते हुए सागर तक बहती है। कहीं कल-कल, छल-छल निनाद में, कहीं भीमकांत गर्जन में, सारे राष्ट्र को समृद्ध करती आई है, लेकिन उसको हमने नष्ट कर दिया। सर, भागीरथ गंगा को लाया था, लेकिन गंगा को पुर्नजीवन प्रदान नरेन्द्र मोदी जी ने नामामि गंगे प्रोजेक्ट में किया।

अपराह्न 1.00 बजे

देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे, त्रिभुवनतारिणि तरलतरंगे,

शंकरमौलिविहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पदकमले।

[हिन्दी] सर, यह श्लोक भगवतपाद्य आदि शंकराचार्य जी ने बोला था। लेकिन गंगा नदी का पुनरुद्धार करने का श्रेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाएगा। क्या आप इसमें आनन्दित नहीं होते हैं? महोदय, ईर्ष्या एक दोधारी ब्लेड है। यदि यह आपके दुश्मन को चोट नहीं पहुंचा सकता, तो यह वापस आएगा और आपको चोट पहुंचाएगा। हमने ऐसा कार्य किया है कि आज हम 50 प्रतिशत वोट वाली पार्टी बन गए हैं। कई लोग महागठबंधन की बात करते हैं। महा भी नहीं, गठबंधन भी नहीं। तेल ओर पानी की मिलावट जैसा बेकार हो जाता है। तेल, तेल नहीं रहता, पानी, पानी नहीं रहता। किस नीति पर गठबंधन? सिर्फ मोदी जी के विरोध पर। कोई सैद्धान्तिक गठबंधन नहीं है। जो कल खड्ग लेकर परस्पर एक-दूसरे के खिलाफ बोलते थे, लड़ाई करते थे, आज एक होकर आ गए गठबंधन में, लेकिन यह प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि मिलावटी चीज़ प्रभावी नहीं होती है। जो चीज़ शुद्ध है, सुभाषित है, अच्छे स्वाद की है, वही बिकती है, और नरेन्द्र

मोदी जी ने देश के लोगों के समक्ष यह प्रस्तुत कर दिया है। सर, यह देश, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, दिनेश गुप्ता, महात्मा गाँधी, भगवान बुद्ध का देश है। सर इस देश को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सर, एक बार जब देश में खाद्य संकट था, पाकिस्तान से युद्ध होने वाला था, अमेरिका ने धमकी दी थी, तब लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जी ने उस समय पुरुषार्थ प्रकट करते हुए उस समय विपरीत परिस्थिति में देशवासियों से निवेदन किया कि एक वक्त का उपवास रखें। पूरे देश से लाखों लोग उपवास करते आए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी गरीबों को गैस देने के लिए सारे देशवासियों को पुकारा। गरीबों को गैस देने के लिए, स्मोक चूल्हा से मुक्त करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने देशवासियों से गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा। देश में करोड़ों लोगों ने इसका रिस्पाँस किया। सर, ये क्यों हुआ? क्या इतनी हिम्मत कभी किसी ने जुटाई थी? इस अपील का परिणाम क्यों सार्थक हुआ? क्योंकि वह साक्षात मूर्तिमान त्याग का आदर्श हैं। यह इसीलिए संभव हुआ है। भाषण से नहीं, व्यक्तित्व से प्रभाव आता है। [अनुवाद] महोदय, एक औसत राजनीतिज्ञ एक चुनाव के संदर्भ में देखता है। एक राजनेता एक पीढ़ी के संदर्भ में देखता है और एक राष्ट्र-निर्माता सहस्राब्दी के संदर्भ में देखता है और श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र-निर्माता बनने की इस दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। सर, नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान का प्रत्युत्तर जनता ने दिया है। महोदय, हमारी विकास गाथा तभी सफल हो सकती है जब हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। हम जानते हैं कि हिंसा और आतंक हमारे देश को लगातार खतरे में डाल रहे हैं और अस्थिर कर रहे हैं। हमारा अशांत पड़ोसी ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इन आतंक पैदा करने वाली ताकतों के समर्थन में बात की है। हमें इन तत्त्वों से मजबूती से निपटना होगा। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार ने आतंकवाद से सीधे निपटने एवं इसे जड़ से खत्म करने का सुदृढ़ संकल्प लिया है।

महोदय, पुलवामा हमले का जवाब देने हेतु हवाई हमला करना हमारी सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है, आतंकवादियों के कृत्यों से डरने की नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लेने और शुरुआत में ही इससे निपटने की। जिस तेजी से हम पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय विंग कमांडर की रिहाई

सुनिश्चित कर सके, वह हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत था। क्या आपने कभी अपने शासनकाल में ऐसी घटना का सपना देखा था? [हिन्दी] सर, मैं अभिनन्दन की बात बताता हूँ। जब अभिनन्दन पाकिस्तान की मिट्टी में मार खा रहा था, फिर भी भारत माता की जय कह रहा था, आप लोग क्या सोचते थे, क्या मैं नहीं जानता हूँ? लेकिन प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तानी प्रधान मंत्री से अभिनन्दन को तुरन्त छोड़ने को कहा। उन्होंने चर्चा करने के लिए कहा, किन्तु हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोई चर्चा नहीं होगी। अभिनन्दन को तुरन्त छोड़ें, अन्यथा पाकिस्तान के चिह्न को विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तुरन्त अभिनन्दन को छोड़ दिया। सर, क्या यह भारत की विजय नहीं है? प्रधान मंत्री जी का क्रेडिट नहीं है? सर, तीन-तीन बार म्याँमार और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके प्रधान मंत्री जी ने जो दंभ दिखाया, पुरुषार्थ दिखाया, वह सिर्फ आप लोगों को छोड़कर प्रत्येक भारतीय को गर्वित करता है। सर, क्यों दुखी होते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में भारत के पराक्रम, ताकत, क्षमता एवं इसके वैभव में कई गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं- आपको क्या दुख है? भारत की विजय में विजय में आप दुखी होते हैं क्या? कुछ लोग प्रमाण माँगते हैं। क्या पिता जी को पिता जी बोलने में माता जी से डी०एन०ए० टेस्ट रिपोर्ट माँगते हैं? सर, मैं पूछना चाहता हूँ, कि हमारे जवानों के पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर, वीरता पर, बलिदान पर हम शंका प्रकट करते हैं। यह कैसा देश प्रेम है?

मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं और संपूर्ण विश्व को आश्चर्य होता है कि भारत के ऐसे दिग्गज नेता अपने जवानों के पुरुषार्थ पर सवाल उठाते हैं। रातों-रात, दिन-दिन, अनिद्रा रहकर, सीमांत में, वर्षा में, शीत-बर्फ में खड़ा रहकर अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले इन वीर जवानों के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। मैं एक जवान को जानता हूं जो घर आया था, शादी हो गई, दो महीने की छुट्टी में आया था, लेकिन तत्काल उसको नोटिस आया, कल शादी हुई थी, पति-पत्नी का मिलन नहीं हुआ, तुरंत नोटिस आया कि सीमा पर आ जाइए। जवान के पास उसकी पत्नी आकर बोली की प्रिये आप कैसे जाएंगे? उसने बोला कि आप मेरी प्रिये हो, लेकिन भारत माता मेरी प्रियतमा है, मैं जाता हूं और विजय प्राप्त करके तुरंत

वापस आऊंगा। वह वापस नहीं आया, उसका निधन हो गया, देशमात्र के चरणों में उसका जीवन समर्पित हो गया, इसलिए वह घर नहीं आ पाया और हमारी वह छोटी-सी बहन विधवा हो गई।

महोदय, क्या इन लोगों के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस पर भी सवाल उठाएंगे? क्या यह देश को गर्वित करता है? क्या यह टुकड़ों-टुकड़ों ज्ञान का धर्म है क्या भारत के टुकड़े-टुकड़े करने तक हमारी जंग जारी रहेगी? पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद। हमें शर्मिन्दा है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, क्या ये कहने वालों लोगों को इस देश में रहने का अधिकार है? इनको सपोर्ट करने वाले लोग... (व्यवधान) इनको कौन सपोर्ट करता है। जिनको हमारे प्रिय भारत की पावन भूमि से प्यार नहीं है, जिनको भारत की आज़ादी और अखंडता स्वीकार नहीं है, जिनको भारत का वंदे मातरम् स्वीकार नहीं है, क्या उनको भारत में रहने का अधिकार है?... (व्यवधान)

महोदय, देश के करदाताओं के अर्थ का श्राद्ध करते हुए विदेश में रहने वाले हमारे एक नेता एक बार कहते थे कि हमारा न कोई राष्ट्र है, न हमारी कोई संस्कृति है, न हमारा कोई देश है, हमारा महादेश है। हमारा राष्ट्रसंघ है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रसंघ है, वैसी कल्पना करते थे। हमारी मिली-जुली संस्कृति है। भारत की परंपरा के बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। वह प्रधान मंत्री बने थे, लेकिन भारत की परंपरा के बारे में नहीं पता था। उनको भी कई इंटेलिजेन्स ने सपोर्ट किया है, कई राजनेताओं ने सपोर्ट किया है। मैं साफ-साफ कहता हूं कि हमारा एक देश है।

हिमालयं समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम्।

तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्थानं प्रचक्षते॥

उत्तरं यत समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं।

वर्ष तद भारतं, नाम भारती यत्र संतति॥

महोदय, इस भूमि में जन्म लेने के लिए देवताओं ने भी तपस्या की है। यह पावन भूमि जिसके बारे में वेद कहते हैं कि - माता भूमिः पुत्रोहं पृथिव्या।

महोदय, भगवान श्रीराम चन्द्र जी ने लंका के स्वर्णिम सिंघासन को छोड़कर लक्ष्मण और विभीषण को बताया कि मुझे यह स्वर्णिम सिंघासन नहीं चाहिए। उन्होंने यह निवेदन किया था कि यहां शासन करिए। लंका को छोड़कर बताया कि -

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते,

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥

महोदय, आदिशंकराचार्य ने इस भूमि का वंदन करते हुए कहा -

प्रातः स्मरामि शुभदां वरदां वरेण्यं,

सिंधुर्मि धौदचरणं सुधियांशरणं।

[अनुवाद] महोदय, स्वामी विवेकानन्द जी ने बोला था कि आगामी 50 साल तक बाकी सभी देवताओं को, भारत माता हमारी जीती-जागती राष्ट्र देवता है। भारत माता पशुबलि नहीं चाहती है, नर बलि चाहती है। सहस्त्र युवक बलि दे दो और उनके आह्वान पर लाखों नवयुवक-युवतियों ने आकर फांसी के फंदे को चूमा। वंदे मातरम् के पंचात्श्री मंत्रोच्चारण से भारत गगन को प्रकंभित करते हुए फांसी के फंदे को चुंबन किया और ब्रिटिश वाहिंनी के साथ लड़कर अपने को खंडित कर दिया। चन्द्र शेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रीतिलता देवी, सुन्नलता देवी, अशफ़ाक उल्ला खां, बाघा जतिन, सबने समर्पित कर दिया।... (व्यवधान) आपके इस कमेंट पर मुझे दया आती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांत रहिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, बीजेपी में बहुत सारे थे। आपको मालूम नहीं है, इतिहास पढ़िए।... (व्यवधान) तब बीजेपी अस्तित्व में नहीं आयी थी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, देश के क्रांतिकारियों की महिमा बखान करते समय... (व्यवधान) वास्तव में दयाजनक है, लज्जाजनक है। मुझे दया आती है। ये क्या बोलते हैं, नहीं जानते हैं। देश के क्रांतिकारियों का महिमा बखान सुनकर भी असहिष्णु हो जाते हैं।... (व्यवधान) तब तो क्रांतिकारी थे, लेकिन आज बंगाल की भूमि में संतरासवादी निकले, जो गणतंत्र की हत्या करने वाले हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, स्वामीरामतीर्थ ने बोला है कि मैं हूं भारत माता, मैं जब सोता हूं, माता सो जाती है, जब मैं चलता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांत रहिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, मेरे जागृत होने से माता जागृत हो जाती है। हिमालय मेरा मुकुट है और कन्याकुमारी मेरी चरणदेय, सौराष्ट्र गंगासागर मेरा प्रसारित भूजोद्यो है।... (व्यवधान)

[हिन्दी] श्री अरविन्द बोले कि भारत माता न केवल वृत्तिका का विस्तार है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : भारत माता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माहेश्वरी स्वरूपिणी, श्रीमयी जगद्जननी भारत माता, उनकी चरणवन्दना करो, न केवल चक्षुका लोतक से, बल्कि हृदय की शोणित से भारत माता की पगवन्दना करो।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप बैठक जाइए।

[अनुवाद] माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : वन्दे मातरम कविता में बंकिम चन्द्र गाते हैं,

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी,

नमामि त्वाम्, नमामि कमलां, अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्, वंदे मातरम्।।

रवीन्द्र ठाकुर बोलते हैं एई भारतेर महामानवेर सागरतीरे, यही भारत माता की वन्दना जब करोड़ों देशवासी बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम्, भारत माता का हृदय कैसे गदगद हो उठता है, इसकी कल्पना करनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी बदली है। कांग्रेस भाइयों को मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ। आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश जाने में कितना पैसा फ्लाइट में खर्च किया?... (व्यवधान)

[हिन्दी] सर, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ।... (व्यवधान) यूपीए के प्रधान मंत्री क्या साइकिल से जाते थे? …(व्यवधान) मनमोहन सिंह जी क्या साइकिल से जाते थे?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी] **श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :** यूपीए रूल में पाकिस्तान हमें धमकी देता था। हमें बांग्लादेश धमकी देता था।... (व्यवधान) हमें म्यांमार, श्रीलंका, चाइना धमकी देते थे।... (व्यवधान) आज स्थिति कैसी बदल गई है? …(व्यवधान) आज सम्पूर्ण विश्व हमें समर्थन करता है।... (व्यवधान) एक घर क्या हो गया है, वे असहाय हो गए हैं।... (व्यवधान) पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी शान्ति की कथा वार्ता करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने पराक्रम से इसको साबित कर दिया है और भारत माता का पराक्रम जागा है।

सर, मैं जानता हूँ। मैं बंगाल में चुनाव प्रचार में गया था। मैं वहाँ एक संत से मिला। उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला प्रताप षडङ्गी। उन्होंने मुझे आलिंगन किया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ तीन सभाओं में भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम रात को दो घंटे मठों के सारे संत बैठकर जाप करते हैं कि भारत माता की रक्षा करो, नरेन्द्र मोदी को दोबारा प्रधान मंत्री बनाओ। देश का कैसा विश्वास है, आप इसे समझिए।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कैसा सम्मान हुआ। क्या आपको गर्व नहीं होता है? मैंने कल पार्लियामेंट से एक रिकॉर्ड निकाला। कल मैंने लिखकर दिया कि प्रधान मंत्री जी को कितने अवॉर्ड मिले। देखिए, कभी आप कल्पना कर सकते थे? क्या इनसे भारत का गौरव बढ़ा नहीं? प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान - 'किंग अब्दुलअज़ीज़ सैश' से किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे पीएम को मिला नहीं, भारत माता को मिला। पीएम उनके घर नहीं जाएंगे। भारत माता का क्रेडिट बढ़ा है। रूस ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से सम्मानित किया, जो रूसी संघ का सर्वोच्च सम्मान है। यू.ए.ई. ने श्री नरेन्द्र मोदी को ज़ायद मेडल से सम्मानित किया। यह प्रधान मंत्री को मिला, हमारे देश को मिला। यह भारत माता का सम्मान है।

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : इस पर तो गर्व कीजिए। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को पहले फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद, उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री प्रताप चंद्र सारंगी : प्रधानमंत्री को नौ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सारे विश्व ने भारत माता को सम्मानित किया। [अनुवाद] प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक

सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।हमारे प्रधान मंत्री को प्रमुख नौ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित यू.एन. चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड 2018 से भी सम्मानित किया गया। क्या यह भारत के लिए गौरव की बात नहीं है? आप चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, क्या आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा है? [हिन्दी] आपको गर्व नहीं होता है? आप गर्व महसूस नहीं करते हो?

सर, प्रधान मंत्री ने पाँच साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रतिवेदन किया था कि विश्व योग दिवस के रूप में जून, 21 को मनाया जाए। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। कोई कम्युनल सवाल नहीं उठा। सारे विश्व पटल पर आनन्दमय और सहर्ष सभी ने स्वीकार किया। लगभग 190 देशों ने इसे मान लिया। सिर्फ माना ही नहीं, वे इसका पालन भी करते हैं। इसमें लगभग 50 मुस्लिम देश भी शामिल हैं।

सर, आज सारे विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में योग एक पाठ्यक्रम के रूप में आ गया है। भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व को सम्पूर्ण विश्व ने स्वीकार कर लिया, जिसे विवेकानन्द ने प्रोफेस किया था। एक नरेन्द्र ने उसे प्रोफेस किया था और एक नरेन्द्र के समय में यह फलवती हुआ। इसका गर्व आपको नहीं होता है?... (व्यवधान) क्या हम इतने खिन्न हो गए हैं कि हमारे देश के गर्व में भी हम शामिल नहीं हो पाएंगे? कितना पीड़ादायक जीवन हो गया है? …([अनुवाद] व्यवधान)

[हिन्दी] हम इकट्ठे होकर देश के गर्व को मनाएं।... (व्यवधान)

सर, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए, जिसके कारण सबका मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : भारत बाकी देशों की भी मदद कर सके और नवीकरणीय ऊर्जा में एक वरिष्ठ सदस्य बन सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया। [अनुवाद] देशों ने आई.एस.एफ. फ्रेमवर्क

समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीति का प्रदर्शन किया है और समूचा विश्व भारत के नेतृत्व के प्रति आशावान है। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी] आज लाखों-करोड़ों भारतीय मूल के नागरिक, जो विश्व में कहीं भी काम करते हों, पर अगर वे विश्व में कहीं भी पासपोर्ट दिखाते हैं तो उन्हें बड़ी इज्जत मिलती है।... (व्यवधान)

सर, भारतीय मूल के लोग, आज विश्व में कहीं भी हों, वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। मोदी जी की सरकार ने, जब भी किसी भारतीय के ऊपर किसी भी तरह की आँच आई, तो उनको संरक्षण दिया और उनकी चिंता की। 'ऑपरेशन राहत' के तहत यमन में 6,710 लोगों को निकाला गया। इसमें 4,748 भारतीय और 1,962 विदेशी नागरिक शामिल थे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी अभिव्यक्ति होगी अपनी बात कहने की।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कुवैत में जो हुआ था, उस समय आपने क्या किया? आपने बोल दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या कुवैत से उद्धार करना आपका दायित्व नहीं था?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब कुछ नियम-प्रक्रिया के तहत चल रहा है। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सर, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं।

सर, उनके मंत्रियों, अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि कुवैत की उनकी मुसीबत हमारी नहीं है। यह हो सकता है कि उन लोगों ने हमारी नागरिकता छोड़ दी हो। वे भारत में नहीं, बल्कि कुवैत में काम कर रहे थे। लेकिन, वे हमारे भारत के भाई-बहन थे और उनका मूल हम सबके बीच ही था।... (व्यवधान)

सर, हमारे पांच साल के शासन में जब किसी देश के किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी आँच आई तो हमारी सरकार ने 24 घंटे एक करके उनकी मदद की, उसमें पीछे नहीं हटी।... (व्यवधान)

[अनुवाद] हमारी सरकार एक ऐसे युग के प्रादुर्भाव के लिए प्रयासरत है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के संबंध सद्भाव एवं सहयोग पर आधारित हों। सहकारी संघवाद के सरकार के विचार के अनुरूप, चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच धन के हस्तांतरण की एक अनोखी योजना पेश की है। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि केंद्र और राज्य, राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में सहभागी हैं। अपने राष्ट्र की प्रगति की गाथा में हम प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि समान हितधारक हैं। हालाँकि, अभी भी कुछ राजनीतिक नेता हैं जो मानते हैं कि आम नागरिक के दैनिक जीवन को भारी नुकसान होने की कीमत पर भी वैचारिक मतभेद असहयोग के लिए पर्याप्त आधार हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में हमारे भाई-बहन अपने नेताओं की राजनीतिक जिद के कारण क्यों पीड़ित हों और वे आयुष्मान भारत और अन्य केंद्रीय कार्यक्रमों को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम सबका ख्याल रखते हैं। हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए 24x7 कार्य करेंगे। हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना और भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी] सर, आपको बहुत हैरानी होगी। वहां तो 'राम' का नाम निषिद्ध हो गया, 'भारत माता की जय' निषिद्ध हो गया।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़।

… <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद] [18*]**श्री प्रताप चंद्र सारंगी :** हमने कौन सा अपराध किया है? बंगाल में राम के नाम पर नारे लगाने पर प्रतिबंध क्यों है? इतनी असहिष्णुता क्यों? आपने *'भारत माता की जय'* के नारे पर प्रतिबंध क्यों लगाया?आप हर दिन लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? … (*व्यवधान*) दादा, आप कृपया बैठ जाइए। आपने हिंसा का सहारा लिया है। देखिए, आपने बंगाल के साथ क्या किया है। हजारों राजनीतिक हत्याएँ हो रही हैं। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। आपकी भूमिका हर समय एक नाटक की तरह बदल रही है। कभी आप राणा प्रताप होते हैं, कभी आप शिवाजी होते हैं। कभी आप समर्थन कर रहे होते हैं, तो

[18*] मूलतः बांग्ला में दिए गए भाषण के इस भाग का अंग्रेज़ी अनुवाद।

कभी आप विरोध कर रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपना रुख स्थिर करें। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ।

[हिन्दी] **श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** राम का नाम बदनाम न करो।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी की बात के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... [19*]व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सर, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं।... (व्यवधान) सर, कभी उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी वोट के लिए उनका सपोर्ट करते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन की तरफ देख कर बोलें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] [20**]**श्री प्रताप चंद्र सारंगी :** आप लोग निष्पक्ष होने का दावा करते हैं। तो, कहानी इस प्रकार है। ट्रेन में अपराध किया जा रहा है। एक आदमी जेबें काट रहा है। तो, निष्पक्ष व्यक्ति कहता है" 'मैं विरोध नहीं करूंगा। मैं चुप रहूंगा।" लेकिन फिर उसकी ही जेब कट जाती है। उन्होंने कहा: "मैं निष्पक्ष हूं। मैंने तुम्हें दूसरों की जेबें काटने की अनुमति दे दी। तुम जेब क्यों काट रहे हैं?" लेकिन वह अपराध को नहीं रोक सका। उसके बाद, वह फिर से चुपचाप यात्रा करने लगा। एक बार फिर, कोई उसकी आँखें निकालने आया। वह चिल्लाया। "तुम मेरी आँखें क्यों निकाल रहे हो? मैं सचिवालय में काम करता हूं, मुझे अपनी आंखों की जरूरत है। लेकिन उस आदमी ने कहा, "मुझे तुम्हारी आंखों की जरूरत है। ठीक है, मैं विकलांग कोटे के अंतर्गत काम करूंगा, ठीक है" – उसने सोचा।

19* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

20** मूलतः बांग्ला में दिए गये भाषण के इस भाग का अंग्रेज़ी अनुवाद।

इसके बाद, एक आदमी यह कहकर अपना वृक्क निकलवाने आया कि इसका मूल्य ज्यादा मिलेगा। तो, परिणाम यह है कि जो लोग अन्याय पर आपत्ति नहीं करते, गलत कार्यों का विरोध नहीं करते, उन्हें एक

दिन कष्ट सहना ही पड़ता है। निष्पक्षता किसी को भी नहीं बचाएगी।*

[हिन्दी] ऐसी नेतृत्व वाली सरकार हमने दी। अब हम पांच साल और परिश्रम करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक साफ, ईमानदार, निर्णायक, निडर, गरीबों को समर्पित, संवेदनशील, सुदृढ़, सक्षम, विकासशील और कर्मठ सरकार देंगे। आप इसमें सहायता कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी, आपको भली-भांति मालूम है। ... (व्यवधान)

मैं फिर से आपको कहता हूं, यह वैदिक ऋषियों से लेकर ऋषि दयानन्द तक, भगवान बुद्ध से लेकर नागसेन तक, श्री चैतन्य देव से लेकर चन्द्रधर तक, महाराणा प्रताप से लेकर प्रताप आदित्य तक, छत्रपति शिवाजी से लेकर छत्रसाल तक, समर्थ स्वामी रामदास से लेकर रामकृष्ण विवेकानंद तक, श्री अश्वघोष अश्वपति से लेकर श्री अरविंद तक हमारा समस्त ऋषि, मुनि, दार्शनिक, योद्धा, राष्ट्रनायक, तत्ववेत्ता सबने भारत माता की वंदना की है और इस भारत की कण-कण भूमि यज्ञ भूमि है।

हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भाव एक है। रचना अलग हो सकती है, लेकिन भाषा एक है। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक है। साधन भिन्न हो सकता है, लेकिन साध्य एक है। हमारी रीति भिन्न हो सकती है, लेकिन संस्कृति एक है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की जय-जयकार होने वाली है। जो इनका विरोध करेगा, वह हिमालय से अपना माथा ठोकेगा ... (व्यवधान) जैसा एक सदस्य ने कहा, वैसा ही होगा।

मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं। जिस मार्ग पर हम चलेंगे, आपके साथ भी प्यार रखेंगे, लेकिन जो भारत माता का विरोध करेगा, अगर कोई दुष्ट ग्रह, शनि ग्रह हमारे मार्ग में आ जाएगा, तो हम उसके सभी प्रयत्नों को नष्ट-निर्मूल कर देंगे। वह बर्बाद हो जाएगा और भारत माता की जय-जयकार होगा।

सर, मैं फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करता हूं। देश की मंगल की कामना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास के साथ और जनता के सहयोग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने मित्रों को विन्रमापूर्वक कहता हूं कि इस देश की धरोहर को समझो, हमारे गौरवपूर्ण सांस्कृतिक उत्तराधिकारी को समझो। हम सब कम्यूनिस्ट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेडी हो, टीएमसी हो या कोई भी पार्टी हो, हम सभी भारत माता की संतान हैं। हिन्दू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम सभी भारत माता की संतान हैं और आज भारत माता हमारी प्रतीक्षा करती है। हमने एक गलती की थी, इसलिए देश का विभाजन हुआ। फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। इस बार जनता देश को बर्बाद करने के लिए कभी अनुमति नहीं देगी, कभी हमें बर्दाश्त नहीं करेगी और टुकड़ों-टुकड़ों को तो देशवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरा देश श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ है। भारत माता तथा भगवान की करुणा है। आइए हम सभी हाथ मिलाकर देश को आगे बढ़ाएं।

[अनुवाद]

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से - माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने और सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए माननीय राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

अपराह्न 1.24 घंटे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए)*

भारत एक युवा देश है और देश की दो-तिहाई जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। 31 वर्ष के युवा को यह अवसर देकर आपने यह दर्शाया है कि लोकतंत्र का यह मंदिर सभी के लिए खुला है और यह सभी का प्रतिनिधित्व करता है। मैं एक जनजातीय परिवार से हूँ। मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैं अपने जनजातीय समुदाय की ओर से बोल रही हूं। अपने समुदाय की एक युवा एवण आकांक्षापूर्ण सदस्य होने के नाते आप्ने स्माज़ की आकांक्षाओं और सरोकारों का यहाँ प्रतिनिधित्व करती हूं और राष्ट्र की *विकास यात्रा* में शामिल हूं।

मैं अपने लोगों की सेवा करने का अवसर देने और इस बहस में भाग लेने के लिए मुझ पर विश्वास जताने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी *जी* को धन्यवाद देती हूं। प्रधानमंत्री मोदी *जी* का चुनाव जाना इसी आकांक्षा की अभिव्यक्ति था। अधिक बहुमत के साथ वापसी उनके नेतृत्व, उनके कार्य पर उनकी देश के लोगों विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अनुमोदन है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में, 21 मई को, जब प्रधान मंत्री, मोदी *जी* ने पहली बार इस पवित्र भवन में प्रवेश किया, तो उन्होंने इस मंदिर के चरणों में सिर झुकाया और संविधान और देश के लोगों के प्रति अपने विश्वास की पुष्टि की। दुर्भाग्यवश, महोदय, मैं उस अवसर का गवाह नहीं बन सकी क्योंकि मैं उस समय मुंबई में अपनी एम.डी. की परीक्षा लिख रही थी। लेकिन, पांच वर्ष बाद जब मोदी *जी* दोबारा इस भवन में प्रवेश किया तो उन्होंने एक और भाव दिखाया। उन्होनें भारत के संविधान के सामने सिर

झुकाया। सम्मान के प्रतीक के रूप में, महोदय, विशेष रूप से मेरे और मेरे लोगों के लिए जो महाराष्ट्र राज्य से आते हैं, जहां से डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर थे, यह मोदी *जी* में हमारे भरोसे और विश्वास का प्रतिबिंब था।हम जानते हैं कि हम सभी ने सही चुनाव किया है।

सभापति महोदय, पांच वर्ष पहले, मैंने अपनी एम.डी. परीक्षा उत्तीर्ण की थी। डॉ. गावित, एम.बी.बी.एस. डॉ. गावित, एम.डी. बन गए। बड़े पैमाने पर, इस बार, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी परीक्षा विशिष्ट योग्यता के साथ उत्तीर्ण की है और पिछली बार की तुलना में एक बड़े, मजबूत और आश्चर्यजनक जनादेश के साथ विजयी हुए हैं। महोदय, यह चुनाव इस मायने में एक अनोखा चुनाव था कि इसमे महिलाओं की भागीदारी लगभग पुरुषों के बराबर थी। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी *जी* के पक्ष में निर्णायक मतदान किया।इस चुनाव में देश में अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है। इस चुनाव में देश के लगभग 67 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। स्पष्ट रूप से महोदय, युवाओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया और इस युवा राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी *जी* के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व के पक्ष में मतदान किया है।वर्ष 1984 के बाद से भा.ज.पा. एक कार्यकाल पूरा करने वाली और अपने स्वयं के बहुमत से फिर से निर्वाचित होने वाली पहली पार्टी बन गई। महोदय, वर्ष 1984 में, जो लोग हम पर हंसते थे, वे अब विपक्षी बेंच की सेवा कर रहे हैं। उनके कुछ सहकर्मी सदन तक नहीं पहुंच पाए। वे अभी भी बाहर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या गलत हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वास्तव में क्या गलत हुआ।

महोदय, मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं जिसने हमेशा वर्ष 1967 से संसद के सदस्य के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार को चुना है। यह रिकॉर्ड मेरे द्वारा वर्ष 2014 में तोड़ा गया था। मैं उस लोक सभा में सबसे कम उम्र की भा.ज.पा. सांसद के रूप में चुनी गई।

[हिन्दी] सभापति जी, वर्ष 2014 से पहले मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नन्दुरबार में हेल्थ कैंप्स का आयोजन करती थी। हम नि:शुल्क आपरेशंस करवाते थे, सर्जरीज करवाते थे। एक बार हमने कैटरेक्ट सर्जरी का कैंप आयोजित किया। उस कैंप में एक 72 वर्षीय महिला अपनी आंख का आपरेशन करवाने आई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कितने सालों से देख नहीं पातीं, तब उन्होंने बताया कि बचपन से ही

उनकी दृष्टि नहीं है। क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि अपना पूरा जीवन अंधेरे में जीना। मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या उन्हें सचमुच कैटरेक्ट ही हुआ है। मैंने एक वरिष्ठ डाक्टर से पूछा कि क्या इन्हें कैटरैक्ट है? वरिष्ठ डाक्टर ने मुझे बताया कि इस महिला को कुपोषण के कारण कैटरेक्ट हुआ है। जब हमने उस महिला का आपरेशन किया, तब उनकी दृष्टि वापस आई। उस समय मेरे आनन्द की सीमा नहीं थी। उस महिला ने अपना पूरा जीवन अंधेरे में जिया। अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने कभी नहीं देखा। वह केवल उनकी आवाज से उनको पहचानती थी। जब उनकी आंखों की दृष्टि आई और पहली बार उनके पति, बच्चे, पोता-पोती उनके सामने आए, तो उनके चेहरे से वह उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन उनकी आवाज से उनको पहचाना। उनके हाथ में एक छड़ी थी। वह छड़ी उन्होंने फेंक दी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, यह महिला सभी भारतीयों के लिए एक रूपक है। हमने अपने आँखों पर बंधी पट्टी उतार दी है और कांग्रेस की वास्तविकता, उनके झूठे और खोखले वादों को देखा लिया है। महोदय, इस पूरी घटना ने मेरी भी आँखें खोल दीं। मुझे एहसास हुआ कि कैसे कुपोषण आगे बढ़ने की दौड़ में बाधक बनता है, और कैसे उत्पादकता और रोगों से लड़ने की क्षमता का ह्रास करता है। हम अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इस कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जो किया वह यह है कि उन्होंने देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने केवल इसका वादा किया था। हमने इसे पूरा किया। सभी 36 प्रदेशों और संघ राज्यक्षेत्र में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को लागू किया गया है।

[हिन्दी]

नेता वह होता है, जो गरीबों के घर में राशन दे, यह हमारा योगदान है। वर्ष 2014 के पहले मेरे जैसे युवा-युवती बहुत हताश थे, हम पूरी तरह असहाय थे। क्या यह देश हमेशा जुगाडु रहेगा या कभी कोई चीज बदलेगी, क्या काम करने का माध्यम हमेशा रिश्वत ही रहेगा या कभी सबको समान अवसर भी मिलेगा ? देश में जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, उन्हें केवल वोट बैंक की तरह ही देखा जाएगा या कभी

उनका भी आत्मसम्मान इतना उभरेगा कि वे अपनी अपेक्षाएं सरकार को बता सकें और सरकार उस पर काम करे, उस आधार पर वे लोग वोट कर सकें। हम युवाओं ने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमें हिम्मत दी है कि देश एक ईमानदार रास्ते पर चल सकता है। ईमानदारी को सम्मान दिया जाएगा। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी, मैंने कैटरक्ट सर्जरी के बारे में बताया, मेरे संसदीय क्षेत्र में तोरनमाल नामक एक हिल स्टेशन है, जो सतपुड़ा पर्वतों में है, एक दिन एक गरीब आदिवासी लड़की मुझे वहां मिली, मुझे आकर उसने कहा कि दीदी आपके कारण मेरे आंखों की दृष्टि आई है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे गांव आइए, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं तैयार होकर साथ में गाड़ी में गई, जब हम कुछ दूर गए तो एक डेड इंड आ गया, हमारी गाड़ी वहां रुक गई थी, आगे कोई सड़क नहीं थी। वहां एक घाटी थी और घाटी में कई गांव थे, वह दृश्य बहुत सुन्दर था, लेकिन उस सुन्दरता के पीछे वहां का पिछड़ापन दिखाई दे रहा था। उस गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था और न ही अस्पताल था। वहां के लोग घर में रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मीलों दूर जाना है तो वहां बम्बू-एम्बुलेंस नामक एक बांस का स्ट्रेचर बनाया जाता था, उसे दो लोग उठा कर पेशेंट को हॉस्पीटल ले जाते थे। [अनुवाद] वहां की स्थिति दयनीय थी। मोदी सरकार के पिछले पांच वर्षों में वहां *विकास* सुनिश्चित हुआ है। उस क्षेत्र में पहली सड़क का निर्माण *प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना* के अंतर्गत किया गया था; पहला बिजली कनेक्शन, सौर ऊर्जा कनेक्शन, *प्रधान मंत्री सौभाग्य योजना* के अंतर्गत दिया गया था; *स्वच्छ भारत अभियान* के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया गया है; उस क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय स्कूल निर्माणाधीन है और इसके अलावा, उस क्षेत्र को प्रधान मंत्री *जन आरोग्य अभियान* के अंतर्गत एक डॉ. के साथ पहला अस्पताल उप-केंद्र मिला है। अब वहां के लोग खुद को अलग-थलग, असहाय और देश की प्रगति से कटा हुआ महसूस नहीं करते हैं। उनकी भी आशाएं और आकांक्षाएं हैं।

महोदय, मेरा जिला नंदुरवार देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। इसकी सीमा गुजरात से लगती है। वर्ष 2014 से पहले, मैंने मोदीजी द्वारा किए गए अच्छे काम देखे हैं जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वलसाड, बारडोली आदि स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र हैं और हमने देखा है कि उन क्षेत्रों

का विकास कैसे हुआ है। एक युवा के रूप में मैं उस क्षेत्र में मोदीजी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण से वास्तव में प्रभावित हुई और मैंने भा.ज.पा. में शामिल होने का निर्णय लिया। मैं अब भी सम्मानित महसूस करती हूँ कि वह ही थे, जिन्होनें नई दिल्ली में पार्टी में मेरा स्वागत किया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे पिछड़े जिलों के विकास के लिए ने 'आकांक्षापूर्ण जिला' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। मेरा जिला उन 115 जिलों में से एक है जिन्हें विकास के लिए आकांक्षापूर्ण जिलों के रूप में चुना गया है और मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम लगातार अधिकांश मापदंडों में सुधार कर रहे हैं।

यही पूरे देश भर की कहानी है। लोग, जहां भी वे हैं, उन्होंने इस बदलाव को देखा और महसूस किया है और इसलिए उन्होंने मोदीजी को मतदान दिया है। लोग बदलाव के लिए उत्सुक थे, मोदीजी ने वह बदलाव लाया है और लोगों के जीवन में सुधार किया है।

[हिन्दी] माननीय सभापति जी, मैं एक युवराज से पूछना चाहती हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने के बाद भी देश में इतना पिछड़ापन क्यों रहा ? आज जो भी परिवर्तन हम यहां देख रहे हैं, वह केवल मोदी जी के कारण संभव हुआ है।

[अनुवाद] महोदय, आज *प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना* के अंतर्गत 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है; आजादी के बाद पिछले छह दशकों में दिए गए 13 करोड़ गैस कनेक्शन की तुलना में गत पांच वर्षों में 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014 में 38 प्रतिशत स्वच्छता थी जो अब 2019 में यह बढ़कर 99 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2014 से 2018 की अवधि के दौरान *प्रधानमंत्री आवास योजना* के अंतर्गत 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, मैंने *उज्ज्वला* योजना के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से गैस कनेक्शन सौंपे हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख घरों का निर्माण किया गया है और 1.25 लाख घरों को आजादी के बाद पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है। [हिन्दी]

एयरकंडीशन में रहने वाले बड़े लोग शायद यह पीड़ा कभी नहीं समझ सकते कि किसी गरीब के घर में बिजली आना कितनी बड़ी बात होती है। एक विद्यार्थी जिसे केरोसीन के लैम्प में पढ़ना पड़े या स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़े, उसके घर में बिजली आना कितनी बड़ी बात है।

माननीय सभापति जी, मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के जीवन का एक अंश 'चलो जीते हैं' में देखा था। इन सब अभावों का माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद अनुभव किया है, इसलिए उन्होंने यह तय किया कि ऐसी विपरीत परिस्थिति किसी भी बच्चे के जीवन में नहीं आनी चाहिए। हर बच्चे को अधिकार है बिजली का, हर महिला को अधिकार है गैस सिलेंडर का, इन्हीं बातों के कारण लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया और आज हमें 282 से 303 की संख्या देश ने दी है।

हमें दलित विरोधी भी कहा गया। हम पर जो यह आरोप लगाते थे, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के आंकड़े देखें, देश में सारी रिजर्व सीटों पर हम बढ़े हैं, हमारी संख्या वर्ष 2014 से 2019 में निश्चित रूप से ज्यादा आई है। मैं इसी मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी मौका दिया। इस बार बढ़-चढ़कर समाज के हर वर्ग ने माननीय प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। अब तक देश में सरकारें इनकमबन्सी पर बनती थी, अब पहली बार प्रो इनकमबन्सी पर सरकार बनी है। हमें जो वोट मिले हैं, यह पोजीटिव वोट हैं, प्रो-इनकमबन्सी के वोट हैं, पोलिटिक्स आफ परफार्मेंस शुरु हुई है। देश की जनता ने परफार्मेंस को वोट दिया है। इस देश ने ईमानदारी का सम्मान किया है।

माननीय सभापति जी, लोगों ने जाति के जमावड़े को रिजेक्ट किया है और एक बेदाग सरकार पुन: देश को दी है। इस देश को आजादी मिलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी आरोप न लग सके, ऐसी सरकार इस देश को मिली है। इस सबके लिए बड़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है, सारी व्यवस्था पर अनुशासन रखना पड़ता है, कठोर अंकुश लगाना पड़ता है और दिन रात निगरानी करनी पड़ती है।

माननीय सभापति जी, एक युवा विपक्षी नेता ने माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन देश के नौजवानों और देश की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया कि उन्हें अपनी खानदानी सीट छोड़कर भागना पड़ा, मेरी बड़ी बहन ने उन्हें वहां से हराया। वे दोनों भाई-बहन खूब लगे थे लेकिन मेरी बड़ी बहन ने ऐसा पासा पलटा कि उन्हें अपनी सीट छोड़कर देश के दूसरे कोने जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। इस चुनाव ने राजनैतिक पंडितों के अनेक मिथकों को तोड़ा है। बड़े-बड़े मीडिया, बड़े विशेषज्ञ, बड़े पोलिटिकल एनेलिस्ट, बड़े विचारक, जो अपने आपको बहुत माहिर समझते हैं कि वे पोलिटिकल समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, सबने कहा -भा.ज.पा. हारेगी। अलग-अलग थ्योरीज़ को दिखाकर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हो सकती है, लेकिन देश की जनता ने उनके सारे भ्रमों को तोड़ दिया। वे कहते थे कि पीक हो गया है, जब वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में हमारी 27 सीटें आई थीं। अब की बार तो हम 27 नहीं 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीते हैं। मैं विश्वास से कह सकती हूं कि मध्य प्रदेश की जनता 29 की 29 सीटें माननीय प्रधान मंत्री जी की झोली में देगी।

[अनुवाद] महोदय, इस बार फिर हम दिल्ली में 7 में से 7 और उत्तराखंड में 5 में से 5 हैं। हम हरियाणा में पिछली बार सात सीटें जीते थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद सात सीट भी न आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हरियाणा में सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं बल्कि दस की दस सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी भी बीजेपी ने पीक नहीं किया,[अनुवाद] अब हम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में अपनी सफलता पर सवार होंगे और अगली बार दक्षिण में नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे। हमने मुंबई, दिल्ली और पुणे की सभी शहरी सीटें जीतीं। हमने महत्वाकांक्षी बंगलुरु जीता, जहां सबसे युवा भा.ज.पा. सांसद के रूप में मेरी जगह मेरे भाई तेजस्वी सूर्या ने ले ली है।

मैंने अपने जनजातीय निर्वाचन क्षेत्र नन्दुरबार से जीत हासिल की है; हमने लद्दाख से जीत हासिल की है; और हमने अरुणाचल प्रदेश से जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल, उ.प्र., बिहार हर हिस्से के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है।

महोदय, इस सरकार में हर वर्ग को लाभ हुआ है और हर वर्ग ने प्रधानमंत्री मोदीजी के लिए मतदान किया है।

मोदीजी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास का रूप लिया है; और इस बार इस लोक सभा में 78 महिलाएं चुनकर आई हैं जिनमें से 42 महिलाएं भा.ज.पा. की हैं और यह महिलाओं के विकास का साक्षात उदाहरण है।

प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत सात करोड़ महिलाओं को मुफ्त एल.पी.जी. कनेक्शन दिए गए हैं।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरे क्षेत्र में महिलाएं गर्मी के तीन-चार महीने बारिश के मौसम के लिए लकडियां इक्कट्ठा करती थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को कभी मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा और उन्हें धुएं और लकड़ी से भी मुक्ति मिलेगी जो वे उपयोग करते थे। हमने देखा है कि जब लोग प्याज काटते हैं तो आँसू बहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी किसी महिला की आंखों में आंसू देखे हैं जब वह अपने परिवार के लिए खाना बनाने के लिए धुएं में अपनी आंखें जला रही हो? अब, इस प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कारण, महिलाओं की आँखों की रौशनी भी अच्छी होगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं महिलाओं को यह महत्वपूर्ण गैस कनेक्शन योजना देने के लिए देश की सभी महिलाओं की ओर से माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा शौचालय निर्माण का है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सुना है क्योंकि वह रात में किसी खेत या जंगल में गया था और जब वह जंगल में शौच के लिए गया था तो उसे सांप ने काट लिया? हाल ही में, हमने एक हिन्दी फिल्म 'टॉयलेट -- एक प्रेम कथा' देखी, जिसमें हमने आखिरकार देखा कि कैसे एक महिला को शौचालय की कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए, मोदी सरकार की यह प्राथमिकता थी कि महिलाओं की मर्यादा की रक्षा के लिए शौचालयों का निर्माण किया जाए। खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 9.7 करोड़ से अधिक शौचालय निर्मित किए गए हैं और महिलाएं कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

हम जैसे डॉक्टरों के लिए यह सलाह देना बहुत दर्दनाक था कि या तो वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें या अपनी नौकरी छोड़ दें क्योंकि उनका कार्यालय उन्हें लंबे समय तक छुट्टी की अनुमति नहीं देगा। अब सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इससे महिला अपनी और अपने परिवार का बेहतर देखभाल कर सकती है।

12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से 104 चिन्हित जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। अब महिलाओं को खदानों में काम करने के लिए समान रोजगार के अवसर मिलेंगे। तीन तालक विधेयक के माध्यम से मेरी मुस्लिम बहनों को बेसहारा होने से बचाया जा रहा है और सम्मान दिया जा रहा है। मैं आप सभी से इसका समर्थन करने का आग्रह करती हूं।

महोदय, पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 10 राज्यों और सात संघ राज्यक्षेत्र में बढ़ा दिया गया है।

हमारे मेनीफैस्टो में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है, और हम इन सभी वादों को पूरा करेंगे।

युवा शक्ति की ऊर्जा का समुचित इस्तेमाल करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए सात आई.आई.टी., सात आई.आई.एम., 14 ट्रिपल आई.टी., 103 केंद्रीय विद्यालय, और जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। 9,000 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोले जा रहे हैं। 15,000 से अधिक स्टार्ट-अप को मान्यता दी गई है, और लगातार सात मूल्यांकन वर्षों में से तीन के लिए कर राहत दी गई है। 15 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से दो-तिहाई महिलाओं को दिए गए हैं। एक करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'स्किल इंडिया' और व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत तेरह हजार प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। अब, प्रत्येक वर्ष 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत 2,500 नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इतना ही नहीं, अ.जा. और अ.ज.जा. के कल्याण के लिए एक 95,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट दिया गया है। अ.जा. अ.ज.जा. अधिनियम में संशोधन, जो मेरे समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, पूरी हो गई है।

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आय पात्रता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। अ.पि.व. आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के पंचतीर्थ पर भी काम शुरू किया गया है।

[हिन्दी] माननीय सभापति जी, हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमने पिछले कुछ दिनों में यह देखा है कि हमारे पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन मोदी जी की नेतृत्व वाली इस सरकार ने आंतकवाद के कारखाने में घुसकर आतंकवादियों को नष्ट करने का काम किया है। हमारी सेना ने लाइन ऑफ कन्ट्रोल क्रॉस करके आतंकवाद के गढ़ बालाकोट में जाकर उन्हें खत्म करने का काम किया है।

हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, अपोजिशन के हमारे कुछ साथियों ने उसकी सच्चाई पर सवाल उठाए। उनके सवालों के जवाब आज देश की जनता ने इतना बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट देकर दे दिया है।

[अनुवाद] महोदय, आज एक जनजातीय लड़की को इस बहस में भाग लेने का अवसर मिला है। मेरे बड़े भाई सारंगी *जी* ने अभी बात की और इस बहस में भाग लिया जिनका जीवन अपने आप में हर किसी के लिए एक उदाहरण है।

[हिन्दी] माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन और देश की जनता का को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी को एक ऐतिहासिक-अभूतपूर्व बहुमत देकर एक नए भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत और स्वर्णिम भारत के निर्माण में एक ठोस कदम उठाया है। भारत माता की जय। धन्यवाद।

[अनुवाद] **माननीय सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

'कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

[अनुवाद] "कि सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 जून, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

[हिन्दी] माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शायी गई हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जिनके सम्बन्ध में पर्चियां विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी। प्रस्तुत किए गए समझे जाने वाले संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि उस सूची में सदस्य कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

[अनुवाद] **श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** महोदय, सबसे पहले, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण देते समय, मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने 20 जून को केंद्रीय कक्ष में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। वास्तव में, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण का प्रावधान करता है और इस प्रकार के अभिभाषण की उत्पत्ति वर्ष 1921 में होती है जब हम केंद्रीय विधानमंडल के अधीन थे और भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा, यह प्रथा शुरू की गई थी। अब, स्वतंत्रता के बाद, प्रथा और व्यवस्था हमें विरासत में सौंप दी गई है। इसीलिए यह भारत के संसदीय लोकतंत्र की सम्मानित परंपरा है कि हम जनता को इस प्रकार का संप्रभु अभिभाषण दे रहे हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसा इसलिए है कि भारत में राष्ट्रपति की परिकल्पना अंग्रेजी संसद की तरह कार्यपालिका के ऐसे औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख के रूप में की जाती है जहां हाइफन जुडता है और एक राज्य के विधायी हिस्से को कार्यकारी भाग में बांध देता है। इसलिए, एक स्वाभाविक रूप से, हम कह सकते हैं कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उसकी नियत को परिलक्षित करता है।

इसलिए, मेरे लिए इस बहस में भाग लेना एक अच्छा अवसर है। हम सभी यहाँ माननीय मंत्री सारंगी जी और हमारी प्यारी बहन गावित जी के भाषणों को ध्यान से सुन रहे हैं। [हिन्दी] बात ऐसी है कि आप किसी की स्तुति करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रधान मंत्री जी आपके ही नहीं बल्कि हम सभी के प्रधान मंत्री हैं। क्योंकि वह आपकी पार्टी के लीडर हैं, इसलिए स्तुति करनी ही चाहिए, लेकिन स्तुति करते-करते हद के बाहर होना, बेमानी लगता है, यह मैं जरूर कहूंगा। सारंगी जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से, खास कर इनका नाम नरेन्द्र मोदी है, इसलिए नरेन्द्र दत्त को आप नरेन्द्र दामोदरदास मोदी से मिलाएं, यह गलत है। मैं यह जरूर कहूंगा। इसमें बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधान मंत्री जी का सम्मान करता हूं, जरूर सम्मान करता हूं क्योंकि वह देश के प्रधान मंत्री एक बार नहीं बल्कि दो बार बने हैं, इन्हें सम्मान करना ही चाहिए। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी): कम से कम हमारे लोग भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है, इस हद तक तो नहीं गए। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : कहां मां गंगा और कहां [21*]ऐसा फर्क मत करो। हमें कुछ बोलने पर मजबूर मत करो।... (व्यवधान) हम भी सम्मान करते हैं। मैंने शुरुआती तौर पर कहा कि मैं सम्मान करता हूं।... (व्यवधान) साधु और राक्षस में तुलना नहीं करनी चाहिए। यह अवमानना है।... (व्यवधान) आप लोग बोलने के लिए मजबूर करते हैं।... (व्यवधान) हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं।... (व्यवधान) आप लोग बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो का दौरा किया।

माननीय सभापति : आप सभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकॉर्ड देखने के बाद, जो असंसदीय शब्द होगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: रिकॉर्ड देख लिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके नेता खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[21*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : कोई भी आपत्तिजनक शब्द होगा, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने एक धार्मिक रैली, धार्मिक सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कहा था मैं उद्धृत करता हूं:-

> "शुचिता, पवित्रता, बुद्धिमता और ईमानदारी दुनिया के किसी भी गिरजाघर का विशेष अधिकार नहीं है। यदि कोई केवल अपने धर्म के अस्तित्व और दूसरों के विनाश का सपना देखता है, तो मुझे उन पर दया आती है और उन्हें बताना चाहता हूं कि जल्द ही हर धर्म के बैनर पर लिखा जाएगा, मदद करें लड़ाई नहीं, आत्मसात करें विनाश नहीं, शांति और सद्भावना रखें, मतभेद नहीं।"

यह संदेश किसी और ने नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था।

हमारे मोदी जी ने दुनिया को क्या संदेश दिया? …(*व्यवधान*) वर्ष 2015 में शंघाई में भारतीय समुदाय को अपने अभिभाषण के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था: "पहले आपको भारतीय होने पर शर्म महसूस होती थी। अब आप देश का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस करते हैं।" क्या आप इससे सहमत हैं? …(*व्यवधान*) यह बहुत अच्छा है। तो, इसका मतलब है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोहन भागवत जी, सावरकर जी, गायकवाड़ जी, मुंशी जी--इन सभी को भारतीय होने पर गर्व नहीं था। केवल आपको भारतीय होने पर गर्व है। केवल मोदी जी को ही भारतीय होने पर गर्व हो रहा है। …(*व्यवधान*) क्या आप सहमत हैं? …(*व्यवधान*) [हिन्दी] 2-जी, 3-जी करते-करते तो हम यहां बैठे हैं, अब तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के पिछले पांच साल और अब छठा साल चल रहा है। 2-जी में, कोयला घोटाले में क्या किसी को पकड़ा है? क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को जेल की सलाखों के पीछे रख पाए हैं? हम चाहते हैं कि आप कानून को चुस्त-दुरुस्त करें। जिन लोगों को आप चोर बताकर सत्ता में आए हैं, उनके खिलाफ आपने क्या किया? वे क्यों आज हाउस में बैठे हैं? वे क्यों

सलाखों के पीछे नहीं हैं? क्यों राहुल जी बाहर हैं, क्यों सोनिया गांधी जी बाहर हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं? यहां प्रधान मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, इन्हें जेल क्यों नहीं भेजते हैं?... (व्यवधान) राम कृपाल जी, इस बार प्रचार में 2-जी घोटाले या कोयले घोटाले की बात नहीं कही। अब बाजार में यह प्रोडक्ट किट नहीं बेची जाएगी। इस बार आप नया प्रोडक्ट लाए हैं। आप बहुत बड़े सेल्समैन हैं। मैं मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत बड़े सेल्समैन हैं और होना भी चाहिए। मैं उनकी सराहना करता हूं कि हम हमारा डक्ट सेल करने में नाकामयाब हुए, इसलिए हम हारे। आप अपना प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हुए, इसलिए जीत गए।... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय सभापति** : अधीर रंजन चौधरी जी, कृपया सभापति को संबोधित करें।

[हिन्दी] **श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि हम अपना प्रोडक्ट बेचने में नाकामयाब रहे, इसलिए हम हारे और इधर बैठे। आपका प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था, आप बेचने में कामयाब हुए और सत्ता में आ गए। [अनुवाद] यह राष्ट्रपति का अभिभाषण आतुर अतिशक्तियों, अनर्थक बातों और बिना किसी सार के उच्च बुलेटिन अलंकारिक उदाहरणों से भरपूर्ण है। इसीलिए, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक संशोधनों का प्रस्ताव किया है। यह धन्यवाद प्रस्ताव है।

विवरण में जाने से पहले, सबसे पहले, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय राष्ट्रपति जी की आलोचना नहीं करना चाहती। हम माननीय राष्ट्रपति जी की आलोचना नहीं करना चाहते। बल्कि, हम इस सरकार को इसकी असफलता और विभिन्न मुद्दों पर इसके उदासीन रवैये की कड़ी आलोचना करेंगे। [हिन्दी] सारंगी साहब बोले, बहनजी भी बोलीं और इतनी बातें सदन में कहीं, लेकिन सूखे की चपेट में जो आधा हिंदुस्तान है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है? क्या इसकी चिंता नहीं है? किसी ने एक बात भी नहीं उठाई कि सारे हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा सूखे की चपेट में आ चुका है।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

[हिन्दी] बिहार में एंसेफेलाइटिस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरसंहार हो रहा है। 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। अभी क्या होगा, यह पता नहीं है। चमकी बुखार से त्राहि-त्राहि मच गयी है, त्रासदी हो गयी है। लेकिन आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। आप सबको जानकारी है, ... (व्यवधान) क्योंकि आप सब लोगों में से ज्यादातर एमपीज को यह भरोसा है कि मैं कुछ करने वाला नहीं, जो कुछ करेंगे, वह हमारे मोदी जी कर देंगे। हमें कोई पार करेगा, तो मोदी बाबा पार करेगा। यही आपका नारा है। ... (व्यवधान) पार करेंगे। आप उनके भरोसे पर रहेंगे। इसीलिए आम लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं, आम लोगों की जो तकलीफें हैं, उनके बारे में आप लोगों को बिल्कुल चिन्ता नहीं है। किन्तु आप लोगों का एक परसेप्शन है, आपके दिमाग में यह है कि मोदी बाबा पार करेगा। इसलिए मोदी बाबा की पूजा करो, तो सभी उलझनों से निकल जाएंगे। इसलिए आम लोगों की पूजा नहीं होती, बल्कि मोदी बाबा की पूजा की जाती है। यही तो है। नहीं तो, आज सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जो भाषण हुआ है, आप बताएँ सभापति महोदय जी, इसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर कितनी बार जिक्र किया गया है? इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। हम लोग संख्या में नगण्य हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम लोगों के लिए हमने लड़ना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है। कोई ऐसी गलतफहमी में न रहे।

कभी इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि एक व्यक्ति की ऊँचाई जितनी भी हो, अगर खाना-पीना ठीक से न हो, ज्यादा मेहनत की हो, सेहत पर ध्यान न दिया हो, तो उसमें थोड़ा सूखापन और थोड़ा ढ़ीलापन लगता है, लेकिन किसी भी हालत में इंसान की ऊँचाई नहीं घटती है। मोदी जी की ऊँचाई जितनी भी हो, अगर खाना-पीना कम हो, मेहनत ज्यादा हो, तो वे थोड़े दुबले-पतले हो सकते हैं, लेकिन उनकी ऊँचाई कभी नहीं घटेगी। कांग्रेस पार्टी की ऊँचाई भी इसी तरह है। यह दुबली-पतली हो सकती है। हमारी पार्टी के 52 मेम्बर्स हैं, इसका मतलब है कि हम दुबले-पतले तो हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी ऊँचाई कभी गिरने वाली है क्योंकि हम आम लोगों की बात कहने वाले हैं और कहते रहेंगे।

[अनुवाद] राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 7 में, माननीय राष्ट्रपति ने उल्लेख किया है, "ऐसा करके, देश के लोगों ने वर्ष 2014 में शुरू हुई विकास की यात्रा को निर्बाध और त्वरित गति से जारी रखने का जनादेश दिया है।" यहाँ हमारा ऑब्जेक्शन है।

महोदय, मैं इस प्रकार के विवाद से असहमत हूँ। हम जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उस दिन, दूरदर्शी नेता, जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और कहा, "आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। एक क्षण आता है, जो इतिहास में शायद ही कभी आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, और जब लंबे समय से दबी हुई एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है।

[हिन्दी] आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान की तरक्की का इतिहास शुरू हुआ। अगर यह कोई न माने, अगर इसको कोई सम्मान न दे, तो मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान के साथ, यह एक तरह का धोखा है।

[अनुवाद] इसलिए, सत्तारूढ़ शासन द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया यह है कि इसमें इतिहास का जानबूझकर विरूपण और तथ्यों के साथ हर-फेर भी किया है।

महोदय, आपकी सुविधा के लिए और सदन की सुविधा के लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में 2,069 रुपये का परिव्यय था जो 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान बढ़कर 36,44,718 करोड़ रुपये हो गया। इस परिव्यय में इत्नी अधिक वृद्धि होना अपने आप में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति और विकास का घोतक है। आपको समझ आया? इलैवेंथ फाइव इयर प्लान में 2 हज़ार 69 करोड़ रुपये का इजाफा होते-होते 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। क्या यह कोई काम नहीं है?

अपराह्न 2.06 बजे (श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

[अनुवाद]

सदी की पहली छमाही में वर्ष 1901 से 1951 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर *प्रति वर्ष* एक प्रतिशत से भी कम थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अंत में, भारत का कोयला उत्पादन 612 मिलियन टन, इस्पात उत्पादन 91.5 मिलियन टन, सीमेंट उत्पादन 270.3 मिलियन टन और बिजली उत्पादन 1048.7 बिलियन यूनिट था। हमने 7.5 प्रतिशत से अधिक जी.डी.पी. विकास हासिल किया। इसका मतलब है कि शून्य से एक प्रतिशत वृद्धि दर से, हमने देश को 7.5 प्रतिशत जी.डी.पी. वृद्धि की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इस पर ध्यान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ हैं।

हमारे पास दस वर्षों की एक संक्षिप्त अवधि थी वर्ष 2003 से 2012 तक भारत ने 10 वर्षों में औसतन 7.6 प्रतिशत से अधिक की जी.डी.पी. वृद्धि दर प्राप्त की थी और वर्ष 2009-10 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद जी.डी.पी. वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत थी इस तथ्य के कि दुनिया ने देखी है और उस समय अटलांटिक के तटों पर एक वैश्विक मंदी देखी गई थी। हमने अपने देश में इसके व्यापक प्रभाव का भी सामना किया। उस आर्थिक सुनामी का प्रभाव दुनिया भर में हुआ। इस तथ्य के बावजूद, हम संयुक्त राज्य अमेरिका में आई आर्थिक सुनामी से सुरक्षित रूप से बाहर आ गए थे क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उस आर्थिक सुनामी का केंद्र था।

वर्ष 2009-10 में चालू खाता घाटा 2.8 प्रतिशत था जबकि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत थी और आई.आई.पी. वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय गुणात्मक परिवर्तन हुआ। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रतिशत के संदर्भ में सकल मूल्य वर्धित में क्षेत्रीय हिस्सेदारी में काफी बदलाव आया था। पहले, हमारे जी.डी.पी. में कृषि का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 में सेवा क्षेत्र का योगदान 48.2 प्रतिशत था और उद्योग का योगदान 32.9 प्रतिशत और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कृषि का योगदान घटकर 18.9 प्रतिशत रह गया।

कुछ ही दिनों में नए वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करने जा रहे है। हमें राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, राजस्व लेखे में राजस्व घाटा आदि के संबंध में बजटीय दस्तावेज में खगोलीय आंकड़े मिलेंगे।

महोदया, आपकी सुविधा के लिए, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्री शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में राजस्व प्राप्तियां केवल 171 करोड़ रुपये (1947-48) थीं। राजस्व व्यय केवल 197 करोड़ रुपये था और राजस्व घाटा केवल 26 करोड़ रुपये था।

तमिलनाडु के एक अन्य यशस्वी पुत्र, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत यू.पी.ए. II के अंतिम पूर्ण बजट (2013-14) में, राजस्व प्राप्तियां 10,56,331 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 14,36,169 करोड़ रुपए और राजस्व घाटा 3,79,838 करोड़ रुपए था। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और, निश्चित रूप से, यह परिवर्तन वर्ष 2014 से पहले हुआ था। इसलिए हमें इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए क्योंकि अतीत हमारा इतिहास है, भविष्य एक रहस्य है और वर्तमान हाथ में नकदी है, सोच-समझकर खर्च करें।

वर्ष 1969 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में संचालित 14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत बैंकिंग व्यवसाय शामिल हैं। तब से बैंकिंग व्यवसाय में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। जब सारंगी साहब को कुछ नहीं दिखाई देता, तो क्या करें?

मैडम, भारतीय परंपरा जांच, जिज्ञासा, प्रश्न, संदेह, असहमति, समायोजन, स्वीकृति आदि से शुरू होती है क्योंकि ये हमारी बहुलवाद की विशेषताएं हैं। बहुलता हमारे देश की पहचान है। हम दावा कर सकते हैं कि भारत, एक सभ्यता के रूप में मानव बहुलता का एक अंतहीन उत्सव है। बहुलता मतभेदों को समायोजित करती है और मतभेद असहमति को मूर्त रूप देते हैं और उसे अधिनियमित करते हैं। इस संकल्पना पर हम दशकों से मिलकर देश का एक विकास कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी हमारे देश की विकस में योगदान दे रही है। अब, यदि एक सुबह, कोई कहता है कि भारत में कुछ भी नहीं हुआ है और इसलिए हम यहां आए हैं और विकास करना शुरू कर दिया है, तो यह सच्चाई का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। …(*व्यवधान*) तथा मैं माननीय मंत्री और सरकार

से आग्रह करूंगा कि भविष्य में आप पर एक ऐसी सरकार के रूप में आरोप न लगाया जाए जो सच्चाई का मजाक उड़ा रही है।

हरित क्रांति किसने शुरु की है? श्वेत क्रांति किसने शुरु की है? अब, आप नीली क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी। बस अभिलेख को देख लें।...(*व्यवधान*)

अब, आप नीली क्रांति के लिए श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी सरकार है जिसे प्रशंसा-आदी सरकार कहा जा सकता है, अर्थात, तथ्यों में हेर-फेर करके प्रशंसा अर्जित करना। इसलिए, यह हेर-फेर द्वारा प्रशंसा पाने की लत है। कुछ करके आप सराहना अदा कीजिए, कोई हर्ज नहीं है।

[अनुवाद] रक्त की एक बूंद भी बहाए बिना, कांग्रेस पार्टी मेरे देश के विकास के लिए, मेरे देश के लोगों के कल्याण के लिए कई उपाय – बल्कि मैं कहता हूं, कई सामाजिक क्रांतियां शुरू कर रही थी।

जहाँ तक हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति किसने शुरु की थी? भारत की खाद्यान्न आयात निर्भरता को समाप्त करने के लिए हरित क्रांति वर्ष 1965 में भारतीय आनुवंशिकीविदों की मदद से शुरू की गई थी। श्री स्वामीनाथन के नाम से आप भली भांति परिचित हैं। आप भलि भाँति जानते हैं कि हम अपने देश में खाद्यान्न उत्पादन पर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए मैक्सिको से अधिक उपज वाले बीज लाए थे। हमने पी.एल.-480 से छुटकारा पाने के लिए अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया था जो कि समृद्ध राष्ट्र, अर्थात्, अमेरिका द्वारा हम पर थोपा गया था।

श्री एम. एस. स्वामीनाथन को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, और वर्ष 1966 से तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आगे बढ़ाया गया था। हरित क्रांति से रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। वर्ष 1947 में, जब हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, हमारा खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था। वर्ष 1978-1979 में इसे बढ़ाकर 131 मिलियन

टन तक बढ़ा दिया गया और वर्ष 2013-2014 में 264.38 मिलियन टन कर दिया गया। क्या हमने देश के लिए कुछ नहीं किया है?

वर्ष 1970 में डॉ. कुरियन की मदद से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री श्वेत क्रांति से भलीभांति परिचित हैं क्योंकि श्वेत क्रांति का केंद्र गुजरात में था। अमूल का अर्थ आनन्द दुग्ध संघ लिमिटेड है। प्रधानमंत्री ने शायद डॉ. कुरियन से 'सहकारी संघवाद' के बारे में सीखा है, क्योंकि वह ज्यादातर समय 'सहकारी संघवाद' का जिक्र करते थे, लेकिन 'सहकारिता' की इस अवधारणा का जन्म या इसकी महान उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। दुग्ध उत्पादन के क्षत्र में विश्व में 50वें स्थान से भारत कुछ ही दशकों में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील के बाद विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड ने अन्य देशों के लिए भी सफलता का एक स्वरूप स्थापित किया है। वर्ष 1975 तक, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का आयात समाप्त हो गया था।

[हिन्दी] पहले विदेश से हमें मिल्क पाउडर लाना पड़ता था। बचपन में हम भी विदेश से लाए गए मिल्क पाउडर को स्कूल में खाते थे, लेकिन आज हिन्दुस्तान सेल्फ सफिशिएन्ट हो गया है। किसने किया, ये वाइट रिवोल्यूशन किसने किया? [अनुवाद] श्वेत क्रांति का अग्रणी कौन था? यह कांग्रेस थी। हरित क्रांति का अग्रणी कौन था? यह कांग्रेस थी। नीली क्रांति का अग्रणी कौन था? यह कांग्रेस थी। अतः, कांग्रेस राष्ट्र की आत्मा है। कांग्रेस के बिना आप अपनी सम्पूर्ण पहचान खो बैठेंगे। कांग्रेस भारत का पर्यायवाची है। कांग्रेस भारत की पहचान है। इसे अन्यथा न लें।

अमेरिका में एक कहावत है कि चुनाव से पहले कोई लोकतंत्र या गणतंत्र हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद सभी अमरीकी हैं। क्या हम इससे सीख लेकर यह कह सकते हैं कि चुनाव से पहले कोई भा.ज.पा., स.पा., ब.स.पा., तृणमूल, बी.जे.डी. या कांग्रेस हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी देश या राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमें यह नारा अपनाना चाहिए कि चुनाव के बाद हम सभी को अपने देश की प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए।

महोदय, लगभग 96,000 सहकारी समितियों में 10 मिलियन डेयरी किसानों के साथ डेयरी भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है।

पूरे देश में सबसे अधिक सहकारी समितियाँ गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से हैं। मेरे राज्य में यह बुरी तरह असफल हो गया था।

भारत में बांधों के बारे में, स्वतंत्रता के बाद से भारत में बांधों और जलाशयों के निर्माण में भारी प्रगति की है। वर्ष 1947 में, देश में 30 बांध थे जो कि वर्ष 2000 तक यह संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई है। उनमें से आधे से अधिक वर्ष 1971 और 1989 के बीच बनाए गए थे। अमेरिका और चीन के बाद बांध निर्माण में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। क्या आपको इस पर गर्व नहीं है?

[हिन्दी] षड्डंगी जी, कहते हैं कि क्या आप मोदी जी की जीत में खुश नहीं हैं? अरे मोदी जी तो हिन्दुस्तान के एक इंसान हैं, हम जरूर खुश हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की तरक्की में आप खुश नहीं हैं। आप तो मोदी जी की तरक्की में खुश रहते हैं और हम हिन्दुस्तान की तरक्की में खुश रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति नहीं, हमारे लिए देश आगे है, पार्टी नहीं, हमारे लिए हिन्दुस्तान आगे है।

षड्डंगी जी, भाखड़ा नांगल डैम किसने बनाया है? गुजरात में सरदार सरोवर डैम किसने बनाया है? हीराकुंड डैम किसने बनाया है? नागार्जुन सागर डैम किसने बनाया है? इडुक्की डैम किसने बनाया है? यह बहुत लंबी कतार है।... (व्यवधान) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड कांग्रेस ने बनाया है। ऑयल एंड नेचुरैल गैस कमीशन कांग्रेस ने बनाया है। यहां पर प्रधान साहब हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड कांग्रेस ने बनाया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड कांग्रेस ने बनाया है। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन कांग्रेस ने बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कांग्रेस ने बनाया है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कांग्रेस ने बनाया है।... (व्यवधान) [हिन्दी] क्या मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कितने सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के बजाय उनकी स्थापना की गई? ...(*व्यवधान*) अब, हम विश्व के परमाणु क्लब के सदस्य हैं। कुछ समय पहले श्री नरेन्द्र मोदी *जी* ने भारत को विश्व के परमाणु क्लब का सदस्य होने का दावा किया था। उन्हें गर्व करने का पूरा अधिकार है क्योंकि

वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा को भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक माना जाता है। वर्ष 1948 में, प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को लिखा कि भविष्य उन लोगों का है जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो भविष्य की सस्ती राष्ट्रीय शक्ति बनने जा रही है। यह नेहरू थे जिन्होंने होमी जहांगीर भाभा को यह काम सौंपा, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने कहा था: "बड़ा सोचो।" परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां। भारत ने वर्ष 1971 में डी.ए.ई. के अंतर्गत रिएक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसे बाद में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में नामित किया गया था।

[हिन्दी] महोदया, हम लोगों ने भी परमाणु विस्फोट को घटाया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी घटाया था। यही तो परंपरा है। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करते हैं। प्रधान मंत्री सड़क योजना उन्हीं के दिमाग की सोच है। हम लोग तो उनकी सराहना करते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा प्रेसिडेंसियल एड्रेस लिखा है, एक बार कम से कम नेहरू जी का नाम ले लिया होता, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता। आप छोटे नहीं हो जाएंगे।... (व्यवधान) एक बार नाम ले लेते। हिन्दुस्तान को आप जिस रूप में चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमारा कैसे विश्वास होगा? आप हमारे नेता का नाम नहीं लेते हैं। आप हमें निकालने का प्रयास करते हैं। आपको इसमें सोचना चाहिए।... (व्यवधान) स्माइलिंग बुद्धा, 1974 पोखरण में एक्स्प्लोशन हुआ था। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी के लीडरशिप में, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शक्ति विस्फोट किया था। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। वर्ष 2013 के अंत तक भारत में 68 परमाणु रिएक्टर थे। पहले हम लोगों को अछूत माना जाता था। दुनिया में न्यूक्लीयर कंट्री हमें अछूत मानती थी। वर्ष 2008 में, भारत-अमेरिका परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ। सारंगी जी, आप लोगों ने इसका विरोध किया था।

[हिन्दी] षड्ंगी जी, आप लोगों ने विरोध किया था, फिर भी पास करा लिया। लेकिन हम उस तरीके से उपयोग नहीं करते। हमने उस दिन पास कराया, इसलिए आज दुनिया में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी

जी को सम्मान मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जहाँ जाए, वहाँ उनका स्वागत हो, वहाँ उनका सम्मान हो। हम चाहते हैं, तहेदिल से चाहते हैं।

मिसाइल डेवलपमेंट की बात आई। आप कहते हैं कि पाकिस्तान अगर ज़्यादा इधर-उधर करेगा तो पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। किसके भरोसे, मिसाइल के भरोसे। मिसाइल किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। [अनुवाद] डी.आर.डी.ओ. की स्थापना 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के तत्वावधान में विश्व स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार स्थापित करके भारत को समृद्ध बनाने और हमारी रक्षा सेवाओं को एक निर्णायक बढ़त प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ की गई थी। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने इसरो त्रिवेन्द्रम के अन्य लोगों के साथ वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रत्यक्ष नेतृत्व बनाए रखने और भारत के ऐतिहासिक मिसाइल मिशन को शुरू करने का अनुरोध किया। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'भारत का मिसाइल मैन' कहा जाता है। हमने वर्ष 1981 में अग्नि-I (सतही से सतह पर मार करने वाली मिसाइल), वर्ष 1999 में अग्नि-II, वर्ष 2000 में पृथ्वी-III, वर्ष 2001 में ब्रह्मोस, वर्ष 2006 में पी.ए.डी., वर्ष 2013 में निर्भय, वर्ष 2019 में ए.एस.ए.टी., वर्ष 2019 में ई.एम.आई.एस.ए.टी. का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये सैटेलाइट्स हैं। [हिन्दी] आपको समझ में नहीं आया, ये सैटेलाइट्स हैं। वर्ष 2010 में अग्नि-III, वर्ष 2012 में अग्नि-V। मैं मोदी जी से पूछता हूँ और सब से पूछता हूँ कि अगर कांग्रेस के जमाने में इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का काम नहीं होता, तो क्या आज मोदी जी चन्द्रयान के बारे में सोच सकते? आप बोलिये। मतलब क्या है कांग्रेस ने बनाया, उसके बाद आप बना रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि 2047 तक रहें। वह ठीक है, आप रह सकते हैं। उसके बाद तो कोई बनाएगा। वर्ष 2047 तक हमने आपको छूट दी, उसके बाद तो कोई नया आएगा। जो काम आप 2047 तक करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा करेगा। यही तो हमारा सिलसिला है। इसमें आप वर्ड ऑफ क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं, आप यह सराहना का वार क्यों करते हैं? यही तो मुझे बुरा लगता है।

आप एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन में देखिए। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर 12.2 प्रतिशत थी जो वर्ष 2013-14 तक बढ़कर 71.96 प्रतिशत हो गई। हाँ, पार्लियामेंट में एलिमेंटरी एजुकेशन

को फंडामेंटल राइट बनाया। उसके पीछे अटल बिहारी वापजेयी जी की बड़ी देन है। मैं मानता हूँ। मैं उस समय पार्लियामेंट में था।

वर्ष 1995 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था। वर्ष 1950-51 में केवल सत्ताईस विश्वविद्यालय थे जिन्हें वर्ष 2013-14 में बढ़ाकर 821 कर दिया गया था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आप बताओ।

टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के चलते आज हम दुनिया में किसी भी खतरे का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। जब टेलीकॉम की बात आती है तो राजीव गांधी जी की बात आ जाती है। उनके पिता हैं, ज़्यादा तो गलती नहीं की, उनके पिता ही तो हैं। राहुल जी की इसमें बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए कह रहा हूँ। आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने वाला है। मतलब टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन। पहले स्टीम के ज़रिये फर्स्ट रिवॉल्यूशन, साइंस के ज़रिये सैकेंड रिवॉल्यूशन, डिजिटल के लिए थर्ड रिवॉल्यूशन और अभी टेक्नोलॉजी के लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर राजीव जी नहीं होते तो इस तरीके की रिवॉल्यूशन क्या हम कर पाते? आप बोलिए।

आज आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस - रोबोटिक्स का जमाना आ रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी को यह सजेस्ट करूँगा कि 5जी का जमाना आ रहा है, हमारे नौजवानों को 5जी की ट्रेनिंग दो, 5जी की ट्रेनिंग अगर उन लोगों को न मिले तो हमारा जो डेमोग्रोफिक डिविडेंड और यूथ जनरेशन है, उनको काम नहीं मिलेगा।

इसलिए मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 5जी का जमाना आने वाला है, अभी इस स्किल को उस तरीके से लेकर चलना चाहिए, जिससे हम 5जी की सुविधा हिन्दुस्तान को मुहैया कराने में सक्षम रहें। ये सारे टेलीकॉम रेग्युलेशन किसने किए? ये सब राजीव गाँधी जी ने किये, जिन्हें डिजिटल मैन ऑफ इंडिया, कम्प्यूटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देश के लिए काम किया है। यह आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो यह हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। मनरेगा किसने चालू किया? इसे कांग्रेस ने चालू किया। राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट किसने चालू किया? इसे कांग्रेस ने चालू

किया। राइट टू एजुकेशन किसने चालू किया? इसे कांग्रेस ने चालू किया। लैंड एक्विजिशन एक्ट किसने चालू किया? इसे कांग्रेस ने चालू किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए मैं मैडम सोनिया गाँधी जी की सराहना करूँगा कि यह फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसका जिक्र मेरी बहन जी कर रही थीं, यह फूड सिक्योरिटी एक्ट उस समय मैडम जी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने हमारी सरकार को नसीहत दी कि इस तरीके का कानून लाना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट किसके जमाने में हुआ? यह कांग्रेस के जमाने में हुआ। लोकपाल एक्ट, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम भी कांग्रेस के जमाने में हुई। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूँगा, आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, उससे सारंगी जी को सुविधा होगी। [अनुवाद] मोदी सरकार ने कांग्रेस की 23 में से 19 योजनाओं का नाम बदल दिया है। बुनियादी बचत बैंक जमा खाते का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया गया; राष्ट्रीय बालिका विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना कर दिया गया; निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया; राजीव आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन कर दिया गया; इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया; राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया; स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया; जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया; व्यापक फसल बीमा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया; राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का नाम बदलकर डिजिटल इंडिया कर दिया गया; राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर स्किल इंडिया कर दिया गया; एल.पी.जी. के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का नाम बदलकर पहल कर दिया गया; नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। भाई साहब, मैंने गलती से कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। इस *सरकार* ने एक नया सिंड्रोम विकसित किया है जिसे राजनीतिक साहित्यिक चोरी कहा जा सकता है।

[हिन्दी] मैडम, हमें कुछ देर बोलने दीजिए। उन दोनों ने इतना ज्यादा बोल दिया। हम क्या करें?

माननीय सभापति : आप बोलेंगे तो आपकी पार्टी के बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। यह आप डिसाइड कर सकते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, ठीक है। मैं खत्म कर देता हूँ।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदया, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप रूल बताइए।

[अनुवाद] **डॉ. निशिकांत दुबे** : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। …(*व्यवधान*) प्रश्न पूछना या आदेश देना मेरा अधिकार है।

[हिन्दी] **माननीय सभापति:** निशिकांत जी, आप रूल बताइए।

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदया, रूल 356।... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय सभापति**: यदि किसी सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, तो मुझे बस उस पर विचार करने दीजिए। उन्हें बस नियम पढ़ने दें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: यदि किसी सदस्य को आपत्ति है तो मुझे नियम देखना होगा।

… (व्यवधान)

[हिन्दी] **डॉ. निशिकांत दुबे :** महोदया, हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा कांग्रेस के बखान पर हो रही है। रूल 356 यह कहता है:

> [अनुवाद] "अध्यक्ष, किसी ऐसे सदस्य के आचरण की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने के बाद, जो अपने तर्कों में या बहस में अन्य सदस्यों द्वारा उपयोग किए गए तर्कों में अप्रासंगिकता या थका देने वाले दोहराव में रहता है, उस सदस्य को भाषण बंद करने का निर्देश दे सकता है।"

[हिन्दी] **श्री अधीर रंजन चौधरी :** मैडम, ये बेकार बात है। इन्हें दफ्तर नहीं मिला, फिर भी ऐसे ही बोलते रहते हैं।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैडम, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। यह पार्लियामेंट है। इन्होंने जीडीपी की बात की। इन्होंने वर्ष 1901 से वर्ष 1951 तक की बात की। पार्लियामेंट में हम लोग दुनिया के सामने मूर्ख न हो जाएं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: निशिकांत जी, आप केवल रूल की बात कीजिए। आप भाषण नहीं दे सकते हैं। आप केवल रूल की बात कीजिए।

डॉ. निशिकांत दुबे : मैडम, मैं यह कह रहा हूं कि जी.डी.पी. वर्ष 1935-36 में आया। ये वर्ष 1901 की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हम मूर्ख न हो जाएं, इसलिए इन्हें समझाना चाहिए।

माननीय सभापति : निशिकांत जी, आप जी.डी.पी. की बात नहीं करेंगे।

प्लीज़, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय सभापति**: कृपया जारी रखें और इसे शीघ्र समाप्त करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, यू.पी.[अनुवाद] ए. के जमाने में, नई पद्धति के तहत, जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 8.1% था, एन.डी.ए. के समय में वह घट कर **7.3%** हो गया। एन.डी.ए. शासन-काल में निर्यात में कमी हो रही है। यू.पी.ए. के जमाने में एक्सपोर्ट की दर जी.डी.पी. की 25.43% थी। यह घट कर अभी जी.डी.पी. की 19.03% हो गयी। कॉंग्रेस के जमाने में सकल एन.पी.ए. 2.5 लाख करोड़ रुपये था, अभी वह बढ़ कर 9.62 लाख करोड़ हो गया। कॉंग्रेस के जमाने में खराब ऋणों का वसूली रेट 22% था। अभी यह घट कर 9.8% हो गया। जहाँ तक रुपये के अवमूल्यन की बात है तो यू.पी.ए. शासन-काल के दस वर्षों में मूल्य में गिरावट 14 रुपये थी, जबकि एन.डी.ए. शासन के चार वर्षों में गिरावट 12 रुपये थी। यू.पी.ए. शासन-काल के दौरान सकल नियत पूंजी निर्माण जी.डी.पी. का 34.1 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में यह घटकर

जी.डी.पी. का 28.53 प्रतिशत रह गया था। [हिन्दी] काँग्रेस के जमाने में पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे थी और आप के जमाने में यह 90 रुपये 48 पैसे हो गयी है। काँग्रेस के जमाने में डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे थी और अब के जमाने में यह 15 रुपये 33 पैसे हो गयी है। हमारे जमाने में सालाना सात लाख जॉब्स क्रिएट हुए, आप के जमाने में यह 1.8 लाख हुए। हमारे जमाने में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.84 पर्सेंट हुआ, एन.डी.ए. के जमाने में 1.86 पर्सेंट हुआ। ग्रामीण मजदूरी की औसत वृद्धि दर, हमारे यू.पी.[अनुवाद] ए.-II के जमाने में हुआ - 19.6 पर्सेंट, और अभी हो रहा है 9.44 पर्सेंट। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हमारे समय में ग्रोथ हुआ था – 19.3 पर्सेंट, आपके समय हो रहा है - 3.6 पर्सेंट। इन सारी बातों का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा।

मैडम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक छोटी-सी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। यहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं। एक बात बड़ी चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि अभी यू.एस.ए. और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, यू.एस.ए. और ईरान के बीच में संघर्ष के काफी हालात बन रहे हैं, तो इसी समय आप क्यों चुप्पी साधे हैं? इसी बीच, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। [अनुवाद] 5 जून, 2019 से भारत को लाभार्थी विकासशील देश के रूप में विशेष व्यापार स्थिति समाप्त करने की यू.एस. सरकार की घोषणा के भारत के व्यापार और आर्थिक मामलों पर गंभीर प्रभाव हैं। इसका सीधा असर भारत के 54.4 बिलियन यू.एस. डॉलर यानी 3,80,800 करोड़ रुपये के निर्यात पर पड़ता है। भारत को यह विशेष व्यापार दर्जा 24 नवंबर, 1975 से प्राप्त था जब इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और अब 44 वर्षों के बाद इसे वापस ले लिया गया है। इसका असर भारत के 16 प्रतिशत निर्यात पर पड़ता है। इसे आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए।

[हिन्दी] हम जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी के साथ दुनिया के सभी लीडर्स का बड़ा अच्छा सम्पर्क है। देश को बचाने के लिए आपको देखना चाहिए।

अन-इम्प्लॉयमेंट की बात तो आप जानते हैं। 6.1 पर्सेंट अन-इम्प्लॉयमेंट है। पिछले 45 सालों में सबसे कम है। इसके साथ-साथ हम दूसरी बात करते हैं।

आपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 'नेबरहुड पॉलिसी' के बारे में जिक्र किया। क्या इस 'नेबरहुड पॉलिसी' में पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि बात यह है कि हम अपना मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम अपना इतिहास तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपनी भौगोलिक स्थिति नहीं बदल सकते। यह आपको तय करना है कि क्या किया जाना है।

आपने बालाकोट में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया, हम उसका समर्थन करते हैं। पर, इसके साथ-साथ एक बात कहूंगा कि यह जो अभिनन्दन वर्तमान है, इसे 'भारत श्री' के पुरस्कार से नवाज़िए। अभिनन्दन जी का जो गोफ है, उसे 'नेशनल मुस्टैश' की हैसियत से नवाजा जाए। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान इससे ज्यादा उत्साहित हो।

मैडम, मैं बस लास्ट बात कह रहा हूं -

एन.डी.ए. की नई पहचान -

ऊँची मक़ान, लेकिन फीका पकवान।

मैं अंतिम शब्द यह कहना चाहता हूं कि आप गाँधी जी की 150वीं बर्थ एनीवर्सरी मनाना चाहते हैं। यह अच्छा है, लेकिन इसमें एक सवाल है। एक तरफ, आपकी पार्टी के लोग हत्यारे गोडसे का नारा लगाते हैं कि वह देशप्रेमी है और दूसरी तरफ आप गाँधी जी की 150वीं जन्म जयन्ती मनाने जा रहे हैं। क्या इसमें आपका दोमुँहापन हम लोगों के सामने नहीं आता है?

मैडम, मैं बस लास्ट बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति : अधीर जी, आपका तीन बार लास्ट हुआ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : रवीन्द्रनाथ टैगोर जी यूरोप में गए थे। वर्ल्ड वार–2 चालू हो गया था। उस समय जर्मनी में आइंस्टीन को खदेड़ दिया गया। नोबल लॉरिअट थॉमस मान की सारी पुस्तकों को जला दिया

गया। इससे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत दुख हुआ था। आपने किसी दोस्त को कहा कि मैं यूरोप गया तो इस तरीके का दृश्य देखकर बहुत परेशान हूं। उस समय एक दोस्त ने उनको एक चिट्ठी लिखा, उसमें लिखी था : तुम्हें इस पर दुःखी होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया, "मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभ्यता की दिशा कभी भी क्रूर ताकतों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। सभ्यता की दिशा सदैव मानवता की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती रही है।" इसलिए, हिटलर की लाल कमीज़ और मुसोलिनी की भूरे रंग की कमीज़ इतिहास की दिशा निर्धारित नहीं कर पाएगी। इतिहास की दिशा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसके पास कोई कमीज़ नहीं थी, वह महात्मा गांधी है जो भारत में रहते थे। इसलिए, एक भारतीय होने के नाते मुझे इस पर गर्व है।

संशोधनों का पाठ[22*]

[22*] कृपया देखिए कॉलम 417-ए. से 417-क्यू. तक

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): सभापति महोदया, मैं द्र.मु.क. की ओर से बोल रहा हूं जिसकी आवाज पिछले 62 वर्षों से, यानी वर्ष 1957 से, इस प्रतिष्ठित सभा में सुनी जाती है; मैं अपने दिवंगत नेता डॉ. कलैग्नार करुणानिधि की ओर से बोल रहा हूं, जो लगभग 50 वर्षों तक द्र.मु.क. के सभापति थे; मैं द्र.मु.क. सभापति डॉ. एम. के. स्टालिन की ओर से बोल रहा हूं, जिन्होंने न केवल द्र.मु.क. का नेतृत्व किया है, बल्कि तमिलनाडु में लोक सभा चुनावों में गठबंधन सहयोगियों का भी नेतृत्व किया है। ... ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया शांति बनाए रखें। माननीय सदस्य अपने पैरों पर है।

… (व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : हमारी पार्टी और हमारे नेता डॉ. एम. के. स्टालिन की ओर से, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को उनकी लगातार सफलता, प्रधान मंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं। महोदया, मैं कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी, तत्कालीन विपक्ष की नेता सोनिया जी और इस प्रतिष्ठित सभा के सदस्यों को मेरे दिवंगत नेता डॉ. कलैग्नार करुणानिधि के 80 वर्ष से अधिक के गौरवशाली जीवन की स्मृति में, जब वह इस दुनिया से चले गए, प्रदान किए गए सम्मान के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदया, प्रधान मंत्री का भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में प्रतिध्वनित हुआ। जो सामान्य है। राष्ट्रपति के भाषण के प्रारूप को कैबिनेट मंजूरी देगी। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष केन्द्रीय कक्ष में बोलेंगे। यह प्रथा है। मैं जो कुछ भी प्रधानमंत्री के विरुद्ध कहता हूँ, उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह राष्ट्रपति के विरुद्ध है, बल्कि केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध है।

ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी कंपनी के विवरणिका के अलावा कुछ नहीं है जो कंपनी की सदस्यता का आह्वान करता है।

महोदया, मुद्दा यह है कि भा.ज.पा. की ताकत या भा.ज.पा. की सफलता अपने आप में निहित नहीं है, बल्कि यह विरोधी दलों की कमजोरी के करण है जिसमें मेरी पार्टी भी शामिल है। विरोधी दलों की कमजोरी के कारण ही सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान और सुबह से ही सभा में बहुत उल्लास और उत्साह था। साथ ही मुझे काफी निराशा भी हो रही है, क्योंकि जनता की जो भी भावना हो, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, *दलित,* पिछड़ा वर्ग, सबकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। इसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। अल्पसंख्यकों, *दलितों* और पिछड़े वर्गों को लगा कि राष्ट्रपति केन्द्रीय कक्ष में जो कुछ भी बोलने वाले हैं वह निश्चित रूप से समाज के भविष्य के विकास के लिए होगा, लेकिन वर्ष 2014 के चुनाव के बाद वादे पूरे न होने के कारण राष्ट्रपति के इस भाषण में निश्चित रूप से कई कमियां रह गई हैं। उन्होंने कई वादे किए हैं और वे वादे पूरे नहीं हुए हैं लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति के अभिभाषण में भविष्य के वादे किए गए हैं।

पिछले चुनावों के दौरान जनता से किए गए वादों का क्या हुआ? यहां तक कि मेरे प्रिय मित्र वर्तमान प्रधान मंत्री ने चुनाव घोषणापत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार विदेशों में जाएगी, वे विदेशों में जमा काले धन का पता लगाएंगे, उस धन को भारत वापस लाया जाएगा, और निश्चित ही भावी सरकार प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपये जमा करेगी। उस वायदे का क्या हुआ? कुछ नहीं।

उन्होंने यह भी वचन दिया था कि 2 करोड़ नौकरियाँ हमारे देश के युवाकों को दी जाएंगी। प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियों का मतलब है पांच वर्षों में दस करोड़ नौकरियां। हमारे सभी युवाओं को नौकरी मिल गई होती। वर्तमान राष्ट्रपति के अभिभाषण में, राष्ट्रपति जी कहते हैं कि एक औद्योगिक नीति तैयार की जाएगी ताकि जरूरतमंद लोगों को नौकरियां दी जा सके लेकिन यदि उन्होंने हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां दी होतीं, तो दस करोड़ नौकरियां दी जातीं। किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी दो करोड़ नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। अगर उन्होंने 2 मिलियन नौकरियां भी भर दी होती तो भी कुछ हद तक बेहतर होता। उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

12वीं की परीक्षा के पश्चात बिना वजह ही नीट परीक्षा कराई जाती है। 12वीं की परीक्षा राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम में आयोजित की जाएगी जबकि नीट परीक्षा सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम में आयोजित की जाएगी। एक छात्र, जो राज्य बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम की परीक्षा कैसे दे सकता है? इसके परिणामस्वरूप, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और लोग पिछले दो से तीन वर्षों से परेशान हैं। इस वर्ष नीट परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की संख्या का विवरण इस प्रकार है। यह है, 7,04,335 अग्रिम वर्ग के छात्र; 63,749 पिछड़े वर्ग के छात्र; 20,009 अनुसूचित जाति के छात्र; और 8,455 अनुसूचित जनजाति के छात्र।

आप समझ सकते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने में अग्रिम वर्ग को कैसे फायदा हो रहा है, जबकि साधारण लोग, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहे हैं। इस समस्या का सामना तमिलनाडु में हमारे छात्रों को करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2007 में ही हमारे नेता स्वर्गीय कलैग्नर करूणानिधि ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था, जो राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा गया था। माननीय राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद, इसे वर्ष 2007 के बाद से राज्य में लागू किया गया। दो वर्ष पहले, सरकार ने इस विशेष परीक्षा का आयोजन करना शुरू किया था और इसके परिणामस्वरूप, हमारे राज्य के बी.सी. और एस.सी. वर्ग के छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने से वंचित रह गए। प्रधानमंत्री जी को इसे तत्काल बन्द करना चाहिए। मैं कहूंगा कि 29 महीने पहले तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जो इस सरकार को भेजा गया था। सरकार मौन रही और उन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। उन्होंने हमें यह भी नहीं बताया है कि इसे राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है या सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके अलावा, दर्जनों छात्र जिन्हें इस नीट की परीक्षा के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया, ने आत्महत्या कर ली। कुछ नाम मैं आपको बता दूं, अरियलूर से अनिथा, विल्लुपुरम से प्रदीप, तिरुप्पूर से रिदुश्री, पट्टुक्कोट्टै से वैश्य और मरक्कनम से मोनिशा, ये वे छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली और उनके माता-पिता के सपने टूट गए। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे नेता डॉ. स्टालिन ने केंद्र सरकार से नीट को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया है।

इंग्लैंड जैसे विकसित देश में भी इस तरह की परीक्षा, नेट, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा होती थी। नेट का उत्तीर्ण प्रतिशत सरकारी स्कूलों से एक प्रतिशत और निजी स्कूलों से पांच प्रतिशत था। इस प्रतिशत को देखते हुए, वहां की सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस प्रकार की परीक्षा तुरंत समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें समानता का स्तर नहीं है। अत: इंग्लैंड में भी इस परीक्षा को समाप्त कर दिया गया। यह सही समय है कि भारत सरकार आगे आकर नीट की परीक्षा को समाप्त करना चाहिए।

दूसरी गंभीर समस्या शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी के संबंध में है। करोड़ों लोग नौकरियों के अभाव में परेशान हैं। इसके परिणामस्वरूप, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इन बातों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिंचाई का पानी नहीं होने की वजह से, विशेष रूप से, तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में रहने वाले लोग कावेरी नदी के पानी के अभाव में पीड़ित हैं।

कर्नाटक सरकार द्वारा मैतूर बांध को पानी उपलब्ध कराया गया है। कर्नाटक सरकार बहुत सख्त है क्योंकि वे फसल के उस मौसम के लिए सिंचाई का पानी नहीं छोड़ रहे हैं जिस मौसम में फसल की खेती की जाती है। वास्तव में, कावेरी प्रबंधन बोर्ड के आदेश के अनुसार 9.19 टी.एम.सी. पानी छोड़ना होगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, कावेरी प्रबंधन बोर्ड ने भी यही आदेश दिया है। लेकिन, अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। लगभग 55 माननीय संसद सदस्यों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी से तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि इस विशेष मुद्दे को जल्दी से सुलझाया जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने मौन धारण कर रखा है। साथ ही जल की कमी के कारण फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है और किसानों ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अतः ऐसे में सरकार को अविलम्ब कृषि ऋणों कों माफ कर देना चाहिए।

महोदया, लंबे समय से लंबित मुद्दा यह है कि तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिल भाषा अभी भी गतिशील और जीवंत और समृद्ध है, इसे हमारे देश की राजभाषा के रूप में देखा जाना चाहिए। पूरे तमिलनाडु के लोग, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से

संबंधित हों, इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। इसमें गलत क्या है? कम से कम अभी के लिए, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु राज्य में स्थित सरकारी उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। हम यही चाहते हैं। लेकिन किया कुछ नहीं गया है। माननीय संसद सदस्य भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। न केवल तमिलनाडु, बल्कि सभी राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और अपनी-अपनी राज्य भाषा को सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में पेश करना चाहिए। भाषाओं के बावजूद, सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार को इसे राज्यों की राजभाषा के रूप में पेश करने के लिए आगे आना चाहिए।

महोदया, महिला आरक्षण इतने वर्षों से लंबित है। बार-बार इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। जब भी संसद बुलायी जाती है तो माननीय संसद सदस्य दो टूक कहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक कों पुर:स्थापित किया जाना चाहिए और उन्हें 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरी पार्टी पूरे मन से यह सुनिश्चित करने का समर्थन करती है कि यह निश्चित रूप से इस सत्र में बिना किसी असफलता के पारित हो जाए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं अपने नेता डॉ. एम. के. स्टालिन और पार्टी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें 17वीं लोक सभा चुनाव में द्र.मु.क. गठबंधन को भारी जीत दिलाई। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, महोदया।

प्रोफेसर सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं और हमारे द्वारा पेश किए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं।

अपना भाषण शुरू करने से पहले, मैं तुलसीदास से उद्धृत करूंगा क्योंकि श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने तुलसीदास को व्यापक रूप से उद्धृत किया है। तुलसीदास ने कहा और मैं उद्धृत करता हूं:

[हिन्दी]

तुलसी कबहु न त्याजिए, अपने कुल की रीति

लायक हो सो कीजिए, विवाह, बैर और प्रीति।

प्रताप षडङ्गी जी ने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, इसलिए वे गड़बड़ा गए, वे क्या बोले, खत्म नहीं किया। ... (व्यवधान) यह तुलसीदास जी ने बोला, मैंने नहीं बोला। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): किसी को... [23*]रूप से इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैंने बोला कि गड़बड़ा गए।... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह बिल्कुल गलत है। ... (व्यवधान) जिस स्पीकर ने इस सदन में सबसे खूबसूरत और व्यापक भाषण दिया उसके बारे में इन्होंने इशारा किया कि... * रूप से गड़बड़ है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैंने बोला कि गड़बड़ा गए। क्या यह शब्द खराब है? ...(व्यवधान) मैंने ... * शब्द नहीं बोला, मैंने बोला कि गड़बड़ा गए हैं।... (व्यवधान)

[23*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u> (श्रीमती रमा देवी *पीठासीन हुई*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अभी यह जो बोल चुके है उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए, जो इस तरह की असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं सुन सकते हैं।

... (<u>व्यवधान)</u> ... [24*]

प्रो. सौगत राय : अच्छा दूसरी बार मैं फिर बोलता हूँ कि प्रताप षडङ्गी जी ने तुलसीदास का अनुशासन वह नहीं माना, इसलिए उनके बोलने में गड़बड़ी थी और उन्होंने प्रधान मंत्री के बारे में बोलते-बोलते ज्यादा बोल दिया। मैं समझता हूँ कि उनमें संतुलन का अभाव है। इतना तो मैं कहूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, [अनुवाद] कई लोग मुझसे पूछते हैं कि टी.एम.सी. प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए रात्रिभोज में शामिल क्यों नहीं हुई और आप 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए [हिन्दी] तो मैं फिर तुलसीदास जी की बात कोट करूंगा :

"आवत हिय हरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह,

तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह।"

अगर अमित शाह हमें एडवाइसरी भेजते रहे और आशा करें कि हम उनकी मीटिंग में जाएंगे, यह कभी नहीं होगा। अगर कंचन भी मेह से बरसे तो हम उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। एडवाइसरी देना बंद करें तो हम लोग फिर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान) तीसरी बात, यह सरकार हुकुमत में आई है, जब हुकुमत में आए हैं, हमें उसका पालन करना होगा। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इन्होंने अमित शाह का नाम लिया यह नहीं ले सकते।... (व्यवधान)

[24*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद] नियम 352(ii) कहता है:

"सदन के किसी अन्य सदस्य के *वास्तविकताओं* पर प्रश्न उठाने या आरोप लगाने के माध्यम से व्यक्तिगत संदर्भ दें..."

[हिन्दी] **प्रो. सौगत राय :** क्या अमित शाह का नाम नहीं लिया जाएगा? आप तो अभी मंत्री नहीं बनने वाले हैं, क्यों हल्ला कर रहे हैं?... (व्यवधान) अरे मैडम अमित शाह के बारे में क्या बोला?

माननीय सभापति: माननीय सांसद महोदय कभी अच्छा बोलिए ना, अच्छा बोलिए ना।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, ठीक है। नाम नहीं बोलेंगे। होम मिनिस्टर यदि एडवाइसरी भेजेंगे तो हम उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है।... (व्यवधान) [अनुवाद] वे सहकारी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं।

मैंने आपको पहले बताया था कि यह सरकार पांच वर्ष के लिए सत्ता में आई है और संविधानिक रूप से यह स्वीकार्य है। किन्तु चुनावों के परिणाम पर संदेह किया जा रहा है। परिणाम आने से एक दिन पहले, भा.ज.पा. अध्यक्ष ने कैसे कह दिया, कि उन्हें 300 सीटें मिलेंगी और उन्हें 303 सीटें मिलीं। कर्नाटक में चुनाव के तुरंत बाद वाले चुनाव में भा.ज.पा. की हार कैसे हुई। यह संदेह है कि ई.वी.एम. में गड़बड़ी की गई है। इसीलिए, हम चाहते हैं कि ई.वी.एम. को हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों में किया गया है। ... (व्यवधान) मैडम, आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी] **डॉ. निशिकान्त दुबे :** मैडम, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य ईवीएम पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद] **प्रोफेसर सौगत राय** : महोदया, वे नियम पुस्तिका नहीं जानते हैं। [हिन्दी] मैडम, ये फर्स्ट रो में डिस्टर्ब करने आए हैं। कुछ नहीं होगा इन सबसे। बी.जे.पी. को जो बोलना है, वह सब कुछ बोलेंगे। मैडम मैंने कुछ खराब नहीं बोला है।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे: यह तो स्पीकर डिसाइड करेंगे।

मैडम, रूल 352(5) देखिए।

माननीय सभापति: निशिकान्त जी, आप बोलिए।

डॉ. निशिकान्त दुबे : मैडम, रूल 352(5) देखिए :

[अनुवाद] "जब तक चर्चा किसी ठोस प्रस्ताव पर आधारित न हो, तब तक उच्च प्राधिकारी व्यक्ति के आचरण पर विचार करें।"

[हिन्दी] यदि ये ईवीएम की बात करते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस देश के इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने यहां मोशन नहीं दिया है, इसलिए वे ईवीएम और चुनाव के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनकी बात को रिकॉर्ड से बाहर किया जाए।... (व्यवधान)

[अनुवाद] **प्रोफेसर सौगत राय :** महोदया, ये सब फर्जी है। वह हमें परेशान करने के लिए लाया गया है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी] **माननीय सभापति :** रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके पश्चात् निर्णय होगा। माननीय सदस्य कोई भी बात अगर गलत ढंग से निकाल रहे हैं तो वह नहीं होनी चाहिए। आप इतने अच्छे लोग हैं, आप अच्छी बात कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। ... (व्यवधान) आप रूल्स से फैमिलियर नहीं हैं। आप आज वहां बैठे हैं, थोड़ा रूल्स पढ़ लीजिए। ... (व्यवधान) मेंबर्स को ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद] **डॉ. निशिकांत दुबे** : महोदया, यह अपमानजनक है ... (*व्यवधान*)

प्रोफेसर सौगत राय : महोदया, मैं ई.वी.एम. से मतदान का पूर्णतः विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं और यह हमारी पार्टी की मांग है कि बैलेट पेपर वापस लाए जाएं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **डॉ. निशिकान्त दुबे :** मैडम, माननीय सदस्य चेयर के खिलाफ बोल रहे हैं, यह डेरोगेटरी है।... (व्यवधान) आप यह नहीं बोल सकते हैं कि चेयरमैन रूल्स से फैमिलियर नहीं हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद] **डॉ. निशिकांत दुबे** : महोदया, यह अपमानजनक है ... (*व्यवधान*)

प्रोफेसर सौगत राय: किन नियमों के अधीन? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **डॉ. निशिकान्त दुबे :** मैडम, इन्होंने फिर वही बात कही है। माननीय सदस्य को इस बारे में बोलने से पहले मोशन लाना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य जो भी गलत बात बोलेंगे, उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा।

प्रो. सौगत राय: मैडम, मैंने इलेक्शन कमीशन पर नहीं बोला है। मैंने ईवीएम के बारे में बोला है और मैं बोल सकता हूं, हजार बार बोल सकता हूं। ... (व्यवधान) आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ... (व्यवधान) हजार बार बोलेंगे कि ईवीएम में फ्रॉड हुआ, मैनिपुलेशन हुआ।... (व्यवधान) [अनुवाद] मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी देश की स्थिति क्या है। क्या माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में देश की दशा को प्रतिबिम्बित किया गया है? नहीं। ऐसा नहीं हुआ है। इसमें केवल घिसी-पिटी बातें कही गई हैं और सरकार के सभी कार्यक्रम यथा *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पी.एम. किसान सम्माननिधि,* रेरा, आई.बी.सी.,

भारतमाला, सागरमाला आदि को दोहराया गया है। [हिन्दी] लेकिन देश की असल स्थिति के बारे में इस प्रेजिडेंट एड्रेस में कुछ नहीं है। डिमॉनेटाइजेशन से लाखों लोगों का काम चला गया, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, सूखे से किसान मर रहे हैं, फार्मर्स सुसाइड के बारे में प्रेजिडेंट एड्रेस में कुछ नहीं है। राफेल डील में ऑफसेट एक प्राइवेट पार्टनर को दिया गया, उसके बारे में लोगों में शक है। [अनुवाद] माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में राफेल सौदे में व्यक्त संदेह के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह सरकार मीडिया पर कब्ज़ा कर रही है, एन.डी.टी.वी. पर छापे पड़ रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में इनमें से कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। देश में आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। संस्थानों को कमजोर किया गया है। जिनमें शीर्ष पर सी.बी.आई. है; सतर्कता आयोग में एक लड़ाई चल रही है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है। यह सरकार संस्थानों को नष्ट कर रही है। इस देश में नफरत पैदा की जा रही है क्योंकि धवलकर से लेकर पंसारे और गौरी लंकेश तक तर्कवादियों की हत्या हो रही है, उग्र हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा तर्कवादियों की हत्या की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण इनमें से किसी का भी में उल्लेख नहीं किया गया है। जम्मू-कश्मीर के मामले को अच्छी तरह सम्भाला नहीं गया है। केवल इस वर्ष, कश्मीर में 88 नागरिकों की मृत्यु हुई है। जिसका उल्लेख माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है।

सभापति महोदया, चिंता का मुख्य विषय नौकरी है। पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी की सबसे अधिक दर दर्ज की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन वह वायदा पूर्णतः मिथ्या साबित हुआ है। अब, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकरी क्षेत्र के 30 उपक्रमों का विनिवेश किया जाना है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रविरोधी कदम है जो उठाया जा सकता है। बी.एस.एन.एल. का मामला लें, जिसमें 40,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अब बंद होने के कगार पर है। लोगों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। 20,000 लोगों कों नियोजन देने वाली जेट एयरवेज अब बंद हो गई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं

है। क्या यह राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है? क्या यह देश की वास्तविकता को दर्शाता है? नहीं, वह सलाह नहीं देता है।

महोदया, जैसा कि मैंने कहा, यह पुस्तक विभाजनकारी कार्यसूची की घोषणा है। क्या आप जानते हैं *टाइम्स पत्रिका* ने हमारे प्रधान मंत्री के बारे में क्या कहा? अपने 20 मई, 2019 के अंक में, इसने प्रधान मंत्री को भारत का प्रमुख विभाजक कहा है। इसने लिखा:

> "न केवल मोदी का चुनावी चमत्कार सफल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने भारत में जहरीले धार्मिक राष्ट्रवाद का माहौल बना दिया है।"

[हिन्दी] यही प्रधान मंत्री जी ने किया है। ... (व्यवधान) इसे "जहरीला धार्मिक राष्ट्रवाद" कहा जाता है। यह उन्होंने किया है और वही डिवाइसिव एजेंडा, वे लोग फंक्शन कर रहे हैं। मैं इसे पश्चिम बंगाल में देख रहा हूं। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी 18 बार पश्चिम बंगाल गये। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी आए लेकिन निश्चित रूप से, भा.ज.पा. वहां हार गई। लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं, हमारे कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं, हमारे टी.एम.सी. कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है और गृह मंत्री हमें परामर्श भेजते हैं। यही उनकी दुस्साहसता है और यही उनका अहंकार है। आपको ये बात याद रखनी होगी।

आज अमेरिकी सरकार बारे में एक प्रतिवेदन सामने आई है। प्रधानमंत्री उनसे मित्रता करने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन कहता है:

> “ऐसे कई उदाहरण हैं कि मोदी सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाने वाले कदम उठाए हैं। गौरक्षकों द्वारा हत्या और लिंचिंग के अलावा, अल्पसंख्यक संस्थानों को कमजोर करने और उन शहरों के नाम बदलने के कई प्रयास किए गए हैं जो भारत की बहुलवादी प्रकृति की याद दिलाते हैं।"

[हिन्दी] अचानक इलाहाबाद को प्रयागराज में बदल दिया, हमारा इतिहास नहीं रहेगा। बीजेपी नया इतिहास बनाएगी। ... (व्यवधान) इस प्रेसिडेंट स्पीच में महात्मा गांधी का नाम लिया गया है। आप जानते हैं, बीजेपी पार्टी अपनी पॉलिसी में, पहले था कि [अनुवाद] गांधीवादी समाजवाद है। अब यह दीन दयाल उपाध्याय का एकीकृत मानववाद है। यहां तक कि अपनी नीति में, इसने महात्मा गांधी को हटा दिया है और उन्होंने पैरा 97 में गांधी जी, सरदार पटेल, नेताजी, डॉ. अंबेडकर, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भी उल्लेख नहीं है। क्या राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं पता? क्या वह पहले प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकते? वे नहीं कर सकते।

महोदया, सारा प्रयास देश को सांप्रदायिक बनाने और बांटने का है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में विभाजनकारी बिंदु शामिल नहीं होने चाहिए। वे क्या कर रहे हैं?

पैरा 40 तीन तलाक के बारे में इस तरह बात करता है, मानो वे मुस्लिम महिलाओं का एकमात्र स्त्रोत हों। वे तलाक देने वाले लोगों को जेल भेजना चाहते हैं। हम एक नागरिक अपराध को फौजदारी मामलें में कैसे बदल सकते हैं? पूरा मुस्लिम समुदाय इसके विरुद्ध है। लेकिन वे करेंगे, क्योंकि समाज का विभाजन करना है।

[अनुवाद] पैरा 89 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स का उल्लेख है। असम में 40 लाख बंगाली हैं और उनमें से 22 लाख बंगाली हिंदू हैं। उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं। वे अपनी नागरिकता खो सकते हैं। गृह मंत्री का कहना है कि वह बंगाल में भी नेशनल रजिस्टर लागू करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम बंगाल में कभी भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पुरःस्थापित नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि वे नागरिकता कानून पारित करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने यह कोशिश की थी। यह एक भेदभावपूर्ण कानून है। हमने उन्हें नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित नहीं करने दिया। फिर, गृह मंत्री कहते हैं कि वे इसे लाएंगे। हम नागरिकता (संशोधन) विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे।

फिर, वे एक राष्ट्र, एक निर्वाचन की बात करते हैं। ज्यादातर राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। यह भारतीय राजनीतिक तंत्र को एक समूह में सिमटाने का प्रयास है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक राष्ट्र, एक निर्वाचन हमें स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी] सरकार लोगों का विभाजन करना चाहती है। देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में सरकार नहीं बोल रही है। आज लोगों की नौकरी जा रही है। किसान खुदकशी कर रहे हैं। आधा देश सूखे से पीड़ित है। पब्लिक सैक्टर बंद होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था अधर में है। ये सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है। विकास दर घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई है। यह कई वर्षों में सबसे कम है। सरकार के पास विकास दर बढ़ाने की कोई नीति नहीं है जिससे और अधिक रोजगार का सृजन होगा। इसकी कोई नीति ही नहीं है।

महोदया, ये सरकार नहीं चलेगी। इस सरकार की संदेहास्पद प्राथमिकताएं हैं और साथ ही विधायी स्पष्टता का अभाव है। इसमें केवल विभाजनकारी कार्यसूची और धर्मनिष्ठ बातें हैं। वे आपके ही राज्य बिहार में इंसेफेलाइटिस का उल्लेख नहीं करते, महोदया, जिससे अब तक 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या सरकार उन सभी बच्चों के बारे में बात कर रही है जो मर रहे हैं? वे राफेल सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जहां एक ऑफसेट पार्टनर - कुछ 'अंबानी' को 30,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वे इस मामले पर बिल्कुल मौन हैं। आज, सरकार कठोर आधार लेकर आई है, और यह नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का एक असफल प्रयास है।

महोदया, देश ऐसे नहीं चलेगा। सरकार सत्ता में है। भले ही ई.वी.एम. का उपयोग और हेरफेर संदिग्ध है, फिर भी सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर चलना होगा। सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। सबको साथ लेकर चलने की सरकार कोशिश नहीं करती है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को हिंदू-मुसलमान, शमशान-कब्रिस्तान में बांटा जाए। राष्ट्रपति जी के भाषण के समर्थन में इन लोगों ने कोट किया है। मैं रवीन्द्र नाथ टैगोर को कोट करता हूं, जिसको थोड़ा बहुत प्रेजीडेंट ने कोट किया है -

[अनुवाद] *“एशो हे अर्जो, एशो अनार्जो, हिन्दू-मुसलमान*

एशो एशो आज तुमी इंग्रज, एशो एशो क्रिश्चियन

एशो ब्रह्म, शुचि करि मोन धरो हाट शबाकर,

एशो हे पतित, होक अपोनित शब अपोमनभार" ("आओ हे आर्य, आओ अनार्य, हिंदू-मुसलमान आओ, आज तुम अंग्रेज हो, आओ, आओ ईसाई आओ ब्राह्मण, पवित्र मन से सबका हाथ थाम लो, आओ हे पतित, अपमान का भार छोड़ दो।")

वह आर्य, अनार्य, हिन्दू, मुसलमान, अंग्रेज और ईसाई को बुला रहे हैं। वह पूछ रहे हैं:

"मार अभिषेके एशो एशो तारा" – माँ के राज्याभिषेक के लिए आओ।

"मंगलहत होयनि जे भोरा" – पवित्र पात्र को भरने के लिए।

"शाबर परोसे पोबित्रो करो तीर्थो नीने" – ये लोग अपवित्र कर रहे हैं। वे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहे हैं।

[हिन्दी] इनके प्रेजीडेंट की स्पीच में सैक्युलरिज्म वर्ड नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस के हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक संगठन है, जिसने हमारी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। 26 जनवरी को उन्होंने भगवा ध्वज फहराया, तिरंगा नहीं फहराया। वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भाग नहीं लिया। जिस संगठन को वर्ष 1948 में गांधी जी के मर्डर के सिलसिले में बैन किया गया था, आज हमारे लिए दुख की बात यह है कि वही आरएसएस का एक भूतपूर्व प्रचाकर आज देश का प्रधान मंत्री है। वे बड़ी-बड़ी बात बोलते हैं। वे कहते हैं कि मैं अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को बराक बोलते हैं, लेकिन हमारे आस-पास मालदीव भी हमारी बात ठुकरा देता है और हमारी बात नहीं मानता है। यह हमारे लिए बिलकुल फेल्योर है, अपने पड़ोसियों को शामिल करने के लिए। हमारे नेबर्स से ये कोई सम्पर्क नहीं बना पाए हैं। मैडम, आप देखिए, एशिया में भारत का प्रभाव का क्षीण होना। मालदीव

जैसे छोटे द्वीप देश और श्रीलंका भी भारत का कद छोटा करने का हौसला रख रहे हैं। पांच वर्ष पहले तक भारत का उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ स्थान होता था जब इस देश के भीतर मामले के समाधान में उसकी बात सुनी जाती थी।

यह स्पष्ट है कि विदेश नीति में प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के अलावा किसी भी सुसंगत उद्देश्य की कमी के कारण यह प्रभाव कम हो गया है। सरकार किसी भी मामले का भलि भाँति निपटान नहीं कर रही है। मैं चेतावनी का एक नोट सुनाता हूं। ई.वी.एम. में हेराफेरी करके ही आप सत्ता में आ गए होंगे। लेकिन वह अंत नहीं है।

माननीय सभापति: ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी, तो आप जीतकर कैसे आए?

[अनुवाद] **डॉ. निशिकांत दुबे** : महोदया, यह अपमानजनक है ... (*व्यवधान*)

प्रोफेसर सौगत राय: जितना अधिक आप लोगों पर, उनकी स्वतंत्रता पर दबाव डालेंगे, उतना अधिक आपके लोग तर्कवादियों पर गोली चलाएंगे, जितना अधिक आप उत्पात मचाएंगे, उतना अधिक लोग विरोध करेंगे। जैसा कि टैगोर ने कहा था:

'*ओडेर बधोन जतोई शकतो हाबे*

ततोई बचोन टुटबे

ओडेर जतोई आंखी रखतो हाबे

मोदेर आंखी फूटबे। (उनकी जंजीरें जितनी मजबूत होंगी,वो जंजीरें उतनी ही टूटेंगी।उनकी आँखें जितनी लाल होंगी,हमारी आँखें उतनी ही खुलेंगी।)

'जितनी अधिक उनकी आँखें लाल होंगी, उतनी ही हमारी आँखें खुलेंगी।'

हम अपनी पूरी ताकत से आपका विरोध करेंगे। भले ही लोग भा.ज.पा. में चले जाएं, भले ही वे बंगाल में हिंसा फैलाएं, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, हम सभी गांधीजी और जवाहरलाल नेहरू के इस देश में सांप्रदायिक, विभाजनकारी, पक्षपातपूर्ण, संप्रदायवादी दलों के मार्च के विरुद्ध एक साथ खड़े होंगे।

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी (राजमपेट): महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मुझे राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने बहुत से लोक केन्द्रित कार्यकलाप और आर्थिक विकास, पर्यावरण, नियोजन, किसानों की मदद और अन्य विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का उल्लेख है। यह स्वागत योग्य कदम है कि सरकार आगामी पांच वर्ष में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप करने की परिकल्पना बना रही है।

विशेषकर भा.ज.पा. या एन.डी.ए. को दूसरी बार मिले प्रचंड जनादेश के बाद यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। प्रचंड बहुमत से अहम जिम्मेवारी अभिप्रेत है। लोगों की बहुत-सी उम्मीदें हैं। लोगों को, विशेषकर मेरे राज्य आंध्र प्रदेश के लोगों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य बहुत अधिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि यह सरकार आंध्र प्रदेश और उन राज्यों कों जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, अत्यधिक सहयोग दे।

महोदया, मुद्दों पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों पर आश्रित है। देश में बहुत बड़ा कृषि संकट है, यह विभिन्न चक्रवात अथवा सूखे की स्थिति के कारण हो सकता है जिससे किसान दुष्प्रभावित हुए हैं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी समस्याओं से भी निपटना पड़ रहा है। फिर, जलवायु परिवर्तन और असंगत वर्षा ने कृषक समुदाय को काफी हद तक प्रभावित किया है। इसलिए, हमारा सरकार से आग्रह है कि वह अपना वचन निभाने के लिए कदम उठाए। सरकार ने वादा किया था कि आगामी पांच वर्षों में किसानों की आय दुगुनी हों जाएगी। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इसका वादा किया था। आशा है कि वे किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी।

मैं अपने राज्य के बारे में बात करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र भारी संकट में है। किसानों की दशा के बारे में नाबार्ड द्वार इसके अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशी सर्वेक्षण–2016-17 में

विस्तार से उल्लेख है। आंध्र प्रदेश की खेतिहर गृहस्थितियों की औसत आय 7,000 रुपये प्रति माह है जो हर तरीके से अतिन्यून है। देश के कृषक समुदाय के लिए औसत मासिक आय 9,000 रुपये है जिससे प्रति परिवार केवल 350 रुपये का अधिशेष बचता है। कृपया कल्पना करें कि किसान इस 350 रुपये के अधिशेष से क्या कर सकते हैं। वे बहुत कष्ट में हैं। इसलिए, सरकार को किसानों की सहायतार्थ और अधिक पहल करनी होगी। किसानों की दुर्दशा की भयावहता को समझने के लिए, मैं आपको केवल कुछ विवरण दूंगा। कृषक ऋण के मामले में आंध्र प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश में कृषकों पर ऋण का प्रतिशत 77 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 47 प्रतिशत का है।

तो, अगर आप आंकड़े देखें, तो 2014 में जब हमारे नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो राज्य स्तरीय बैंकिंग समुदाय ने हमारे किसानों का ऋण 87,612 करोड़ रुपये आंका था, लेकिन चार वर्षों में यह बढ़कर 1,30,436 करोड़ रुपये हो गया है। महोदया, गरीब किसान गर्त में हैं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। सरकार को अच्छी पहल करनी चाहिए। सरकार ने जो वादा किया है वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और अधिक पहल करने की जरूरत है क्योंकि इस तरह के समर्थन से, मुझे नहीं लगता कि किसानों की आय दोगुनी करना संभव है। मेरा मानना है कि स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन लागू किए जाने की आवश्यकता है।

अन्य राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के बारे में बात करते हुए, मैं दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम के बारे में बात करना चाहूंगा। दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता 2016 को एन.पी.ए. समस्या के समाधान के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जो देश में पूरे बैंकिंग क्षेत्र को पंगु बना रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एन.पी.ए. अनुपात 14.6 प्रतिशत है, जो वास्तव में बहुत अधिक है। बैंक औद्योगिक और आर्थिक विकास उत्प्रेरक हैं। यदि बैंक गैर निष्पादनकारी आस्तियों से पंगु हों जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में विकास होने का कोई उपाय नहीं रहेगा; हमारी जी.डी.पी. दर कायम रहने का कोई रास्ता नहीं है। महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि एक कहावत है कि "समय में एक सिलाई नौ बचाती है"। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक क्षेत्र विशेषकर कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में उद्धृत करना चाहूंगा। वर्ष 2008

में कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की क्षमता 76,048 मे.वा. थी, लेकिन वर्ष 2018 तक इन 10 वर्षों में यह बढ़कर 1,97,171 मे.वा. हो गई। यदि आप 5 करोड़ रुपये प्रति मे.वा. का पूंजीगत परिव्यय लेते हैं, तो यह 75:25 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ एक अतिरिक्त बोझ है। यह बैंकों पर 4,50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ है। लेकिन अगर वास्तविक जमीनी हकीकत देखें तो यह बिल्कुल अलग है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मासिक प्रतिवेदन में 65 प्रतिशत की संयंत्र भार क्षमता निर्दिष्ट की गई है जो इन संयंत्रों को व्यवहार्य बनाती है, लेकिन दिसंबर 2016 में सी.ई.ए. द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना के मसौदे के अनुसार, कई तापीय संयंत्र को कम पी.एल.एफ. पर संचालित करने की आवश्यकता है और उनमें से कई को संचालन के लिए शून्य या आंशिक समय-सारणी मिलती है। यह उचित योजना की कमी के कारण है; यह उचित बिजली खरीद समझौतों की कमी के कारण है; यह कोयला लिंकेज की कमी और विभिन्न अन्य नियामक मुद्दों के कारण है। महोदया, यदि यह 4½ लाख करोड़ रुपये एक और एन.पी.ए. बनने जा रहा है और अगर यह बैंकों पर बोझ डालने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम बुरी तरह प्रभावित होने जा रहे हैं और सरकार इन बैंकों को बचाने के लिए बहुत सारी पूंजी डालने जा रही है। हमें इस स्थिति से बचना चाहिए। मैंने सिर्फ एक क्षेत्र के बारे में बताया। ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जहां सरकार को तुरंत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और बहुत देर होने से पहले कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

मेक इन इंडिया पहल इस सरकार द्वारा पिछले एन.डी.ए. शासनकाल में शुरू की गई थी। इसका काफी प्रचार किया गया और इसे काफी महत्व दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए पिछले पांच सालों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देखें तो एक वर्ष के अलावा इसमें केवल एक प्रतिशत से भी कम की बढ़ोतरी हुई है। सरकार क्षेत्रीय बदलाव की बात कर रही थी क्योंकि वह अधिक नौकरियाँ पैदा करना चाहती थी और अगर ऐसा है, तो विनिर्माण क्षेत्र में 5 प्रतिशत से कम वृद्धि के साथ यह संभव नहीं है। इसलिए, सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे।

एक और मुद्दा है जिसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा और वह 15वें वित्त आयोग से संबंधित है। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें वित्त आयोग से वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध करती हैं।

14वें वित्त आयोग ने वर्ष 1971 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़ों पर विचार किया। लेकिन वर्ष 1971 से 2011 तक इन 40 वर्षों में आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई पहल कीं। उन्होंने सभी परिवार नियोजन योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया और जनसंख्या की वृद्धि में कटौती की।

यदि 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए, तो यह आंध्र प्रदेश को काफी हद तक प्रभावित करने वाला है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है। विभिन्न योजनाओं के प्रति इसका प्रचार-प्रसार किया गया तथा जनसंख्या को कम किया गया। इसलिए, इन तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि विभाजनकारी पूल में राज्य की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़े को आधार के रूप में उपयोग करना, आंध्र प्रदेश के लिए पूर्णतः अन्यायपूर्ण होगा।

महोदया, मैं सरकार को उन वादों की भी याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले एन.डी.ए.-1 में हमसे किए थे। भा.ज.पा. सरकार के घोषणापत्र में पहला वादा था: "हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे।" इसका व्यापक प्रचार किया गया और तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार, एन.डी.ए.-1 ने आंध्र प्रदेश में बहुत सारी सीटें जीतीं। तेलुगू देशम पार्टी के साथ मिलकर वे सत्ता में आये। लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का ये वादा पूरा नहीं हुआ।

यह अब हमारे लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है। वर्ष 2014 में, जब हमारा नया राज्य बना, आजादी के बाद से हमारे राज्य पर कुल ऋण 90,000 करोड़ रुपये था। लेकिन अगर आप देखें तो आज ये 2,68,000 करोड़ रुपये के करीब है। तो, ऋण में इतनी बढ़ोतरी के साथ, हम अगले तीन से चार महीनों में अपनी प्रगति को समाप्त करने जा रहे हैं। हमारा

राज्य ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो दिवालिया हो जाएगा। हर वर्ष, हम केवल ब्याज लागत चुकाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं।

महोदया, यह अच्छा विकास नहीं है। यदि अभी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया और हमारे राज्य को पर्याप्त मदद नहीं दी गई तो अगले तीन से चार वर्षों में हम वेतन देने में भी सक्षम नहीं होंगे। यह हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा वित्तीय संकट होने वाला है।

महोदया, इसी सभा में वादा किया गया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यू.पी.ए.-2 और एन.डी.ए. दोनों ने मिलकर हमारे राज्य को विभाजित कर दिया। दोनों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया। यह कोई नई मांग नहीं है, जो हम रातोंरात कर रहे हैं। यह वहां रहा है; और इसका वादा भी किया गया था। यह एक न्यायसंगत मांग है।

इसलिए, हम अपने राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगते हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कई अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है, जो उस गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिस गति से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, पोलावरम परियोजना को लें। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसे वित्त पोषित करने के लिए और अधिक प्रयास करे क्योंकि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। इसका वादा भी किया गया था। इसलिए, हम चाहते हैं कि पोलावरम परियोजना तेजी से पूरी हो क्योंकि हमारे किसान भारी संकट में हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है।

महोदया, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे, विशेषकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किए गए वादों को निभाए।

महोदया, इस लोक सभा में हमारी पार्टी से कई पहली बार सदस्य बने हैं। हमारे पास सीमित समय है। अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, ताकि अन्य सभी सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले।

अंत में, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि एक पार्टी के रूप में, हमने अपने युवा सी.एम. श्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में 25 सीटों में से 22 सीटें जीती हैं। हमें 51 प्रतिशत मतदान शेयर मिला है, जो देश

में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसलिए हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमें बेहतर मदद देगी। हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने वादे निभाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी] **श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** धन्यवाद सभापति महोदया। माननीय प्रताप चन्द्र षडङ्गी, जो इस सभागृह के सदस्य हैं, माननीय मंत्री जी हैं,उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां रखा है, उसका शिवसेना की तरफ से समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त हैं, ज्ञानेश्वर माउली। उन्होंने भगवान के पास प्रार्थना करते हुए मराठी में एक पसायदान लिखा है और उन्होंने कहा है कि -

दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो।
जो जे वांच्छिल तो तें लाहो प्राणिजात ॥

नैनेश्वर माऊली ने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस विश्व के जितने गरीब लोग हैं, हर-एक वर्ग में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वे किसान हों, काश्तकार हों, या अन्य लोग हों, उनके हित के लिए जो चाहिए वह भगवान के माध्यम से हो जाए और गरीब के घर का जो अन्धकार है- "दुरितान्चे तिमिर जावो" वह दूर होकर उनके घर में प्रकाश कैसे हो सकता है, इसके लिए भगवान को कोशिश करनी चाहिए। मैंने इसलिए इसका उल्लेख किया है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो लिखा है और उनके भाषण के पेज नंबर-22 में लिखा है कि उन्होंने इस चुनाव के बाद माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देशवासियों ने जिस तरह से एक मजबूत सरकार दी है, जो पिछले कई वर्षों में नहीं आई थी। इस सरकार के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में और भविष्य में जो-जो करने वाले हैं, उसके बारे में भी यहाँ लिखा है, जैसे कि किसानों की आय दुगुनी होगी और हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी। ऐसा जो भी यहाँ लिखा है, मैं माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ। 400 वर्ष पहले नैनेश्वर माऊली जी ने भगवान से जो माँगा

था, आज इस लोकशाही के मंदिर में, जहाँ हम सब लोग बैठे हैं, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि समाज के प्रत्येक घटक से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ इस लोकशाही के मंदिर में आकर बैठे हैं। लोकशाही के मंदिर का भगवान जो कि मतदाता है, उनके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो जो करना चाहिए, वह यहाँ लिखा है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु रामचन्द्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि इन 5 वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी जो चाहते हैं कि सबको घर मिलना चाहिए, सबके घर में दीया जलना चाहिए और सब सुखी होने चाहिए यह भगवान उन्हें सफलता दे, देश का भवितव्य उज्ज्वल हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि इसके पहले गरीबी हटाओ का नारा बहुत बार दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से गरीबी का यह शब्द जैसे का जैसे रहा, गरीबी वैसी की वैसी रही, गरीब लोग वैसे के वैसे रहे, गरीबी शब्द दूर हो गया। उसके माध्यम से जितना पैसा देना था, दिया गया। जो लुटेरे थे, उन्होंने लूट लिया, लेकिन असलियत में गरीब लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की जी सरकार ने इलेक्शन के पहले या उसके बाद जो वादा किया था कि गरीबों के घर में ज्यादा नहीं हर वर्ष सिर्फ 6 हजार रुपये, सिर्फ वादा नहीं, तो 2 हजार रुपये उनके अकाउंट में गया। लोगों को संतोष हुआ और दूसरी तरफ ऐसा वादा किया गया कि भारत सरकार अगर 6 हजार दे रही है तो हम 72 हजार रुपये एक वर्ष में देंगे। लोग इतने अनाड़ी नहीं हैं। हाथ में कुछ है नहीं तो कुछ भी बता दें, लोग समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है और भूलभुलैया या जुमलेबाजी करने वाले कौन हैं। तो 72 हजार रुपये देने वाले को लोगों ने घर में बिठाया और जो 2 हजार या यानी 6 हजार जिनके माध्यम से आया, उनको बड़ी संख्या में भारत माता का भवितव्य उनके हाथों में सौंप दिया। 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना' जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही 'उज्जवला योजना' का प्रभाव भी कितनी अच्छी तरह से हुआ, यह आपको मालूम है। बहुत वर्षों बाद फिर एक बार महिला सांसदों की जो संख्या बढ़ी है, वह 'उज्ज्वला योजना' का प्रभाव है। 'उज्ज्वला' एक गैस नहीं है। वर्षों से जिनके घर में चूल्हा, चूल्हा, चूल्हा, उसके बाद एक परिवर्तन एक छोटे से डिब्बे में से हुआ नहीं तो उनको वास्तव में प्रगति क्या होती है, विकास क्या होता है, वह गरीब बहनों के चूल्हों तक गया और 'उज्ज्वला योजना' एक ऐसी प्रभावशाली

योजना है कि मैं इसके अलावा खुश इसलिए हूँ कि उस दिन के भाषण में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि भविष्य में देश के हर एक घर में 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत गैस कनेक्शन देन का प्रावधान इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। यह आज की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि इसका प्रावधान जल्द प्रभावशाली हो जाएगा और इससे लोगों को काफी फायदा हो सकता है। अध्यक्ष महोदया, कई ऐसी घोषणाएँ, जैसे कि 'आयुष्मान भारत' योजना है। आज भी महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके व देश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कुपोषण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के दो जिलों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 900 बच्चे कुपोषण की वजह से मरते जा रहे हैं। उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, दुर्भाग्य से नहीं हो रही है। 'आयुष्मान योजना' के माध्यम से हर एक घर को एक आधार मिला है। आज दुर्भाग्य से डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में कम से कम 5 लाख का खर्च होता है, जेब काटी जाती है।

[हिन्दी] ऐसी स्थिति में गरीब लोगों का इलाज करने के लिए 'आयुष्मान भारत' जैसी योजना मानो भगवान की कृपा हुई है। इस केन्द्र सरकार और श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से मरीजों को आधार देने वाली, संरक्षण देने वाली और जीवनदान देने वाली योजना का अमल हुआ है, जिससे लाखों लोगों ने उसका फायदा लेना प्रारंभ कर दिया है।

महोदया, कैटल रिलेटेड डिसीज का एक महत्पवूर्ण उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश में कम से कम 65 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज भी खेती करते हैं। लेकिन उनके पास जो जानवर होते हैं, अभी बरसात शुरू हुई है। बरसात के वक्त जानवरों को तकलीफ देने वाले कई रोग हो जाते हैं, उनका सही इलाज करने के लिए दुर्भाग्य से आज डाक्टरों की कमी है। इसीलिए कैटल रिलेटेड डिसीज के लिए 13,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं। इसका सही अमल कैसे हो सकता है। हर एक पंचायत में कम से कम एक कैटल डिस्पेन्सरी या वेटरनिरी डिस्पेनसरी जरूर होनी चाहिए और उसमें डाक्टर होना चाहिए।

महोदया, जैसे 'किसान सम्मान योजना' है, वैसे ही पेंशन स्कीम है। अपने देश में जितने भी किसान हैं, उससे कई गुना मजदूरों की संख्या हैं। ऐसे मजदूर हैं, जिनके पास खुद की खेती नहीं है, जो उनको बुलाते हैं, वहां पर खेती करने के लिए जाते हैं। हर दिन का जो पैसा मिलता है, उससे उनका गुजारा होता है। जो खाना मिलता है, उसके ऊपर उनका परिवार निर्भर करता है। ऐसे जो निराधार वर्ग के लोग हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, उन्हें मजदूर कहा जाता है। ऐसे मजदूर वर्ग के लिए उनका जीवन, जब तक हाथ मजबूत है, जब तक पैर मजबूत है, तब तक वे काम कर सकते हैं, लेकिन जब वे दुर्भाग्य से विकलांग हो जाते हैं, तब उनके भविष्य का प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे विकलांग लोगों के लिए या विकलांग की स्थिति में अपने देश के गरीब लोगों के हित के लिए दुर्भाग्य से आज से पहले इतनी सरकारें आकर चली गईं, लेकिन किसी ने भी इस स्थिति के पर ध्यान नहीं दिया था। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में लोकशाही की जो व्याख्या है, माननीय डाक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि लोगों ने, लोगों के माध्यम से, लोगों के द्वारा किया जाने वाला राज्य यानी लोकशाही, ऐसे लोगों के माध्यम से जब लोगों के लिए काम किया जाता है, तभी ऐसी स्थिति का ज्ञान होता है। ऐसे निराधार लोगों को आधार देने के लिए पेंशन स्कीम का यहां प्रावधान किया गया है। महोदया, शिवसेना के लिए 22 मिनट हैं।

[हिन्दी] क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़े खतरे का निर्माण हुआ है। इस बार पहली बार पूरे देश में पीने के पानी की और कृषि के पानी की समस्या का निर्माण हुआ है। सद्भाग्य से नए मंत्रालय का निर्माण होने की ज़रूरत थी, नए मंत्रालय का निर्माण किया गया। जल नीति का जो निर्णय है, सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड होकर पानी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस भाग में ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ से, जहाँ बारिश नहीं हो रही है, ऐसे प्रदेश में पानी लेकर जाना अभी मुश्किल की बात नहीं है। कच्छ में अगर नर्मदा सरोवर का पानी जाता है और आज नंदन वन तैयार हुआ है, ओएसिस तैयार हुआ है तो ऐसे देश में पानी की समस्या दूर करने के लिए जल नीति का नया डिपार्टमेंट खोलकर एक अच्छा काम करने की शुरुआत की है।

मरीन फिश इंडस्ट्री एंड इनलैंड फिशरीज, सद्भाग्य से अपने देश के लिए बहुत बड़ा समुद्र मिला है। तीनों तरफ इतना बड़ा समुद्र होने के बावजूद करोड़ों की संख्या में मछुआरे अपना गुजारा करते हैं लेकिन साथ-साथ पूरे देशवासियों के लिए और प्रदेश के लिए भी जितनी मछलियाँ चाहिए, वह देने का काम करते

हैं। एक नीली क्रांति के माध्यम से ऐसे मछुआरों को आधार देने का काम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि पिछले कई वर्षों से यह जो मछुआरी करने में, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, उसका दुरुपयोग भारी संख्या में हो रहा है। जैसे कि डीप फिशिंग करते वक्त, एक बार ऐसा होता था कि एलईडी फिशिंग का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी जो पारंपरिक मच्छीमार है, उनका 12 नॉटिकल माइल एरिया रहता है तो वही एरिया में भी एलईडी फिशिंग करने वाले जो भी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यानी एलईडी से फिशिंग करके खुदा का स्वार्थ देखते हैं। लेकिन उनके माध्यम से समुद्र सम्पत्ति के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, समुद्र सम्पत्ति नष्ट होती जा रही है, एलईडी यूज करके जहाँ-जहाँ फिशिंग करेंगे, चाहे प्रदेश के जहाज हों या अपने देश के जहाज हों उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर पांबदी लगानी चाहिए। उनको सज़ा देने का प्रावधान भी करना चाहिए।

[हिन्दी] सभापति महोदया, एक महत्वपूर्ण विधेयक कल ही मंजूर हुआ- ट्रिपल तलाक। यह जो निर्णय लिया है यह स्त्री शक्ति को न्याय देने वाला है। किसी धर्म की बात नहीं है, लेकिन इस देश में रहने वाली जो स्त्री शक्ति है और स्त्री शक्ति के माध्यम से हम सारे लोक प्रतिनिधि यहाँ काम करते हैं, यह स्त्री शक्ति को आधार देने के लिए ट्रिपल तलाक का जो निर्णय हुआ उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

किसानों के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं। उनके पीक बीमा योजना के बारे में जब मैं सब कुछ अच्छा बोलता हूँ, तभी कुछ कमी है, वह भी इस माध्यम से सरकार का ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करने की ज़रूरत है। किसानों को आधार देने के लिए पीक बीमा योजना आई है। अरबों रुपये इस देश की इंश्योरेंस कम्पनी किसानों के माध्यम से वसूल करती हैं। लेकिन किसान जब पीक बीमा संरक्षण की माँग करते हैं तभी इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से किसानों के ऊपर जिस तरीके से अन्याय होता है कोई भी इंश्योरेंस कम्पनी एक-एक जिले में, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से सांसद चुन कर आए हैं, एक-एक जिले में 150 करोड़, 200 करोड़ इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब देने का वक्त आता है, तभी 150 करोड़ जिस जिले में पीक बीमा की वसूली हुई उस जिले में कम से कम 10 करोड़ भी किसानों को नहीं मिलता है।

ऐसी बदमाशी करने वाली जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जो किसान पीक बीमा लेगा, उन किसानों को सही तरीके से रिटर्न भी मिलना चाहिए। केन्द्र सरकार को भविष्य में यानी आज से ऐसे किसानों के हित के लिए इसमें बड़ा प्रावधान करने की जरूरत है। इस भाषण में माननीय पंथ प्रधान जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस देश में कई अच्छे ऐलान किए हैं, जैसे दांडी म्यूजियम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी का एक क्रांति मंदिर, नेशनल मैमोरियल यानी महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मरण के लिए मुंबई में एक बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। ये सारी बातें करने की जरूरत थी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि सभी का आशीर्वाद आपकी जीत के साथ है। जैसे भारत माता के 130 करोड़ देशवासियों ने अपना भविष्य आपके हाथों में दिया है और उनके लिए आप भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे गरीबों का साथ आपको है, व्यापारियों का साथ आपको है, भगिनी वर्ग का साथ आपके साथ है, वैसे ही अयोध्या के रामलला का आशीर्वाद भी माननीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ है। अगर अयोध्या में बैठे रामलला की अवस्था देखें, तो उनके लिए भी एक अच्छा दिन आने की जरूरत है। ऐसे ही अयोध्या का रामलला भी चाहता है कि मेरे सुपुत्र, मेरे भक्त इस लोकशाही के मंदिर में बैठे हैं, उनका नाम नरेन्द्र मोदी जी है और इसके लिए उनके हाथ हमने मजबूत किए हैं कि मुझे जो जकड़कर रखा है, जेल जैसे वातावरण में रखा हुआ है, भविष्य में वे मुझे उससे मुक्त करायें। अयोध्या में रामलला का राम मंदिर का निर्माण करें, यह माँग मैं इस माध्यम से माननीय पंथ प्रधान जी के पास करता हूँ। मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों का आशीर्वाद लें, राम जी का आशीर्वाद लें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर) : महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वाद-विवाद में हिस्सा लेने का अवसर दिया।

प्रताप षडङ्गी जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन के साथ-साथ कुछ सकारात्मक सुझाव आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

महोदया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस चुनाव में जीत के बाद इसी पार्लियामेंट के केन्द्रीय कक्ष में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी संसदीय दल के नेता चुने गए और नेता चुने जाने के बाद उन्होंने विस्तार से, लगभग एक घंटे का भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कई चर्चाएं कीं। उसमें एक बहुत अच्छी चर्चा थी और उसमें उन्होंने एन.ए.आर.ए. को डिफाइन किया। उन्होंने एन.ए.आर.[अनुवाद] ए. को परिभाषित करने का काम किया। एन.ए. को उन्होंने नेशनल ऐस्पिरेशन कहा। नेशनल ऐस्पिरेशन पिछले 5 वर्षों में, वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पूर्णत: पूरा करने का काम किया। उसमें कई योजनाएं हैं, जो उन्होंने बहुत सख्ती के साथ लागू कीं। उन्होंने पहला काम नोटबंदी लाकर काले धन पर हमला करने का किया और यह उनका बहुत बड़ा सही कदम था। उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं रहते हुए भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जो काले धन पर हमला किया, उसका उन्होंने खुलेआम समर्थन किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ हूँ।

[हिन्दी] कई लोगों ने उसका विरोध किया। उस समय जिस गठबंधन में थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि जो देशहित में होगा, हम उसका समर्थन करेंगे और यही एक सच्चे देशभक्त का काम है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 2014 से लेकर 2019 तक किया। आज उस पर इस देश की जनता ने मुहर लगाने का काम किया। आज प्रचंड बहुमत से, फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने का काम इस देश की जनता ने किया है।

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए। उन्हें पकड़ कर लाने का भी प्रयास पिछले वर्षों से हो रहा है। पूरे लोक सभा चुनावों के दौरान काँग्रेस पार्टी के लोग घूम-घूम कर नीरव मोदी और विजय माल्या की चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, विजय माल्या और नीरव मोदी को किसके ज़माने में हजारों करोड़ रुपये दिए गए और किसके ज़माने में उन्हें पैसे देकर भागने के लिए मालामाल किया गया, इसका भी तो आप जवाब देते। अभी जब माननीय काँग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे तो वे इस पर चुप थे। इन्होंने इसे मुनासिब नहीं समझा कि विजय माल्या और नीरव मोदी को जो हजारों करोड़ रुपये मिले, वह किसके ज़माने में मिले, वे इस बात को भूल गए।

महोदया, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा में मैं भी इस सदन का सदस्य था। आतंकवाद की घटना इस देश के लिए एक अभिशाप बन गयी थी। हर दो महीने पर, तीन महीने पर आतंकवाद की घटना होती थी। कभी दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में, कभी बेंगलुरू में, कभी पुणे में, कभी लखनऊ में, कभी कोलकाता में ये होती थीं। इस सदन में उस पर बहस होती थी। उस समय शिवराज पाटील जी गृह मंत्री थे। गृह मंत्री जी को बलि का बकरा बना दिया गया, लेकिन काँग्रेस पार्टी ने आतंकवाद पर कोई हमला करने का काम नहीं किया। आज इस देश ने इनको इसकी सज़ा दी है। आपने आतंकवाद पर कौन-सी कार्रवाई की? हर तीन महीने पर आतंकवादी घटना होती थी। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने शासन किया। आप एक भी बड़ी आतंकवादी घटना का जिक्र नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक, पुलवामा की घटना हुई और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जो संदेश दिया, आज विश्व में उससे मान बढ़ा है, इस देश का मान बढ़ा है।

नेशनल एस्पिरेशन को माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे तौर पर एड्रेस करने का काम किया। लेकिन, आज जरूरत इस बात की है, चूंकि मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ रहा था, कि आप रीजनल एस्पिरेशन को कैसे पूरा करेंगे? इसकी आज आवश्यकता है। पिछली सरकार में रघुराम राजन कमेटी बनी थी, उस ने रिपोर्ट दी है। उस सरकार की रिपोर्ट में यह बात है कि अगर आप इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जो पिछड़े राज्य हैं, उनको विकसित करना पड़ेगा और उन्हें बिना विकसित किए हुए आप विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। रघुराम राजन कमेटी ने यह रिपोर्ट दी और

उसमें यह लिखा है कि देश के दस प्रदेश हैं, जो काफी पिछड़े प्रदेश हैं। उसमें बिहार भी है, ओडिशा भी है, झारखण्ड, बंगाल तथा कई और राज्य हैं। ऐसे दस राज्य हैं। रघुराम राजन कमेटी ने यह भी अनुशंसा की है कि उन पिछड़े राज्यों की मदद करनी चाहिए, उन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिहार प्रदेश से आता हूं। बिहार का आर्थिक विकास पिछले कई वर्षों से दस प्रतिशत से ज्यादा है। यह काम हम अपने बलबूते पर कर रहे हैं। बिहार के मुख्य मंत्री अपनी दृष्टि के आधार पर कर रहे हैं, अपने कार्यक्रमों के बल पर कर रहे हैं, अपने विज़न के बल पर कर रहे हैं। अगर केन्द्र की सहायता मिलेगी तो शायद ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंच जाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आप रीजनल एस्पिरेशन पर ध्यान दीजिए।

आज जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें वर्ष 2017-18 में जो राष्ट्रीय औसत है, हम उससे कम हैं। यह 32.86 है। हमारे प्रदेश में कोई मिनरल नहीं है। हर वर्ष हम बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित रहते हैं। हर वर्ष हम बाढ़ और सुखाड़ पर, आपदा पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करते हैं।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

अगर आज केन्द्र सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री जी राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उन राज्यों को मदद करने के लिए अगर कोई ठोस कार्यक्रम बनाते हैं तो वह रीजनल एस्पिरेशनल को पूरा करने की दिशा में कार्यवाही होगी।

[हिन्दी] महोदया, आपको मालूम है, बिहार के सभी सदस्यों को मालूम है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2015 की विधानसभा चुनाव में सात निश्चय की घोषणा की। चुनाव प्रचार के दौरान उसको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया। राज्य का जो गवर्नेंस का एजेंडा है, जो सुशासन का कार्यक्रम है, उसका वह हिस्सा बनेगा। सात निश्चय का क्या कार्यक्रम है? सात निश्चय का कार्यक्रम है कि बिहार प्रदेश के हर गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना और वहां मूलभूत सुविधाएं विकसित करना है। आज बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जहां हमने हर घर में बिजली पहुंचा देने का काम किया है। हमको याद है कि जब हम लोगों ने वर्ष 2015 में इस कार्यक्रम को शुरू किया और वर्ष 2017 में बिहार के उस मॉडल को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 2017 से वह राष्ट्रीय कार्यक्रम बना। कई राज्यों के लोग आए, नौ प्रदेशों के लोग आए, यह देखने के लिए बिहार आए कि बिहार में कौन-सा ऐसा काम हुआ जिससे हर घर में बिजली पहुंच गई। आज हमने हर घर में बिजली पहुंचा दी।

आज हम किसानों तथा कृषि के लिए अलग फीडर की व्यवस्था कर रहे हैं और उस काम को भी पूरा करने का लक्ष्य नवंबर 2019 तक है। अगर केन्द्र की सहायता मिलेगी तो हम उसको और तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। आज किसानों के हित में, जो कृषि के लिए 75 पैसे बिजली की खपत करेंगे, उसकी दर घटाकर बिहार सरकार ने मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट करने का काम किया है। इस तरह से कई ऐसे कार्यक्रम हैं।

हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आप योजना बना देते हैं और राज्य पर थोप देते हैं। राज्य उसको पांच साल तक चलाते हैं, क्योंकि आप पांच साल तक अनुदान देते हैं,

उसके बाद राज्य पर उसका वित्तीय बोझ पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि केन्द्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, उनमें कटौती की जाए। राज्यों को यह अधिकार दीजिए कि वह अपने जरुरतों के मुताबिक योजना बनाएं और उस योजना पर खर्च करें। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहते हैं।

[अनुवाद] सभापति महोदया, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आज जो यह आवश्यकता है, आज बिहार में जितनी नदियां हैं, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से हजारों-हजार, लाखों एकड़ भूमि में फसल बर्बाद होती है और इससे लाखों लोग आपदा के शिकार होते हैं। नेपाल की जितनी भी नदियां हैं, बिहार की कोई नदी नहीं है, बिहार में जितनी नदियां हैं, वे नेपाल से आती हैं। नेपाल से नदियां आकर बिहार में उत्पात मचाती हैं। अगर नेपाल में अधिक बारिश हो, बंगाल में अधिक बारिश हो, झारखंड में अधिक बारिश हो, मध्य प्रदेश में अधिक बारिश हो, उत्तर प्रदेश में अधिक बारिश हो, जब इन राज्यों में अधिक बारिश होगी तो उसका प्रभाव बिहार पर पड़ता है।

आज हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह करेंगे कि नेपाल सरकार से बात करके, नेपाल की जो नदिया हैं, उन नदियों पर हाई डैम बनाने का काम कीजिए, ताकि नदियों को नियंत्रित किया जा सकें। इससे बिजली का भी उत्पादन होगा। जब बिजली का उत्पादन होगा तो बिजली के क्षेत्र में भी आप आत्मनिर्भर होने का काम करेंगे। इसलिए आज हम यह चर्चा करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में चर्चा करना चाहते हैं।

सभापति महोदया, यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, हर साल हम यह दावा करते हैं कि हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन किसानों का जो पैदावार है, वह अलाभकारी होती जा रही है। यह कौन-सी विडंबना है, यह कौन-सी नीति है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि किसानों की जो फसल है, उसका उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके। आज हम उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमारी कृषि की जो पुरानी ट्रेडिशन थी, उसको छोड़कर आज हम बीज, खाद तथा हर चीज के लिए सरकार को नियंत्रण दे दिए हैं।

उसका कारण है कि न किसानों को समय पर खाद मिलती है, न बीज मिलता है और अगर मिलता है, तो महंगी दर पर मिलता है। इसके कारण आज कृषि के उत्पादन का खर्च बढ़ता जा रहा है। जब खर्च बढ़ेगा, तो वह अलाभकारी होगा। वह उत्पादन अलाभकारी होगा, तो किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। आज इस बात की जरूरत है कि किसानों के हक में विचार किया जाए और किसानों के हक में ऐसी नीति बनाने का काम किया जाए, जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके और किसानों की स्थिति सुधर सके। आज हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं।

रोजगार का सवाल है, आज विदेशी निवेश हो रहा है, बड़ी-बड़ी मशीन्स लग रही हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरीज लग रही हैं, उनकी सारी टेक्नोलॉजी मशीन पर आधारित है। अगर मशीन पर आधारित टेक्नोलॉजी होगी, तो रोजगार सृजन का काम नहीं हो सकता है। अगर रोजगार सृजन करना है, तो बापू की जो ओरिजनल कल्पना थी कि इस देश में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। अगर इनको प्रमोट करेंगे, तभी रोजगार का सृजन हो सकेगा और बेरोजगारी को दूर करने का काम भी हो सकेगा। हम आज यह आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं।

पेयजल संकट आने वाला है। पूरे देश में आधी जगहों पर सूखे की स्थिति है और पेयजल का संकट है। पानी का जल स्तर प्रतिदिन नीचे भाग रहा है, चापाकल फेल हो रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं। पीने के पीनी के लिए लोगों के बीच हाहाकार है। आज इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि आज केन्द्र सरकार इन मूलभूत समस्याओं, जो जनता से जुड़ी हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने का काम करे।

अभी शिव सेना के साथी बोल रहे थे। विवादास्पद चीज को अभी छेड़ने की क्या जरूरत है? समाज में तनाव क्यों पैदा करना चाहते हैं? समाज में ऐसी जागृति पैदा करिए कि उस समाज के लोग भी इस तरह के कानून को स्वीकार करें। कानून बना कर थोपना किसी के हक में नहीं है। हम आज उस पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि जब बिल आएगा, तो उसमें हमारी पार्टी की नीति और दृष्टिकोण साफ है, हम उस दिन उस पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ इतना आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि तीन

तलाक जैसे जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उन विवादास्पद मुद्दों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक धर्म है, एक सम्प्रदाय है, आप उस सम्प्रदाय को अपनी सहमति के साथ उसको लागू करने के लिए दीजिए, जागृति लाइए, जागरुकता पैदा कीजिए। उस समाज में भी प्रावधान है, इज़मा का, इज्तिहाद का। इसी के लिए इस्लाम धर्म में प्रावधान है। उसको उसके लिए प्रेरित करने का काम करिए, ताकि वह इस तरह की चीजों को स्वत: स्वीकार करे। इसलिए विवादास्पद चीजों को छेड़ने की बजाय, आज देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने का काम करिए।

हम यही आग्रह केंद्र सरकार से करते हुए पुन: राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : आदरणीय सभापति महोदया, आपने 17वीं लोक सभा के राष्ट्रपति जी के, महामहिम के पहले अभिभाषण पर मेरी पार्टी बीजू जनता दल और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रपति जी ने देश के मतदाताओं की भरपूर प्रशंसा की है। यह सही बात है, वे प्रशंसा के लायक हैं। देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। इस देश के मतदाताओं ने बहुत सूझ-बूझ दिखाई है। ओडिशा के मतदाताओं ने तो बहुत ही ज्यादा सूझ-बूझ दिखाई है। वहां पर राज्य के निर्वाचन भी हुए। पांचवीं बार नवीन पटनायक की सरकार को ओडिशा के लोगों ने भारी बहुमत से वहां पर निर्वाचित किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने मोदी जी की सरकार के भी हाथ मजबूत करने का काम किया है। ओडिशा से 12 सांसद बीजू जनता दल के आए हैं, तो 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भी आए हैं।

[हिन्दी] आजकल कांग्रेस की जो हालत है, उसको देखते हुए उनका एक सांसद भी वहां से आ गया है, बड़े यंग सांसद हैं। वहां के लोगों की जो मंशा है, जो उनकी आशा है, वह बहुत साफ है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक साथ मिल कर काम करे। नवीन पटनायक जी की सरकार वहां के लोगों के लिए काम करे और केन्द्र सरकार लोकहित में जो काम करे, उसको कंस्ट्रक्टिव कोआपरेशन हम लोग दें, बीजेडी के मैनिफेस्टो में यही बात लिखी गई थी। जो भी केन्द्र सरकार सत्ता में आएगी, उसके साथ राज्य सरकार कंस्ट्रक्टिव कोआपरेशन के साथ काम करेगी, इसके सिवाय राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं है। आज की तारीख में प्रधान मंत्री जी ने फेडरल कोआपरेशन की बात की है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है, उसके बिना इस देश में कोई चारा नहीं है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच संपर्क के बारे में बात होती है। चौधरी जी ने अमेरिकी सिस्टम की बात की, अमेरिकी प्रणाली में, चुनाव से पहले आप डेमोक्रेट या रिपब्लिकन होते हैं, और चुनाव के बाद आप पहले अमेरिकी होते हैं। इससे हम पूरी तरह सहमत हैं, इलेक्शन की कटुता खत्म होनी चाहिए। इलेक्शन में जितने वाद-विवाद

हुए, जितनी कहा-सुनी हुई, वह सब खत्म होनी चाहिए। लोगों ने पांच साल के लिए सरकार चुनी है। पांच साल के लिए यहां मोदी जी की सरकार है, वहां नवीन पटनायक जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार है, बीजू जनता दल की वहां सरकार है और दोनों को साथ मिल कर काम करना है।

मुझे याद आता है, मैं पन्द्रहवीं लोक सभा में यहीं था। माननीय सुषमा स्वराज जी यहां विपक्ष की नेता थी, यह जनतंत्र की विडम्बना है, जहां अभी चौधरी जी बैठे हैं। उन्होंने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा था, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि कल दुबारा दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा न हो। मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के वक्त मोदी जी और पटनायक जी ने इस तरह के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी कि आज अगर कोआपरेशन की बात होती है, आज अगर एक साथ काम करने की बात होती है तो कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। हमने लड़ा है, मुद्दों पर लड़ा है, बहुत जबर्दस्त तरीके से लड़ा है, लेकिन आज जब एक बार मत आ गया है तो वह मत सर आंखों पर, हम उसके हिसाब से काम करेंगे।

सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई बातें कही गई हैं। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, काम निश्चित ही हुआ है, नहीं तो इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं कि मोदी जी को इतनी भारी मात्रा में दुबारा चुन कर भेजें। लोगों ने परिपक्वता दिखाई है, सूझबूझ दिखाई है, इसलिए काम निश्चित ही हुआ है। लेकिन बहुत काम होना अभी बाकी है। यह खुद माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 101 में मानते हैं। देश जब 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाने जाएगा, जो सरकार की परिकल्पना है, उसमें बहुत काम बाकी है। उसमें हम सभी को भागीदार होना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने जिन मुद्दों की बात छेड़ी है, उन मुद्दों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सरकार की तरफ सारंगी जी और गावित जी ने उस बारे में काफी चर्चा की है। यह संसद की गरिमा रही है और संसद का एक विशेष स्वरूप रहा है। राष्ट्रपति जी जो नहीं कहते हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो चर्चा होने के काबिल है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि समय का अभाव होता है इसलिए अभिभाषण में पूरी चर्चा नहीं कर पाते हैं। मैं आज उन मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

कुछ राष्ट्र के मुद्दे हैं और कुछ हमारे राज्य के मुद्दे हैं। जहां तक राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्रपति जी ने एक बात कही कि 78 महिला सांसद का चुना जाना भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन पटनायक जी ने हिन्दुस्तान में पहली बार एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए दीं, इसमें सात सीटें महिलाओं के लिए नॉमिनेट की गईं। हमारे यहां से पांच महिलाएं चुन कर आईं, पांच में एक प्रमिला बिसोई 'एसएजी ग्रुप' से चुन कर आई हैं जो बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाली महिला हैं। जो जानती हैं कि महिलाओं का क्या स्वरूप है और उनकी तकलीफें क्या हैं। इस हाउस की सबसे कम उम्र की महिला 25 साल की चन्द्राणी मुर्मु जीत कर आई हैं। वह भी हमारी पार्टी से है। एक तिहाई सांसद बीजू जनता दल नहीं दे पाई, लेकिन ये खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से दो बहुत वरिष्ठ महिलाएं जीत कर आई हैं, ओडिशा से एक तिहाई हो गया है, वन थर्ड रिजर्वेशन सीट का 21 सीटों में 7 महिलाएं ओडिशा से जीत कर आई हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोनों पार्टियों ने इसे पूरा किया है, हमने वह कोटा पूरा किया है।

[हिन्दी] मुझे लगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी को मेरे हिसाब से महिला आरक्षण बिल का विवरण देना चाहिए था। इस बिल का समय आ गया है, यह बिल लोक सभा द्वारा पास होना चाहिए। कुछ पार्टियों की इस बारे में कुछ मिसगिविंग्स थीं, उनके मन में कुछ शंकाएं थीं। मुझे याद है वर्ष 2009 में राज्य सभा में डिबेट हुई थी, बहुत ही विशियस डिबेट हुई थी, बहुत संघर्षपूर्ण डिबेट हुई थी और शरद यादव जी ने कहा था कि सब परकटी महिलाएं हाउस में आ जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं कि सजग महिलाएं आई हैं, कोई डॉक्टरेट है, कोई अर्ली रिटायरमेंट लेकर ब्यूरोक्रेट आई है, अपराजिता सारंगी जी यहां आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लास से महिलाएं आएंगी, हर क्लास से इस हाउस में अब महिलाएं आने के लिए तैयार हैं। महिला आरक्षण हर लैवल, पंचायत लैवल पर सक्सैस रहा है और अब लोक सभा और विधान सभा लैवल पर हो जाना चाहिए। राज्य सभा ने पारित कर दिया है। मेरे ख्याल से यहां आधे घंटे या 45 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वे इसके पक्ष में हैं, कांग्रेस ने भी कहा है, हम सब कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। इस हाउस में यह निर्विवादित पास हो सकता है, अगर सरकार की मंशा हो तो कल, परसों, तरसों, जब आप चाहें पास करा

सकते हैं। अभी चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहां बड़े आराम से लागू हो सकता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह बिल जल्दी से जल्दी लेकर आएं, यह बीजू जनता दल की मंशा है।

<u>अपराह्न 4.17 बजे</u> (श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी] मैं अधिवक्ता हूं, मैं कुछ न कहूं तो ठीक नहीं होगा। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हाई कोर्ट के जजों की एज बढ़नी चाहिए जबकि इस पूरे अभिभाषण में कहीं भी ज्यूडिशियरी का कोई ब्यौरा नहीं है, कोई बात नहीं की गई है। यह ज्यूडिशियरी की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं यह बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

यह बहुत अच्छा सुझाव है, उन्होंने सुझाव इस नाते दिया है कि एरियर्स आफ पैंडेंसी में फायदा होगा अगर हाई कोर्ट जजों की ऐज सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर हो जाएगी, 62 से 65 हो जाएगी। मेरा मानना है और मैं यह केवल हाउस में कह सकता हूं, शायद बाहर न कह सकू, कि हाई कोर्ट की निर्भीकता धीरे-धीरे कम होती जा रही है क्योंकि सब हाई कोर्ट्स के जज चाहते हैं कि उनको तीन साल एडिशन मिल जाएं और वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। माफ कीजिए, यह बिल्कुल कटु सत्य है।

हाई कोर्ट में अब 800-850 जज हैं, ये इस देश के स्तम्भ हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 30 जजेस हैं। देश के लोगों को ज्यादातर जस्टिस हाई कोर्ट के जरिए मिलता है। वे जजमेंट निर्भीकता, निष्पक्षता, फेयरलैस बिना डर के दे सकते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि कहीं हम सुप्रीम कोर्ट न जा पाएं, वहां कोलिजियम नाराज न हो जाए और हम कोई ऐसी जजमेंट दे दें। मेरे हिसाब से अगर उनकी एज 65 कर देंगे तो हाई कोर्ट की निर्भीकता और रुआब रहेगा और बढ़ेगा।

[हिन्दी] मेरी सरकार से दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने सही कारण दिया है। माननीय कानून मंत्री जी यहां आ गए हैं, मेरा मानना है कि वे इस बारे में मेरे साथ पूरी से सहमत होंगे, अगर ऐसा हो जाए तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि इससे हाई कोर्ट की निर्भीकता पर बहुत फर्क पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में यह हो जाए क्योंकि देश का इससे बहुत भला होगा।

अब राज्य की बात आती है, मुझे खुशी है कि राजीव रंजन जी जब बोल रहे थे तब मैं हाउस में था। उन्होंने बिहार की बात कही। भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच में विषमताएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत विषमताएं हैं। फणी चक्रवात की बात महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है। मेरी कांस्टीटुएंसी पुरी में यह चक्रवात निर्वाचन के दस दिन बाद आया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इसमें जान-माल की बहुत ज्यादा रक्षा हो पाई, क्योंकि हमें नोटिस मिल गया था। जान की तो रक्षा हो पाई क्योंकि बीजू जनता दल की सरकार ने तकरीबन 13 लाख लोगों को 48 घंटे में विस्थापित किया।

13 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित होकर चले गए। मेरे हिसाब से चक्रवात में हार्डली 15 या 20 लोगों की मृत्यु हुई, जिसका हमें दुख होता है, लेकिन जो सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी सम्पत्ति व लोगों की सम्पत्ति, उसका कोई अंत नहीं है। प्रधान मंत्री खुद गए थे। उन्होंने चारों तरफ का ब्यौरा दिया। यह गलत होगा, अगर आज हम उनको धन्यवाद न दें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इमिजिएटली हजार करोड़ रुपया ओडिशा गवर्नमेंट को दिया। उस हजार करोड़ रुपये का हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वहां पर जो जान-माल की हानि हुई थी उससे लोगों को इमिजिएटली कुछ राहत मिल गई। ओडिशा में अभी बहुत काम होना बाकी है। आप यह समझिए कि छ: साल में कम से कम चार सुपर साइक्लोन हुडहुड, फैलिन, तितली और फॉनी, इन चार मेजर साइक्लोन्स ओडिशा को हिट कर चुके हैं। हम कई दशक पीछे हो गए हैं। ढाई लाख इलैक्ट्रिक्स पोल हमारे कोस्टल ओडिशा में गिर गए हैं। मतलब कि 50-60 साल से ज्यादा पीछे हम पिछड़ गए हैं। इसलिए वहां 10 हजार करोड़ रुपये तकरीबन के नुकसान का आंकलन हुआ है, जो इमिजिएटली रिलीफ का काम है। आज की तारीख में कम से कम पांच लाख हमें प्रधान मंत्री आवास योजना में से घर चाहिए इसलिए हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री जी से यह गुहार की है। 'स्पेशल कैटिगरी स्टेट्स' की बात पर अभी डिबेट है, लेकिन जो स्टेट्स इस तरह के वे राज्य जो पूरी तरह से इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुपरसाइक्लोन के रास्ते में हैं और बार-बार सुपरसाइक्लोन से घिरे और प्रभावित हो रहे हैं, तो कम से कम उन स्टेट्स को आप "स्पेशल फोकस स्टेट" कहके उनको अगर कुछ शार्ट टर्म से मिडियम टर्म में, मैं यह नहीं कहता हूँ कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, लेकिन तीन साल, चार साल, पांच साल के लिए आप उनको कुछ स्पेशल

अिससटेन्स दें, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो जो विषमताएं हैं, जो बात प्रधान मंत्री जी ने खुद कही हैं, वे विषमताएं कभी दूर नहीं होगी। राजीव रंजन जी ने भी इन्हीं के बारे में बात की कि ईस्ट इंडिया जो भारत का पूर्व अंग है, वे हमेशा जो हिस्टोरिकल इंजस्टिसेज हुए है, 83 साल पहले ओडिशा "लैंग्वेज" के बेसिस पर पहला स्टेट बना था। अब 72 साल हो गए है इंडिपेडेंस को। इतने हिस्टोरिकल इंजस्टिसेज उस स्टेट के साथ हुए है कि अगर उन हिस्टोरिकल इंजस्टिसेज को चाहे आज दूर करना है, तो उसके लिए एक "स्पेशल फोकस स्टेट्स" पर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुहार करूंगा मुझे तीन-चार मिनट और दीजिएगा मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से स्टेट के बारे में क्योंकि स्टेट की जो है, जो एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है, यह एक सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है इसमें भी हमारा यह कहना है कि केंद्र को टेलीडेंसिटी, हाई-स्पीड बैंडविड्थ जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दोनों के रविशंकर प्रसाद जी यहां मंत्री है बड़ी खुशी की बात है कि आप सुन रहे हैं। अगला है, बैंकिंग नेटवर्क के साथ-साथ सड़कें और रेलवे। केंद्र को यही करना चाहिए जो एक व्यापक दृष्टिकोण है। रेलवेज के लिए तो मैं कह दूं।

[हिन्दी] सभापति जी, ओडिशा भारतवर्ष को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, 20 हजार करोड़। साल के बजट में प्रोविजन आता है 4 हजार, 5 हजार करोड़ रुपये, लेकिन जब साल के अंत में खर्च होता है, 1000-1200 करोड़ से ज्यादा आज तक कभी खर्च नहीं हुआ। आप अगर ये 5000 करोड़ खर्च कर दे ओडिशा के ऊपर तो आपको हर साल 40 हजार करोड़ मिलेगा। रेलवे का रेवेन्यू डबल हो जाएगा ओडिशा से। हम आपको डबल रेवेन्यू देंगे। आज इतना डेमरेज हो रहा है सारे पोर्ट्स में रेल रेक की मारा-मारी हो रही है, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए सरकार को यह सोचना चाहिए और यह तो सिम्पल इकोनोमिक्स है, अगर रेल मंत्री यह सोचे कि जो उस स्टेट को दें, जिससे रेवेन्यू हमें डबल हो जाए, तो हम उतना दें। उनको राज्य को ध्यान केंद्रित करने के लिए आकांक्षी जिलों में सूक्ष्म मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। अन्यथा, जहां तक संघवाद के पहलू का प्रश्न है, थोड़ी समस्या होगी, आदरणीय सभापति जी, कहने के लिए तो स्टेट के बहुत इश्यूज हैं, लेकिन मैं इस हाउस का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे

मालूम है कि मैं अधिवक्ता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे जो समय दिया गया है उसी के भीतर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मेरी आंख हमेशा घड़ी के ऊपर रहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अधिवक्ता समय पर अपना अरग्यूमेंट खत्म करते हैं यह बात डिबेटेबल इश्यू है।

श्री पिनाकी मिश्रा : रविशंकर प्रसाद जी जानते हैं कि जब मुवक्किल पीछे बैठकर देख रहा हो, घड़ी देख रहा हो, समय ज्यादा हो रहा हो, तब जब फीस का इश्यू आता है तो बात कुछ और होती है। यहां हाउस के समय की बात है, यहां फीस की बात नहीं है।

[अनुवाद] सभापति जी, जैसा मैंने पहले कहा, ओडिशा को राज्य का दर्जा मिले हुए 83 साल हो गए। मैं ओडिशा के लोगों की तरफ से केवल यह कह सकता हूं:

"हैरान हैं खुद अपने सब्र का पैमाना देखकर,

उन्होंने याद नहीं किया और हमने इन्तजार नहीं छोड़ा।"

[अनुवाद] अब मैं कहना चाहता हूं कि हमने बहुत सब्र किया, बहुत हमने झेला है। केन्द्र सरकार से हम हाथ जोड़कर यह गुहार करते हैं कि ओडिशा का जो हक है, वह हक दीजिए। सब्र का पैमाना अब छलक चुका है। अब आप हमारे सब्र को ज्यादा टेस्ट मत कीजिए। यही बात कहकर, मैं राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुंवर दानिश अली जी, आज आपका पहला सम्बोधन है, आपका स्वागत है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने 17वीं लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक नया संसद सदस्य होने के नाते मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जब इस देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती का वर्ष है, उस वक्त मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों की चर्चा की और जो लक्ष्य रखा है, उसे बड़े गंभीरतापूर्ण तरीके से हम सभी सदस्यों ने सुना है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के अभिभाषण में नारायण गुरू का भी जिक्र किया है। मैं उस बहुजन समाज पार्टी से आता हूं, जिसके किसी भी कार्यक्रम में, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में, हर नेता के मंच पर और घर में, जब से पार्टी की स्थापना हुई है, नारायण गुरू की तस्वीर हमेशा से लगाई जाती रही है। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की निगाह केरल पर है, इसलिए वे अभिभाषण में लिखते हुए भी यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि नारायण गुरू केरल से आते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस सदन में आने वाले लोगों को यह पता नहीं होगा कि नारायण गुरू किस राज्य से आते हैं।

सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात की है। मैं स्वयं एक किसान होने के नाते कहूंगा, आज इस देश का किसान किस कठिनाई से गुजर रहा है, देश के कितने किसान रोजाना आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और हम लोग यहां इस सदन में बैठकर, किसानों के बारे में केवल लिप सर्विस करके चले जाते हैं। पिछले कई वर्षों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का बहुत ढोल पीटा गया।

लेकिन अगर मैं एक किसान की भाषा में कहूं तो फसल बीमा योजना, मरते हुए लोगों को दो लात और मारने वाली योजना साबित हुई।

सभापति महोदय, जब किसान बैंक के पास क्रॉप लोन लेने जाते हैं तो वे जितना क्रॉप लोन लेते हैं, वे अपनी जितनी जमीन मॉर्गेज कराते हैं, उनकी जमीन के हिसाब से फसल का बीमा कर दिया जाता है। वे क्रॉप लोन पर इंटरेस्ट देते है और साथ-साथ फसल बीमा योजना के नाम पर भी उनसे वसूली की जाती है, लेकिन जब किसान की फसल नष्ट होती है तो फसल बीमा करने वाली कंपनियां कहीं नजर नहीं आती हैं। किसी किसान को बीमा नहीं मिलता है। उस समय यह कह दिया जाता है कि उस ब्लॉक, तहसील के अंदर 50 प्रतिशत फसल नष्ट हुई होगी, तब आपको बीमा मिलेगा। हम जानते हैं, यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य ईमानदारी से जानते हैं कि किस तरह से सर्वे होते हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री गणेश सिंह (सतना):** यह 33 प्रतिशत नुकसान पर पूरा हो रहा है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी] **कुँवर दानिश अली :** यह 33 प्रतिशत पर हो गया है, लेकिन गणेश भाई जरा यह बताइए कि लेखपाल और तहसीलदार हर राज्य में, फसल बीमा करने वाली जो कंपनियां हैं, जब तक आपके अधिकारी वहां मानक नहीं पहुंचाते हैं कि किसानों को बीमा की राशि मिल जाए, तब तक उनको बीमा नहीं मिलता है। इस पर कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यह सच्चाई है। आप लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। किसानों को कोई बीमा नहीं मिलता है। इसने मरते हुए लोगों को दो लात और मारने का काम किया है। केवल बहुराष्ट्रीय इंश्योरैंस कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए यह फसल बीमा योजना लागू की गई है। ... (व्यवधान)

सर, हमारी कुछ बात सुनिए। अभी तो मैंने शुरुआत की है। आज मेरा पहला दिन है। ... (व्यवधान) आप सुनने का मादा रखिए। मैं नया सांसद हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : उनकी मेडेन स्पीच है, उनको बोलने दीजिए।

कुँवर दानिश अली : जो सच्चाई है, मैं अपना और अपने किसानों के कष्ट को बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सत्ता पक्ष के लोगों को अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा। ...

(व्यवधान) शायद इस देश में सही तो एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति, बोलना जानते हैं, बाकी सब गलत ही बोलते हैं।

सभापति जी, हमें सुनने को मिला, माननीय मंत्री जी जब यह प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उन्होंने इस देश में गठबंधन को महामिलावटी कहा। मैंने यह चुनाव के भाषणों के दौरान भी सुना है। इस देश के संविधान के निर्माता बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर और उनके साथी थे। उन्होंने देश के संविधान की रचना ऐसी की है कि इस देश में बहु-दलीय प्रणाली हो, मल्टी पार्टीज डेमोक्रेसी हो और मल्टी पार्टीज डेमोक्रेसी को वन पार्टी डेमोक्रेसी में बदलने की जो आप लोगों की मंशा है, हम वह पूरा नहीं होने देंगे। अब ये खुद भूल जाते हैं कि जब एनडीए-वन की सरकार बनी थी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 23 पार्टीज की सरकार थी। क्या उसको भी मिलावटी, महामिलावटी सरकार कहेंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें चला रही है। क्या वे सभी मिलावटी, महामिलावटी सरकारें हैं? 10 परसेंट रिजर्वेशन अपर कास्ट के लोगों के लिए किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या देश में सरकारी नौकरी बचेंगी? जिस रफ्तार से सरकारी नौकरियों को खत्म करने की कोशिश चल रही है और हर विभाग का निजीकरण हो रहा है, मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियां बचेंगी ही नहीं। बीएसएनएल को खत्म कर दिया और एक निजी कम्पनी को पूरा देश सौंप दिया। अब रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश जारी है और इसकी शुरूआत हो रही है।

अभी पिनाकी मिश्रा जी कह रहे थे कि ओडिशा के लिए यदि कुछ बजट दे दें, तो शायद रेलवे की आमदनी वहां से दोगुनी हो जाए, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप रेलवे का निजीकरण करके अपने कोरपोरेट साथियों को देना चाहते हैं।

महोदय, देश में 'वन नेशन वन इलेक्शन' की चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधान मंत्री जी कुछ इश्यूज पर बहुत जल्दी में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश में चुनाव सुधार होना चाहिए।

[अनुवाद] **माननीय सभापति :** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी] **कुंवर दानिश अली :** चुनाव सुधार का विषय आते ही घंटी बज गई, क्योंकि जो बीस-बीस हजार करोड़ रुपये चुनाव में खर्च करते हैं, वह रुपया कहां से आता है, कौन-से कोरपोरेट हाउसेज हैं, जो पैसा देते हैं? मैं कहता हूं कि यह जो वोट लेकर आए हैं, ये पिछले दरवाजे से लेकर आए हैं। यदि आप ईमानदार हैं, तो चुनाव सुधार की बात करें। मैंने चुनाव आयोग की बैठक में भी कहा कि चुनाव आयोग को एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाना चाहिए। यदि कोई कोरपोरेट हाउस देश का लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए डोनेशन देना चाहता है, तो वह उसमें डोनेट करे, क्योंकि कोई भी कोरपोरेट हाउस हमारी जैसी पार्टी को, जो बहुजन समाज की बात करती है, जो दलित की बात करती है, जो किसान की बात करती है, कोई कोरपोरेट हाउस हमें फंड नहीं देगा ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

[अनुवाद] **कुंवर दानिश अली :** सभापति जी, मैं आपका प्रोटक्शन चाहता हूं। जब देश के एक बड़े सैक्शन का लोकतंत्र के विश्वास में सवालिया निशान लग रहा हो, जब वोटिंग मशीन पर इस देश में सवालिया निशान लग रहा हो, आखिर ऐसी कौन-सी वजह है कि इस विषय पर चर्चा नहीं की गई। हमें खुशी होती, यदि प्रधान मंत्री जी बैठक बुलाते कि आइए, सभी दल बैठें और लोगों का चुनाव में विश्वास बनाएं।... (व्यवधान) जब हम जीतकर आए, तब हमने सर्टिफिकेट लेते समय भी कहा कि हम इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का विरोध करते हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली : महोदय, आप मजबूत सरकार की बात कहते हैं, मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे कि मजबूत सरकार बहुजन समाज के दबे, कुचले वर्ग के हित में नहीं होती है और मजबूर सरकार हमेशा दलित, पिछड़े, दबे, कुचले वर्ग के हित में होती है। ये जरा नशे में ज्यादा हैं।

ये ईवीएम के माध्यम से यहाँ आ गये हैं, इसलिए आप थोड़ा-सा सोचिए। ... (व्यवधान) आप ईवीएम के माध्यम से आ गये हैं। ... (व्यवधान) ईवीएम का विरोध जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में ईवीएम का विरोध जारी रखेगी। ... (व्यवधान)

एक बात और है। ये कहते हैं कि इस देश में जो कुछ हुआ है, शायद इनके सत्ता में आने से पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था। पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देवगौड़ा जी तक जितने भी प्रधान मंत्री आए, वी.पी. सिंह आदि किसी ने भी कुछ नहीं किया। ... (व्यवधान) सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब पहली बार इस देश में गठबंधन की सरकार बनी, तो आदरणीय वी.पी. सिंह जी के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती जी पहली बार लोक सभा में आयीं। उसी वक्त बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर इस पार्लियामेंट के सेन्ट्रल हॉल में लगाने का काम हुआ। इसलिए हमेशा मजबूर सरकारें, कमजोर सरकारें दलितों और दबे-कुचले वर्गों के हित में होती हैं, उनका काम करती हैं। ये नशे में हैं।

मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों, गरीबों, नौज़वानों के लिए भी ध्यान दे। केवल अपने कॉरपोरेट के मित्रों के लिए ही रात-दिन काम न करे। इस देश का जो दबा-कुचला वर्ग है, जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, उनके लिए भी ध्यान दे तभी 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' संभव होगा।

माननीय सभापति: अब आपकी बातें रिकॉर्ड में नहीं जा रही हैं।

... (व्यवधान) …[25*]

[अनुवाद] **श्री गणेश सिंह :** सभापति जी, उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, कृपया उसे देख लें।

माननीय सभापति : ठीक है, इसे देख लेंगे, कुछ गलत होगा, तो निकाल देंगे। श्री नामा नागेश्वर राव।

[हिन्दी] **डॉ. नामा नागेश्वर राव (खम्माम):** सभपति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। 20 तारीख को प्रेसिडेंट साहब के भाषण पर आज हम लोगों को हाउस में बात करने का मौका मिला है। इसी तरह से जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसके बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद उस समय के प्रेसिडेंट ने स्पीच दी थी। उस समय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर

[25*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जवाहरलाल नेहरू साहब और मावलंकर साहब स्पीकर थे। आप उस स्पीच को देखें। अभी हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिले 73 ईयर्स हुए हैं। उस स्पीच में महत्त्व की बात है, उस समय हम लोगों को फूड ग्रेन्स नहीं मिलता था, उसको हम लोग अमेरिका से इम्पोर्ट करते थे। विदेशों से हम लोग फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट करते थे। यह सब देखने के बाद किसान लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उस समय देश में नदियों के ऊपर डैम्स बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। फर्स्ट पार्लियामेंट के समय चार-पाँच नदियों- रिहन्द, चम्बल, कृष्णा, कोसी आदि को आइडेंटिफाई करके उन पर डैम्स बनाने का काम शुरू किया गया। उस समय फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करने में देश में बहुत दिक्कतें होती थीं। जिस तरह से अभी हम लोग पेट्रोल और ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग उस समय फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करते थे। उस समय भी किसानों को दिक्कतें थीं, पीने के पानी की दिक्कत थी। सभी दिक्कतों के बारे में उस समय के प्रेसिडेंट ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मेंशन किया था।

अभी 17वीं लोक सभा है। 20 तारीख को देश के प्रसिडेंट ने स्पीच दी है। अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में उन्होंने कहा,

[अनुवाद] मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक पैराग्राफ उद्धृत करना चाहूंगा और मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बढ़ता जल संकट है। समय के साथ, हमारे देश में जल संरक्षण की पारंपरिक और प्रभावी प्रथाएँ लुप्त होती जा रही हैं।"

[हिन्दी] इसका मतलब है - जिसके बारे में प्रेसीडेंट साहब ने अपने एड्रेस में भी बोला है - कि यह तो बिगेस्ट चैलेंज है। इस बिगेस्ट चैलेंज से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट को काफी अच्छे तरीके से सोचना चाहिये।

सभापति जी, मैं इस बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग तेलंगाना से हैं। हमारे नेता केसीआर साहब हैं। तेलंगाना को बने हुये अभी 6 साल हुए हैं। 15वीं लोक सभा में उसका बिल आया था, वह बिल पास हुआ है। 15वीं लोक सभा में आंध्र-तेलंगाना सैपरेट हो गये हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट कम उम्र का स्टेट है। हमारे लीडर केसीआर साहब ने क्या किया है? किसानों के बारे में सोचकर हम लोगों ने इरिगेशन डेवलपमेंट के लिये काफी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किये हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका तीन-चार दिन पहले तीन मुख्य मंत्रियों ने उद्घाटन किया है, वह कालेश्वर्म प्रोजेक्ट है। हम लोगों को इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में यह भी बताया गया है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स और सैंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, तब ही हम लोगों की जी.डी.पी. ग्रोथ 5 ट्रिलियन की हो सकेगी। राज्यों के सहयोग से, भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उस तक पहुंचने के लिये स्टेट और सैंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की सहायता चाहिये।

[हिन्दी] सभापति जी, इस हाउस में सभी पार्टी के लोगों को मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहता हूं। तीन चीफ मिनिस्टर्स इस प्रोजैक्ट के इनॉगरेशन में गये हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, आंध्र के चीफ मिनिस्टर वाईएसआर पार्टी के हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर टी.आर.एस. पार्टी के हैं। तीन डिफरेंट पार्टीज़ के चीफ मिनिस्टर्स एक प्रोजैक्ट के उद्घाटन में गये हैं। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बोलना

चाहता हूं। इससे पहले इसी प्रोजैक्ट के लिये यू.पी.ए. की गवर्नमेंट के समय में आंध्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और सेंट्रल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। महाराष्ट्र स्टेट में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस समय हम लोग अपोज़ीशन में थे। हमने यह मुद्दा 15वीं लोक सभा में उठाया था, जो लोग यहां हैं, उन्हें भी मालूम है। यहीं गोदावरी रिवर के ऊपर महाराष्ट्र में जो प्रोजैक्ट्स बन रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स को देखने और रोकने के लिये हम वहां गये थे। उन प्रोजैक्ट्स के कंस्ट्रक्शन से तेलंगाना के लिये और तेलंगाना के किसानों के लिए दिक्कत है, ऐसा बोलकर हम उधर गये थे। हम सबको पांच दिनों तक जेल में रखा गया। हम उस टाइम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हमको महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत मारा था। हमने हाउस में सबको दिखाया था।

यह बात बोलने का मेन मुद्दा यही है कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे नेता केसीआर साहब खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पास गये, वे खुद आंध्र के चीफ मिनिस्टर के पास गये। हम लोग इस तरह से लड़कर अगर अपने बीच के इश्यूज़ को ले जाकर दिल्ली में रखेंगे, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम लोग इसे बैठकर सॉल्व करेंगे, ऐसा कह कर तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने इसे बैठकर सॉल्व किया है। इसकी वजह से वर्ल्ड में बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन हमारे यहां कमीशन हुआ है। आप लोग अगर नेट पर जाकर देखेंगे कि वर्ल्ड में बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, तो उसमें कालेश्वर्म, तेलंगाना का नाम आएगा। यह प्रोजेक्ट हम लोगों ने तीन साल में बना दिया है। तीन साल में तीन चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लगाकर हमने 50 हज़ार करोड़ रुपये स्पेन्ड किये हैं। 45 लाख एकड़ हमने इरिगेशन के लिए दिया है। 14000 गांवों के ड्रिंकिंग वॉटर के लिए भी हमने काम किया है। हैदराबाद ड्रिंकिंग वॉटर भी उधर से आ जाएगा। उसके साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वॉटर वहां से आ जाएगा। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूरा किया है।

हम लोग बहुत पहले से बोल रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को आप नेशनल स्टेटस दीजिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर करना है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचकर सपोर्ट करना चाहिए। अगर वह सपोर्ट मिलता है तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत आगे बढ़ेंगी। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फण्ड से नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करे। हम यह भी चाहते हैं, और हमारे मुख्य मंत्री भी यही चाहते हैं कि हम यहां से मैम्बर्स को, लीडर्स को

ले जाकर प्रोजेक्ट को दिखाना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट को दिखाने के बाद हमारे साथ आप सब भी सपोर्ट करेंगे। इस तरह से वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। अभी तक हम लोग नदी के डैम बनाते हैं। नेचुरल ग्रैविटी के साथ हम लोग कैनाल बनाते हैं। मगर हमारा हैदराबाद सी लेवल से करीब-करीब 600 मीटर ऊपर है और उसके लिए वाटर ले जाने में बहुत दिक्कत है। अभी तक हम लोगों ने कुएं से पानी निकाला है, बोरवेल से पानी निकाला है, नदी से नहर बनाकर पानी निकाला है, मगर गोदावरी नदी को 500 मीटर मल्टी लिफ्टिंग करके 45 लाख किसानों को हम लोग पानी दे रहे हैं। इस वृहत्तर प्रोजेक्ट के लिए अगस्त हाउस में चर्चा होनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। उसी तरह से देखें तो ए.पी. रिऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट में 6 साल हो गए, साहब भी इधर ही बैठे हैं, होम मिनिस्टर साहब तो नहीं है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि उसमें कई पेंडिंग चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लीयर करना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ईवन जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया है, उस कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जितनी भी परमीशंस हैं, हम आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं, काफी देर से हम लोगों को परमीशंस मिली हैं, तब जाकर तीन साल के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है।

सभापति जी, इसी के साथ-साथ प्रेजिडेंशियल एड्रेस के नम्बर 26 में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें भी पूरे भारत देश में हमारे तेलंगाना ने किसान के लिए पहले कदम बढ़ाया है। हम लोग राइट बंधु किसान निधि के तहत हर साल एक-एक एकड़ के लिए दस हजार रुपए हर किसान को दे रहे हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी 6 हजार रुपए दे रही है। हमारे तेलंगाना में हम लोग दस हजार रुपए दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 6 हजार रुपए मिल रहे हैं पर एकड़ के लिए। भारत देश में पहली बार किसान के बारे में हमारे नेता के.सी.आर. साहब ने सोचा है। उस तरह से देखें तो हमारा राइट बीमा है। अभी कुछ लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में बात की है। हम लोगों ने 5 लाख रुपए के राइट बीमा की सुविधा दी है। उसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट बात एजूकेशन के बारे में है। तेलंगाना बनने के बाद 6 साल के अंदर 700 रेजीडेंशियल स्कूल्स ओपन किए हैं, एस.सी.,एस.टी., माइनोरिटी और बी.सी. लोगों के लिए।

माननीय सभापति : प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, बस दो मिनट, कम्प्लीट होने वाला है। इसी तरह से मिशन भागीरथ है। ऐसे हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। ईवन 16वीं लोक सभा में जब डिमोनेटाइजेशन का इश्यू आया था, उसे हमारे नेता ने सपोर्ट किया था। देश के डेवलपमेंट के लिए हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने इसमें में भी सपोर्ट किया और जी.एस.टी. में भी सपोर्ट किया। हम यही चाहते हैं कि हमारा स्टेट 6 साल का नया बच्चा है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट नजर रखे। उसके साथ-साथ हम एक और बात बोलना चाहते हैं कि इसके पहले वाजपेयी जी के टाइम में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और बाकी देश के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। आज के दिन उसकी वजह से इण्डिया के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में काफी सुधार हआ है।

इसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड को भी हम लोगों ने ओपन किया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट में ग्रिड भी हो गया है, जिससे कहीं भी पावर को ले जा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अभी आप रिवर लिंकिंग का काम कीजिए। नेशनल वाटर लिंकिंग का काम होना चाहिए। उसके अंदर हमारे कालेश्वरम् प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह से पोल्ट्री का भी इशू, जो खेती के साथ तेलंगाना में नंबर वन है, उसके लिए भी थोड़ा सपोर्ट करें। इन सब बातों के साथ मैंने रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बात की है, उसको भी आगे ले जाने हेतु हमारे स्टेट को सपोर्ट देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद] **माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, आप कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। यहाँ से घण्टी बजाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मज़बूरी में घण्टी बजाना पड़ती है।

श्री अमोल कोल्हे जी।

[अनुवाद] **डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर):** माननीय सभापति महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह संसद में मेरा पहला भाषण है।

[हिन्दी] **माननीय सभापति :** आपका स्वागत है। कृपया बोलिए।

[अनुवाद] **डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :** धन्यवाद, महोदय।

माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण या अभिभाषण में एक स्वप्न और एक दूरदर्शिता थी। इसमें सरकार की बहुत प्रशंसा और सराहना थी लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया, दुर्भाग्य से, इसमें हमारे राष्ट्र की सही तस्वीर प्रतिबिम्बित नहीं हुई है।

माननीय राष्ट्रपति ने सरकार को दूसरी बार चुने जाने के स्पष्ट जनादेश का जिक्र किया है। लेकिन मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जितना बड़ा जनादेश उतनी ही सरकार की जिम्मेदारी है। स्वप्न पूरे करने की जिम्मेदारी, वादे पूरे करने की जिम्मेदारी [हिन्दी] और जिस प्रकार किसी सक्सेस का क्रेडिट लिया जाता है, उसी प्रकार किसी शॉर्ट कमिंग का, किसी अपयश का उत्तरदायित्व भी लेना चाहिए। इट्स रिस्पाँसिबिलिटी। यह उत्तरदायित्व सरकार पर है। मेरा यह मानना है कि अगर नदी की धारा को सुनियंत्रित रखना है, तो उसमें अहम् भूमिका नदी के दो तट निभाते हैं। वैसे ही अगर सत्ता या शासन को नदी की बहती हुई धारा माना जाए, तो उसको सुनियंत्रित रखने वाले दो तट होते हैं, एक विपक्ष और दूसरा स्वायत्त संस्थाएँ। एक युवा सांसद होने के नाते मेरी यह अपेक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान बना रहे, और जो स्वायत्त संस्था है, जैसे सी.बी.आई. हो, आर.बी.आई. हो, न्याय पालिका हो, इन सबकी स्वायत्ता भी बनी रहे। सांसद होने से पहले, भारत का एक नागरिक होने के नाते पिछले पाँच वर्षों में जिन घटनाओं को मैंने महसूस किया, जो घटनाएं हमने देखीं, जैसे माननीय न्यायाधीश को न्याय की गुहार जनता से लगाते हुए हमने देखा। सी.बी.आई. के बारे में होती हुई घटनाओं को हमने देखा। आर.बी.आई. के गवर्नर के बारे में होती हुई घटनाओं को हमने देखा, तब कहीं ऐसा लगा कि लोकतंत्र पर आम जनता का जो दृढ़ विश्वास है, इस दृढ़ता को कहीं क्षति न पहुँच जाए। यही अपेक्षा इस सरकार से, इस मेन्डेट वाली सरकार से एक युवा सांसद होने के नाते मैं करता हूँ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों के लिए कई सारी योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये सभी योजनाएं तभी कार्यान्वित होंगी जब इन्हें सरकारी दफ्तरों की फाइलों से निकालकर किसान के घर तक लें जाया जाएगा। यही समय की मांग है। आज ही महाराष्ट्र से आँकड़े आए हैं। एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड सामने आया है, महाराष्ट्र के किसानों की खुदकुशी के मामले में।

सभापति जी, महाराष्ट्र में आज हर दिन 8 किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। यह एक आत्म हत्या नहीं होती, बल्कि एक पूरा परिवार कोलैप्स हो जाता है। एक आत्म हत्या की वजह से पूरे परिवार के सामने अपने भविष्य को लेकर अँधेरा छा जाता है। मेरी सरकार से यह दरख़्वास्त है कि हम किसान सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। किसानों का सम्मान हो, किसानों का श्मशान न बने, यह मेरी सरकार से दरख्वास्त है। इसी के साथ एक तरफ हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के जो किसान हैं, जो भारत की आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा हैं, वे अभी भी अपनी कृषि उपज के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब किसानों के सम्मान की बात की जाए, तो मैं इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, उन्हें किसानों के हित में रखा जाए, किसानों के हित में बनाया जाए।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

[हिन्दी] मैं हाल ही का एक उदाहरण देना चाहूंगा जो प्याज के दाम के मामले में है। जब किसानों के प्याज की फसल बनकर तैयार थी, मार्केट में आने के लिए तैयार थी, उसी वक्त पिछले पंचवार्षिक में ईजिप्ट से, पाकिस्तान से प्याज इंपोर्ट किया गया था और जो महाराष्ट्र के किसान हैं, देश के किसान हैं, उनके प्याज के दाम रॉक बॉटम आए गए थे। इस दुविधा से किसानों को निकालने के लिए जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी सरकार की तरफ से बने, उसमें ग्राहक और उत्पादक दोनों का हित देखा जाए। अगर यह हित देखा जाए, तो मुझे लगता है कि जिन योजनाओं के माध्यम से हम लोग किसान सम्मान की बात कर रहे हैं, इससे सही मामले में किसानों को सम्मान दिया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, मानसून में देरी हुई है। किसानों के हाथ से जो खरीफ का सीज़न है, वह ऑलरेडी चला गया है। मेरा यह कहना है और मेरा यह सरकार से अनुरोध है कि जो किसान सूखे प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं, सूखे प्रभावित राज्यों से आते हैं, उनकी राहत के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं, तभी जाकर जनसंख्या का पैंसठ प्रतिशत की जो जरूरत है, उसका ख्याल रखा जा सकेगा।

[हिन्दी] महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पशुधन के बारे में, पशुधन के विकास के बारे में, उनके आयोग्य के बारे में बात कही गई है। इसी मामले में एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो महाराष्ट्र का है, वह है बुलक कार्ट रेस या जिसे हम बैलगाड़ी शर्यत कहते हैं। यह परंपरा 400 साल से अधिक पुरनी है जिस पर 2011 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हालाँकि बैल एक घरेलू जानवर है, फिर भी इसे सरकारी राजपत्र में संरक्षित जानवर के रूप में शामिल किया गया था और इसीलिए बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुलक कार्ट न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक संभावित स्त्रोत भी हो सकता है। क्योंकि इसमें न सिर्फ बैलगाड़ी मालिक शामिल होते हैं, बल्कि इसमें जो छोटे-बड़े व्यापारी होते हैं, आइसफ्रूट बेचने वाले से लेकर, भेल बेचने वाले से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन वाले तक, ये रुरल इकोनॉमी को बहुत मजबूत करने वाला मुद्दा बन सकता है। ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मेरा मानना भी है। अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नज़र डालें, तो यह एक चिंताजनक बात है। जो बैल बैलगाड़ी रेसिंग के लिए

इस्तेमाल होते हैं, ये खिलार नाम के देशी गोवंश से आते हैं। यह खिलार नाम का देशी गोवंश है, जहां की गायें होती हैं, इनमें दूध की मात्रा कम होती है। फिर भी महाराष्ट्र के किसान इन गायों का पालन-पोषण करते हैं, क्योंकि बुलक कार्ट रेसिंग के लिए बैलों की उपज की जा सके। लेकिन इस बैन की वजह से या सूखे की वजह से एक तरफ जब सरकार गोवंश हत्या प्रतिबंध की बात कर रही है, तो उसी तरफ इस बैन की वजह से दूध की मात्रा कम होने की वजह से खिलार बैल उनका इस्तेमाल खेती के कामों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए मजबूरन किसानों को खिलार गोवंश के लिए स्लॉटर हाउस का रुख करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस देशी गोवंश को बचाने के लिए और इस परंपरा को बचाने के लिए बुलक कार्ट रेसिंग के लिए आर्डिनेंस पास किया जाए।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आदिवासी भाइयों के लिए भी बातें कही गई हैं। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं, उसमें तीन ऐसी तहसील हैं, जिनमें आदिवासी भाइयों का निवास है। सह्याद्रि के जो रेंजर्स हैं, जो पश्चिम घाटी है, इस पश्चिम घाटी में कई सारी वनौषधि भी है। जहां एक तरफ हम आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद को मुख्य पटल पर लाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन वनौषधियों पर संशोधन करने वाला एक राष्ट्रीय संशोधन केन्द्र बनाया जाए, ताकि इन वनौषधियों को साइंटिफिकली लोगों के सामने लाया जाए और साइंटिफिकली इनका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जा सके।

महोदय, एक और बात की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस ट्राइबल संसदीय क्षेत्र में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी नहीं है। जब भी कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है, जब भी कोई मेडिकल इमरजेन्सी आती है, जो चार-पांच साल पहले आई थी, मालिन जैसा एक पूरा गांव का गांव लैंडस्लाइड से दब गया था, लेकिन बीएसएनएल की कनेक्टिविटी नहीं है। बीएसएनएल के अधिकारियों से जब मैंने वार्तालाप की तो मैं यह जानकर हैरान रह गया, अधिकारियों ने मुझे बताया कि बी.एस.एन.एल. टावरों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है क्योंकि बी.एस.एन.एल. बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इसी बात को लेकर मैं पीएसयूएज की तरफ एक इशारा करना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि इन पीएसयूएज के बारे में माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री जी सदन में नहीं हैं, जो पीएसयू के बारे में भलीभांति जानते हैं।

[हिन्दी] पीएसयूज को स्ट्रेंथन करने के मामले में सरकार को कदम उठाना होगा क्योंकि युवा होने के नाते हमारे ज़ेहन में बहुत सारे सवाल हैं। हमारे ज़ेहन में यह सवाल आता है कि बीएसएनल की कहीं ऐसी तो अवस्था नहीं हुई कि हमारी संस्कृति है- 'जीओ और जीने दो'। बीएसएनल के एम्लॉइज ऐसे तो नहीं बोल रहे कि जीओ भाई हमें भी जीने दो। यह तो बात नहीं हो रही ना, जैसा बीएसएनल को देख कर लगता है। जब राफेल के असेम्बली की डील आती है तब यह सवाल एक युवा के मन में हमेशा उठता है कि यह असेम्बली की डील हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे पीएसयू को क्यों नहीं दी जाती? ओएनजीसी जैसे पीएसयू को एक प्राइवेट सेक्टर से इक्वल कम्पीटिशन का सहारा क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे तो नहीं होता है कि किसी के हाथ-पैर बांध कर उस पर इल्जाम तो नहीं लगाया जाता कि आप घूम नहीं सकते।

अंत में दो-तीन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक है- हेल्थ के बारे में। यह बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को मुझे उठाने दिया जाए। हेल्थ के मामले में जहाँ एक विडम्बना देश में ऐसी है कि जहाँ एक तरफ देश में जय श्रीराम के नारे लगते हैं, उसी वक्त कहीं न कहीं देश में राम नाम सत्य है, की सिसकियाँ भी सुनाई दी जाती हैं और जब यह सिसकियाँ सुनाई देती हैं, तब हाथ में देश के भविष्य की लाशें होती हैं। चाहे बिहार में चमकी फीवर की बात है या फिर पिछले साल उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से आई हुई बात हो। इस बात को लेकर एक बहुत अहम मुद्दा सामने आता है वह है- माल न्यूट्रिशन। जब हम लोग देश को एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने की बात करते हैं तो यह कुपोषण बच्चों को संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है और इसलिए आईसीडीएस की स्कीम के तहत जो मात्रा में कमी की गई है, जो फंड में स्लैश किया गया है, वह मात्रा वापस बढ़ा दी जाए ताकि इस माल न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए।

मैं स्वास्थ्य के दूसरे पहलू पर ध्यान देना चाहूंगा। हमें चिकित्सा पेशेवरों पर हमलों की निंदा करनी चाहिए, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी क्षेत्र में। लेकिन साथ ही, क्योंकि कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनता है, तो डिग्री लड़के को मिलती है, डिग्री लड़की को मिलती है लेकिन सपना पूरे घर का पूरा होता है। अगर आप आगे जाकर सीबीएसई, आईसीएसई के टॉपर का अंदाजा लेंगे तो यह सामने आता है कि अब ये लोग चिकित्सा पेशे को अपनी पसंद के करियर के रूप में नहीं अपनाना चाहते। इसलिए टर्शियरी केयर

में प्रोटेक्शन के साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ बेसिक एमीनिटीज भी आनी चाहिए तब जाकर आयुष्मान भारत सही में आयुष्मान होगा।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे : अंत में सिर्फ दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे हायर एजुकेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी की स्पीच में बोला गया है कि 2024 तक सीटों की संख्या डेढ़ गुना करने की गुंजाइश की गई है, जिसका मैं अभिनन्दन करता हूँ लेकिन उसी के साथ इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी भारत में अन-एम्प्लॉयमेंट का प्रमाण 6.1 परसेंट है और शहरी जनसंख्या में यह अनुपात 7.8 प्रतिशत है। तो, अब समय आ गया है हम आने वाली पीढ़ी को परीक्षार्थियों से वापस विद्यार्थी बनाए। सिर्फ सीटें बढ़ाने से अच्छा हैं एजुकेशन में एम्प्लायबिलिटी भी आनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। 2027 में जब हम चीन को पार करेंगे तो भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

सभापति महोदय : थैंक यू।

[हिन्दी] **डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :** सर, सिर्फ अंतिम बात बोलना चाहूँगा। चूंकि यह मेरा पहला भाषण है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे कुछ और समय दें।

सभापति महोदय : जल्दी समाप्त कीजिए।

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे : सर, पॉपुलेशन के बारे में अनुराग जी मैं यही कहना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देता हूँ, 2027 में जब हम चीन की आबादी को हम क्रॉस करेंगे तो उस वक्त जिन बच्चों के हाथ में देश की कमान होगी, जिन युवाओं के हाथ में देश की कमान होगी वह आज 10, 12, 14 साल के बच्चे हैं, इसलिए शिक्षा प्रणाली में जो सबसे बड़े आबादी वाले देश की कमान सम्भाल सके, ऐसी युवा-पीढ़ी को तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणाली में आमूल बदलाव की सम्भावना है, आमूल बदलाव की ज़रूरत है।

[हिन्दी] महामहिम राष्ट्रपति जी ने अंत में अपने अभिभाषण में स्टेच्यु ऑफ यूनिटी का जिक्र किया है। उसी प्रकार एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं आप सब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक नेशनल हीरो से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, उस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेशनल हीरो

है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है। वह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे राजा थे जिनका जन्म राजा के रूप में नहीं हुआ था। राजा बनने के लिए उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होनें खुद को एक राजा के रूप में शपथ दिलाई और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, वह एक राजा थे। विश्व के महान सत्रह राजाओं में से कोई भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसलिए इतनी बड़ी मेनडेट वाली सरकार से मेरी गुजारिश है कि अगर लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी आदरांजलि छत्रपति शिवाजी महाराज को देना चाहे, क्योंकि शिवाजी महाराज लोकतंत्र के पहले उदगाता माने जाते हैं।

[हिन्दी] 17वीं शताब्दी में जब साम्राज्यवाद था तब वे इकलौते राजा ऐसे थे, जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसे अपने नाम पर नहीं, अपने कुल के नाम पर नहीं, बल्कि लोगों के नाम पर "रयते राज्य" खड़ा किया, जिसे स्वराज्य कहते हैं। इसलिए इतनी बड़ी मैन्डेट वाली सरकार से मेरी यह अपेक्षा है कि लोकतंत्र के पहले उद्गाता का सबसे उचित स्मारक वही होगा, जब स्वराज की राजधानी किले रायगढ़ को 17वीं सदी में जैसा किला रायगढ़ था, वैसे के वैसे उसे बनाया जाए। अगर यह बनाया गया तो यह विश्व का 8वाँ अजूबा होगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगली बार जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुनने को आए तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनने को मिले।

मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अंत में इतना ही कहता हूँ कि युवा भारत उस सुबह की तलाश में है, उस दिन की तलाश में है, जिस दिन आने वाला हर इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी जाति से नहीं, धर्म से नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के नाम से पहचाने। इस प्रतीक्षा में युवा भारत है। धन्यवाद। जय शिवराय।

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति दी है।

यह धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सांसद और मंत्री श्री सारंगी जी ने रखा था, उसका अनुमोदन डॉ. हिना गावीत जी ने किया था, आज मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि यह जो वर्ष 2019 का चुनाव हुआ, वर्ष 2019 का चुनाव 5 साल के कार्यकाल के बाद लोगों के सामने अपना लेखा-जोखा रखकर करने का चुनाव हुआ था। देश की जनता और देश के पण्डित अलग-अलग प्रकार की बातें करते थे, मगर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया। लोग कहते हैं कि वर्ष 2014 के चुनाव में नरेन्द्र मोदी की लहर थी, मगर इस बार नरेन्द्र मोदी की लहर नहीं थी, इस बार नरेन्द्र मोदी की सुनामी थी और इस सुनामी में पूरा विपक्ष ध्वस्त हो गया है और नरेन्द्र मोदी जी जननायक के रूप में उभरकर आए हैं। आज हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, वैसे तो कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता बनने लायक संख्या भी नहीं हैं, मगर वे नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वे बहुत वरिष्ठ हैं। जब वे ऐसे पद पर बैठे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय जो कहा, मैं उस पर आपत्ति जताना चाहता हूँ। देश के करोड़ों लोगों की जिन पर आस्था है, ऐसे नरेन्द्र मोदी जी के बारे में, हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं आपके माध्यम से उस पर कड़ी आपत्ति जताना चाहता हूँ। उन्हें ऐसी अगरिमापूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे देश के प्रधान मंत्री हैं। ये ऐसे प्रधान मंत्री हैं, देश की सीमाओं को छोड़कर, पूरे विश्व में भी उन्हें आदर मिलता है। ये भारत की प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हैं। ऐसे प्रधान मंत्री के बारे में उन्होंने इस प्रकार की जो बातें कीं, मैं उनकी घोर निन्दा करता हूँ। उन्होंने ऐसा भी कहा कि यह सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार हमारी पुरानी स्कीमों को लेकर आगे चलती है। उन्होंने जिक्र किया कि हमारी राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना को ये "पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के नाम से लेकर आए हैं। वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके मित्र यहाँ बैठे हैं और अन्य सभी लोग यहाँ पर हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आपकी राजीव गाँधी योजना में देश में 18 हजार गाँवों में बिजली नहीं पहुँची थी। अगर गाँवों में किसी ने बिजली पहुँचाने का कार्य किया है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो गरीब के घर में बिजली का गोला पहुँचाने का कार्य किया है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि हमारा निर्मल भारत आपने "स्वच्छता मिशन" को लेकर आगे बढ़ाया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका निर्मल भारत सिर्फ कागज पर लिखा हुआ था, अगर उसको किसी ने धरती पर उतारने का कार्य किया है, उसे जन-जन तक ले जाने का कार्य किया है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जिस प्रकार से "स्वच्छ अभियान" की मुहिम चली है, बच्चा-बच्चा, युवा और सभी वर्ग के लोग इससे जुड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने सुशासन के जरिए किया है।

आपने कहा कि 'इन्दिरा आवास योजना' आपकी थी। नरेन्द्र मोदी जी की 'प्रधान मंत्री आवास योजना' है। अगर इसकी और 'इन्दिरा आवास योजना' की तुलना की जाए तो उससे करीब तीन से चार गुणा ज्यादा की लागत से आज 'प्रधान मंत्री आवास योजना' बनती है। पहले की 'इन्दिरा आवास योजना' के आवास को हमने देखा है, मगर आज की 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के जो आवास हैं, उनमें पानी है, बिजली है, शौचालय है और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। जब एक गरीब व्यक्ति उसमें रहने जाता है तो एक सम्मान के साथ जाता है। उनके बच्चे भी सम्मान के साथ जाते हैं। उनके बच्चे अपने स्कूली मित्रों को अपने घरों पर एक स्वाभिमान के साथ आमंत्रित भी कर सकते हैं। पहले की योजना में इस तरह के आवास नहीं होते थे।

आपने 'आधार' का कार्यक्रम किया। आपने जिक्र नहीं किया। आपने जी.एस.टी. कार्यक्रम किया था। आपने ही किया था, मैं आपसे सहमत हूं, मगर आज 'आधार' कार्यक्रम में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने करीब 100 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड्स निकाल कर उसे ज़मीन पर लाया है। डी.बी.टी. की करीब 400-450 योजनाओं के पैसे 'आधार' के तहत गरीबों के हाथों में जाते हैं। काँग्रेस के वक्त में ये पैसे बिचौलिए के हाथों में चले जाते थे। उस समय पैसों का लीकेज होता था। आज यदि नरेन्द्र मोदी सरकार एक रुपया भेजती है तो 100 पैसे उसके खाते में जमा होते हैं, यह वास्तविकता है।

मैं जी.एस.टी. की बात करूं तो वह आप लोग लाए थे और मैं आपको बधाई भी देता हूं। मगर, आपके पास वह विल-पावर नहीं थी, जो नरेन्द्र मोदी जी में थी। आज जिस प्रकार से जी.एस.टी. आया है, पूरे देश में एक टैक्स का जो कार्य किया गया है, उस पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

अब मैं स्कीम्स के बारे में बताता हूं। आपकी सरकार में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना थी। आपके वक्त इन्दिरा गांधी आवास योजना थी। आपके वक्त राजीव गांधी के नाम पर आवास योजना थी। एक ही परिवार के नाम पर अलग-अलग योजनाएं रहती थीं। यहां प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी या उनके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के नाम पर कोई योजना नहीं है, अगर कोई भी योजना है, वह प्रधान मंत्री के नाम से है। इसलिए आपको इस पर बात करने का अधिकार नहीं है।... (व्यवधान) आप बैठिए, मैं विनम्रता से कहता हूं।... (व्यवधान) आपको सुनना पड़ेगा।... (व्यवधान) देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से यह सरकार बनाई है।... (व्यवधान)

मैं अधीर रंजन जी से यह कहना चाहता हूं और एक मित्र भाव से मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि आपने प्रधान मंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, आपके काँग्रेस अध्यक्ष ने भी चुनावों के समय और उसके पहले यह किया था और देश की प्रजा ने उनका क्या हाल किया? उन्हें कौन-से स्थान पर ला दिया, अधीर रंजन जी, आपको यह देखना चाहिए।

मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मैं एक सर्जन हूं। मैं अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का प्रोफेसर हूं। मैं अगर ज्यादा बात कहूंगा तो मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कहूंगा। इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हुए हैं, मगर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हमारे देश में कोई भी ठोस योजना नहीं बनाई गयी थी। नरेन्द्र मोदी जी ने 'आयुष्मान भारत', 'प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना' बनाई। लोग पॉपुलर्ली 'मोदीकेयर योजना' को जानते हैं। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आपको इस तरह की योजना देखने को नहीं मिलेगी। यहां करीबन दस करोड़ परिवारों को, यानी देश की आधी आबादी को, हर परिवार को पाँच लाख रुपये सालाना का हेल्थ केयर मिलता है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई योजना हुई है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे आदर्श थे, उनकी जन्म तिथि पर यह हुई है। वे

अंत्योदय की थ्योरी लेकर आगे चलते थे। वे कहते थे कि हमें उसकी चिंता करनी है, जो पिछली पायदान पर बैठा है। उनके जन्मदिन पर पिछले साल प्रधान मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। आज मैं फ़ख्र के साथ कहता हूं कि करीबन 27 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और हम सबकी मंशा है कि आगे इस योजना को घर-घर तक पहुँचाएंगे, ताकि गरीब को उसका हक़ मिल सके। कई विपक्ष शासित राज्य हैं, मैं उनके नाम भी दूंगा, जैसे पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो, ये इस योजना को लागू नहीं करते हैं। यह योजना एक ऐसी योजना है, जो ऑनलाइन है, कैशलेस है। इसके अन्तर्गत मरीज़ किसी भी ज़गह पर जाता है, चाहे वह गुजरात का हो और महाराष्ट्र में गया तो महाराष्ट्र में भी उसे कैशलेस योजना का लाभ मिलता है।

इसमें टर्शिअरी केयर तथा सेकेंडरी केयर की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता है। अगर मैं अलग-अलग रोगों की गिनती करूँ तो करीब 1300 से ज्यादा रोग हैं, चाहे वह लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे वह हृदय का हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का रोग हो, उसमें शामिल है। जो पुराने रोग हैं, उन रोगों को भी शामिल करने का कार्य नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में ऐसी योजना नहीं है। इस योजना के संबंध में अगर हम आबादी को गिनेंगे तो अमेरिका की जनसंख्या, कनाडा की जनसंख्या और मैक्सिको की जनसंख्या को मिलाइए, तो यह उससे भी बड़ी योजना है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, आपको भी पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने जितनी भी योजना बनाने का काम किया है, वह पिछड़ी पंक्ति में बैठे हुए गरीबों के लिए बनाया है। चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, इस प्रकार की योजनाओं की जरिए प्रधान मंत्री जी ने जो काम किया है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

इसमें बहुत सारी बीमारियां भी शामिल हैं। प्रधान मंत्री जन धन योजना में कई सारे लोगों को पैसे के बिना भी सीधे लाभ हुआ है। इसको आधार के जरिए भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी उनको इसका लाभ मिलता है। इसमें राज्य तथा केन्द्र की जिम्मेदारी होती है। दोनों को साथ रहकर इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई राज्य इसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह

गरीबों का अपमान है और आने वाले चुनावों में ऐसे राज्य सरकारों को गरीब लोग सबक सीखा देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

जब पहले कोई गरीब बीमार होता था, तो वह लाख, दो लाख रुपये का उपचार नहीं करवा सकता था। आज गरीब एक हक के साथ अपना गोल्डेन कार्ड लेकर उपचार करवा सकता है। मैं मेडिकल प्रोफेसर हूं। मेडिकल एजुकेशन और हॉस्पिटल के बारे में सरकार ने जो योजना बनायी है, 20 नए सुपर स्पेशियलिटी एम्स जैसे हॉस्पिटल खुलने वाले हैं। यह नरेन्द्र मोदी सरकार का निर्णय है। इनमें से एक झारखंड और दूसरा गुजरात के राजकोट में नए एम्स खुलने वाले हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। करीब 73 सरकारी मेडिकल कॉलेज़ज अपग्रेड किए जाएंगी। एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में 1675 बेड्स की संख्या बढ़ायी जाएगी। यह नरेन्द्र मोदी सरकार का निर्णय है। पूरे देश में कुल 92 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तीन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज हमारे स्वास्थ्य सुविधा में अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है, तो रूरल हैल्थ केयर को एड्रेस करना चुनौती है। मैं समझता हूं कि जब मेडिकल कॉलेज बनेगा, तब गांवों में भी मेडिकल की सुविधा मिल सकेगी। एमबीबीएस की 15354 सीटें बढ़ेंगी और डॉक्टरों की जो कमी है, उसकी भी पूर्ति होगी। जहां तक जहां तक पीजी की सीटों का सवाल है, एमएस एमडी का सवाल है, इसमें करीब 12646 सीट्स बढ़ने वाली हैं और कई सारी सुपर स्पेशियलिटी सीट्स भी बढ़ने वाली हैं।

[हिन्दी] अगर मैं पीएचसी के बारे में बताऊं तो पूरे देश में करीब डेढ़ लाख पीएचसी फैले हुए हैं। प्रधान मंत्री जी ने निश्चय किया है कि उसको अपग्रेड करके वैलनेस सेन्टर के तौर पर निर्माण किया जाएगा। वहां इलाज तो होगा, मगर वहां प्रिवेन्टिव भी होगा, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस काम को किया है।

सभापति जी, योगा को हॉलिस्टिक तरीके से जो बढ़ावा दिया गया है, पहले भी हमारे कई वक्ताओं ने योगा के बारे में बोला है। अभी 21 जून को पाँचवां योगा इंटरनेशनल डे मनाया गया। हमने देखा कि यह

न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश के सभी बड़े-बड़े शहरों में, यूएन में, दुबई में, मुस्लिम कंट्रीज़ में लोगों ने योग का प्रयोग किया। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी के एक वाक्य पर 190 से ज्यादा देशों ने योगा को स्वीकार किया। मैं समझता हूं कि यह योगा और प्रधान मंत्री जी की एक्सेप्टिबिलिटी है।

जहां तक वैश्वकि टीबी का सवाल है, टीबी को हमारे यहां राजरोग माना जाता था। पहले जिसको टीबी होता था, वह अपने आपको ऐसा समझ लेता था कि वह ज्यादा टिकने वाला नहीं है। डब्ल्यूएचओ और यूएन ने वर्ष 2030 तक टीबी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुझे एक डॉक्टर होने के नाते गर्व है कि हमारे प्रधान मंत्री ने 5 साल पहले टीबी को यहां से उखाड़ कर फेंक देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ऐसे नहीं लिया है। इसके लिए 4 लाख से अधिक डीओटी केन्द्र हैं, जहां डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट के जरिए मरीज को दवाई दी जाती है। जहां एक्टिव केस का पता लगाने के लिए करीबन साढ़े पांच करोड़ लोगों के घर-घर जाकर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। सभी टीबी रोगियों का पोषण इम्प्रूव करने के लिए नरेन्द्र मोदी की सरकार 500 रुपये प्रति माह देगी और वह डॉयरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से से देगी।

मिशन इंद्रधनुष के बारे में बहुत सारी बातें हैं। यह सरकार का ठोस निर्णय है। वैक्सिनेशन के जरिए, महिलाएं हों या बच्चे हों, करोड़ों लोगों तक यह योजना पहुंची है। पल्स पोलियो का जिस प्रकार से काम किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, आज गुर्दे के रोग बहुत होते जा रहे हैं। कई लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। प्रधान मंत्री जी ने गरीब के लिए नि:शुल्क डायलिसिस केन्द्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले हैं। वहां पर उनको नि:शुल्क सुविधा दी जाती है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र के द्वारा औषधियों के दामों को 60 से 80 प्रतिशत कम किया गया है। टीबी, कैंसर और हार्ट की दवाइयों के दामों में और भी गिरावट की है। पहले कार्डिएक स्टैंट लाखों में डालते थे, आपको मेडिकेटेड स्टैंट चाहिए या नॉन मेडिकेटेड स्टैंट चाहिए, इन बातों पर लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। प्रधान मंत्री जी ने उसकी एमआरपी फिक्स की है और करीब 30 से 35 हजार रुपये में स्टैंट मिलता है। इसी प्रकार ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी प्रधान मंत्री जी की इस योजना के तहत होता है।

मैं कुछ बात सामाजिक न्याय की भी करूंगा। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, 1989 में तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार लाई थी। इसके पहले कांग्रेस ने कभी भी एससी, एसटी के लिए एट्रोसिटी एक्ट का कोई प्रावधान नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। उस समय, अभी के हमारे मंत्री श्री रामविलास पासवान जी जो एक्ट लाए थे, यह उनके हाथों से हुआ था। वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। उसमें कुछ कमजोरियां थीं। कांग्रेस की सरकार कई बार आई, मगर उस एक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई और वर्ष 2015 में एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन किया गया। उनको नाखून दिए गए। उनको और कड़ा किया और करीब 25 और गुनाहों को उसमें शामिल करके उस एक्ट को मजबूत किया गया।

अनफार्चुनेटली, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से उस एक्ट को डायलूट किया गया था, मगर मोदी सरकार ने पिछले सत्र में उस एक्ट को बरकरार रखने का कार्य किया। पूर्व में जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में लाने का कार्य किया था। इसे गरीबों, दलितों, एससी, एसटी के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया था।

यूजीसी का एक फैसला आया था। यह फैसला ऐसा था कि एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग को जो रिजर्वेशन मिलता है, उसमें 200 प्वाइंट्स का रोस्टर होता था, उसके बजाय 13 प्वाइंट्स का रोस्टर रखा गया। मोदी सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकार दिया था। यही मोदी सरकार थी, जिसने अध्यादेश लाकर चुनाव के पहले उस 200 प्वाइंट्स रोस्टर को बरकरार रखने का कार्य किया था। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इनका भी अगर किसी ने किया है, तो मोदी सरकार ने किया है।

मैं बाबा साहब अंबेडकर की बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने हर मौके पर किया था। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस के वक्त में नहीं मिला था। यहां बगल में केन्द्रीय हॉल है। यहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपना लिखा हुआ संविधान राष्ट्रपति जी के हस्तों में प्रस्तुत किया था।

[हिन्दी] जहां संविधान प्रस्तुत किया था, उनका वहां तैल चित्र नहीं रखा गया था, वहां सभी नेताओं के तैल चित्र थे लेकिन बाबा साहब का तैल चित्र नहीं था। मुझे स्मरण है कि हमार स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त के प्रधान मंत्री को निवेदन किया कि बाबा साहब का तैल चित्र रखा जाए। प्रधान मंत्री ने क्या जवाब दिया ? प्रधान मंत्री ने जवाब दिया कि सेंट्रल हॉल की दीवार पर जगह नहीं है। तब वाजपेयी जी ने कहा था कि सेंट्रल हॉल की दीवार पर जगह तो है मगर कांग्रेस के दिल में जगह नहीं है। इस प्रकार का अन्याय बाबा साहब के प्रति किया गया था। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ की बात करूं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के महु में हुआ था, बाबा साहब जहां नागपुर में दीक्षा ली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां अंतिम सांस ली थी। 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम यात्रा बम्बई की इन्दु मिल के पास निकली थी,भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां स्मारक बनाया था। आज दिल्ली में इतने बड़े व्यक्ति का जिन्होंने देश को संविधान दिया था, उनका कोई स्मारक नहीं था। नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में 15 जनपथ रोड पर एक इंटरनेशनल स्मारक बनाया, मोदी जी ने शिलान्यास भी किया, इसका उद्घाटान या लोकार्पण भी मोदी जी ने किया। यह मोदी जी का उनके प्रति सम्मान बताता है। इसी प्रकार 26 अलीपुर रोड में निजी सम्पत्ति थी, अटल जी ने वह सम्पत्ति खरीदी थी और वहां बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाने का संकल्प किया था। उसके बाद आपकी यूपीए-1 आई और उसके बाद यूपीए-2 आई, दस साल में आपने कुछ नहीं किया, वह नरेन्द्र मोदी थे जिन्होंने वहां स्मारक बनाया, दिल्ली में मेमोरियल बनाया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, मुझे पूरा स्मरण है कि इसी प्रकार 2014 में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मोदी जी इसी सदन में जब जवाब देने गए थे, उनके शब्द मुझे याद हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था, मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी, मेरी सरकार महिला, दलित और वनवासियों के प्रति समर्पित रहेगी। यह अपने कार्यकाल में उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार गरीबों के लिए है। आप लोग जब तक गरीबों का साथ नहीं देंगे, आपका जो ये हाल हुआ, उससे भी बेहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद] **श्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी (मलप्पुरम):** आदरणीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का नारा काम कम और चर्चा अधिक करना है। वे हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। इस बार, निश्चित रूप से सरकार ने इसकी खूब बिक्री की है। ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इस देश की जनता को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।

आदरणीय सभापति महोदय, उन्होंने अपनी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान सामने आने वाली बहुत सी समस्याओं कों सुलझाने की दिशा में कोई काम नहीं किया है जिनका यह देश गंभीर रूप से सामना कर रहा है। आज सुबह हमारे अधीर रंजन चौधरी ने एक के बाद एक कांग्रेस सरकारों या यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों का जिक्र किया था। यू.पी.ए. सरकार बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए जानी जाती थी। यह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने या जी.डी.पी. दर को बढ़ाने, दुनिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जाना जाता था। भारत के अगले गंतव्य बनने के संदर्भ में, एक समय था जब दुनिया भारत की तुलना चीन से भी करती थी।

एक समय था जब दुनिया यह बात कर रही थी कि भारत चीन से बेहतर है। अब तथ्य क्या है? हमने स्वीकार किया है कि हम चीन से नीचे हैं; हम उस से नीचे उतर आए हैं। चीन इस क्षेत्र में सबसे अच्छा गंतव्य बन गया, लेकिन नरेन्द्र मोदी के समय में भारत ऐसा नहीं है। हम प्रधानमंत्री के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। यह ठीक है; आपको प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह बात करने की आजादी है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में भारत दुनिया भर में निवेश के गंतव्य के रूप में क्या बन गया है? यह नीचे चला गया है। लेकिन यू.पी.ए. सरकार के अंतिम 10 वर्षों में, मनमोहन सिंह के समय में, दुनिया भारत के बारे में क्या बात कर रही थी? दुनिया बता रही थी कि भारत महाशक्ति है; भारत अगला गंतव्य है; भारत बेहतर है; यह सर्वोत्तम लोकतंत्र बन गया है; यह ब्रिटेन या यूरोप की तरह एक समय-परीक्षित देश है और भारत निवेश के लिए सबसे अच्छा गंतव्य बन जाएगा और यह एक शांतिपूर्ण स्थान होगा। अब यह क्या हो गया है? इसी तरह, आपने किस आधार पर कुछ हासिल किया है? आप इसे अच्छी तरह से प्रचारित कर रहे हैं। मैं

मानता हूं कि इस बार आपने इसे अच्छी तरह से बेचा है। लेकिन बहुत सारी समस्याओं के बावजूद आप इसे अब इस तरह नहीं बेच पाएंगे।

उदाहरण के लिए, पानी लीजिए। कई माननीय सदस्य आज यहां इसके बारे में बात कर रहे थे। तमिलनाडु हमारे देश का एक हिस्सा है। तमिलनाडु में लोग पानी के खाली बर्तन लेकर इधर-उधर भटक रहे हैं। क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप इसके प्रति गंभीर हैं? जब सदस्य माननीय प्रधान मंत्री की प्रशंसा करते रहे थे, तब मैंने आज यहां जो भाषण सुने हैं, उनमें से किसी में भी इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है।

बेरोजगारी दर बहुत अधिक बढ़ गई है। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? पिछले पांच वर्षों में यह बढ़ता ही गया। विकास दर वैसे ही नीचे जा रही है। देश जिस आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है वह बहुत गंभीर है। हम कहाँ आगे जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि हमारे लोग भूखे मरने वाले हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है; उनके पास भोजन नहीं है; उनके पास पानी नहीं है। उन्हें भविष्य में इनमें से किसी भी समस्या के निकटतम समाधान की कोई उम्मीद नहीं है। क्या यू.पी.ए. सरकार के कार्यालय में यही स्थिति थी? यह नहीं था। विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था। नियोजन पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा था। इस देश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा था। क्या तुलना इस तरह की जानी चाहिए? पिछले पांच वर्षों के दौरान आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? क्या आप कह सकते हैं कि यह *नोटबंदी* है या नोट निषेध? पिछले पांच वर्षों के दौरान आपने क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त कीं?

आज यहां जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। श्री अधीर रंजन चौधरी ने इसका खुलासा किया है। वे सभी नए नामों वाली पुरानी योजनाएँ हैं। यानी नई बोतल में पुरानी शराब है जिसे आप आगे ले गए। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। ऐसा ही चलता रहा; और कुछ

नहीं है। तो, आपने देश को आगे नहीं बढ़ाया या अब भी आपकी ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। अब, चुनाव के तुरंत बाद आप यहां आये हैं और सबसे ज्यादा चर्चा तीन तलाक पर है।

तीन तलाक की समस्या को देश की सबसे बड़ी समस्या दिखाया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या तीन तलाक है। यह एक विशेष समुदाय के बीच तलाक है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि आप यहां तीन तलाक के बारे में इतनी बात करते हैं? चुनाव के बाद आप इस विधेयक को पहली प्राथमिकता बना रहे हैं।

अब आप एक राष्ट्र, एक निर्वाचन की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें और कोई समस्या नहीं है। आप कुछ नारे ला रहे हैं जो नागरिकों को विभाजित करेंगे, उदाहरण के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक। आप कुछ नारे ला रहे हैं जिससे आप लोगों को बांटने का माहौल बनाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बेच दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान आपने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। यह देश के हित में नहीं था। इसलिए, मैं इन चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ रहा हूं।

बिहार में बहुत से बच्चों की मौत हो गई है। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए कोई रोजगार नहीं हैं। ये गंभीर समस्याएं हैं। हमारा देश जिन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, उन पर प्रधानमंत्री या किसी अन्य का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई लोकतांत्रिक चर्चा नहीं है। विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आप असफल होने जा रहे हैं। इसे मुझसे ले लो। अगली बार, आप ये चीजें नहीं बेचेंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है। यू.पी.ए. भी दूसरी बार सत्ता में आई थी। आप ऐसा सोचते हैं मानो आपने दुनिया जीत ली है और आप हमेशा के लिए देश पर शासन करने जा रहे हैं।

[हिन्दी] **श्री गणेश सिंह (सतना):** सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव यहां पर जो आया, उसके समर्थन में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सचमुच उन्होंने अपने अभिभाषण में देश की प्रगति का उल्लेख किया है। 2014 से 2019 के बीच में देश ने जो प्रगति के नए सोपान तय किए थे, उन्होंने बिन्दुवार अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है।

सभापति महोदय, जब सत्रहवीं लोक सभा चुनाव के परिणाम 23 मई को आ रहे थे तो पूरा देश नहीं, पूरी दूनिया आश्चर्यचकित थी और हमारे देश के विपक्ष के नेता तो हैरान थे कि आखिरकार इतना बड़ा जनादेश कैसे मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। शायद ये लोग भूल गए थे कि ये कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं थे। मैं मानता हूँ कि यह स्वाभाविक जीत थी और सरकार के किए हुए कामों की जीत थी। देश के गरीबों ने, देश के आम मतदाताओं ने जिस तरह से भरपूर समर्थन दिया, देश में काफी वर्षों के बाद दूसरी बार सरकार फिर आई, पहले से ज्यादा संख्या लेकर के आई और काम के दम पर सरकार आई। जगह-जगह चर्चा होती थी। कांग्रेस के नेता जो यहां पर भाषण कर रहे थे, चौधरी जी तो कह रहे थे कि हमारे जमाने की बहुत सारी योजनाएं थी। मैं उनको आज आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं जहां-जहां चुनाव में गया, मैं भरी सभाओं में पूछता था कि देश में सबसे ज्यादा असत्य बोलने वाली पार्टी का नाम बताएंगे।

लोग उठकर, खड़े होकर बोलते थे - कांग्रेस पार्टी। मैं दूसरा प्रश्न पूछता था कि देश में सबसे बढ़िया प्रधान मंत्री कौन हुआ, तो उत्तर मिलता था - श्री नरेन्द्र मोदी। फिर उस सभा में जो लोग उपस्थित होते थे, उनसे पूछता था कि क्या यहां कोई नए मतदाता हैं? उन नए मतदाताओं को मैं बुलाकर एक ही सवाल पूछता था कि क्या आप वोट डालने जाने वाले हैं? उत्तर मिलता - हाँ। किसको वोट देंगे तो लोग बोलते थे कि देश की खातिर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए नरेन्द्र मोदी जी को वोट देंगे। यह नब्ज थी देश की, जो देश में विपक्ष के लोगों की समझ में नहीं आई, वे महागठबंधन बनाते घूम रहे थे। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया था कि अगर देश का विकास चाहिए, प्रधानमंत्री ने जो एक मन्त्र दिया गया था - 'सबका साथ, सबका विकास' – उसके आधार पर देश की जो प्रगति इन पांच सालों में हुई, पिछले 55 सालों में नहीं हुई। यह उसकी विजय है।

मैं मानता हूं कि तीन दशकों के बाद, पहली बार देश के गरीबों ने अपनी आस्था नरेन्द्र मोदी जी में व्यक्त की है। सचमुच गरीबों के हित में जितने काम इन पांच वर्षों में हुए, नेहरू जी के जमाने में नारा लगा थे – 'रोटी, कपड़ा और मकान' देने का, फिर जब इंदिरा जी आईं, उन्होंने गरीबी मिटाने का नारा लगाया, लेकिन ये सिर्फ नारे रह गए, गरीबी और बढ़ती चली गई। गरीब एक-एक मकान के लिए तरसता रह गया। एक इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी, पूरे 55 से 60 सालों में कुल 70 लाख मकान बने थे, वह भी कच्चे मकान और आधे-अधूरे पड़े थे। मोदी जी की प्रधान मंत्री आवास योजना आई तो डेढ़ करोड़ मकान एक साथ बन गए और अब 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, आज देश में ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां सैकड़ों की संख्या में प्रधान मंत्री आवास न बने हों। मेरे इलाके के कई गांव ऐसे हैं, जो शहर बन गए। हमारे यहां एक परसमनिया पहाड़ नाम का आदिवासी क्षेत्र है, वहां एक कुरेछ पुरेही गांव है। पहले वहां कच्चे मकान होते थे। जब मैं चुनाव में गया, मैंने देखा वह गांव पूरा शहर हो गया। शाम का वक्त था बिजली जल रही थी। मुझे लगा कि मैं रास्ता भटक गया, लेकिन सचमुच उस गांव में सारे मकान पक्के बन गए थे, शाम को सबके घर में बिजली जलने लगी थी। वहां इतना सुंदर दृश्य था। मुझे एक आदिवासी भाई वहां लेकर गया कि चलो, मेरा घर देख लो। वहां उसके नाम का, उसके बेटे के नाम का, उसके दूसरे भाई के नाम का, तीनों की एक बखरी जैसी बनी थी। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। सचमुच यह काम के विश्वास की विजय है।

आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि नारों से देश नहीं चलेगा, काम से देश चलेगा। यह सच्चाई भी है। इस बार के चुनाव में 303 लोक सभा क्षेत्रों में अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और 55.90 प्रतिशत मत मिला है। आम तौर पर कहा जाता है कि जब आम चुनाव होते हैं, 50 प्रतिशत से कम मतों में सरकार बन जाती है, लेकिन इस बार वे सारे रिकॉर्ड्स भी टूट गए। मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि आपने 52 सीटें जीती हैं और 9.59 प्रतिशत मत मिला है। एक समय था, जब दूसरी बार लोक सभा का चुनाव देश में हुआ था तो कांग्रेस को 406 लोक सभा सीटें मिली थीं, लेकिन आज कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है। क्या कारण है, विचार करें।

[हिन्दी] अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि सभी चीजों के बारे में अधीर जी ने हमें आइना दिखा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के लोगों ने ईमानदारी से इस देश के विकास के लिए काम किया होता तो आज यह देश कहां से कहां पहुंच गया होता। आज 70 वर्ष बाद भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को गरीबों के घर में शौचालय बनाने के लिए काम करना पड़ रहा है। गरीबों को मकान देने के लिए काम करना पड़ रहा है। बेशरम/बेहया पौधे की लकड़ियों से हमारी गरीब माताएं खाना बनाती हैं, जहरीले धुएं से बीमार होती हैं, आज उनको रसोई गैस देने का काम करना पड़ रहा है। यह वही देश है। आज गरीबी कहां से कहां पहुंच गई है। वर्ष 2022, जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाएगा, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि हम इस देश से गरीबी को विदा कर देंगे। देश के गरीबों की हर जरूरत को पूरा करना सरकार का पहला लक्ष्य होना चाहिए था। लेकिन यह लक्ष्य पहले उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उस लक्ष्य को अगर किसी ने स्वीकार करने का काम किया तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

सभापति महोदय, मोदी जी देश में कोई राज करने नहीं आए हैं। राज तो कांग्रेस ने किया है, तभी तो इस देश की दुर्गति हुई। मोदी जी राष्ट्रसेवा का व्रत लेकर देश की सेवा करने आए हैं।

इसी वजह से आज देश तरक्की कर रहा है। अब मोदी जी मात्र देश भर के नेता नहीं हैं बल्कि वह वैश्विक नेता हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी की वह भविष्यवाणी साकार होने का समय आ गया है, जब उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी दुनिया में आएगी तो वह भारत की होगी। भारत में एक व्यक्ति का जन्म होगा, जो देश के साथ-साथ दुनिया का नेतृत्व करेगा, वह कोई और नहीं बल्कि वह नरेन्द्र मोदी जी ही हैं। आज पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। आज जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुन रही है। आज दुनिया का एजेंडा मोदी जी के कहने से तय हो रहा है लेकिन यह सब कांग्रेस के लोगों और विपक्ष के दूसरे साथियों को अच्छा नहीं लग रहा है।

सभापति महोदय, हमें इस चुनाव में एक और बड़ी विशेषता देखने को मिली है। जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद बहुत तेज गति से फैलाया गया, लेकिन इस बार जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद

पराजित नहीं हुआ बल्कि धराशायी हो गया और राष्ट्रवाद एवं देश के विकास की विजय हो गयी। इस बार गरीबों और आम मतदाताओं ने जो निर्णय लिया, वह सचमुच ऐतिहासिक निर्णय था।

सभापति महोदय, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ ही वर्ष 2014 में विकास की यात्रा शुरू हुई थी। आज उसमें एक और नया मंत्र जुड़ गया, अब सबका विश्वास भी उसके साथ जोड़ दिया या गया है। इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री जी का आत्मविश्वास बढ़ा है। महान दार्शनिक सेंट मार्टिन ने कहा है कि आत्मविश्वास में वह अटूट शक्ति है, जिससे मनूष्य हजारों विपत्तियों का सामना अकेला कर सकता है। आज प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी में वह क्षमता है कि वह सभी तरह की परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए देश की प्रगति को बहुत आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी के लिए वे चौकीदार ... . शब्द का उपयोग कर रहे थे, मैं वह शब्द नहीं कह सकता हूं, जितनी बार इन्होंने इसे दोहराया, कहा है, उतना ही देश की जनता को गुस्सा आया, सबसे ज्यादा देश के गरीबों को गुस्सा आया और मतदान के दिन उन्होंने ईवीएम का बटन दबा कर इनको जवाब दिया, इससे भी अभी इनको समझ में नहीं आया है।

सभापति महोदय, विशेष रूप से मैं इस देश के उस वर्ग के लोगों की बात करना चाह रहा हूं, जिनकी आबादी 52 फीसदी है और वह वर्ग बहुत उपेक्षित है। इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी 52 फीसदी है। इस देश के निर्माण के जितने भी काम हैं, वे सारे उसी वर्ग के लोगों के द्वारा होते हैं। अगर मैं कहूं कि दिन-रात मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह वही कौम है। वह खेतों में काम कर रही हो, वह सड़क बनाने का काम रही हो, वह खलिहान में काम कर रही हो, वह विनिर्माण के क्षेत्र में कर रही हो, वह लोहे-लकड़ी का काम कर रही हो, पत्तल बनाने का काम कर रही हो या कम्बल बीनने का काम कर रही हों, ये जो छोटी-छोटी जातियां हैं, जो ठेला लगाते हैं या फल बेचते हैं, ये वे कौम हैं, जिनके बारे में आज तक कांग्रेस जैसे दल ने विचार ही नहीं किया। काका कालेलकर आयोग वर्ष 1953 में इनके लिए बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट वर्ष 1956 में आ गई थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर, मोरारजी भाई की सरकार बनी तो 20 दिसम्बर, 1978 को उन्होंने एक मंडल आयोग गठित किया, उसकी रिपोर्ट वर्ष 1980 में आ गई, लेकिन उस पर भी आगे कुछ नहीं हुआ। उसमें इस देश की 3,741

जातियां तय की गई और उनमें सभी धर्मों की पिछड़ी जातियां हैं। उनमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग थे। वी.पी. सिंह की सरकार के समय 7 अगस्त, 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन का आदेश दिया लेकिन वर्ष 2017 तक उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया।

<u>अपराह्न 5.54बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी] मैं ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। हम लोगों ने लगातार संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय प्रधान मंत्री जी समिति के सभी माननीय सदस्यों ने मुलाकात की, उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया और उसके चलते उन्होंने तय किया कि देश के पिछड़े वर्ग के आयोग को हम संवैधानिक दर्जा देने का काम करेंगे।

तब जाकर 123वां संविधान संशोधन हुआ और प्रधान मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। लगभग 8 हजार से ज्यादा शिकायतें वर्षों से लम्बित पड़ी थीं और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये सभी उत्पीड़न के केस थे, लेकिन किसी को न्याय देने का काम नहीं हुआ।

मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम दिया है। इसी तरह से उन्होंने 124वां संविधान संशोधन किया और उच्च वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया, यह ऐतिहासिक कदम है, जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। यह हिम्मत का काम उन्होंने करके दिखाया। महात्मा गांधी जी ने साहस और उत्साह पर कहा था, उसे मैं कोट कर रहा हूं – 'संसार में कठिन परिस्थितियां आने के पश्चात जो व्यक्ति साहस और धैर्य अपनाए रखता है, वह कठिनाइयों पर काबू पा लेता है' और मोदी जी ने सचमुच यही करके दिखलाया है। आज उन्होंने कहा है कि हम उच्च शिक्षा में 2 करोड़ नई सीटों का निर्माण करेंगे, ताकि सभी को न्याय मिल सके।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण मिला है, मैं वर्ष 2016 तक की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। केटेगरी-ए में कुल कर्मचारियों की संख्या

84705 है, जिसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी मात्र 11016 हैं, केवल 13 परसेंट हैं। इसी तरह से 'बी' केटेगरी में 290941 कर्मचारी हैं और ओबीसी कर्मचारियों की संख्या 42995, केवल 14.88 परसेंट है। 'सी' केटेगरी में 2824066 कर्मचारी हैं और ओबीसी कर्मचारियों की संख्या 641930, केवल 22.65 प्रतिशत है। 'डी' केटेगरी में 48951 कर्मचारी हैं और ओबीसी कर्मचारियों की संख्या 7076, केवल 14.46 परसेंट है। जो 27 परसेंट का आरक्षण मिला था, इसे पूरा करने का काम बहुत जरूरी है।

[हिन्दी] महोदय, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा देश के किसानों का है। किसानों के मामले में हमारी सरकार ने मोदी जी की पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला फैसला यदि किसी के पक्ष में लिया, तो किसानों के सम्मान के लिए लिया। मैं देश के किसानों की तरफ से प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 30 तारीख को शपथ ली और 31 तारीख की पहली कैबिनेट में पहला फैसला किसानों के पक्ष में लिया। घोषणा-पत्र में हमारी पार्टी ने कहा था कि 5 एकड़ तक के किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि देंगे। मोदी जी ने कहा कि 5 एकड़ के किसानों को ही नहीं, बल्कि सभी किसानों को लाभ मिलना चाहिए। इतना उदार दिल बनाकर उन्होंने साढ़े चौदह करोड़ किसानों को एक मुश्त सम्मान निधि देने का काम शुरू करने का फैसला किया, उसमें लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का व्यय हर साल सरकार के ऊपर आएगा। सवाल छह हजार रुपये का नहीं है, सवाल सम्मान का है। यदि किसी को सात श्रीफल सम्मान मिल जाता है, तो वह प्रसन्नता से फूल कर कुप्पा हो जाता है। आज किसान दिन-रात मेहनत करता है। प्रधान मंत्री जी की निधि से, भारत सरकार के खजाने से हर साल उसे जो सम्मान निधि दी जाएगी, सचमुच वह उसके लिए लाखों-करोड़ों रुपयों के बराबर है और यह सम्मान देने का जो फैसला पहली बार हमारी सरकार ने प्रथम चक्र में किया है, यह बहुत ऐतिहासिक है। पांच करोड़ किसानों को तीन हजार रुपये प्रति महीने छोटे किसानों को पेंशन भी मिलेगी। इसी तरह से जो छोटा व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, उन्हें भी तीन हजार रुपये की पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय है और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। 25 लाख करोड़ रुपये का कृषि क्षेत्र में निवेश होगा। यह ऐतिहासिक फैसला है। जब हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि वर्ष 2022 तक इस देश के किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, तो स्वाभाविक है उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके पहले

उन्होंने फसल बीमा दिया। फसल बीमा के बारे में यहां जो लोग कह रहे थे, शायद उन्हें जानकारी नहीं है। फसल बीमा का व्यापक असर हुआ है और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसी तरह से मृदा परीक्षण में किसानों को बड़ी राहत मिली है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, छह बज गए हैं। सदन का समय बढ़ाने के लिए आपकी क्या राय है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, जैसा बीएसी में तय हुआ था कि आज हाउस को आठ बजे तक चलाएंगे। मेरा अनुरोध है कि आज हाउस का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

[हिन्दी] **श्री गणेश सिंह :** किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया है। अभी-अभी हमारी सरकार ने ग्रामीण भण्डारण के बारे में फैसला लिया है। मैंने देखा है, जगह-जगह पर किसानों की गेहूँ खरीदी गई, धान खरीदी गई, लेकिन भण्डारण की सुविधा न होने के कारण बरसात में वह सब सड़ जाती हैं। इसलिए ग्रामीण भण्डारण का जो फैसला हुआ है, वह सचमुच में एक ऐतिहासिक फैसला है।

सोलर ट्यूबवेल की जहाँ तक बात है, तो जहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर हम सोलर पावर से ट्यूबवेल में सिंचाई के लिए पानी दे सकते हैं।

इसी तरह से 10 हजार नये किसान उत्पादन संघ बनाये जाएंगे। जहाँ पर मत्स्य उत्पादन होता है, वहाँ पर नीली क्रांति का भी निर्णय लिया गया है। मैं मानता हूँ कि देश के किसानों की कठिनाइयों को एक-एक करके दूर करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। वास्तव में, किसानों की तो कोई बात ही नहीं करता था। अगर आज देश की राजनीति का एजेंडा बना है, उसमें किसान है, तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बनाया है। किसानों की वास्तविक तकलीफ को दूर करने का उन्होंने काम किया है। जिस

प्रकार से उन्होंने गरीबों का जीवनस्तर बदल दिया, उसी तरह से उन्होंने किसानों के जीवनस्तर को बदलने का जो संकल्प लिया है, उसको वे पूरा करने का काम कर रहे हैं।

मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इन सभी कामों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद] **एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक नए सदस्य के रूप में और चूंकि यह मेरा पहला भाषण है, मैं बोलने के लिए कुछ और समय मांग रहा हूं।

इस महती सदन में श्री प्रताप चंद्र सारंगी द्वारा पेश राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उनके द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सबसे पहले, मैं मोदी जी और अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं, जो सत्ता राजनेताओं का अनूठा संयोजन हैं जो फिर से सत्ता में आए हैं। फिर मैं श्री नारायण गुरुदेव सहित हमारे समाज के कुछ मशाल वाहकों के नामों का आह्वान करने के उल्लेखनीय प्रयास के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने भाषण में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केरल के जाति-ग्रस्त समाज में अन्याय के विरुद्ध केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। एक बात आपको जाननी होगी कि श्री नारायण गुरुदेव पूरी तरह से ब्राह्मणवादी वर्चस्व और मनुस्मृति की विचारधारा के विरुद्ध थे।

आप उस वास्तविक कार्यसूची को भटकाने में सफल हो गए हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा होगा कि आप फिर से सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग आपकी जनविरोधी नीतियों को भूल गए जो आपने पिछले पांच वर्षों में अपनाई थीं। आप किसानों के आंदोलन को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मोड़ सकते हैं और इसके लिए आपने माननीय राष्ट्रपति के भाषण के अनुसार पिछले तीन महीनों के भीतर 13,000 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

आप चालाकी से नोटबंदी की त्रासदी पर चर्चा को पुलवामा त्रासदी की ओर मोड़ सकते हैं। आपने लोगों की देशभक्ति की भावना को बढ़ाया और उसका उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप आपकी पार्टी को जीत मिली।

मुझे एक बात कहनी है कि 'एक देश, एक चुनाव' का विचार पूर्णतः असंघीय एवं अलोकतांत्रिक है। मेरी पार्टी, सी.पी.आई.(एम) ने पहले ही इस संबंध में एक विशिष्ट नोट जमा कर दिया है। हमारा मानना यह कि यह एक कुटिल विचार है या अन्यथा, हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव का मॉडल अपनाने की दिशा में

पहला कदम है। हमारे विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में यह कैसे संभव हो सकता है? चुनाव के बाद एक सरकार आती है और उसके बाद कुछ ही समय में उनके सहयोगी अलग हो सकते हैं। फिर क्या होने वाला है? हां, केवल एक चीज है राष्ट्रपति शासन। यह अब विभिन्न राज्यों में हो रहा है। आप राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्यों में प्रवेश करने के लिए एक कुटिल और गंदा खेल खेल रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप एक देश, एक चुनाव का विचार वापस लें।

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, कृपया गैलरी में बात न करें।

[अनुवाद] **एडवोकेट ए.एम. आरिफ** : राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप हमेशा कहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने या घटाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन हमने देखा है कि राज्य और केंद्रीय चुनाव के दौरान कीमत स्थिर थी और थोड़ी कम हो गई थी। यह दर्शाता है कि इस घटना में सत्ताधारी दल का हाथ है।

आप इस देश के युवाओं के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो किसी भी सामान्य परिवार के लिए अपने बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई वैकल्पिक नीति या कदम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभी भी अति दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

सच्चर आयोग के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

देश के विभिन्न भागों में महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जहां तक मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश का संबंध है, तलाक के '*तीन तलाक*' रूप को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। इसके लिए अधिकतम तीन साल की सजा का कानूनी प्रावधान किए जाने पर यह एक आपराधिक अपराध कृत्य बन गया है। मुसलमानों के मामले को छोड़कर यहां विभिन्न धर्मों से संबंधित किसी भी अन्य विवाह अधिनियम ने इसे

आपराधिक अपराध घोषित नहीं किया है। यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार के विपरित है।

करोड़ों श्रमिक मत्स्य पालन, नारियल-जटा उद्योग, खादी ग्रामोद्योग जैसे पारंपरिक उद्योगों में लगे हुए हैं जिनके बारे में माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण मौन है। उन्हें प्रदान की जाने वाली मजदूरी बहुत कम है, लेकिन इन पारंपरिक उद्योगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों को बहुत ही कठिन समुद्र उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके जीवन और अस्तित्व को बचाने के लिए केंद्र की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई है या कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। और चुनाव के समय यह उल्लेख किया गया था कि मत्स्यपालन विभाग को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाएगा, लेकिन यह अभी भी पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय के अधीन है। वास्तव में, वे सामान्य मछुआरों को धोखा दे रहे हैं। एन.डी.ए. की पहली सरकार की कहानी गँवा दिए गए अवसरों और '*अच्छे दिन*' के इंतज़ार की उम्मीदों के धराशायी होने की कहानी है, जो कभी नहीं आए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं *श्री नारायण गुरुदेव* के प्रसिद्ध उद्धरण का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि: *"मथम इथयालुम मनुष्यान नन्नयाल मथि",* जिसका अर्थ है कि धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे इसका पालन करने का अनुरोध करूंगा और कृपया लोगों को अपनी हिंदू-धार्मिक संस्कृति में मजबूर न करें। *श्री नारायण गुरुदेव* पूरी तरह से *ब्राह्मण* और *मनुस्मृति* की सर्वोच्चता के विरुद्ध थे। मैं और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हमारे राष्ट्रीय गाने के रूप में 'अनेकता-में-एकता' में विश्वास करते हैं।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष लगभग 130 करोड़ लोगों ने अपना समर्थन और आर्शीवाद देकर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दोबारा प्रधान मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया है। देश के करोड़ों गरीब, किसान मज़दूर, नौजवान और देश की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए करोड़ों गरीब लोग, जब दोबारा प्रधान मंत्री जी ने शपथ ग्रहण करने का काम किया, तो इन लोगों का सीना चौड़ा हो गया।

वर्ष 2014 में देश की जनता ने हिन्दुस्तान की आजादी के बाद एक ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री चुना था, जो एक चाय बेचने वाले का बेटा था, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधान मंत्री हो गया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे 42 साल के सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, मैं एक गरीब किसान के घर का बेटा हूं और यदि इस सोच का व्यक्ति, नरेन्द्र भाई जैसा व्यक्ति, अगर पहले देश का प्रधान मंत्री बना होता तो हिन्दुस्तान की यह हालत नहीं होती। आजादी के लम्बे अर्से के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आजादी मिली थी और लोगों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों ने आशा से कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने का काम किया था, मगर कांग्रेस पार्टी ने लम्बे अर्से तक लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय तक राज करने का काम किया। अगर उसकी नीयत, नीति ठीक होती तो देश का यह हाल नहीं होता। 70 वर्ष से अधिक समय बीत गया है और आज हम लोग चिल्ला रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मकान नहीं है, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, रोज़गार नहीं है। राज्यों के भी वही हालात हैं। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं। बिहार देश का पिछड़ा प्रदेश है। अगर नीयत और नीति ठीक रही होती तो बिहार जैसा प्रदेश भी आज परेशानियों के हालात से नहीं गुजरता। मगर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास और आस्था व्यक्त की थी, उसने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से देश के

हालात यह हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब 2014 में प्रधान मंत्री बने, देश की आस्था और विश्वास प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और एक मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास से योजनाओं को गावों तक, गरीबों तक, नौजवानों तक, महिलाओं तक पहुंचाया। उनके हालातों को ठीक करने का काम हो सकता था, उस तरह की नीतियां बनायीं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी की सरकार ने भेदभाव करने का काम किया है।

<u>सायं 6.13 बजे</u>

(Shri Rajendra Agrawal *in the chair*)

[हिन्दी] मोदी जी की सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। पानी है तो सबके लिए है, बिजली है तो सबके लिए है, रोजी है तो सबके लिए है, रोजगार है तो सबके लिए है। 18000 ऐसे गांव थे, कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कह रहे थे कि हमने यह किया, हमने वह किया, क्या किया आपने? आपको मौका मिला था, क्यों नहीं 18000 गांवों में आपने बिजली पहुंचाई? हमारी प्रतिबद्धता थी, मोदी जी की सरकार को पांच साल का मौका मिला, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। कोई ऐसा घर नहीं है, जहां प्रकाश न हो। यह है कमिटमेंट, यह है प्रतिबद्धता। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे नेता, देश के सर्वमान्य नेता। गांव में कभी सड़क नहीं जाती थी, केन्द्र की योजना से मैं छठी बार सांसद हूं। बहुत सारी सरकारों को मैंने देखा है। यहां रहकर भी देखा है, बाहर रहकर भी देखा है। अटल जी ने और उस समय की सरकार ने पॉलिसी बनायी, कोई ऐसा गांव है, जो सड़क से न जुड़ा हो। हमने पॉलिसी बनायी, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता थी। गाँव के गरीबों के सपने कि कब मेरा पक्का मकान होगा, इन सपनों को साकार करने के लिए नरेन्द्र भाई मोदी जी की गवर्नमेंट ने संकल्प लेने का काम किया है। वर्ष 2022 तक हिन्दुस्तान का कोई वयक्ति, चाहे वह शहरी गरीब हो या गाँव का गरीब हो, झोंपड़ी में नहीं रहेगा, खुले आकाश में नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना भेदभाव के प्रधान मंत्री आवास योजना राशि की बढ़ोत्तरी भी की गई है।

सभापति महोदय, पहले 70000 रुपया मिलता था वह बढ़कर 1,50,000 रुपया हो गया है। डेढ़ करोड़ गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया गया है, हजारों वर्षों से जिनके बाप-दादा ने पक्का मकान नहीं देखा था, आज पक्के आशियाने में आराम से सो रहे हैं। उनकी ज़िन्दगी बदल गई है। यह है परिवर्तन, यह है प्रतिबद्धता और यह है विकास। भाषण देने से विकास नहीं होता है। हमने यह किया, हमने वो किया, करके दिखाओ, किसने रोका था करने से ? और हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा-'हमारी सरकार दोबारा चुनकर आई है, हम वर्ष 2022 तक सबको मकान दिला देंगे।' महोदय, मैं बता रहा था कि जब वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से शौचालय की बात की, तो लोग हँसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज़ादी के वर्षों बाद हमारी माँ और बहनों को सड़कों के किनारे खुले आकाश में शौच के लिए जाना पड़ता था। शाम का इंतजार करना पड़ता था। शौच के लिए सूर्यास्त होने तक इंतजार करना पड़ता था। सरकारें तो बहुत आईं। काँग्रेस पार्टी के समय बहुत लम्बे-लम्बे भाषण चल रहे थे। यह क्या सूझ नहीं थी आपको? और मैं बताऊँ, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं हर घर में शौचालय दूँगा और मैं कह सकता हूँ कि 10 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण किया गया। यह शौचालय महिलाओं के लिए इज्जत घर है। महोदय, यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। जहाँ रोग से लोगों को निजात मिला, बच्चों को निजात मिला, महिलाओं को इज्जत मिली, सम्मान मिला। यह सरकार की प्रतिबद्धता है और मैं कह सकता हूँ कि साढ़े पाँच लाख से अधिक गाँव ओ.डी.एफ. हो गए हैं। 98 प्रतिशत से अधिक गाँवों में शौचालय का निर्माण हो गया है। यह है प्रतिबद्धता। लोग बीमारियों का शिकार हुआ करते थे, उससे मुक्ति मिल गई। महोदय, हमने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और जो मनरेगा जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में मुझे साढ़े चार साल तक कार्य करने का मौका मिला। मुझे प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बहन ज्वाइंट सेक्रेट्री के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय में थीं। वह सांसद चुनकर आई हैं। हमारी सरकार का योगदान है। मनरेगा को इम्प्लिमेंट करने का काम किया।

हम इससे चुप नहीं रहने वाले हैं। हम इसको और बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। हमें जनता ने दोबारा चुना है। हम इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहते हैं। मैं कितना गिनाऊ, अनगिनत काम हैं, उनके लिए दो घंटों का समय भी कम पड़ेगा। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में लोग

कहते हैं कि महिलाओं को कहां रोजगार मिला। आपको कहां समझ आएगा। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। मैं सैल्यूट करना चाहता हैं कि मोदी सरकार को दोबारा लाने में महिलाओं ने अभूतपूर्व सहयोग दिया है। मैं महिलाओं को, अपनी बहनों को और अपनी माओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने मोदी जी की सरकार पर इतना विश्वास करने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत तीन करोड़ महिलाओं को दो लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का काम किया गया है। जब मैं मंत्री था, तो छत्तीसगढ़ में साइट विजिट करने के लिए गया था।... (व्यवधान) मैं दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में बात कर रहा हूं। सेल्फ ग्रुप जिसकी एक महिला चुनकर आई हैं।... (व्यवधान) आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण बता रहा था। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से बात करने के लिए गया। मैं उनसे इंन्टरैक्ट कर रहा था। उसमें महिला समूह की एक लीडर आई। मैंने कहा कि बहन बताइए कि आपको इससे जुड़कर कैसा अहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने कहा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब मैं इस स्कीम से नहीं जुड़ी हुई थी, मेरे पति विकलांग थे, मैं दर-दर की ठोकरें खा रही थीं, मैं भीख मांग रही थी, मेरी तीन बच्चियां थीं। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं न अपने पति का इलाज करवा पाती थी और न बच्चों को पढ़ाने की क्षमता थी। मैं इस सेल्फ हेल्प ग्रप से जुड़ी और आज मैं इतनी धनराशि कमा रही हूं, जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा पा रही हूं और अपनी तीनों बेटियों को अच्छे ढंग से पढ़ा पा रही हूं। मुझे दो वक्त की रोटी मिल रही है। यह है, आजीविका मिशन का कमाल। सरदार जी मत हंसिए। आप बड़े घर के लोग हैं, गरीबी को नहीं देखा है। हम लोग गरीब घर से आए हैं। मैंने पीड़ा को देखा है, दर्द को देखा है। आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक से एक काम, क्या कम बात है?

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच देखिए, जो गरीब का बेटा होगा, वही तो सोचेगा। घरों में गैस का चूल्हा गरीबों के पास नहीं हुआ करता था। हम लोग पुराने एमपी हैं। साल भर में 25 रेकमेंड करने के लिए मिलते थे। आप सब लोगों को याद होगा। टेलीफोन और गैस का कनेक्शन भी रेकमेंड करने के लिए मिलता था। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम सबको कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे और प्रधान मंत्री

उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबको कनेक्शन दे दिया। सात करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। मैं गांव में घूम रहा था, मैं घूमता रहता हूं। आप सब लोग भी घूमते होंगे। जिन महिलाओं ने कभी गैस का चूल्हा भी नहीं देखा था, गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन महिलाओं को चूल्हा दिया गया। मैंने कई महिलाओं से पूछा कि बहन अब जब आप गैस के चूल्हे पर खाना बना रही हैं, तो उससे क्या लाभ मिला है? उन्होंने कहा कि समय की भी बचत हो रही है, आंखों और शरीर में जो धुंआ जाता था, जिससे मैं बीमार होती थी, उससे भी मुक्ति मिली है। सात करोड़ महिलाओं को यह दिया है।

महोदय, यह सरकार की प्रतिबद्धता है और इस कार्यक्रम को हम लोग जारी रखेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सौभाग्य योजना के माध्यम से अक्टूबर 2017 से 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। ये सौभाग्य योजना का कमाल है। एक लाख 19 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया है। दुनिया बदल रही है। यह परिवर्तन, यह सरकार की प्रतिबद्धता है।

महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। बहुत दिन के बाद मुझे मौका मिला है। मैं पाँच साल नहीं बोल पाया था। मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मत रोकिए, मत रोकिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने बोलने ही नहीं दिया। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। देश की जनता ने हमें गरीबों, नौजवानों, किसानों के उत्थान के लिए मेनडेट दिया है। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने जो किया है उसको थोड़ा रखने देने का काम कीजिए। 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। विश्व में पहली ऐसी स्कीम है- 'आयुष्मान भारत'। सरकारें बनी थीं, कांग्रेस पार्टी बहुत चिल्ला रही थी, यह किया, परमाणु किया, फलां किया, यह क्यों नहीं किया? वह गरीब आदमी, जिसके पास दो वक्त की रोटी का पैसा नहीं है। जब वह बीमार पड़ता है दर-दर की ठोकरें खाता है, प्राणों की आहूति देता है, किसी से पैसा भी माँगे तो उस गरीब आदमी को कौन पैसा देगा, कोई कर्ज भी नहीं देगा। मगर महोदय, उसकी चिंता किसने की, गरीब का बेटा, नरेन्द्र मोदी जी ने चिंता की। इस 'आयुष्मान भारत' स्कीम को लागू करके उन गरीबों को सहायता देने का काम किया है, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं थी और इलाज के लिए पैसा नहीं था। मैं समझता हूँ कि इस स्कीम के माध्यम से करीब-करीब 50 करोड़ गरीबों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से पाँच लाख तक के इलाज के लिए मुफ्त

राशि उपलब्ध की जाएगी। मैं समझता हूँ कि अब तक 26 लाख मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वह मार्मिक है, सुन लीजिए। सदन सुन लें। मैं अपने क्षेत्र में किसी काम से घूमने के लिए गया। वहाँ एक ऑटो वाला दौड़ कर मेरे पास आया। मुझे अपने घर में बैठाया। उसने कहा कि मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा किस बात के लिए? मेरी पत्नी जिसके पेट में बीमारी थी, उसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास पाँच रुपये नहीं था। जब मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि 26 हजार रुपये लगेंगे। मेरे पास 26 पैसे नहीं थे। हमारे यहाँ आईजीआईएमएस एक सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि यह तो बहुत आसान काम है। प्रधान मंत्री ने इतना बड़ा काम आप लोगों के लिए किया है। आपके पास क्या राशन कार्ड है? गरीब को जो राशन मिलता है। बोले- हाँ, तो उसने कहा कि ले आओ। वह ले आया, उसका कार्ड बन गया। उसकी पत्नी एडमिट हो गई। ऑपरेशन हुआ। छब्बीस पैसा भी नहीं लगा और उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी पत्नी आंख में आंसू लेकर, पति और पत्नी हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करना चाहते थे, किसका प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का। उसी तरह से ये लोग न जाने कितने, 26 लाख लोग, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनका जीवन बचने-बचाने का काम 'आयुष्मान भारत' ने किया। पहले सरकारें थीं कांग्रेस पार्टी की, कहाँ चिन्ता थी। मौज-मस्ती, भ्रष्टाचार इसी में लिप्त थे। कहाँ चिन्ता होगी इनको। इनको मेनडेट तो मिला था। उस मेनडेट का लाभ कहां उठाया।

महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मैंने बताया कि डेढ़ लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 34 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, जिससे एनर्जी की बचत होगी। वह लम्बे समय तक रहेगा। इससे गाँव के गरीबों के घरों में उजाला हो जाएगा।

मुद्रा योजना, जिसकी चर्चा भाई सुरेश जी कर रहे थे। मुद्रा योजना के तहत लगभग 19 करोड़ लोगों को लोन दिया गया।

माननीय सभापति: बहुत माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मैं खत्म कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : ज़रा कॉऑपरेट कीजिए प्लीज।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं कन्क्लूड करने जा रहा हूँ। आप थोड़ा और सहयोग करें। बड़ी कृपा होगी। "मिशन इंद्रधनुष" के तहत करोड़ों बच्चों का टीकाकरण हुआ। "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ", "प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना", "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" अगर मैं इन सबका डिटेल में वर्णन करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। समय का अभाव है। "अटल पेंशन योजना" ने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम किया है। यह हमारी सरकार, मोदी जी की प्रतिबद्धता थी। 20 करोड़ से अधिक किसानों को स्वाइल हेल्थ कॉर्ड बाँटे गए। "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि" के माध्यम से सिर्फ तीन महीने में ही 12 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई। अब तो देश में हर किसान को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। अब कोई किसान निराश नहीं होगा। इनकी सब स्कीम्स समाप्त हो गई हैं। 62 हजार करोड़ रुपया देंगे, सब कागज पर रह गया। हम 72 हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं। जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है।

महोदय, अब देश की जनता जाल में फंसने वाली नहीं है। जो करेगा सो पायेगा। जो खायेगा, सो जायेगा। ये खाने वाले गये और करने वाला आयेगा और फिर आयेगा, कोई रोक नहीं सकता है। देश के 112 आकांक्षी जिलों के विकास के लिए व्यापक स्तर पर एक नई कार्य योजना प्रधान मंत्री जी के डायरेक्शन पर हुई। इन जिलों में देश के सबसे पिछड़े एक लाख पन्द्रह हजार गाँवों को शामिल किया गया। उनकी उन्नति और तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चलाया गया नहीं है, चलाया जा रहा है और उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है।

महोदय, किसानों की आमदनी दोगुना हो, इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम लोगों ने लक्ष्य बनाने का काम किया है। मैं कृषि उत्पादन के बारे में कहना चाहूँगा। कई लोगों ने कृषि से संबंधित चर्चा की है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश, ग्रामीण भण्डार

योजना, दस हजार नये किसानों का उत्पादकता संघ और नीली क्रान्ति से किसानों की आय में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है।

माननीय सभापति : राम कृपाल जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने, बहुत लोगों को इस नाम से एलर्जी है, जितना आप एलर्जी रखेंगे, उतना ही देश की जनता उसे अपनायेगी, अपनायेगी, अपनायेगी। इस बार इनकी कितनी सीट्स आई हैं? ये प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नहीं हैं। अगली बार सब समाप्त हो जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप सहयोग कीजिए। आप विपक्ष में हैं। सत्ता, सरकार विपक्ष के बिना नहीं होती है। आप सकारात्मक सहयोग कीजिए। प्रधान मंत्री जी ने जो काम किया है, आप उसकी प्रशंसा कीजिए। जो योजना चल रही है, क्या उससे आपको वंचित किया गया है? आपको वंचित नहीं किया गया है। देश के प्रधान मंत्री वर्ष 2024 तक भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लाना चाहते हैं, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत की सबसे अहम भूमिका होगी। इसलिए किसान, मजदूर, नौजवान सब नरेन्द्र मोदी जी के साथ हैं।

माननीय सभापति : कृपया, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपके निर्देश का अनुपालन करता हूँ। मैं चेयर का सम्मान करता हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा, मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है। आप हमें फिर कभी मौका दे दीजिएगा, आपकी बहुत कृपा होगी। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए देश की जनता का इस महासदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने बहुत आशा के साथ, बहुत विश्वास के साथ नरेन्द्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आप समर्थन देते रहिए, आशीर्वाद, प्यार और स्नेह देते रहिए। अब मोदी जी की गाड़ी रूकने वाली नहीं है। इस बार तो हमने और नये मूल मंत्र "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के साथ काम करना प्रारम्भ किया है। हम आपका भी विश्वास चाहते हैं। सुरेश भाई, विश्वास दीजिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे।

हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, केरल की जनता को भी नहीं छोड़ेंगे, केरल पर हमारी विशेष निगाहें हैं, हमारी पंजाब पर विशेष निगाह है। हमारी सभी राज्यों पर विशेष निगाह है। हम सबको समान रूप से देखना चाहते हैं। देश की तरक्की होनी चाहिए और वर्ष 2022 में हम एक नये भारत का निर्माण करना चाहते हैं। सबके हाथ में काम, सबके घर में बिजली, सबके घर में पानी, सबके खेत में पानी, हर गाँव में सड़क, हर स्कूल में शिक्षा, हर आदमी के पास स्वास्थ्य की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। आप सहयोग करने का काम कीजिए। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

[अनुवाद] **श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा):** यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। …(*व्यवधान*) वह बिहार से आ रहे हैं। उन्होंने बिहार में बच्चों की मौत का जिक्र नहीं किया है। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी] **माननीय सभापति :** सुरेश जी, कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। प्लीज़, बैठिए। आप तो अनुभवी सांसद हैं। आप सब जानते हैं।

रविन्द्रनाथ जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी):** माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति भी हृदय और आत्मा से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना और 17वीं लोक सभा में अपना सदस्य बनने का अवसर दिया।

मुझे आश्चर्य है कि यह सभा ऐतिहासिक महत्व के साथ उभरा है जिसमें हमारी आजादी के बाद से कई पहल और निर्णय लिए गए हैं। मैं सम्मानित महसूस करता हूं कि मैं भी लोकतंत्र के इस मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा हूं।

इस समय, मैं हमारी ओजस्वी नेता, तमिलनाडु की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पुराचिथलाइवी अम्मा के अद्वितीय योगदान की सराहना करता हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आम लोगों के उत्थान के लिए और सामान्य रूप से पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया था।

मुझे सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की पिछले अवधि की उपलब्धियों का उल्लेख होता है। माननीय राष्ट्रपति ने देश के आर्थिक विकास का विशेषतः उल्लेख किया है जिससे पिछले साढ़े चार सालों में विकास दर 7.3 प्रतिशत हो गई है और जिसके फलस्वरूप हमारा देश विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह सराहनीय है कि विश्व जी.डी.पी. में हमारे देश का योगदान बढ़कर वर्ष 2017 के दौरान 3.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो 2014 में 2.6 प्रतिशत था। यह देश में औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ दिए गए अवसरों के कारण संभव हुआ है।

इस समय, मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, हमारी माननीय पुराचिथलाइवी अम्मा के शिष्यों के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा हासिल किए गए आर्थिक विकास को रेखांकित करना चाहूंगा। तमिलनाडु देश के उन राज्यों में से एक है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल सहित विनिर्माण क्षेत्र में विकास के साथ हमारे देश का चौथा सबसे

बड़ा राज्य होने के नाते, तमिलनाडु राज्य कारखानों और औद्योगिक कार्यों की संख्या के मामले में राज्यों में पहले स्थान पर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की वर्ष 2018-19 की प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत का योगदान देकर तमिलनाडु राज्य तीसरे स्थान पर है।

रोजगार के अवसरों के साथ आगे विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष जनवरी माह के दौरान दूसरी वैश्विक निवेशक बैठक का आयोजन किया, जिसकी कई अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों ने सराहना की है। इस स्वचालित डेटा के आधार पर, मुझे लगता है, मुझे केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को आवश्यक धन आवंटित करने का आग्रह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे कुछ क्षेत्र समाज के सभी वर्गों से निकटता से जुड़े हुए हैं।

आजकल, बेरोजगारी हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। देश की बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए, हमें इस तथ्य को समझना होगा कि उच्च शिक्षा प्रतिवेदन 2015-16 पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे देश में छात्रों का कुल नामांकन तीन करोड़ से अधिक है; और इस कुल संख्या में से, लगभग 2.74 करोड़ छात्रों का विशाल बहुमत, यानी 79.3 प्रतिशत, स्नातक स्तर पर नामांकित हैं।

दूसरी ओर, स्नातकोत्तर में 11.3 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं, जो लगभग 39.2 लाख छात्र हैं। अकेले तमिलनाडु में, 7.5 लाख छात्रों ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया है। यह आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष रोजगार के अवसरों की संख्या दुगुनी हो रही है जबकि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातकों की संख्या कई गुना बढ़ रही है।

इस परिदृश्य में, देश में बेरोजगारी की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, कौशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को विभिन्न कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना लागू करने के लिए मैं प्रधान मंत्री की सराहना करता हूँ।

मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई घोषणा की भी सराहना करता हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15,000 से अधिक आई.टी.आई., 10,000 कौशल विकास केंद्र और 600 से अधिक प्रधान मंत्री कौशल विकास केंद्र देश के युवाओं में कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हालाँकि, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी के बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु का है और 65 प्रतिशत से अधिक 35 वर्ष से कम आयु का है।

इस समय, मैं स्वामी विवेकानन्द के योग्य शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने कहा था, "मुझे 100 ऊर्जावान युवा दीजिए और मैं भारत को बदल दूंगा"। अब, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी चेहरे पर ऐसे महान स्वामी विवेकानंद को देखता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम सभी - देश की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत युवा - हमें दुनिया में एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सामने खड़े हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके गतिशील शासन के तहत वर्तमान में रोजगार सृजन दुगुना होने के बजाय भविष्य में कई गुना जाएगा।

मैं इस बात की भी सराहना करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति ने उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए मेडिकल कैप पर अपनी जेब से खर्च का बोझ कम कर दिया है। प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत 600 से अधिक जिलों में 4,900 जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं और इन केंद्रों में 700 से अधिक विभिन्न औषधियाँ कीमत पर वितरित की जा रही हैं। कार्डियक स्टेंट की लागत में भी कमी लाना भी एक स्वागतयोजग्य कदम है, जिससे परिणामस्वरूप गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लगभग 4,600 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आने

वाले वर्षों में देश के सभी ग्रामीण भागों में विशेषतः दूर-दराज गाँवों में बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पहल की जाए।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिक्षा में विकास और सरकार द्वारा शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी उल्लेख है। देश में 103 केंद्रीय विद्यालय और 5000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर शिक्षा प्रणाली के आधार को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का भी मैं स्वागत करता हूँ।

मान्यवर सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस समय तमिलनाडु राज्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। उदाहरण के लिए, इस वर्ष अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के 60,000 से अधिक छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला है।

अंत में, तमिलनाडु में वर्तमान स्थिति मुख्य रूप से मानसून की विफलता और पड़ोसी राज्यों से तमिलनाडु उपकर की अनुपलब्धता के कारण है। हमारे राज्य में पानी की कमी है। न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में मौजूद स्थिति को देखते हुए हमारी माननीय दिव्य नेता अम्मा ने प्रत्येक निर्माण में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी थी। इस दूरदर्शी भावना को प्रचलित किया जाना चाहिए और मैं इस समय सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह पूरे देश में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बनाने वाला एक आवश्यक विधेयक लाए।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व गुणों को विश्व स्तर पर सभी ने स्वीकार किया है। मैं श्रीमद्भगवदगीता से एक उद्धरण देना चाहता हूँ:

[हिन्दी]

> "महान व्यक्ति जो करते हैं, आम व्यक्ति उनके नक्शे-कदम पर चलते हैं और महान व्यक्ति जो भी मानक अनुक्रिया में क्रिया द्वारा नेतृत्व करते हैं, सम्पूर्ण विश्व उसे अपनाता है।"

[अनुवाद] इसका मतलब है कि एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके पदचिह्नों पर चलता है और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है, उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है।

इन शब्दों के साथ, माननीय सभापति, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी को और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को यह भी आश्वासन देता हूं कि मैं 17वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में फलदायी रूप से कार्य करूंगा और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वर्णिम शासन के तहत तमिलनाडु के हमारे लोगों को केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी] **श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):** सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज षड्‌डंगी जी ने जो प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर रखा, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे देश को जब आजादी मिली, तो उस वक्त शहीदों के आशीर्वाद से देश की बड़ी जनसंख्या का एक सपना था कि हमारा देश भी एक समृद्धशाली देश बनेगा। परन्तु आजादी के बाद सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आई कि हमसे बाद आजाद होने वाला चाइना जैसा देश भी हमसे आगे निकल गया। भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें, तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं थी। धीरे-धीरे 25 सालों तक मिली-जुली सरकारों के बाद वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पूरे 5 साल तक काम करने के बाद इस देश की 130 करोड़ आबादी ने, जब दोबारा 2019 का चुनाव हुआ, तो पहली दफा लोगों ने भारी जन-समर्थन दिया। इससे पहले चाहे किसी चुनाव में 400 से भी ज्यादा सीटें किसी पार्टी को मिली हों, लेकिन इस चुनाव में कंडीडेट्स के जो मार्जिन्स थे, बड़े मार्जिन से लोगों ने वोट दिया। इस चुनाव को अगर आप देखेंगे, तो अकेले मोदी जी की वजह से, जिनके ऊपर देश ने विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी 24 घंटों में से 18-19 घंटों तक काम करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं और वापस आते ही फिर मीटिंग ले लेते हैं। केवल वे ही नहीं, उनकी कैबिनेट के भी बहुत से मंत्री इसी प्रकार से 18-19 घंटों तक नि:स्वार्थ भावना से काम करते हैं। इसका नतीजा था कि आम वोटर चाहे वह बुजुर्ग, अनपढ़, पढ़ा-लिखा था, वह भी बूथ के ऊपर गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक बूढ़ी महिला जब वोट देने गई और मशीन पर जब उसने बटन दबाया, तो वह उन कर्मचारियों से उलझ गई कि मोदी जी का फोटो यहां नहीं है। उसको बड़ी मुश्किल से मनाया गया कि कमल के बटन पर आप अगर उंगली से दबाओगे तो मोदी जी को ही वोट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिन राजनैतिक नेताओं से लगभग जनता का विश्वास उठ चुका था, पहली दफा मोदी जी के आने के बाद दोबारा से राजनैतिक आदमियों पर विश्वास जमा है, क्योंकि मोदी जी ने इस प्रकार से पिछले 5 सालों में काम किया।

माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि दुनिया में आने वाला समय पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसान की है, मजदूर की है,

जवान की है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, वे हमारा पेट भरते हैं। किसान को चाहिए पानी, फसल का दाम। इसीलिए अभिभाषण के दौरान माननीय राष्ट्रपति जी की चिंता कि हम आने वाले समय में देश की नदियों को कैसे जोड़ें, कैसे भरपूर पानी दें, क्योंकि इन 70 सालों में हमारे पड़ोसी चाइना जैसे देश ने भी ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी तरफ मोड़ने का काम किया, तो चिंता स्वाभाविक थी। आप देखते हैं कि 50-60 सालों के दौरान जो बारिशें पहले होती थीं, अरब सागर से उठकर मानसून की हवाएं सीधा चेरापूंजी से टकराकर तराई के इलाके में बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक जाती थीं।

[हिन्दी] आपको भी याद होगा, पहले दो-दो महीने तक सावन की झड़ी लगती थी, पिछले पचास सालों में वह सावन की झड़ी पता नहीं कहां चली गई ? कहीं न कहीं मानसून ने अपना रुख बदला, दक्षिण-पश्चिम मानसून इधर से आई, चेरापूंजी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भी जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अब वहां भी सूखा हो जाता है। चाहे बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, सारे देश के बहुत बड़े ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। हमने पिछले साठ सालों में जमीन के नीचे का भी पानी निकाल लिया, ऊपर से बारिश कम, किसानों के खेत के लिए पानी, आदमी के सेहत के लिए पानी, पशुओं के लिए पानी, देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को इसकी चिंता लगी हुई है, इसीलिए 2014-15 में पहली बार प्रधान मंत्री बनते ही शारदा-यमुना का समझौता नेपाल में जाकर किया। इन नदियों को कैसे जोड़ा जा सकता है, फर्स्ट फेज में 99 प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए, सेंकड फेज के लिए इतना पैसा दिया। मुझे याद है कि हरियाणा प्रदेश जिसमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां कई बार यमुना का बढ़ा हुआ पानी आ जाता है, दिल्ली को भी इससे खतरा हो जाता है। मेघवाल जी के पास पहले यह महकमा था। मैं मेघवाल जी को भी बधाई देता हूं। छह प्रदेशों के साथ मिलकर यमुना के ऊपर रेनुका-लखवाड़ डैम का समझौता करवाया। मुझे लगता है कि आने वाले दो महीने में किशाऊ डैम का समझौता भी हो जाएगा, जिस पर बीस हजार करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसका नब्बे परसेंट पैसा जल संसाधन मंत्रालय देगा, बाकी के छह प्रदेश मात्र दस परसेंट पैसा लगा कर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जहां हमारे छह प्रदेश हैं, दिल्ली में मई-जून में कई बार पीने के पानी की भी दिक्कत में आ जाती है, वह भी कहीं न कहीं दूर होगी। केवल यहीं नहीं, प्रधानमंत्री खुद कई बार नदी जोड़ने का काम

रिव्यू करते हैं। आने वाले भविष्य में सबसे जरूरी है कि किसी प्रकार नदियों को जोड़ा जाए, अस्सी परसेंट से ज्यादा पानी समुद्र में गिर जाता है।

लेकिन पिछले 50 सालों के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं, वह इस बात को नम्बर एक पर लेकर नहीं चलना चाहते थे, कहीं न कहीं इससे बचना चाहते थे। हमारे विपक्ष के साथियों ने कुछ कहा, हमने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, शुरू जरूर किये लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, इसके साथ किसानों की समस्याएं जुड़ी हुई है। किसानों की आमदनी दोगुनी कैसी हो ? उसी के लिए काम करना शुरू किया है, उदाहरण के लिए एमएमपी, हमारा क्षेत्र बाजरा ज्यादा पैदा करता है। चाहे सरसों के रेट की बात हो, कपास और गेहूं की बात हो, इन सब का एमएसपी बढ़ाया है। इसमें मेरा थोड़ा सा सुझाव है कि एमएसपी की बढ़ायी हुई कीमत का दाना-दाना जरूर खरीदें। इस प्रकार का डॉयरेक्शन स्टेट की सरकार को जरूर दिया जाए। अभी तेलंगाना के एक साथी ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिक्र किया। मैं मानता हूं कि अगर पिछली सरकारें डेवलपमेंट के ऊपर और खासकर पानी बचाने में लगी होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए समान पेंशन और किसानों को छह हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान को देने की बात की है। मैं तेलंगाना स्टेट को बधाई देता हूं, बाकी स्टेट्स भी इसी प्रकार की धनराशि प्रति एकड़ दें। मैं यह मान कर चलता हूं कि कंडीशनली दें, जिस यूरिया को हम खेत में डालते हैं, उसकी वजह से हमें जहर खाना पड़ता है, उसी जहर की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां होती है, जिनका इलाज भी नहीं है, पैसा लगाने के बावजूद जिन्दगी नहीं बचती, किसान का परिवार भी खत्म हो जाता है। अगर कुछ राशि हम प्रति एकड़ उन स्टेट्स की तरह दूसरे स्टेट्स भी पैसा देना शुरू कर दें तो वह केवल आर्गेनिक खाद ही अपने खेत में डालेगा ताकि जमीन की ताकत से पैदा होने वाली फसल हम अच्छी प्रकार से खा सकें। वहीं दूध पीएं, वहीं फल-फ्रूट और सब्जियां खाएं। मैं मान कर चलता हूं कि बीमारों पर खर्च होने वाले पैसे से भी बचाव होगा और 130 करोड़ की जनसंख्या भी जमीन की ताकत का ही खाद्यान्न पदार्थ खाएगी। मेरा सुझाव है कि इन स्टेटों की तरह बाकी स्टेट्स

भी इस मामले को अपने हाथ में ले। हाउस की सभी पार्टियों से मेरी प्रार्थना है, पानी का मैटर स्टेट का नहीं होना चाहिए।

यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हर रोज एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के जो झगड़े हो वे खत्म हो जाएं। इसी प्रकार से तीसरी सरकारों की तुलना में कितनी ही बातें दूसरी पार्टियाँ, यू.पी.ए. या कांग्रेस के लोग करते हों। यह आपको भी याद होगा, जब सौर ऊर्जा से हम बिजली पैदा करते थे, स्टार्टिंग में कांग्रेस के जमाने में 17 रुपये या 18 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एम.ओ.यू. साइन होते थे। मोदी जी के आने के बाद वही सौर ऊर्जा की बिजली का समझौता मात्र तीन, साढे तीन रुपये में हुआ है। इसलिए आम आदमी के दिमाग में बात बनी बैठी है कि मोदी जी की सरकार की वजह से ही यह देश विकासशील श्रेणी से निकलकर विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है।

दूसरा, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख है कि किसान द्वारा अपना गेहूँ, चावल, अनाज को वेयर हाउस में रखने के बजाय, एफ.सी.आई. जैसी एंजेसियां रखती हैं। किसान के लिए जो विशाल भण्डारण की बात कही गई है, उसमें एफ.डी.आई. 100 परसेंट होने की बात कही गई है। मैं इस बात का समर्थन करते हुए एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि क्यों न हम उस किसान को ही यह कहें कि जब गेहूँ निकलता है तो वह उसका रख-रखाव अपने घर में ही करे और जो एफ.सी.आई. का खर्च आता है, वह 300-400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम किसान को पहले ही दे दें तो गेहूँ खराब भी नहीं होगा, बारिश में भी ठीक रहेगा और किसान की भी आमदनी बढेगी। इसी प्रकार से जहां आपने दूसरी फसलों का एम.एस.पी. तय किया है- टमाटर, आलू, प्याज आदि का। जहां एफ.डी.आई. का पैसा आएगा, कहीं न कहीं उसके लिए आप कारखाने लगाएंगे, तो उन किसानों को भी यह परमिशन मिले कि वे वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज पी.पी.पी. मॉडल पर या खुद भी लगा दे, ऐसा प्रोत्साहन भी हम दें।

सभापति जी, आपने दो तीन बार घंटी बजा दी है, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद] **माननीय सभापति :** श्री मोहम्मद आजम खां।

सर, लोक सभा में यह आपकी पहली स्पीच होगी, आपका स्वागत है।

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर): मैं राज्य सभा में रहा हूं, यहां नहीं रहा हूं।

मान्यवर, मैं एक लम्बे सियासी तजुर्बे के बाद यहां आया हूं। मैं नौ बार विधान सभा में रहा और एक बार राज्य सभा में रहा।

"देखे थे हमने जो वो हसीन ख्वाब क्या हुए,

वो वादा हाय अतलस वो कम ख्वाब क्या हुए।"

बहुत अच्छी तस्वीर थी दिल में और दिमाग में, लेकिन मैंने यहां पहले दिन से जो देखा उससे बहुत मायूसी हुई है। मैं यह समझता हूँ कि अगर हम इस माहौल को बदल न सके तो शायद लोकतंत्र का सपना हमारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा।

"मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते

दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते।"

मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की मुख़ालिफत में नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि जो बुनियादी बातें और बुनियादी सवालों के जवाब होने चाहिए थे, शायद वे जवाब नहीं हैं। हमारे सिस्टम की यह मजबूरी भी है कि राष्ट्रपति महोदय को अपने दिल और दिमाग से कुछ कहना नहीं होता है सिर्फ पढ़ना होता है। चमन के निगेहबानों को यकीनन निगेहबानी मुबारक हो, हालांकि इस सदन में इस समय कोई जिम्मेदार नहीं है, हो सकता है कि मेरी यह आवाज मेरी बात वहां तक पहुंचे कि सिर्फ चमन में फूलों की ही हिफ़ाजत नहीं होती, बल्कि वे कांटें जो फूलों की

हिफ़ाजत करते हैं, अगर उन कांटों की हिफ़ाजत नहीं हुई तो चमन का बुनियादी तसव्वुर खत्म हो जाता है।

[हिन्दी] इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का सुलूक और जिस तरह का रवैया है, वह यकीनन बहुत तकलीफदेह है। मेरे जैसा व्यक्ति, जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, जिसे आप देखेंगे तो शायद राष्ट्रपति भवन अच्छा न लगे।

<u>सायं 7.00 बजे</u>

जहां डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधान मंत्री जी बैठते हैं, उस जैसा है। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है। इसे मैंने इस तरह बनाया है, मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के चार सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपये की फीस लेता हूं। जिनके मां-बाप नहीं हैं, उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूं, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूं, किताबें मुफ्त देता हूं। अगर मां-बाप में से कोई एक नहीं है तो 50 प्रतिशत कन्सेशन रहता है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाले या मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची यदि वहां पढ़ता है तो मात्र 20 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन इसी आज़ादी में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ, उसने आज़ादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यहां बार-बार 1947 का जिक्र हुआ है, आज़ादी के 70 सालों का जिक्र हुआ है। हमारा बहुत विवाद है कांग्रेस से, बहुत नाराजगी है। मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक बहुत से सवालात हैं, जिनके जवाब नहीं हैं उनके पास, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि विकास का काम सिर्फ इन्हीं पांच वर्षों में हुआ है। विकास बहुतों ने किया है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास लकड़ी के पहियों की गाड़ियां थीं, हमारे पास इतने भी हथियार नहीं थे कि 1947 के बंटवारे में जो खूंरेज़ी हो रही थी, उसे हम रोक सकते। मान्यवर, बहुत आसान है किसी पर कटाक्ष कर देना, लेकिन सच्चाई की आंखों से भी देखना पड़ेगा। मैं सदन के उन तमाम साथियों से और जो उत्तर

प्रदेश से जीतकर आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, वे मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ हैं। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई की नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत, कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती सरकारी कलम के साथ की हो तो मैं अभी इस सदन को छोड़ने का एलान करता हूं। ... (व्यवधान) मैंने सुना नहीं, वरना मैं आपका जवाब देता। ... (व्यवधान) मान्यवर, मैंने बहुत साफ-सुथरी जिन्दगी गुजारी है, वरना इतना लम्बा राजनीतिक सफर तय करने के बाद, मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। ... (व्यवधान) मैं उन उठने वाली आवाज़ों से भी कहना चाहता हूं कि 1947 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां। हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां, जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं हमारे, बुजुर्गों की यादें हैं। यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए। उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्ज़ी से रुके थे, हमें किसी ने जबर्दस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्ज़ी से रुके, उनके लिए आज इस सदन में यह कहा गया कि जो वन्दे मातरम नहीं कहेगा, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा।... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपमें शर्मिन्दगी हो। ... (व्यवधान) बात वन्दे मातरम की नहीं है, मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वन्दे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत वह भी है।

अगर आपने इतिहास पढ़ा हो - रेशमी रुमाल तहरीक़, हिन्दुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कितने उलेमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वे हैं, जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ी-गली मौजूद होंगी, उनमें दफ्न हैं। रेशमी रुमाल तहरीक़ में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर आपको भारत माँ की तस्वीर छपी हुई मिलेगी। ये रिश्ते कब थे? 1942 में जब हिन्दू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया करते थे, तब अंग्रेजों को लगा था कि वो अब हिन्दुस्तान पर राज़ नहीं कर सकेंगे। 1942 से उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं,

हममें से किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता, लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, मान्यवर, तब इंसानियत के हमारे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं।... (व्यवधान) आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे कब कह रहा हूं कि कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं यहां?

यह लोकतंत्र का मंदिर है, यह संविधान का मंदिर है, जो चाहे कहे। अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते हैं और मैं न कहूं तो आप मुझसे ज़बर्दस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़बर्दस्ती कर सकते हैं तो आप कहिए कि ज़बर्दस्ती कहना होगा।... (व्यवधान)

मान्यवर, देश संविधान से चलेगा, हम भी यही चाहते हैं।... (व्यवधान) अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक या कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। आप संविधान को मानो, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमें संविधान को मानना चाहिए। जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे, वे लोग देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे। यह देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए तो इंसान, इंसान नहीं रह जाएगा। हिन्दुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सरकार बनाने के लिए बहुत मुबारकबाद, लेकिन यह याद रहे कि उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है। जो कहा जाए, वह किया जाए। मैं एक छोटा-सा व्यक्ति हूं और भैंसें भी पालता हूं। प्रधान मंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं रहा। चार-चार साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़ कर उठा ले, यही है कानून का राज?... (व्यवधान) मैं तीन तलाक की बात नहीं कर रहा

हूं, मैं शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं। एक दरवाजा जो सरकार के पैसे से बना हो, जिसे सरकारी संस्था ने बनाया हो। मुंशी प्रेमचंद की ज़बान उर्दू थी। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। मुसलमानों की ज़बान अरबी थी। उनके कुरान की ज़बान अरबी है। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिन्दुस्तानियों की ज़बान है, इंकलाब जिंदाबाद की ज़बान है। इस ज़बान के साथ तास्सुब गलत है। उर्दू गेट बना हुआ था, तोड़ दिया गया। सरकार के पैसे और सरकार की संस्था से बनाया हुआ दरवाजा गिरा दिया जाए तो कैसे कानून का राज चलेगा?

[हिन्दी] मान्यवर, मासूमों को कान से पकड़ कर उठा दिया जाएगा, आप कैसे शिक्षा देंगे? उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनैंस लाने की तैयारी हो रही है, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा गिरेबान, दिल और दामन साफ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि संवैधानिक बाध्यता है, हम शिक्षा और रोजगार देंगे। हमने कितना रोजगार दिया, स्वास्थ्य पर कितना ख्याल रखा? यह कह देना बहुत आसान है कि इतना पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन यह नेता सदन को बताना पड़ेगा कि गोरखपुर में बच्चे क्यों मर गए, उनका इलाज क्यों नहीं हो सका? मुख्य मंत्री के क्षेत्र में क्यों इतनी मौतें हो गईं, बिहार में इतनी मौतें क्यों हो गईं?... (व्यवधान)

मान्यवर, जब तक यह जहनियत नहीं बदलेगी, मेरे जैसे लोगों का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं बहुत अहमियत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आप एक कमीशन बैठाएं। इस लोकतंत्र के पर्व पर जो मेरे यहां हुआ है, 15 दिनों तक बराबर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नंगा नाच किया है, रामपुर शहर, स्वार, टांडा और दढ़ियाल के अंदर एक वर्ग के बहुत लोगों को बहुत मारा गया है। आप कमीशन बैठाएं और हमारा भी रोल देखें और जिलाधिकारी का भी रोल देखें। लोगों को शौकिया मारा है, लोगों के घरों में दरवाजे तोड़ कर घुसे हैं। पुलिस ने 77 हजार रेड कार्ड दिए हैं और 77 हजार परिवारों से यह कहा कि वोट डालने नहीं निकलोगे। जहां 77 हजार परिवार वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे तो लोकतंत्र कहां बाकी रह जाएगा?

मान्यवर, अगर यह ... [26*]है तो यह भी नोट किया जाए, इसे कमीशन का हिस्सा माना जाए। अगर 77 हजार परिवारों को रेड कार्ड देकर वोट डालने से वंचित न किया गया हो तो जो सजा यह सदन चाहे तय कर ले।

मान्यवर मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र का बचना जरूरी है और लोकतंत्र आवाजों से नहीं बचेगा। लोकतंत्र तब बचेगा, जब फांसी के तख्तों पर चढ़ने से पहले शहीद भगत सिंह का वजन लिया जाएगा, तो पांच पाउंड वजन बढ़ चुका होगा, इससे साबित होता है कि देश की आजादी कैसे हुई थी। यदि आपस के रिश्तों को नहीं संभालेंगे, तो देश खुशहाल नहीं रह सकता। मैं कहता हूं कि यह पूरा शरीर हिंदुस्तान है। मेरे शरीर के पांचवें हिस्से पर यदि फालिज हो जाये, तो यह कामयाब हिंदुस्तान और सेहतमंद हिंदुस्तान नहीं होगा। पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति इसे सेहतमंद हिंदुस्तान नहीं कहेगा।

मान्यवर, एक आवाज 'तीन तलाक' के विषय पर आई थी। कोई एक तलाक मानता है, वह माने। कोई दो तलाक मानता है, वह माने। कोई तीन तलाक मानता है, माने। यदि कोई तलाक मानता ही नहीं है, वह मत माने। मैं यह कहता हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान/सुन्नत जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी।...(व्यवधान) हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये जो महिलाओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, महिलाओं की बड़ी वकालत करते हैं। उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफों के बारे में भी बताएं। सबरीमाला के बारे में बताएं। उनके लिए एक पैमाना और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए दूसरा पैमाना, यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां : मान्यवर, मैं सिर्फ आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं देश अपने आपको शादी के बंधन से अलग कर ले। कहीं ऐसा न हो कि शादी, ब्याह, निकाह और मंडप से लोग डरने लगें और हमारे यहां शादी का रिवाज ही खत्म हो जाए तथा लोग लिव इन

[26*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिलेशन को पसंद करने लगें। आइए, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को वापस लाएं और अपने रिश्तों को वापस लाएं तथा एक नए हिंदुस्तान की परिकल्पना करें।

[अनुवाद]

[अनुवाद]

[27*] **श्री एम. सेल्वाराज (नागापट्टिनम):** माननीय सभापति महोदय, वणक्कम। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के इस अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूं। एक बार फिर, मैं आपका और इस लोक सभा के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह बताया कि देश को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाया जाएगा। इस सरकार ने हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करने का भी आश्वासन दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमिलनाडु की अनदेखी की गई है। इस अभिभाषण में राज्य के साथ-साथ तमिलनाडु के सात करोड़ लोगों की भी अनदेखी की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, केंद्र सरकार हाइड्रोकार्बन खोज योजना के कार्यान्वयन के लिए डेल्टा जिले के किसानों से खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राज्य सरकार भी इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर रही है। यह पूरी तरह से किसान समुदाय के हित में नहीं है। हाइड्रोकार्बन और मीथेन अन्वेषण योजनाओं के तत्काल कार्यान्वयन के लिए पुडुचेरी से रामेश्वरम तक भूमि अधिग्रहण करने का केंद्र सरकार का कदम भी तमिलनाडु के किसानों के हित में नहीं है। ऐसे उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण छोड़ दिया जाना चाहिए। अन्यथा किसानों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार को किसानों को अपनी जमीन स्वयं जोतने की अनुमति देनी चाहिए। गैल गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तमिलनाडु से कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। एक विकल्प के रूप में, उन्हें राजमार्गों के किनारे गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रयास करना चाहिए। खेतों पर उच्च क्षमता वाले बिजली के खम्बे लगाए जा रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।

इसी तरह सरकार तमिलनाडु में 8-लेन सड़क बिछाने के लिए कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण कर रही है। चाहे वह हाइड्रोकार्बन या मीथेन की खोज हो या उच्च क्षमता वाले बिजली के खंभे लगाना या गैस पाइपलाइन बिछाना हो, केंद्र सरकार किसानों के हाथों से कृषि भूमि छीनने में लगी है। यह किसानों के मन में भय पैदा

[27*] मूलत: तामिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद

करने वाला आतंक का कृत्य है। किसान अपनी कृषि भूमि छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार उनके विचारों को नहीं सुनती है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप किसानों के जीवन स्तर में सुधार कैसे कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाएगा। क्या इस देश के किसानों को उनके कृषि उत्पादों का पारिश्रमिक मूल्य मिलता है? उन्हें पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिलता। किसानों को उनकी उपज के लिए विपणन की सुविधा भी नहीं मिल पाती है।

विमुद्रीकरण के बाद और जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण, एम.एस.एम.ई., सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और उनकी वृद्धि प्रभावित हुई है। जी.एस.टी. को घटाकर 5 प्रतिशत कर देना चाहिए। अन्यथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सुधार किए बिना, आप रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं? माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा और रोजगार सृजन की योजना को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का विकास किए बिना, उन्हें आवश्यक लाभ दिए बिना, इस क्षेत्र के लिए जी.एस.टी. को कम किए बिना, इस क्षेत्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना, आप विकास में ऊपर की ओर रुझान कैसे देख सकते हैं? बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का विकास आवश्यक है। उन पर लगने वाले कर को कम किया जाना चाहिए। पीने के पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। यह अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। तमिलनाडु के लोग पिछले कई महीनों से पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। मानसून असफल रहा है। चाहे वह दक्षिण-पूर्व हो या उत्तर-पूर्वी मानसून। तमिलनाडु राज्य की नदियों, तालाबों या किसी अन्य जलाशयों में कोई पानी उपलब्ध नहीं है। समग्र रूप से, पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कलैगनर करुणानिधि के समय में कोल्लीडम से पानी लाने के लिए कई पेयजल योजनाएं शुरू की गईं। वर्तमान सरकार के शासनकाल में उन योजनाओं को अपग्रेड नहीं किया जा सका। जिसके कारण पेयजल की कमी हो गयी है। कावेरी नदी के पानी का मुद्दा एक बार फिर डेल्टा क्षेत्र के किसानों और उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। 70 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। ट्रिब्यूनल ने अंतरिम और अंतिम फैसला सुनाया। माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर

किया गया था और उसने अपना फैसला भी दिया है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है। फैसले के अनुसार, राज्य को कावेरी नदी से अपने हिस्से का पानी नहीं मिलने से तमिलनाडु बंजर भूमि बन गया है। कुरुवाई की फसल पिछले 8 वर्षों के दौरान सफल नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? कृषि उत्पादन के बिना आप कैसे खा सकते हैं? यदि 4-लेन और 8-लेन सड़क योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो हमें चावल कहां से मिलेगा? पानी उपलब्ध नहीं है। मैत्तूर डैम के लिए छोड़े जाने वाले पानी को छोड़ा नहीं गया। इसका उस क्षेत्र की कृषि पर प्रभाव पड़ा है।

किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई कृषि गतिविधि नहीं है। विशेष रूप से नदियों में पानी की उपलब्धता नहीं है। तमिलनाडु में कृषि को संरक्षण प्रदान किया जाए। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में कोई सकारात्मक पहलू नहीं हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, मैंने और थिरु के. सुब्बारायण सांसद ने इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में 22 संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इस अभिभाषण में अनुसूचित जाति, महिलाओं और मुसलमानों के लोगों पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर, इस अभिभाषण में ध्यान और सार का अभाव है। इस अवसर के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी] **श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :** शुक्रिया सर, सदरे जम्हूरिया के खुत्बे पर जो मोशन मूव किया गया है, मैं उसकी मुखालिफत में खड़ा हूं। हिन्दुस्तान की 80 करोड़ आवाम मेरे साथ है। आपके साथ पाटलीपुत्र के लोग हैं। ... (व्यवधान) आपको मुबारक, आप जीतकर आए हैं। ... (व्यवधान) आप मुझसे अच्छी उम्मीद रखिये। ... (व्यवधान)

सर, यकीनन हिन्दुस्तान की आवाम ने फैसला दिया, एक जम्हूरी इलैक्शन हुआ और उस इलैक्शन में हिन्दुस्तान की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इक्तेदार सौंपा है। हम हिन्दुस्तान के इस फैसले की, आवाम के फैसले की इज़्ज़त करते हैं। इस इन्तेखाबात में जो तीन इन्तेखाबी नतीजे आए, वो यकीनन उस बात को दोहराते हैं कि हिन्दुस्तान की आवाम ने, अगर मैं अंग्रेजी की इस्तेलां में कहूं, हिन्दुस्तान की आवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया और इलीटिस्ट को नाकाम किया। मेरी नज़र में ऐसे तीन पार्लियामानी हल्के हैं, जिसमें अमेठी शामिल है, गुना शामिल है और औरंगाबाद शामिल है। यहां की आवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया। सर, यह हमारी जम्हूरियत की सबसे बड़ी ताकत है।

सर, तीसरी बात यह है कि सदरे जम्हूरिया के खुत्बे में बहुत सी बातें कही गईं, उसमें हुकूमत के इरादों और हुकूमत के प्लान का इज़हार किया गया। उसमें सदरे जम्हूरिया ने एक बात यह कही कि हिन्दुस्तान की डायवर्सिटी और प्लूरलिज़्म इसमें नज़र आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नतीज़े आए हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूं। ये नतीजे आवाम ने दिये, मगर क्या यह इस ऐवान की डायवर्सिटी और प्लूरलिज़्म की अकासी करता है? आदाद-ओ-शुमार यह बताते हैं कि इस ऐवान में 29 फीसद अपर कास्ट और 22 परसेंट ओबीसी के लोग मुन्तखिब होकर आए। ... (व्यवधान) अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, किसी को रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या यह ऐवान हिन्दुस्तान के उस अज़ीम प्लूरलिज़्म और डायवर्सिटी की अकासी करता है? मेरी नाकिस राय में वह नहीं करता है। ... (व्यवधान) इसलिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में 29 फीसद अपर कास्ट के लोग और ओबीसी के 22 फीसद लोग कामयाब होते हैं, यह हुकूमत की उस बात को नेगेटिव साबित करता है।

सर, यकीनन इस इलैक्शन में जितना हिन्दू कंसॉलिडेशन बीजेपी के पास हुआ है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। सीएसडीएस - लोकनीति का डेटा है कि पिछली बार से अबकी बार 37 परसेंट से 44 परसेंट हिन्दू वोट बीजेपी को मिला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह हिन्दू अखबार में सीएसडीएस - लोकनीति की रिपोर्ट है। हमारे मुल्क में एक रिलीजियस डिवाइड है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। एनडीए ने 51 परसेंट हिन्दू वोट लिया है। सर, आप 80 परसेंट का 51 परसेंट देखेंगे, तो आपको 60 फीसद वोट मिला है। ... (व्यवधान) यह बात बिलकुल सही है कि कांग्रेस को, नाम-निहाद सेक्युलर पार्टियों को उनकी ज़िन्दगी में, उनकी पार्टी की तारीख में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला, जितना इस बार मिला है, बिलकुल मिला है। अब इन दोनों को सामने रखकर आप देखिए, मेरा हाल तो 'फंस गई रज़िया गुंडों में' वाला है। मैं बी-टीम और सी-टीम हूं, जिस किसी को सूट करता है, तो मैं उधर बी-टीम, इनको सूट करता है, तो मैं इनका बी-टीम, मगर यह जो डेटा आया है, इससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि हमारे वतन-ए-अज़ीज़ में यह बड़ी अफसोसनाक और बदबख्ती की बात है कि रिलीजियस डिवाइड है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हमारे इस ऐवान में मुसलमान जो कामयाब होकर आए है, वे 25, चार परसेंट हैं और बीजेपी के पास 300 से ज़्यादा अराकीन पार्लियामान हैं। ... (व्यवधान) वे इस बात का इकरार नहीं कर सकते कि इनके पास एक भी मुसलमान जीतकर नहीं आया, मगर इसके बावजूद भी आपको ट्रिपल तलाक, मुस्लिम ख्वातीन से हमदर्दी है, मगर हमदर्दी तो कामयाबी में दिखनी चाहिए थी। ... (व्यवधान)

चौथी बात, सदर-ए-जम्हूरिया ने निकाह हलाला की बात की। मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपके पास कौन ऐसे नाकिस, जाहिल लोग हैं, जो ये खुत्बा तैयार करते हैं। इस्लाम में निकाह हलाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ निकाह है और उन काबिल लोगों को यह बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब निकाह टूटता नहीं है तो हलाला कैसे होगा? कम से कम मजाक भी करना है तो अच्छे तरीके से करिए। गलतियां तो इतनी होती हैं कि अगर आप सिर्फ हसद की बुनियाद पर, बुग्ज़ की बुनियाद, तंगनजरी की बुनियाद पर ये बातें करेंगे तो आपका मजाक उड़ रहा है। सर, प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, सदर-ए-जम्हूरिया ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनॉमी 2024 तक बनाएंगे। इसमें

सब के विश्वास की बात हुई कि स्ट्रॉंग, सेफ, प्रॉस्परस एण्ड ऑल इन्क्लूजिव इण्डिया बनाया जाए। हम भी चाहते हैं और आपको मुबारकबाद हो। मगर आप मुझे बताइए कि अगर हर महीने या दो महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी तो आप बताइए कि कैसे आप हिन्दुस्तान की इकॉनोमी को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की कर पाएंगे? आप 14 परसेंट अवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार-मारकर 5 ट्रिलियन के डॉलर के एकॉर्डिंग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप।

पांचवीं बात, आपको यह कामयाबी मिली, मैं आपको मुबारकबाद देता अगर आपकी कामयाबी इण्डियन नेशनलिज्म पर होती, वह नहीं हुई। क्योंकि डेटा बता रहा है कि आपकी कामयाबी, हिन्दू नेशनलिज्म को जो आपने फरोग़ दिया, उसका आपको फायदा मिला। मुझे नहीं मालूम कि ई.वी.एम. टेम्पर हुए या नहीं हुए, मगर मैं यह जरूर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2014-2019 और 2019-2024 तक अक्सरयती तबके की मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के माइण्ड को आप टेम्पर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इण्डियन नेशनलिज्म को अगर आप फरोग़ देंगे तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। मॉब लिंचिंग खत्म करने के लिए इण्डियन नेशनलिज्म को मानना पड़ेगा, मगर आप अपनी आइडियोलॉजी से इतना बंधे हुए हैं कि आप उसको तोड़कर निकल ही नहीं सकते हैं।

सर, बात हुई सिक्योरिटी की। प्रेजीडेण्ट ने सिक्योरिटी के बारे में कहा। यह बात बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में 2005 के बाद अब तक 73 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है, 88 लोकल्स भी मारे गए हैं। अब तो आतंकवादी इतने शार्प शूटर हैं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के मेजर की मौत हुई तो वे लोग डायरेक्ट सिर पर मार रहे हैं, इतने शार्प शूटर हो चुके हैं। आप बताइए कि पुलवामा में ब्लास्ट हुआ और कितने इण्टेलीजेंस ब्यूरो, कितने रॉ के ऑफिसर्स को आपने संस्पेंड किया? यह हम भी तो देखें कि हमारे गिरेबान में अगर कमजोरी है तो कैसे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वहां पर 150 किलो या 50 किलो आर.डी.एक्स. कैसे गया? देश जानना चाहता है कि आपने पुलवामा केस में कितने आई.बी. के ऑफीसरों को सस्पेंड किया? आप नहीं बता सकते हैं। आप यह बताइए कि जम्मू कश्मीर में, जितने कश्मीर के एम.पीज. जीतकर आए, कितने वोट लिए 9000, 6000? इतने वोट तो हमारे मुनिसिपल इलेक्शन में आ

जाते हैं। त्राल में एक जगह पर आपने लीड किया, 400 वोट बी.जे.पी. ने लिए। यह आपकी जम्हूरियत की कामयाबी है। मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बरस्तु-ए-जमा हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

आप अमेरिका के पास आ जाइए। हमारे वजीर-ए-आजम डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गले मिले। ऐसा लग रहा था कि ईद और बकरीद दोनों के गले मिल रहे हैं। वह बगलगीर हुए, मगर ट्रंप ने हमको क्या दिया? ट्रंप ने कह दिया कि रशिया से एस 400 मिसाइल नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि चीन से 5जी टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि आप डेटा नहीं रख सकते। ट्रंप कह रहा है कि हार्ले डेविडसन मोटर साईकिल आप फ्री में लेकर आइए। सर, मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है, आप ट्रंप से क्यों डर रहे हैं? ... [28*]ईरान से ऑयल खरीदिए। ढाई हजार करोड़ का बोझ हिन्दुस्तान की आवाम पर आ रहा है, आप ईरान से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। सबसे सस्ता ऑयल ईरान से मिलता है। इस देश को जरूरत है रशिया के एस 400 मिसाइल्स की। अतराफ के पड़ोसियों से खतरा है। सर, मैं अपनी बात अभी खत्म कर रहा हूं।

अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई। विदेश से पोम्पियो आ रहे हैं। आप उससे इंकार करिए। मैं भी मानता हूँ कि अमेरिका को कोई अख्तियार नहीं है हमारे दाख़िली मामलात में दखल करने का, मगर आपकी जो वाहयात रिपोर्ट है, लिख रहे हैं कि आप उसको बोलेंगे। सर पैराग्राफ 101, 112 पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडिया लिखा गया। मैं भी उस न्यू इंडिया को चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मगर अगर आप इस तरह से माहौल पैदा करते जाएँगे और सर आपके पास 308 सदस्य हैं। यहाँ पर अपोजीशन बहुत कम है, मगर सर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से कोई भी गोडसे को चाहने वाला नहीं है। इसमें कोई भी हेमन्त करकरे को मुर्दाबाद कहने वाला नहीं है। यह एज़ाज़, यह ऑनर आपको जाता है और 5 साल तक यह दाग़ आपको उठाना पड़ेगा कि आपके पास अक्सरियत है, मगर गोडसे को चाहने वाले आपके पास बैठे हैं, यहाँ पर नहीं बैठे हैं। सर आखिर में

[28*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इकोनॉमी के बारे में, जी.डी.पी. को लेकर हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कहते हैं कि यह 4.5 है। सच कौन बोल रहा है सर? हमारी अनइम्प्लॉयमेंट 6 प्रतिशत है। मुबारक हो आपको। आप जीत गए इलेक्शन, किस बुनियाद पर जीते इलेक्शन, वह देश भी जानता है और हम भी। मगर, 6 प्रतिशत? इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि हर ऐतबार से आज आपके सामने एक चैलेंज है, एक मौका है। आप अच्छे काम करेंगे तो हम भी साथ देंगे। मगर, आप अच्छा काम आइडियोलॉजी की बुनियाद पर करना चाहते हैं। मैं आखिर में यह उम्मीद करता हूँ कि यह हुकूमत इंडियन नेशनलिज्म पर चलेगी, संविधान पर चलेगी, आपकी आइडियोलॉजी इस मुल्क को कमज़ोर करेगी, आपकी आइडियोलॉजी मॉब लिंचिंग में और इज़ाफा करेगी।

جو پر خطبہ کے جمہوریہ صدرِ سر، شکریہ :(حیدرآباد) اویسی اسدالدین جناب کروڑ 80 کی ہندوستان ہوں۔ ہوا کھڑا میں مخالفت کی اس میں ہے، گیا کیا موو موشن مبارک، کو آپ --(مداخلت) ہیں لوگ کے پتر پاٹلی پاس کے آپ ہے۔ ساتھ میرے عوام ---(مداخلت) رکھئے-- امید اچھی سے مجھ آپ (مداخلت) ہیں۔ آئے کر جیت آپ

ہوا الیکشن جمہوری ایک ہے، دیا فیصلہ نے عوام کی ہندوستان یقیناً سر [अनुवाद] سونپا اقتدار دوبارہ کو پارٹی جنتا بھارتیہ نے عوام کی ہندوستان میں الیکشن اس اور ان ہیں۔ کرتے عزت کی فیصلے کے عوام ، کی فیصلے اس کے ہندوستان ہم ہے۔ کہ ہیں دوہراتے کو بات اس یقیناً وہ ہیں، آئے نتیجے انتخابی تین جو میں انتخابات عوام کی ہندوستان ، کہوں میں اصطلاح کی انگریزی میں اگر نے عوام کی ہندوستان تین ایسے میں نظر میری کیا۔ کام نا کو ایلیٹیسٹ اور کیا کامیاب کو کامیونر ایک نے شامل آباد اورنگ اور ہے شامل گُنا ہے، شامل امیٹھی میں جس ہیں، حلقے پارلیمانی سب کی جمہوریت ہماری یہ سر کیا۔ کامیاب کو کامنر ایک نے عوام کی یہاں ہے۔ ہے۔ طاقت بڑی سے

کہیں باتیں سی بہت میں خطبہ کے جمہوریہ صدرِ کہ ہے یہ بات تیسی سر، [अनुवाद] میں اس گیا، کیا اظہار کا پلان کے حکومت اور ارادوں کے حکومت میں اس گئیں، میں اس پلورلِزم اور ڈائورسٹی کی ہندوستان کہ کہی یہ بات ایک نے جمہوریہ صدرِ عزت کی ان میں ، ہیں آئے نتیجہ جو یہ کہ گا چاہوں بتانا کو آپ میں ہے۔ آتی نظر اور ڈائورسٹی کی ایوان اس یہ کیا مگر ، ہیں دئے نے عوام نتیجہ یہ ۔ ہوں کرتا فیصد 29 میں ملک اس کہ ہیں بتاتے یہ شمار و اعداد ؟ ہے کرتا عکاسی کی پلورلِزم اب -- (مداخلت) ہیں۔ آئے کر ہو منتخب لوگ کے او-بی-سی۔ فیصد 22 اور کاسٹ اپر نہیں ضرورت کی ہونے سائنٹسٹ راکٹ کو کسی لیجئے، لگا اندازہ خود آپ سے اس

ہے۔ کرتا عکاسی کی ڈائورسٹی اور پلورلِزم عظیم اس کے ایوان اس یہ کیا کہ ہے بڑی اتنی اگر کیونکہ لئے اس --(مداخلت) ہے۔ کرتا نہیں وہ میں رائے ناقص میری لوگ فیصد 22 کے سی۔ [हिन्दी]او۔بی۔ اور لوگ کے کاسٹ فیصداپر 29 میں تعداد اس یقیناً سر ہے۔ کرتا ثابت نیگیٹیو کو بات اس کی حکومت یہ ہیں، ہوتے کامیاب نہیں انکار سے اس ہے، ہوا پاس کے بی۔جے۔پی۔ کنسولیڈیشن ہندو جتنا میں الیکشن کی اب سے بات پچھلی کہ ہے ڈاٹا کا نیتی لوک ایس۔ [हिन्दी]سی۔ایس۔ڈی۔ ۔ سکتا جا کیا یہ ۔ ہوں رہا کہہ نہیں میں یہ ہے۔ ملا کو بی۔جے۔پی۔ ووٹ فیصد 44 سے فیصد 37 بار ایک میں ملک ہمارے ہے۔ رپورٹ کی نیتی سی۔ایس۔ڈی۔ایس۔لوک میں اخبار ہندو ہندو فیصدر 51 نے این۔ڈی۔اے۔ سکتا۔ جا کیا نہیں انکار سے اس ہے، ڈیوائڈ ریلیجیس ہے ملا ووٹ فیصد 60 کو آپ گےتو دیکھیں فیصد 51 کا فیصد 80 آپ سر ہے۔ لیا ووٹ ان کو پارٹیوں سیکیولر نہاد، و نام کو کانگریس کہ ہے سہی بالکل بات یہ --(مداخلت) ملا بار اس جتنا ملا نہیں ووٹ مسلم اتنا میں تاریخ کی پارٹی کی ان میں زندگی کی پھنس تو حال میرا دیکھئے، آپ کر رکھ سامنے کو دونوں ان اب ہے۔ ملا بالکل ہے، کرتا سوٹ کو کسی جس ، ہوں سی۔ٹیم اور بی۔ٹیم میں ہے۔ والا میں غنڈوں رضیہ گئی ڈاٹا جو یہ مگر بی۔ٹیم، کا ان میں تو ہوں، کرتا سوٹ انکو ، بی۔ٹیم ادھر میں تو ، ہے افسوسناک بڑی یہ عزیزمیں وطنِ ہمارے کہ ہے گیا ہو ظاہر صاف سے اس ہے، آیا سکتا۔ جا کیا نہیں انکار سے اس ہے، ڈیوائڈ ریلیجیس یہ ہےکہ بات کی بختی بد اور چار ،25 وہ ہیں آئے کر ہو کامیاب جو مسلمان میں ایوان اس ہمارے کہ ہے وجہ یہی ہے۔ پارلیمان اراکینِ زیادہ سے 300 پاس کے پی۔ [हिन्दी]بی۔جے۔ اور ہے فیصد جیت مسلمان بھی ایک پاس کے ان کہ سکتے کر نہیں اقرار کا بات اس وہ --(مداخلت)

ہمدردی سے خواتین مسلم طلاق، ٹرپل کو آپ بھی وجود با کے اس مگر آیا، نہیں کر ---(مداخلت) چاہئےتھی-- دکھنی میں کامیابی تو ہمدردی مگر ہے،

[अनुवाद] بتانا کو حکومت میں کی۔ بات کی حلالا نکاح صدر،جمہوریہ بات، چوتھی ہیں۔ کرتے تیار خطبہ یہ جو ہیں لوگ جاہل ناکس، ایسے کون پاس کو آپ کہ ہوں چاہتا لوگوں قابل ان اور ہے نکاح صرف ہے، نہیں چیز کوئی کی نام حلالہ نکاح میں اسلام حلالہ تو ہے نہیں ٹوٹتا نکاح جب بعد کے ججینٹ کےک کورٹ سپریم بتائیےکہ یہ کو تو غلطیاں کرئیے۔ سے طریقے اچھے تو ہے کرنا بھی مذاق کم سے کم ہوگا؟ کیسے کی نظری تنگ پر بنیاد کی بغض پر بنیاد حسدکی صرف آپ اگر کہ ہیں ہوتی اتنی ، کہی بات نے منسٹر پرائم سر، ہے۔ اڑرہا مذاق کا آپ تو گے کریں باتیں یہ پر بنیاد اس گے۔ بنائیں تاک **2024** ایکونومی کی ڈالر ٹریلین **5** ہم کہ کہا نے جمہوریہ صدرِ انکلوزیو آل اور پروسپیرس سیف، اسٹرانگ، کہ ہوئی بات کی وِشواس کے سب میں بتائیےکہ مجھے آپ مگر ہو۔ باد مبارک کو آپ اور ہیں چاہتے بھی ہم جائے۔ بنایا انڈیا پر نام کے ٹوپی جائےگا، کیا لِنچ کو مسلمان ایک کسی میں مہینے دو یا مہینے ہر اگر پر نام کے چوری کو اس گا، جائے مارا پر کےنام گوشت کے گائے گا، جائے مارا کی ہندوستان آپ کیسے کہ بتائیے آپ تو گی جائے لی لے جان کی اس گا، جائے مارا لِنچنگ ماب کو عوام فیصد **14** آپ گے۔ پائیں ڈالرکر ٹریلین **5** تک **2024** کو ایکونومی پائیں بنا نہیں گے؟ پائیں بنا ایکارڈنگ کے ڈالر کے ٹریلین **5** کر مار مار پر نام کے آپ۔ گے

[अनुवाद] کی آپ اگر دیتا باد مبارک کو آپ میں ملی، کامیابی یہ کو آپ بات، پانچویں کامیابی کی آپ کہ ہے رہا بتا ڈاٹا کیونکہ ہوئی۔ نہیں وہ ہوتی، پر نیشنلزم انڈین کامیابی کہ معلوم نہیں مجھے ملا۔ فائدہ کو آپ کا اس دیا، فروغ نے آپ جو کو نیشنلزم ہندو

کہہ بھی آج اور ہوں ضرورکہتا یہ میں مگر ہوئے، نہیں کہ ہوئے ٹیمپر ای-وی-ایم۔ کمیونیٹی میجوریٹیرین کی طبقہ اکثریتی تک **2019-2024** اور **2014-2019** کہ ہوں رہا نیشنلزم انڈین کہ ہوں رہا کر گزارش سے آپ میں گے۔ کریں ٹیمپر آپ کو مائنڈ کے کرنے ختم کو لِنچنگ ماب گی۔ جائے ہو ختم لنچنگ ماب تو گے دیں فروغ آپ اگر کو بندھے اتنا سے آئیڈیولوجی اپنی آپ مگر گا، پڑے ماننا کو نیشنلزم انڈین لئے کے ہیں۔ سکتے نہیں ہی نکل کر توڑ کو اس آپ کہ ہیں ہوئے

۔ کہا میں کےبارے سیکیوریٹی نے پریزیڈینٹ کی۔ سیکیوریٹی ہوئی بات سر [अनुवाद] سیکیورٹی **73** تک اب بعد کے **2005** میں کشمیر و جموں کہ ہے سہی بالکل بات یہ اتنے وادی آتنک تو اب ۔ ہیں گئے مارے بھی لوکلس **88** ہے، ہوئی موت کی پرسنل لوگ وہ تو ہوئی موت کی میجر کے پردیش اتر ہمارے جب کہ ہیں شوٹر شارپ پلوامہ ک بتائیے آپ ہیں۔ چکے ہو شوٹر شارپ اتنے ہیں، رہے مار پر سر ڈائرکٹ نے آپ کو آفیسرس کے را کیتنے اور بیوروں جینس انٹیلی کتنے اور ہوا، بلاسٹ میں کیسے تو ہے کمزوری اگر میں گریبان ہمارے کہ دیکھیں تو بھی ہم یہ کیا؟ سسپینڈ جاننا دیش گیا؟ کیسے آڑ-ڈی-ایکس۔ کلو **50** یا کلو **150** پر وہاں ہوا۔ بلاسٹ بمب پر وہاں آپ کیا؟ سسپینڈ کو افسران کے آئی-بی۔ کتنے میں کیس پلوامہ نے آپ کہ ہے چاہتا ایم-پیز کے کشمیر جتنے میں، کشمیر و جموں کہ بتائیے یہ آپ ہیں۔ سکتے بتا نہیں الیکشن میونسپل ہمارے تو ووٹ اتنے **؟6000** ،**9000** لئے ووٹ کتنے آئے، کر جیت نے بی-جے-پی۔ ووٹ **400** کیا، لیڈ نے آپ پر جگہ ایک میں ترال ہیں۔ جاتے اؐ میں مجھے کیونکہ ہوں، چھوڑتا پر آپ میں ہے۔ کامیابی کی جمہوریت کی آپ یہ لئے۔ ہوں۔ رہا کر ختم بات اپنی میں ہے۔ زماں برستوں کہ ہے معلوم

بہت سے ٹرمپ ڈونالڈ اعظم وزیرِ ہمارے آجائیے۔ پاس کے امریکہ آپ [अनुवाद]
بغل وہ ہیں۔ رہے مل گلے کے دونوں بقرعید اور عید کہ تھا رہا لگ ایسا ملے۔ گلے
میزائل 400سےایس۔ روس کہ کہا نے ٹرمپ دیا؟ کیا کو ہم نے ٹرمپ مگر ہوئے، گیر
سکتے۔ لے نہیں ٹیکنولوجی جی5 سے چین کہ ہے رہا کہہ ٹرمپ سکتے۔ لے نہیں
ڈاٹا آپ کہ ہے رہا کہہ ٹرمپ سکتے۔ لے نہیں آئل سے ایران کہ ہے رہا کہہ ٹرمپ
لے میں فری آپ سائکل موٹر ڈیوِڈسن ہارلے کہ ہے رہا کہہ ٹرمپ سکتے۔ رکھ نہیں
ڈر کیوں سے ٹرمپ آپ ہے، سینہ کا اِنچ 56 کا آپ کہ ہے یقین مجھے سر آئیے۔ کر
بوجھ کا کروڑ ہزار ڈھائی خریدئے۔ آئل سے ایران (Not recorded) ہیں؟ رہے
سے سب ہیں، رہے خرید نہیں آئل سے ایران آپ ہے، رہا آ پر عوام کی ہندوستان
میزائل 400ایس کے روس ہے ضرورت کو ملک اس ہے۔ ملتا سے ایران آئل سستا
ہوں۔ رہا کر ختم ابھی بات اپنی میں سر ہے۔ خطرہ سے پڑوسیوں کے اطراف کی۔
ہیں۔ رہے آ پومپیوں سے وِدیش آئی۔ رپورٹ کی فریڈم ریلیجیس میں امریکہ [अनुवाद]
ہے نہیں اختیار کوئی کو امریکہ کہ ہوں مانتا بھی میں کرئیے۔ انکار سے اس آپ
لکھ ہے، رپورٹ واحیات جو کی آپ مگر کا، کرنے دخل میں معاملات داخلی ہمارے
انڈیا نیو آف آبجیکٹیوس پر 112 ،101 پیراگراف سر، گے۔ بولیں کو اس آپ ہیں رہے
سے طرح اس آپ مگر ہوں چاہتا بھی میں ہوں۔ چاہتا کو نیوانڈیا اس بھی میں گیا۔ لکھا
بہت اپوزیشن پر یہاں ہیں۔ ممبر 308 پاس کے آپ سر اور گے جائیں کرتے پیدا ماحول
اس ہیں بیٹھے پر یہاں لوگ جتنے کہ ہوں رہا دلا یقین کو آپ میں سر، مگر ہے۔ کم
ہیمنت بھی کوئی سے میں اس ہے۔ نہیں والا چاہنے کو گوڈسے بھی کوئی سے میں
سال 5 اور ہے جاتا کو آپ آنر یہ اعزاز یہ ہے۔ نہیں والا کہنے باد مردہ کو کرکرے
والے چاہنے کو گوڈسے مگر ہے، اکثریت پاس کے آپ کہ گا پڑے اٹھانا کو آپ تک

بارے کے ایکونومی میں آخر سر ہیں۔ بیٹھے نہیں پر یہاں ہیں، بیٹھے پاس کے آپ یہاں کہ ہیں کہتے ایڈوائزر ایکونومک چیف سابق ہمارے کر لے کو جی۔ڈی۔پی۔ میں کو۔ ہو آپ مبارک ہے، فیصد 6 ایمپلائمنٹ ان ہماری سر؟ ہے رہا بول کون سچ ہے۔ 4.5 ۔ بھی ہم اور ہے جانتا بھی دیش وہ جیتے الیکشن، پر بنیاد کس الیکشن، گئے جیت آپ ایک سامنے کے آپ سے اعتبار ہر سر کہ ہیں رہے کہہ ہم لئے اس فیصد؟ 6 مگر آپ گے۔مگر دیں ساتھ بھی ہم تو گے کریں کام اچھے آپ ہے۔ موقع ایک ہے، چیلنج یہ کہ ہوں کرتا امید یہ میں آخر میں ہیں۔ چاہتے کرنا پر بنیاد کی آیڈیولوجی کام اچھا کو ملک اس آئیڈیولوجی کی آپ گی، چلے پر آئین گی، چلے پر نیشنلزم انڈین حکومت گی۔۔۔ کرے اضافہ اور میں لِنچنگ ماب آئیڈیولوجی کی آپ گی، کرے کمزور شکریہ۔۔۔

(شد ختم)

[अनुवाद] **श्री तोखेहो येपथोमी (नागालैंड):** माननीय सभापति महोदय, मैं संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने पिछले पाँच वर्षों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है और उन्होंने इस सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है जिन्हें अगले पांच वर्षों में लागू किया जाना है। इस महान देश के लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करना इस सम्मानित सभा के सदस्यों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मैंने देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों की कानून-व्यवस्था और विद्रोही समस्याओं के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन इसमें जम्मू-कश्मीर तथा नक्सलवादियों की स्थिति का उल्लेख किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, नागा राजनीतिक वार्ता पिछले 22 वर्षों से चल रही हैं। लेकिन 3 अगस्त, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार ने एन.एस.सी.एन. (आई.-एम.) के साथ रूपरेखा समझौता किया। नागालैंड के लोगों को उम्मीद थी कि पिछली 16वीं लोक सभा समाप्त होने से पहले कोई समाधान निकलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इन पिछले 22 वर्षों से नागा राजनीतिक वार्ता चल रही हैं, और रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए इस सदन के माननीय नेता, भारत के प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वह कृपया नागा राजनीतिक वार्ता को शीघ्रता से आगे बढ़ाएं और मुद्दा का शीघ्रता से समाधान करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति के भाषण में दूसरे बिंदु पर आते हुए, एक उल्लेख किया गया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

सायं 7.34 बजे (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विषय में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में काफी विवाद छेड़ा गया है। महोदय, आपको ज्ञात है कि पूर्वोत्तर राज्यों की चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और लोगों की आशंका है कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले अप्रवासियों की भीड़ खड़ी हो जाएगी।

इसलिए, मेरा माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले पर विचार किया जा जाए।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। "पूर्वोत्तर में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के अलावा, पर्यटन, कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी से लाभ होगा, और पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हम सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों के लोग परिवहन हेतु सड़क पर ही निर्भर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जलमार्ग नहीं हैं; असम के कुछ जिलों को छोड़कर, हमारे पास रेलवे नहीं है; और हम सड़क परिवहन पर ही निर्भर हैं। इसलिए, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है, उनके अलावा, मेरा सभा के नेता से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सड़क परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए और इन राज्यों को देश के शेष भाग से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाए।

इन कुछ शब्दों के साथ, एक बार फिर मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय देने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

[हिन्दी] **प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद) :** आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे सम्मानित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है। मैं प्रथम बार इस सदन में बोल रही हूं, इसलिए मुझे बड़े गौरव का अहसास भी हो रहा है। यह वह सदन है, जहां भारत का शीर्षस्थ नेतृत्व बैठता है। यह वह सदन है, जिसने न जाने कितने इतिहास रचे हैं, कानून बनाए हैं। नोक-झोंक होती हैं, वाद-विवाद होता है, लेकिन जब हम यहां से बाहर निकलते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होकर ही निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं यहां पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव आया है, उसके लिए खड़ी हुई हूं, जिसे आदरणीय प्रताप षडङ्गी जी ने प्रस्तुत किया है और डॉ. हिना गावित जी ने उसका समर्थन किया है, उसके पक्ष में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से लगातार हर एक की डिबेट सुन रही हूं, हर एक का विचार सुन रही हूं। यह तो निश्चित है कि हर एक ने यह स्वीकार किया है कि यह चुनाव अभूतपूर्व था। ऐसा प्रभावशाली चुनाव, इतने आयामों का, इतने स्पष्ट मत का चुनाव पिछले तीन दशकों में पहली बार हुआ है। 61 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया है, महिलाओं ने बराबर से वोट दिया है। तीस साल के बाद एक राजनैतिक दल और एक प्रधान मंत्री पूर्ण बहुमत लेकर आए हैं और प्रधान मंत्री बने। उनको सफलता मिली और सबसे बड़ी बात इस चुनाव ने एक सबक यह भी दिया है कि अगर अच्छा काम होता है, तो उम्मीद विश्वास में परिणत होती है। वर्ष 2014 में मोदी जी के प्रति राष्ट्र को संभावनाएं थीं, उनसे उम्मीद थी, आशा थी कि यह नेता कुछ करेगा, लेकिन वर्ष 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव हो गया है। राष्ट्र को विश्वास है कि अगर यह राष्ट्र उन्नति करेगा और आगे जाएगा, तो नरेन्द्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। इसलिए यह बहुत बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि आंकड़े ठीक नहीं हैं। जनमत लेकर आते हैं, तो कहता है कि जनमत ठीक नहीं है। तो आप ही बताइए कि लोकतंत्र में तीसरा और कौन-सा मापदंड है? हम किस मापदंड से निकालें कि हम सही हैं और जनता हमको चाहती है। यह लोकतंत्र है। सब कहते हैं कि लोकतंत्र है, संविधान है, शीश झुकाओ और स्वीकार करो। इसलिए जनमत को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए। राष्ट्र ठीक कह रहा है। देखिए ये परास्त नहीं हुए हैं, ये पस्त हो गए हैं। राष्ट्र ने विपक्ष को पस्त कर दिया है। कुछ

नहीं बचा है, मुट्ठी भर रह गए हैं। ये अब खुद का आत्मवलोकन नहीं करते हैं। इस समय कांग्रेस के यहां संसदीय दल के अध्यक्ष नहीं हैं।

मैंने सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी रेटोरिक्स (भाषण कला) यहाँ प्रस्तुत की। एक बात मुझे सुनते-सुनते याद आ रही थी, एक शेर भी मुझे याद आया वसीम बरेलवी जी का। बात यह समझ में आई कि जो यूथ है, यंग है वह घर के बुजुर्ग के पास जल्दी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सोचता है कि वे बोर करेंगे, पुरानी-पुरानी बात सुनाऐंगे। यह कथा सनुाएँगे कि 50 साल पहले हमारे जमाने में एक आने में इतना मिलता था। हमारे जमाने में यह होता था। वही हाल कांग्रेस का हो गया। 100 वर्षों की पूरी बात बोल गए, 21वीं सदी की बातें ही नहीं कीं और आज का भारत 21वीं सदी की बात सुनना चाहता है। यह जो बर्बादी विपक्ष की हो रही है, वह इसलिए है कि वह यथार्थ से रूबरू नहीं हो रहे हैं। वह नहीं समझ रहे हैं कि देश क्या चाहता है? मैंने जैसा कहा था, मुझे फिर वह शेर याद आया है, जो इन पर बहुत फिट बैठता है। वह है-

अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब,

हमने तो आखिरी घर तक दीया जलाना है।

दीया और दीये का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं,

अंधेरों से कहो रोके, उजाला कर रहा हूँ मैं।

मैं उजाला कर रहा हूँ। अंधेरा अगर रोक सकता है तो उसको रोके। आप सूरज लिए घूम रहे हो, हम एक दीया ही सही। लेकिन यह दीया आज परिणत हो गया है करोड़ों लोगों को सशक्त करने में, उनको सामाजिक न्याय दिलाने में, उनको आर्थिक ताकत दिलाने में। अध्यक्ष जी, चुनाव में जब हम लोगों ने प्रवेश किया, हमको यह अंदाजा नहीं था कि प्रधान मंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं, इसकी पहुँच कितनी दूर तक है। आज दूर-सुदूर के आदिवासी गाँव में, अगर आप मोदी जी का नाम लीजिए तो वहाँ महिलाएँ जो अनपढ़ हैं, वह उनको जानती हैं। उनसे पूछो कि मोदी जी ने क्या किया है? जवाब आता

है। हमको शौचालय दिया है, हमको घर दिया है, हमको आवास दिया है, हमको उज्ज्वला दिया है। हिन्दुस्तान का कोई गाँव ऐसा नहीं है, जहाँ इन योजनाओं का लाभ लोगों को न मिला हो। महिलाएँ सबसे ज़्यादा इससे हमको प्रभावित मिलीं। एक 80 साल की वृद्धा, मैं एक गाँव में गई थी कनवेसिंग करने के लिए, मैंने उससे पूछा कि किसको वोट दोगी, उसने सीने पर हाथ पटक-पटक कहा कि मोदी मेरे कलेजे में रहता है; मैं मोदी को वोट दूँगी। देखिए, यह भाव था कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। सारे जातीय समीकरण, सारे क्षेत्रीय समीकरण सब ध्वस्त हो गए। उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बना, गठबंधन बना, वह 40 फीट दूर से बोलता रहा और खुश होता रहा कि मोदी गए पर वह नहीं समझ सके कि वह हवा में तिनके की तरह उड़ने वाले हैं और वह उड़ गए। मेरा बस यही कहना है। देखिए, जो अभिभाषण हुआ, उसमें भारत की रूप-रेखा, भारत का भविष्य हमको दिखाई देता है। उसमें उन्होंने पाँच साल की उपलब्धियों की बात की। मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा, किसी बड़े नेता ने टिप्पणी की कि अभिभाषण में तो एक साल की उपलब्धि का उल्लेख होना चाहिए, पाँच साल का क्यों? महादेय, यहाँ कुछ लोग तो 100 साल का इतिहास सुनाते हैं, हम कुछ नहीं कहते। हम पाँच साल का बोलते हैं तो आपको कष्ट हो जाता है। यह तो उचित नहीं है, यह तो गलत है। यह विकास की एक सतत प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया एक नए नेतृत्व में, एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ी है। अगर आप यह कहें, जैसे अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि क्या फायदा हुआ किसान बीमा योजना से? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, अभी वहां की मंत्रि परिषद में थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, मैं आपको बताती हूँ कि पिछले दो साल में जब से वहाँ पर योगी सरकार आई है, एक करोड़ दस लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। यह कोई छोटी संख्या है? अब आप नकारना चाहें तो आप सब कुछ नकार सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर उज्ज्वला मिला है, अगर आवास मिला है और अगर 'आयुष्मान भारत' मिल रहा है, 70 लाख लोग भारत में आयुष्मान भारत का लाभ ले चुके हैं तो यह प्रशंसा का विषय है। उत्तर प्रदेश में 55 हज़ार लोग इसका लाभ ले चुके और आप कहते हैं कि इसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है तो मैं कैसे मान जाऊँ? मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि न केवल 78 महिलाएँ ही जीत कर आई हैं, युवा भी बहुत आया है। इस सदन

में 300 नए लोग जीत कर आए हैं और इतनी महिलाएँ और युवा आए कैसे? अच्छे-अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी छोड़ कर आ रहा है, कोई अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ कर आया है।

[हिन्दी] युवा, जो डॉक्टर है, वह भी आज राजनीति में चला आ रहा है, कोई कॉरपोरेट सेक्टर से आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि राजनीति का कल्चर पिछले पाँच सालों में बदला है, संस्कृति बदली है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लोगों को लगता है कि हमें भी इसमें भागीदार होना चाहिए। लोगों को लगता है कि मोदी हमें जगह देंगे। लोगों को लगता है कि अगर हम पाँच साल रहेंगे तो हम भी नव भारत के निर्माण में, 21वीं सदी के निर्माण में हमारा भी इतिहास में नाम जाएगा। इसलिए लोग आ रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" से लेकर राजनैतिक प्रतिनिधित्व तक मोदी जी ने हर जगह महिला केन्द्रित पॉलिसीज को अपनाया है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि वर्ष 1947 के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उनमें महिला को केवल महिला और बाल विकास विभाग दिया जाता था। ऐसा क्यों था? हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला और बाल विकास कैसे होगा और इसे पुरुष नहीं बता सकता है। परन्तु जो पाँच हमारी सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज (मंत्रालय) होती हैं, डिफेंस, फॉरेन, एचआरडी, कॉमर्स और अब वित्त मंत्रालय समय-समय पर महिलाओं को देकर मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि अगर महिला के हाथ में पावर दी जाए तो वह कहीं भी कदापि कम नहीं है। हमारे पास समानता का अधिकार है। हमारे बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। आज माता-पिता अपनी बेटियों के दहेज के लिए पैसा नहीं बचाते हैं, वे अपनी बेटियों की शिक्षा में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज बेटियाँ नाम भी रोशन कर रही हैं, बेटियाँ देश को आगे भी ले जा रही हैं। अब हमारे प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, आज सिर्फ इनका विकास न हो, इनके माध्यम से, इनके हाथ से इस देश का विकास हो और ये देश के विकास में बराबर की भागीदार हों। इससे हमें गर्व महसूस होता है। एक नेता अपने अनुभव से नेतृत्व करता है। वह अपने अनुभव से लीड करता है। हमारे लीडर ने लीड किया है। "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" आज अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन चुका है। लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अध्ययन कर रहे हैं कि "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" का क्या 'इम्पैक्ट' (प्रभाव) हुआ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ोस में हुआ। हरियाणा

राज्य, जो आर्थिक रूप से सम्पन्न था, यहाँ बेटियाँ पैदा होते ही दफन कर दी जाती थीं। आज आपको जानकर खुशी होगी, जो आंकड़े मैंने पढ़े हैं, हो सकता है कि आगे-पीछे हों, इनमें कुछ अंतर हो सकता है, आज से 5 साल पहले जब बच्ची पैदा होती थी, तो बेटे और बेटी में यानी बालक और बालिका में बहुत अनुपातित अंतर था। पहले एक हजार बालकों पर 850 बालिकाएं थीं। आज वर्ष 2019 का आंकड़ा देखिए, मैं न्यूबोर्न बेबी, नवजात का आंकड़ा बता रही हूँ, आज एक हजार बालकों पर 931 बेटियाँ पैदा हो रही हैं। यह अंतर "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" से आया है। आप सोचिए हम कैसे कह सकते हैं कि अंतर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतर हो रहा है। भारत के 104 जिले ऐसे हैं, जिनमें इसकी वजह से जबरदस्त अंतर आया है।

महोदय, हमें बोलने दीजिए। मैं पहली बार बोल रही हूँ। आपने 8 बजे तक का समय कहा है, कोई बात नहीं, सवा 8 हो जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ। आजीविका मिशन बहुत बड़ा मिशन है, इससे देश की तीन करोड़ महिलाओं, बहनों को लाभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में आजीविका मिशन से लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम लोग 22 लाख महिलाओं को लाभ पहुँचा रहे हैं। ये सारे आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण इस सरकार के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधान मंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान में इज्जत घर या शौचालयों की योजना हो या अब जो हमारा "आयुष्मान भारत" आया है, इन सबका डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा असर और सीधा लाभ महिलाओं को हो रहा है, क्योंकि वे गृहणी होती हैं, घर बनाती हैं। "मातृ वंदना योजना" को ले लीजिए। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहल थी। यह योजना लागू हुई और इसके माध्यम से 6 हजार रुपये प्रति महिला को दिया जाता है। बेटी पैदा होने पर माँ को अलग-अलग स्टेजेज पर 6 हजार रुपये प्रति महिला दिया जाता है।

असंगठित क्षेत्र को ले लीजिए। हमारी बहनें, बेटियां बहुत बड़ी संख्या में, खास तौर से शहरों में, असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए सम्मानजनक वर्किंग कंडीशंस हों, उनकी सैलरी पैकेज सम्मानजनक हों, उसके लिए भी बिल्स तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा प्रधान मंत्री और ऐसी सरकार महिलाओं के बारे में इतना सोचती है, बेटियों के बारे में सोचती है।

जैसे 'खेलो इंडिया' है। इसका लाभ सिर्फ लड़कों को ही नहीं मिल रहा है, बल्कि 'खेलो इंडिया' में लड़कियां ज्यादा खेल रही हैं और खूब कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छी है और हमारे प्रधान मंत्री अभूतपूर्व काम कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं सिर्फ एक विषय 'संघीय ढांचे' पर बोलना चाहूंगी। बहुत बातें होती हैं कि संघीय ढांचा नष्ट हो रहा है, सेन्ट्रलाइजेशन-ऑफ-पावर (सत्ता का केंद्रीकरण) हो रहा है। सबसे ज्यादा शोर बंगाल से मचता है, और ज़गहों से मचता है। उन्हें कष्ट क्या है?

अगर हम आपको यू.पी. का उदाहरण दें तो संघीय ढांचे का क्या असर होता है, क्षेत्रीय पार्टियों या सरकारों को इसकी कितनी चिंता है, आप इससे अंदाज लगाइए। हमारी केन्द्र में सरकार, मोदी सरकार 2014 में बनी। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार स्थापित हुई। उन ढाई वर्षों में वहां न ही 'स्वच्छता अभियान' के अन्तर्गत शौचालय बनाए गए और आवास की बुरी हालत थी। वहां केन्द्र की कोई भी योजना, चाहे वह 'सौभाग्य योजना' हो, बिजली के कनेक्शंस से संबंधित योजना हो, चाहे 'उज्ज्वला योजना' हो या अन्य योजनाएं हों, वे वहां कहीं भी नहीं पहुंच रही थीं। लेकिन, जैसे ही वहां योगी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, हम लोगों ने काम शुरू किया। पूर्व की स्थिति पर हमारी एनालिसिस हुई कि ऐसा क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि अगर केन्द्र का पैसा ले लेंगे, अगर केन्द्र की योजनाओं को लागू कर देंगे तो कहीं इसका लाभ मोदी जी को न हो जाए! क्या संघीय ढांचे का अर्थ यह होता है कि आप अपने प्रदेश की जनता को उन सब योजनाओं से, सुविधाओं से महरूम रखें, जो उन्हें केन्द्र से मिल सकती है? आज़म खान साहब यहां बैठे हैं। ये इसके गवाह हैं। ये वहां पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर (संसदीय कार्य मंत्री) थे, वहां पर दो-ढाई साल इनकी सरकार थी। वहां किसी भी योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया। अब हम लोग आ गए। हम लोगों के आते ही, आप देखिए कि कितना जबर्दस्त अन्तर आया। दो सालों के अन्दर ही उत्तर प्रदेश में ढाई करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 'सौभाग्य योजना' में 75 लाख घरों में बिजली पहुंचा दी गयी जबकि पहले पाँच हजार घरों में भी बिजली नहीं पहुंचाई गई थी। 'आयुष्मान योजना' में 1.8 करोड़ लोग इसके पात्र होंगे, लेकिन अभी करीब 54 हजार

लोग इसका लाभ ले चुके हैं और हम लोगों को इस योजना में तेजी से पंजीकृत कर रहे हैं। इस प्रकार, 'उज्ज्वला योजना' का लाभ एक करोड़ दस लाख लोगों को मिल चुका है।

ऋण मोचन की जहां तक बात है तो प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में ऋण मोचन करेंगे। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में वहां पर 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण मोचन हुआ। हमने अपने संसाधनों से यह किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्टेट्स (राज्य) काम नहीं कर सकते हैं और हर बात के लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है।

महोदय, हमें थोड़ा मौका दे दीजिए। मैं आखिरी बात कहूंगी। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही। आप सोच लीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है। हम लोग तीन सालों के अन्दर 1200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाकर पूर्व को पश्चिम से दिल्ली से जोड़ देंगे। जब हमारा गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो 600 किलोमीटर का यह मार्ग भारत का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे होगा। यह केन्द्र के आशीर्वाद से हो रहा है।

जहां उत्तर प्रदेश में हमारे पास सिर्फ दो एयरपोर्ट्स थे, 'उड़ान योजना' के जरिए आज हमारे पास छः एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं और छः नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। वाटरवेज़ बन रहे हैं। भारत में क्या नहीं हो रहा है? सरफेस ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज़, एयर ट्रांसपोर्ट सब चीजें उड़ान ले रही हैं, भारत उड़ान ले रहा है। भारत आगे जा रहा है और इतनी तेजी से जा रहा है कि विपक्ष बौखला गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए।

डिफेंस कॉरीडोर बन रहा है। बुंदेलखण्ड में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने वाला है। वह बुंदेलखण्ड, जो सूखे से मर रहा है, जब हमारी पिछली सरकार थी और वहां पानी की किल्लत थी तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब एक वाटर ट्रेन भेजी तो उसे वापस भेज दिया गया और कहा गया कि हम यह पानी नहीं पिलाएंगे, क्योंकि यह मोदी का पानी है, इसे वापस ले जाओ। ऐसे देश नहीं चलता है। अगर आपको को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए तो अगर हम दो कदम आगे बढ़ते हैं और आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते तो कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ें।

[अनुवाद] सिर्फ एक्स्पाइरी प्राइम मिनिस्टर कह देने और जब तक मोदी है, हम पैसा नहीं लेंगे, तो आप यह नहीं कर सकते। यह जनता के साथ धोखा है।

[हिन्दी] अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे टूरिज्म हो, इसमें पूरे देश को बहुत लाभ हुआ है। केन्द्र खासतौर से यूपी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे स्टेट में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव हुआ। हर स्टेट में प्रधान मंत्री जी उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ आखिर में मैं एक बात कहूंगी। अब मैं आप सभी को एक शेर सुना रही हूं, प्लुरलिज़्म की जो बात बार-बार आ रही है, यह उसी के संदर्भ में है-

"कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सारे लोग मेरे हैं,
किया है इनसे जो वादा, वह पूरा कर रहा हूं मैं।
किसी तुफान की साजिश से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा,
कि अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं।"

धन्यवाद, जय हिन्द। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश नारायण जी।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे एक छोटी-सी बात रखने का मौका देते तो बड़ा अच्छा रहता। महोदय, आप भी राजस्थान से हैं। मैं एक मिनट में ही अपनी बात रख दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने बोल दिया ना। अब आपकी बात हो गई।

श्री हनुमान बैनिवाल : नहीं सर, घटना पर तो मैं जिक्र कर दूं। हमारे माननीय सदस्य को तो फिर भी टाइम मिल जाएगा। कल 23 जून को राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें पन्द्रह से अधिक लोगों की जान चली गई और 60-70 लोग घायल हो गए, लेकिन राजस्थान की सरकार

गंभीर नहीं है। राजस्थान की सरकार ने मुआवज़ा भी बहुत कम दिया है। इस घटना पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस घटना का संज्ञान लें।... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष:** माननीय सुरेश जी।

<u>सायं 7.57 बजे</u>

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – जारी

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सुरेश जी।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार सांसद बना हूं और आज पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सूखे के कारण महाराष्ट्र में पशुओं को पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध कराने के लिए फॉडर कैम्प्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन वहां सत्ताधारी पार्टी के नेता फर्जी तरीके से बिना फॉडर कैम्प खोले रोजाना सरकारी खजाने का 7 से 14 लाख रुपये का चूना लगा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। महोदय, अभिभाषण में आयुष्मान भारत की बात कही गई, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और अब बिहार के मुज़फ्फरपुर में नौनिहालों की मौत हो रही है, इसके लिए सरकार कोई उचित कदम क्यों नहीं उठा रही है? जब बीमार बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है तो आयुष्मान भारत योजना का क्या फायदा है? …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हुआ, लेकिन हमारे वीर सैनिक जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, 18 जून तक लगभग 17 घटनाओं में हमारे लगभग 11 जवान शहीद हो गए। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल रही है। पुलवामा अटैक में उपयोग हुआ विस्फोटक पदार्थ कहां से आया, कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे सेना के काफिले के बीच एक प्राइवेट कार कैसे आई, ये सारी जानकारी भी सरकार को बतानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं बता पाई।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल सरकार के झूठे वादों का पिटारा है। वर्ष 2014 के अभिभाषण का कोई भी वायदा सरकार पूरा नहीं कर पायी। सरकार अब तक हर कदम पर असफल रही है। मैं अपनी बात वसीम बरेलवी की दो लाइनों से समाप्त करना चाहूंगा -

"झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए,

और हम थे कि सच बोलते रह गए।"

धन्यवाद, जय हिन्द - जय महाराष्ट्र।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 जून, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 8.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 25 जून, 2019 / आषाढ़ 4, 1941 (शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

<u>लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण</u>

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित